VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामाजिक मुद्दे

Classroom Study Material 2022

(September 2021 to June 2022)

8468022022, 9019066066   www.visionias.in

दिल्ली । लखनऊ । जयपुर । हैदराबाद । पुणे । अहमदाबाद । चंडीगढ़ ।गुवाहाटी

सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

विषय सूची

1. सुभेद्य वर्ग से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Vulnerable Section) 6

1.1. मानव तस्करी (Human Trafficking) 6

1.2. महिलाएं (Women) 7

1.2.1. महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill) 7

1.2.2. कृषि क्षेत्र का स्त्रीकरण (Feminization of Agriculture) 9

1.2.3. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में महिलाएं {Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)} 10

1.2.4. स्थायी कमीशन (Permanent Commission) 11

1.2.5. महिलाओं के विवाह की आयु (Marriage Age of Women) 13

1.2.6. वाश एवं लैंगिक असमानता (WASH and Gender Inequality) 16

1.2.7. महिलाओं के खिलाफ हिंसा (Violence against women) 18

1.2.7.1. लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2013 {POSH Act (Protection of women from Sexual Harassment Act, 2013)} 19

1.2.7.2. भारत में दहेज प्रणाली (Dowry System in India) 21

1.2.7.3. वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) 22

1.2.8. यौनकर्मियों के अधिकार (Rights of Sex Workers) 25

1.2.9. अवैतनिक कार्य (Unpaid work) 27

1.2.10. देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) 28

1.3. बच्चे (Children) 30

1.3.1. बच्चों के अधिकार (Child rights) 30

1.3.2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 {Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021} 30

1.3.3. भारत में बच्चों को गोद लेना (Child Adoption in India) 33

1.4. ट्रांसजेंडर के अधिकार (Transgender Rights) 35

1.5. भारत में वृद्धजन (Elderly in India) 37

1.6. देशज लोग या मूल निवासी (Indigenous people) 38

2. स्वास्थ्य (Health) 39

2.1. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage) 40

2.2. मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) (Accredited Social Health Activist: ASHAs) 41

2.3. प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana: PM-JAY) 42

2.4. स्वास्थ्य अवसंरचना का डिजिटलीकरण (Digitalisation of Health Infrastructure) 43

VISION IAS

2.5. भारत में द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल (Secondary Health Care in India) 45
2.6. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल (Health Insurance for India's Missing Middle) 46
2.7. लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य (Sexual and Reproductive Health: SRH) 47
2.8. सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 {Surrogacy (Regulation) Rules, 2022} 49
2.9. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (Medical Termination of Pregnancy) 51
2.10. दुर्लभ रोग (Rare Diseases) 53
2.11. मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) 55
2.12. ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) 57
2.13. नशीली दवाओं का सेवन (Drug Abuse) 59
2.14. इच्छामृत्यु: गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार (Euthanasia: Right to Die with Dignity) 61

3. शिक्षा (Education) 64

3.1. लर्निंग पॉवर्टी (Learning Poverty) 65
3.2. स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education in Schools) 66
3.3. शिक्षा में निजी क्षेत्रक की भागीदारी (Private Sector Participation in Education System) 69
3.4. भारत में एडटेक (शिक्षा प्रौद्योगिकी) क्षेत्र (EdTech Sector in India) 70
3.5. प्रतिभा पलायन (Brain Drain) 74

4. निर्धनता और विकास संबंधी मुद्दे (Poverty and Development Issues) 78

4.1. सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा (Universal Social Security) 78
4.2. जबरन विस्थापन (Forced Displacement) 81
4.3. आंतरिक प्रवास (Internal Migrants) 81
4.4. स्ट्रीट वेंडर्स या पथ विक्रेता (Street Vendors) 84
4.5. घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISDWs) {All India Survey on Domestic Workers (AISDWs)} 86
4.6. ब्लॉक और शहरी स्तर पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम {Aspirational District Programme (ADP): Block and City level} 87

5. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation) 89

5.1. स्वच्छता (Sanitation) 89
5.2. हाथ से मैला उठाने की प्रथा (Manual Scavenging) 89
5.3. भुखमरी और कुपोषण (Hunger and Malnutrition) 91

VISION IAS

6. विविध (Miscellaneous)....... 94
6.1. वैश्वीकरण: स्लो डाउन (मंद) या परिवर्तन? (Globalization: Slow Down or Mutating?)....... 94
6.2. सोशल मीडिया और समाज (Social Media and Society)....... 96
6.3. घृणा संबंधी अपराध (Hate Crime)....... 96
6.4. खेलों में भारत का प्रदर्शन (India's Performance in Sports)....... 98

विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न	मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अलग कर वर्ष 2014-2021 तक पूछे गए प्रश्नों (सामाजिक मुद्दे खंड के लिए) की एक रेफरेंस शीट प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट के साथ, यह परीक्षा की मांग को समझने और बेहतर उत्तर लिखने के लिए विचारशीलता (थॉट प्रॉसेस) को विकसित करने में मदद करेगा।	

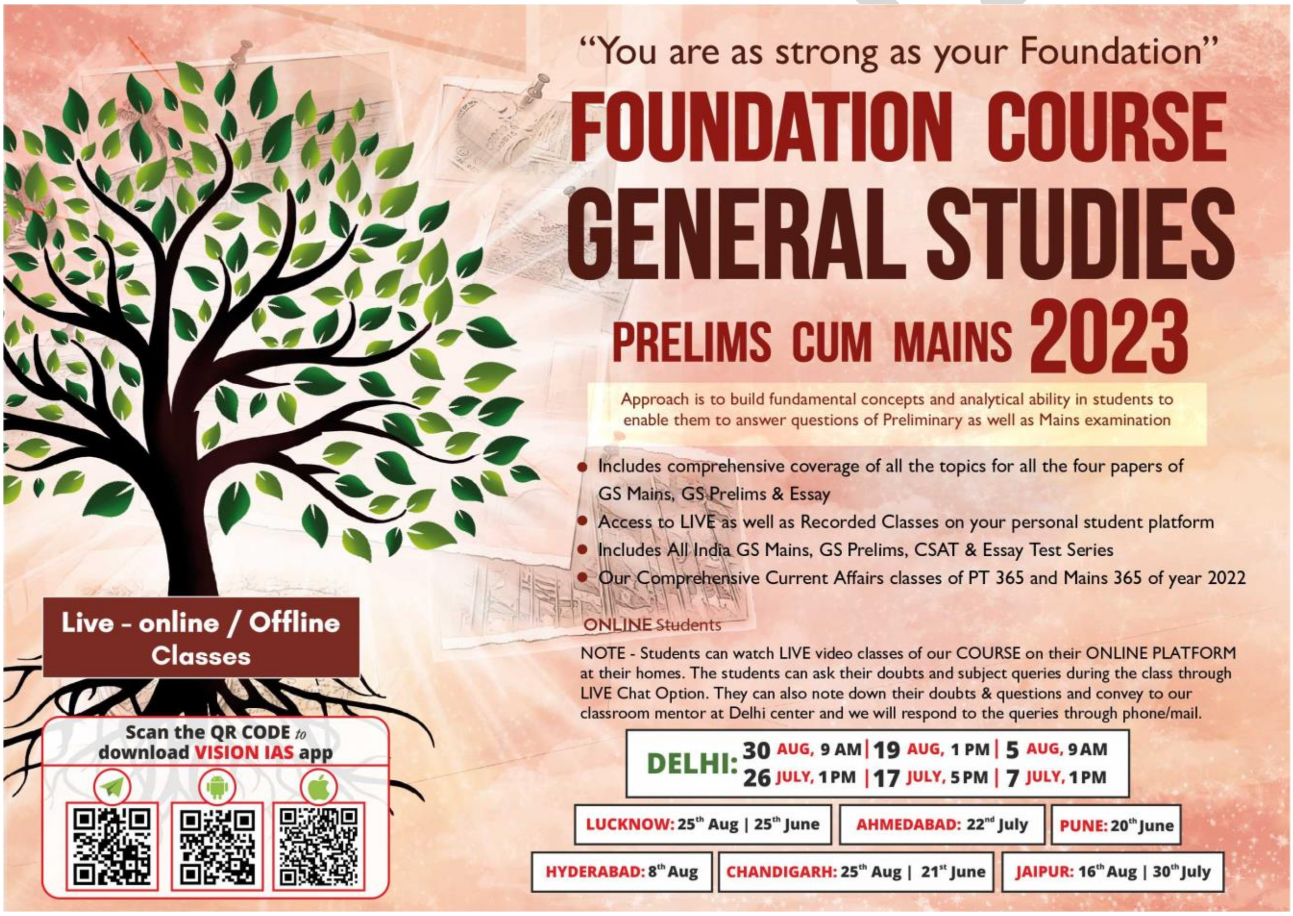

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

छात्रों के लिए संदेश

प्रिय छात्रों,

- अच्छे उत्तर में सटीक कंटेंट अब छोड़ देने लायक घटक नहीं है, बल्कि यह एक मूल आवश्यकता है। एक सटीक उत्तर लिखने की तैयारी पेन हाथ में लेकर उत्तर के बारे में सोचने से पहले ही शुरू हो जाती है। पूछे गए विषय की अच्छी समझ के साथ प्रासंगिक डेटा और उदाहरणों का इस्तेमाल उत्तर को सटीक बनाता है। इससे सबसे कठिन प्रश्नों के उत्तर लिखने में भी मदद मिलती है।
- इसके अलावा एक बेहतरीन शैली में उत्तर की प्रस्तुति उसमें शामिल तथ्यों और जानकारी को आसानी से समझने में मदद करती है।

इस संदर्भ में हमने इस डॉक्यूमेंट में कुछ नई विशेषताएं शामिल की हैं:

टॉपिक – एक नज़र में:
इसमें आवश्यक डेटा और तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। यह स्टेटिक जानकारी और समसामयिक घटनाओं के विश्लेषण को जोड़कर विषय का एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा।

इन्फोग्राफिक्स:
इन्फोग्राफिक्स को इस डॉक्यूमेंट में इस तरह से शामिल किया गया है कि उन्हें उत्तरों में आसानी से शामिल किया जा सकता है।

विगत वर्षों के प्रश्न:
छात्रों के संदर्भ के लिए सिलेबस के अनुसार अलग कर पिछले वर्ष के प्रश्नों के लिए एक QR कोड प्रदान किया गया है।

इनके साथ–साथ, इस वर्ष हमने विषयों को अच्छी तरह से याद करने तथा सटीक तरीके से उत्तर लिखने में आपकी मदद करने के लिए कुछ और विशेषताओं को शामिल किया है, इनमें शामिल हैं:

डेटा बैंक: विषयों के महत्वपूर्ण डेटासेट की पहचान करने और उन्हें रिवाइज़ करने में आपकी सहायता के लिए इसे डिज़ाइन कर संबंधित आर्टिकल में जोड़ा गया है।

परिशिष्ट: जल्दी रिविज़न के लिए डॉक्यूमेंट के अंत में मुख्य डेटा और तथ्यों का एक परिशिष्ट जोड़ा गया है।

वीकली फोकस दस्तावेज की सूची: प्रासंगिक वीकली फोकस दस्तावेज की QR कोड से लिंक्ड एक सूची को इस डॉक्यूमेंट के अंत में जोड़ा गया है ताकि इन विषयों तक पहुंचने में आसानी हो।

हम आशा करते हैं कि ये नई विशेषताएं न केवल आपको विषयों की व्यापक समझ विकसित करने में मदद करेंगी, बल्कि प्रभावी और अच्छी तरह से प्रस्तुत किये गए उत्तर लिखने के लिए आवश्यक इनपुट भी प्रदान करेंगी।

"ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, हमें उसका इस्तेमाल आना चाहिए। इच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, हमें वास्तविक प्रयास करना चाहिए।"
– जोहान वोल्फगैंग वॉन गोएथे

शुभकामनाएं!
टीम VisionIAS

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2023
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम
लाइव / ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
• प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
• मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
• एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
• अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
• योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
• नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
• सीसैट कक्षाएं
• PT 365 कक्षाएं
• MAINS 365 कक्षाएं
• PT टेस्ट सीरीज
• मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
• निबंध टेस्ट सीरीज
• सीसैट टेस्ट सीरीज
• निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
• करेंट अफेयर्स मैगजीन
Scan the QR CODE to download VISION IAS app
DELHI: 2 AUGUST, 9 AM | 24 JUNE, 1 PM
LUCKNOW: 7 JULY | 9 AM
JAIPUR: 16 AUG | 4 PM

ABHYAAS
MAINS 2022
ALL INDIA GS MAINS
MOCK TEST (OFFLINE)
GS-1 & GS-2
27 AUGUST
GS-3 & GS-4
28 AUGUST
All India Percentile
Closely aligned to UPSC pattern
Concrete Feedback & Corrective Measures
Available in ENGLISH / हिन्दी
40 CITIES
Register at: www.visionias.in/abhyaas
Ahmedabad | Aizawl | Bengaluru | Bhopal | Bhubaneswar | Chandigarh | Chennai | Coimbatore | Dehradun | Delhi | Ghaziabad | Gorakhpur | Guwahati
Hyderabad | Imphal | Indore | Itanagar | Jabalpur | Jaipur | Jammu | Jodhpur | Kanpur | kochi | Kolkata | Lucknow | Ludhiana | Mumbai | Nagpur | Noida
Patna | Prayagraj | Pune | Raipur | Ranchi | Rohtak | Shimla | Thiruvananthapuram | Varanasi | Vijayawada | Visakhapatnam

1. सुभेद्य वर्ग से संबंधित मुद्दे (Issues Related to Vulnerable Section)

1.1. मानव तस्करी (Human Trafficking)

मानव तस्करी – एक नज़र में

मानव तस्करी क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र ने मानव तस्करी को इस प्रकार परिभाषित किया है: **"मानव तस्करी का आशय शोषण के उद्देश्य से लोगों के व्यापार, उन्हें एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने, किसी दूसरे को सौंपने, अनाथालयों में रखने अथवा खरीदने से है। यह कार्य प्रायः धमकी या जबरन या प्रताड़ना के माध्यम से किया जाता है।"**
- मानव तस्करी के तीन सर्वाधिक सामान्य प्रकार **देह व्यापार, बलात् श्रम और बंधुआ मजदूरी हैं।**

मानव तस्करी के कारण

- निर्धनता,
- महिलाओं एवं लड़कियों के प्रति अपमानजनक सामाजिक/सांस्कृतिक प्रथाएं,
- प्रवास,
- वैश्विक महामारी,
- छिद्रिल (Porous) सीमाएं,
- बलात् श्रम में शामिल उद्योगों में वृद्धि, आदि।

मानव तस्करी के प्रभाव

- पीड़ितों में अवसाद और चिंता के साथ-साथ **मानसिक विकार जैसी समस्याएं।**
- महिलाओं और लड़कियों में **अवांछित गर्भधारण, यौन संचारित रोग (STDs), एच.आई.वी./एड्स, मातृ मृत्यु आदि का खतरा** सदैव बना रहता है।
- **लांछन, असहिष्णुता और सामाजिक बहिष्कार** पीड़ितों को समाज में फिर से शामिल होने से रोकते हैं।
- **तस्करी से पीड़ित बच्चे अपने मूल अधिकारों**, जैसे- जीवन और शिक्षा के अधिकार से **वंचित हो जाते हैं।**

भारत में कानून

- भारत के संविधान के **अनुच्छेद 23(1) के तहत** व्यक्तियों का दुर्व्यापार (या तस्करी) प्रतिबंधित है।
- **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956** मानव तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। इस कानून का उद्देश्य व्यावसायिक या लैंगिक उद्देश्य से शोषण पर रोक लगाना है।
- **दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013** {Criminal Law (Amendment) Act, 2013} को लागू किया गया है। इसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) की मूल धारा 370 को नई धाराओं 370 और 370(A) से प्रतिस्थापित किया गया है। ये धाराएं मानव तस्करी के खतरे से निपटने के लिए व्यापक उपाय प्रदान करती हैं।
- **व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, देखभाल और पुनर्वास) विधेयक, 2021:** इस विधेयक का उद्देश्य तस्करी के सभी पहलुओं से निपटना है। इसमें अपराध के सामाजिक और आर्थिक कारण, तस्करों को सजा तथा बचाए गए लोगों की सुरक्षा एवं पुनर्वास आदि शामिल हैं।

आगे की राह

- यह महत्वपूर्ण है कि **वेश्यावृत्ति और देह व्यापार के मध्य अंतर को समझा जाए।**
- प्रशासन या पुलिस या गैर-सरकारी संगठन जैसी एजेंसियों के बीच या विभिन्न देशों के मध्य भी आंतरिक रूप से **उचित डेटा साझाकरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।**
- **मौजूदा कानूनों को सही से लागू करना जरूरी है।**
- **मानव तस्करी के पीड़ित लोगों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है।**

1.2. महिलाएं (Women)

1.2.1. महिला आरक्षण विधेयक (Women's Reservation Bill)

सुर्ख़ियों में क्यों?

महिला आरक्षण विधेयक को 25 वर्ष पहले संसद में प्रस्तुत किया गया था। हालांकि, तब से लेकर अब तक अनेक प्रयासों के बाद भी इसे पारित नहीं किया जा सका है।

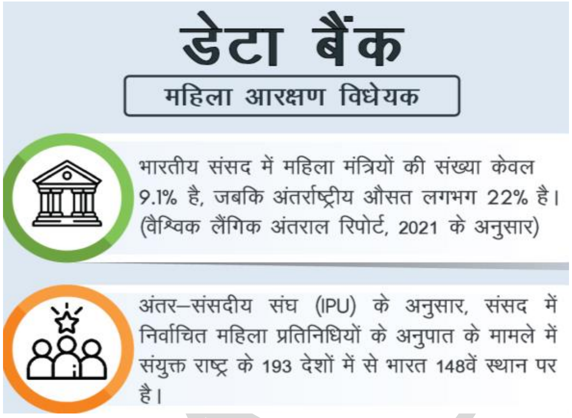

भारत में महिला आरक्षण विधेयक की आवश्यकता क्यों है?

- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार, **भारत में लैंगिक अंतराल के कारण देश का विकास गंभीर रूप से बाधित हुआ है।** इसके पीछे पारंपरिक रूप से पुरुष वर्चस्व वाले संस्थानों और सामाजिक स्तरों में महिलाओं की सीमित भागीदारी उत्तरदायी रही है।

भारत में महिला आरक्षण विधेयक का इतिहास

महिला आरक्षण विधेयक {संविधान (108वां संशोधन) विधेयक, 2021} को संसद में अत्यधिक गतिरोध का सामना करना पड़ा है। साथ ही, कई आधारों पर इसका विरोध भी किया जाता रहा है।

उक्त विधेयक के प्रमुख प्रावधान

- लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए **33% सीटें आरक्षित** की जाएंगी।
- आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में **रोटेशन (चक्रानुक्रम) के आधार पर आवंटित** किया जा सकता है।
- इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के **15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण स्वतः समाप्त** हो जाएगा।

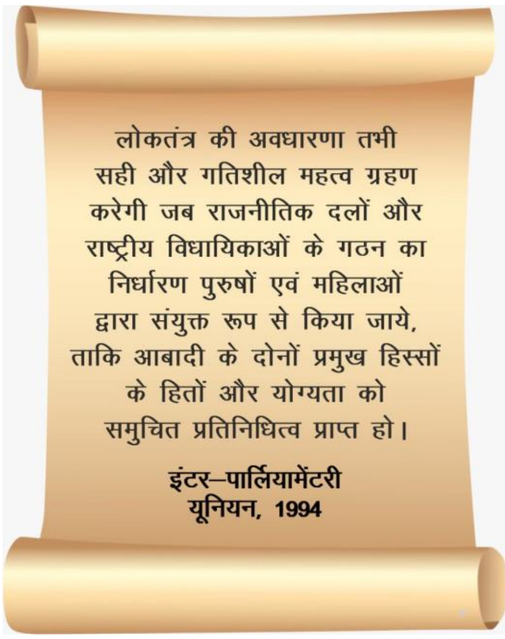

विधेयक के पक्ष और विपक्ष में तर्क

विधेयक के पक्ष में तर्क	विधेयक के विपक्ष में तर्क
• यह विधेयक **महिलाओं की सक्रिय राजनीतिक भागीदारी** के लिए आवश्यक है। यह उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार, भेदभाव और असमानता से लड़ने में उनकी मदद करेगा। • यह मानव विकास संकेतकों में आगे बढ़ने के लिए **सतत प्रगति** के लिए महत्वपूर्ण है। • एक प्रगतिशील और **प्रतिनिधि लोकतंत्र के निर्माण** के लिए समाज के सभी वर्गों की राजनीतिक भागीदारी आवश्यक है। • महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी महिलाओं को एक बेहतर और अधिक समानता आधारित समाज की परिकल्पना हेतु और **समावेशी राष्ट्रीय विकास** की दिशा में सार्थक योगदान देने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकती है। • भारत के संविधान और उसकी प्रस्तावना में निहित समता और स्वतंत्रता के अधिकारों के आधार पर **लैंगिक भेदभाव को खत्म करना और महिला सशक्तीकरण को मजबूत करना** आवश्यक है। • **पंचायतों में महिलाओं को दिए गए आरक्षण के लाभ से सीखना-** ○ निर्वाचित महिलाओं ने ग्राम पंचायतों में महिलाओं की चिंताओं से जुड़े सार्वजनिक विषयों पर अधिक निवेश किया है। इसके परिणामस्वरूप स्थानीय निकायों में महिलाओं के चुनाव लड़ने और जीतने की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है।	• यह **महिलाओं की असमान स्थिति को कायम** रखेगा, क्योंकि उन्हें योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करने वाला नहीं माना जाएगा। • आरक्षण केवल **अभिजात्य समूहों की महिलाओं को राजनीतिक सत्ता** हासिल करने में मदद करेगा तथा गरीब और वंचित वर्गों की व्यथा/चिंता को और बढ़ाएगा। • प्रत्येक चुनाव में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों के रोटेशन से पुरुष सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में **काम करने हेतु अनिच्छुक** हो सकता है क्योंकि ऐसे में वह (रोटेशन के कारण) उस निर्वाचन क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ने के लिए अपात्र हो सकता है। • यह एक **"प्रॉक्सी कल्चर" या "सरपंच पति"** जैसी अवधारणा को कायम रख सकता है, जहां निर्वाचित महिलाओं के पास वास्तविक शक्ति उपलब्ध नहीं होगी और वे निर्णय लेने वाले पुरुष की ओर से कार्य करेंगी। • **राजनीति के अपराधीकरण** और **आंतरिक दलीय लोकतंत्र** जैसे चुनावी सुधार के बड़े मुद्दों उपेक्षा के शिकार हो सकते हैं। • कुछ **योग्य पुरुषों के कीमत पर** विधायी पद महिलाओं को प्राप्त हो सकते हैं।

क्या महिला आरक्षण विधेयक का कोई विकल्प है?

- **राजनीतिक दलों के भीतर आरक्षण** सुनिश्चित करने के विचार को महिला आरक्षण के एक विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्वीडन और नॉर्वे आदि जैसे देशों में राजनीतिक दलों के भीतर महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गईं हैं, लेकिन संसद में महिलाओं के लिए कोटा का प्रावधान नहीं किया गया है।
  - भारत के चुनाव आयोग ने **राजनीतिक दल के स्तर पर महिलाओं के लिए अनिवार्य उम्मीदवार कोटा** का सुझाव दिया है जिसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में सामान्य संशोधन की आवश्यकता होगी।
- इसी तरह, एक अन्य विकल्प **दोहरे सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्रों को शुरू करना हो सकता** है, जिसका अर्थ यह है कि निर्वाचन क्षेत्र में, महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के बजाय, दो सदस्यों को नामित किया जाएगा, जिनमें से एक महिला होगी।
- हालांकि, इन विकल्पों की प्रभावशीलता पर **मजबूत साक्ष्य के अभाव** ने दुनिया भर में इन प्रथाओं को अपनाने की गुंजाइश सीमित कर दी है।

आगे की राह

- इस कानून पर विचार-विमर्श और परिचर्चा करने और संसद में इसके अधिनियमन को सुनिश्चित करने के लिए **राजनीतिक प्रतिबद्धता** और **एक सुदृढ़ साक्ष्य** दोनों आवश्यक हैं, जिससे राजनीतिक और विधायी निर्णय लेने की दिशा में **महत्वपूर्ण लैंगिक अंतराल को कम** किया जा सकेगा।
- इसके अतिरिक्त, राजनीति में प्रचलित **पुरुष प्रधान मूल्य प्रणाली में परिवर्तन** लाने और महिलाओं के आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए **जागरूकता और नेतृत्व विकास कार्यक्रम** आयोजित करने जैसी रणनीतियों को राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लागू किया जाना चाहिए।

महिला सशक्तीकरण के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **अनुच्छेद 15 (3):** इसके तहत महिलाओं की सामाजिक-राजनीतिक उन्नति को सुरक्षित करने के लिए राज्य को विधायी या अन्य "विशेष प्रावधान" करने का अधिकार प्रदान किया गया है।
- **अनुच्छेद 325:** यह मतदाता सूची में शामिल करने के संबंध में बिना किसी भेदभाव के पुरुषों एवं महिलाओं, दोनों लिंगों के व्यक्तियों लिए समान अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है।

महिलाओं के राजनीतिक विकास के लिए **अंतर्राष्ट्रीय संधियों** को भी क्रियान्वित किया गया है, जो राज्यों के सक्रिय उपायों का समर्थन करती हैं:

- **महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय (CEDAW)**[1]: इसे वर्ष 1993 में भारत द्वारा अनुसमर्थित किया गया था। यह देश में महिलाओं की पूर्ण उन्नति सुनिश्चित करने तथा राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने के लिए कानूनों के निर्माण सहित उचित उपायों को उपलब्ध कराने में मदद करता है।

[1] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women

- **बीजिंग कार्रवाई मंच (BPfA)[2] 1995:** लोकतांत्रिक रूपांतरण, महिला सशक्तीकरण और सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं के लिए सकारात्मक उपायों का समर्थन करता है।

1.2.2. कृषि क्षेत्र का स्त्रीकरण (Feminization of Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)[3] (2019-2020) के आंकड़े कृषि में महिला श्रम बल की भागीदारी दर में वृद्धि दर्शाते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **कृषि में संलग्न कामगारों की संख्या** 42.5 प्रतिशत (2018-19) से बढ़कर **45.6 प्रतिशत** (वर्ष 2019-20) हो गई है।
- **महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)[4] में तेजी से वृद्धि** हुई है और यह 5.5 प्रतिशत अंक (2018-19 से) तक बढ़ गई है। इसमें हुई अधिकतर वृद्धि **ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर** (LFPR) **बढ़ने से प्रेरित हुई है।**
- कार्यबल में हुई लगभग संपूर्ण वृद्धि कृषि द्वारा समायोजित कर ली गई।
- महिलाओं, विशेष रूप से कृषि-श्रमिकों के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की इस परिघटना को **भारतीय कृषि कार्यबल के स्त्रीकरण** की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है।
    - रोजगार के संबंध में, इस शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग के स्त्रीकरण को दर्शाने के लिए किया जा सकता है, जहां **महिलाओं की भागीदारी सामान्य रूप से कहीं अधिक है।** उदाहरण के लिए, सेवा उद्योग, कृषि या परिधान उद्योग।

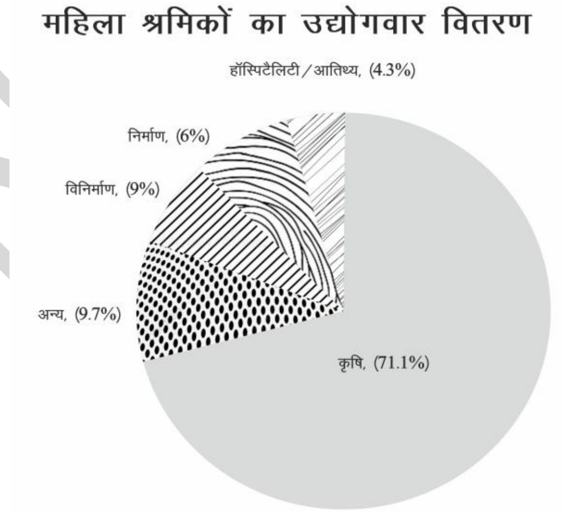

कृषि का स्त्रीकरण सही है	कृषि का स्त्रीकरण गलत है
• स्त्रीकरण महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्रक में सक्रिय भूमिका में लाता है। इसके अतिरिक्त, वे विभिन्न समुदायों के साथ सामाजिक भी हो जाती हैं। • यह उनके श्रम को प्रकट करता है और कई बार उनके श्रम को पर्याप्त महत्व प्रदान करता है (हालांकि, सदैव ऐसा नहीं होता है)। • इससे महिलाओं में कौशल का विकास करने और आत्मविश्वास में वृद्धि करने की संभावना बढ़ जाती है। • इससे उन्हें संगठित होने और अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल सकता है।	• कई अध्ययनों से संकेत मिलता है कि कृषि के स्त्रीकरण का कृषि **उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है,** क्योंकि महिलाओं को प्रौद्योगिकी, ऋण और बाजार की जानकारी का ठीक ढंग से उपयोग करने में कठिनाइयों का अधिक सामना करना पड़ता है। • एक अध्ययन के अनुसार, सबसे अधिक गतिविधि वाले मौसम **(पीक सीजन) में कृषि में अधिक कार्य करने से महिलाओं का पोषण स्तर प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है।** • महिलाओं को **पारंपरिक व कम भुगतान वाली भूमिकाओं जैसे कि ओसाई, फसल कटाई आदि तक सीमित** कर दिया गया है। इससे उनके पुरुष समकक्षों के साथ उनकी आर्थिक असमानता और भी अधिक बढ़ जाती है। • घर के कार्यों के साथ ये कृषि कार्य उन पर बोझ बन जाते हैं। इससे **कृषि में महिलाओं का कल्याण प्रभावित होता है।**

[2] Beijing Platform for Action

[3] Periodic Labour Force Survey

[4] Labour Force Participation Rate

कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के तरीके

- **भूमि का स्वामित्व:** इससे उन्हें कई कृषि योजनाओं के तहत ऐसे लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो केवल भूस्वामियों के लिए आरक्षित हैं।

- **महिला केंद्रित विस्तार सेवाएं:** महिला किसानों की आवश्यकताओं हेतु विस्तार सेवाओं को अपनाना लाभकारी सिद्ध होगा। फार्म मशीनीकरण के तहत, महिलाओं हेतु उपयोग के लिए बेहतर अनुकूल कृषि मशीनों को नवोन्मेषी बनाने पर ध्यान देना फायदेमंद होगा।
- **नीति निर्माण में सुधार:** निर्णय लेने वाले विभिन्न मंचों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के तरीके खोजना जरूरी है।
- **जेंडर बजटिंग:** वर्ष 2020-21 में, कुल बजट का केवल 5 प्रतिशत ही लिंग निरपेक्ष परिणामों के प्रति संवेदनशील था और विशेष रूप से महिलाओं से संबंधित योजनाओं पर केंद्रित था। इसमें और वृद्धि किए जाने की गुंजाइश है।
- **नागरिक समाज की भूमिका:** कृषक महिलाओं को समूहों में संगठित करने, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने, राज्य द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाने तथा उन्हें संधारणीय आजीविका के लिए प्रशिक्षित करने में नागरिक समाज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
    - उदाहरण के लिए, इसे तेलंगाना में डेक्कन डेवलपमेंट सोसायटी या मुसहर मंच और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में एक्शनएड के कार्यों में देखा जा सकता है।
- कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी योजनाओं के माध्यम से **वैकल्पिक आर्थिक अवसरों को मजबूत किया जाना चाहिए।**

1.2.3. विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में महिलाएं {Women in Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **"पिक्चर ए साइंटिस्ट" डॉक्यूमेंट्री में यह दर्शाया गया है कि अब STEM में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए महिला वैज्ञानिकों के योगदान का विचार समाज में ज़ोर पकड़ रहा है।** इस डॉक्यूमेंट्री के अनुसार इन महिला वैज्ञानिकों का उद्देश्य विज्ञान के क्षेत्र में विविधता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देना है।

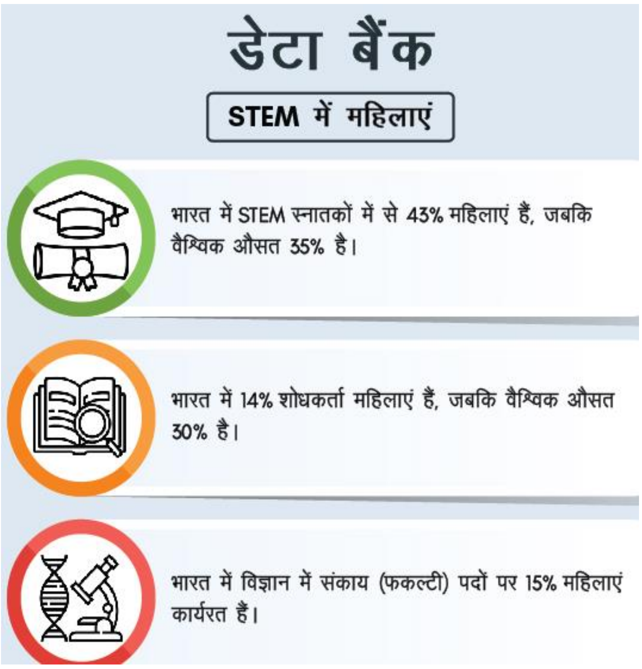

इससे संबंधित चुनौतियां कौन-सी हैं?

पितृसत्तात्मक संस्कृति

- **बुनियादी ढांचे की कमी:** भारत में, विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित 11% कॉलेजों में से अधिकांश में विज्ञान की बजाय कला और वाणिज्य के पाठ्यक्रम मौजूद हैं।
- **कथित "महिला-अनुकूल" उपाय के परिणाम:** कुछ संस्थानों में, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उन्हें

केवल आधिकारिक कार्य समय के दौरान काम करने की सलाह दी जाती है। वहीं पुरुष किसी भी समय प्रयोगशालाओं में प्रवेश कर सकते हैं।

- **जेंडर गैप:** STEM के क्षेत्र में महिलाओं को उनके शोध कार्य के लिए पुरुषों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है।

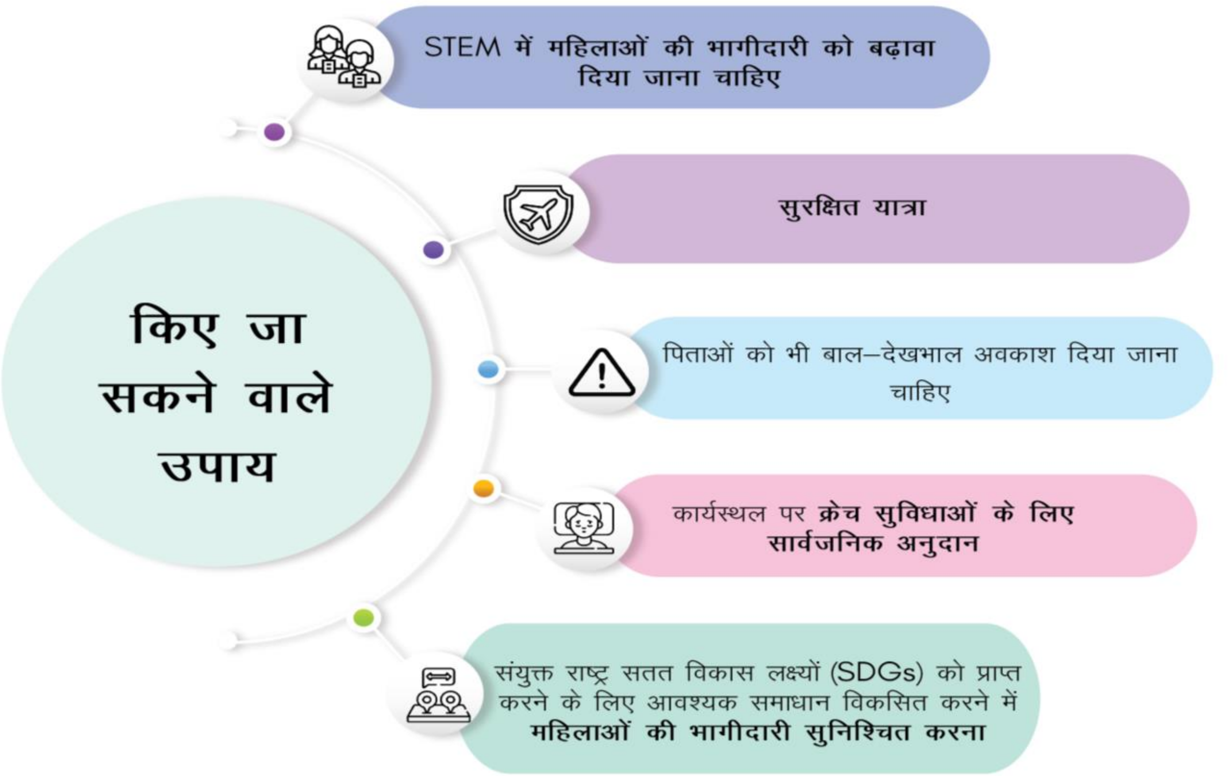

STEM में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलें

- **नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नरचरिंग (KIRAN)"** योजना के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना।
- **SERB (साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड)- पावर (खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना):** इसका उद्देश्य विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को कम करना है।
- **विज्ञान ज्योति योजना:** यह कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को विशेष रूप से उन क्षेत्रों में शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जहां महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व है।
- **गति योजना:** जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस (GATI) योजना STEM में लैंगिक समानता का आकलन करने के लिए एक व्यापक चार्टर और रूपरेखा विकसित करेगी।
- **STEMM** (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा)[5] में **महिलाओं के लिए इंडो-यू.एस. फैलोशिप।**

निष्कर्ष

STEM क्षेत्रों की संस्कृति को बदलना लैंगिक अंतराल को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। STEM व्यवसायों के सांस्कृतिक मानदंडों को व्यापक बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है।

1.2.4. स्थायी कमीशन (Permanent Commission)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **रक्षा मंत्रालय (MoD)** ने भारतीय वायु सेना (IAF) में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती को एक स्थायी योजना का रूप दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- रक्षा मंत्रालय ने **भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू पायलटों की भर्ती की प्रायोगिक योजना को अब स्थायी योजना में बदलने का निर्णय लिया** है।

[5] Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine

- कुल 16 महिलाओं को उनकी भर्ती की प्रायोगिक योजना के बाद लड़ाकू पायलटों के रूप में नियुक्त किया गया है।

स्थायी कमीशन के बारे में

- स्थायी कमीशन का अर्थ है **सशस्त्र बलों में सेवानिवृत्ति तक करियर।** शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत, **सेना में 4 वर्ष के विस्तार के विकल्प के साथ 10 वर्ष की सेवा की अनुमति है।**
- उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद, केंद्र ने रक्षा बलों में **महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला किया है।**
  - वर्तमान में, **थल सेना में 0.56%, वायु सेना में 1.08% और नौसेना में 6.5% महिला कार्मिक हैं।**
  - रूसी सशस्त्र बलों में 10% और अमेरिका सशस्त्र बलों में 16% महिलाएं शामिल हैं।

रक्षा बलों में महिलाओं का क्रमिक प्रवेश

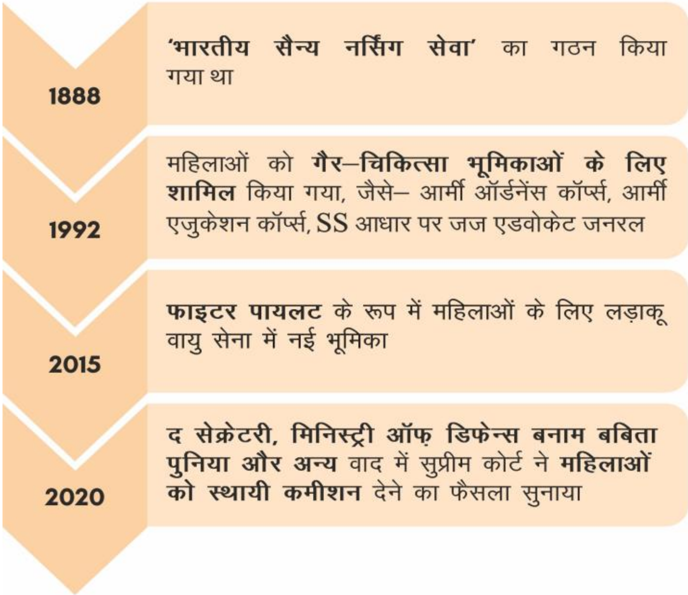

महिलाओं को स्थायी कमीशन न देने के कारण	महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के कारण
• पुरुष सैनिकों के बीच **नेतृत्व की भूमिकाओं में महिलाओं की कम स्वीकार्यता।**	• महिलाओं को इस तरह के पद से वंचित करना **समानता के अधिकार का उल्लंघन** है। साथ ही, यह महिलाओं की क्षमता के बारे में रूढ़िबद्ध व्यवहार को भी बढ़ावा देता है।
• महिलाओं की **शारीरिक सीमाएं,** क्योंकि वे उन शारीरिक मानदंडों को पूरा नहीं कर सकती हैं, जो उनके पुरुष समकक्षों द्वारा पूरी की जाती हैं।	• **पहाड़ी राज्यों के सैनिकों को शारीरिक मानदंडों में छूट** पहले ही दी जा चुकी है। महिलाओं के लिए भी यही सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए।
• महिलाएं **लैंगिक उत्पीड़न, अलग शौचालय जैसे भौतिक बुनियादी ढांचे की कमी आदि** के प्रति संवेदनशील हैं।	• योग्यता कार्यस्थल में **प्रवेश और पदोन्नति** के लिए मौलिक आधार होनी चाहिए।

महिलाओं को स्थायी कमीशन हेतु पात्रता देने की प्रासंगिकता

- **लिंगानुपात में सुधार:** नौकरी की सुरक्षा और सेवाकाल में वृद्धि से पुरुष और महिला अधिकारियों के वर्तमान विषम अनुपात में सुधार होने की संभावना है।
- **महिलाओं के लिए अधिक अवसर:** पहले, महिलाएं कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल आदि पदों के लिए पात्र नहीं थीं, क्योंकि ये पद केवल 14 वर्ष की सेवा के बाद ही प्राप्त किए जा सकते थे।
- **निर्णय लेने में अपने विचार को अभिव्यक्त करने का हक़:** महिलाओं को उच्च पदों पर पदोन्नत करने से वे लैंगिक रूप से अधिक संवेदनशील निर्णय लेंगी।
- **सेवानिवृत्ति लाभ:** स्थायी कमीशन से महिलाओं को पेंशन, भूतपूर्व सैनिक का दर्जा, स्वास्थ्य सेवा योजना और पुनर्नियुक्ति जैसे प्रावधानों का लाभ मिलेगा।
- **अनपेक्षित सामाजिक लाभ:** रक्षा बलों में महिलाओं की अधिक भागीदारी महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाएगी।

आगे की राह

- **महिला केंद्रित आवश्यकताओं को पूरा करना:** राष्ट्र निर्माण में मातृत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए, सैन्य सेवाओं द्वारा करियर के अधिक यथार्थवादी पथ विकसित किए जाने चाहिए। ऐसे मार्ग जो बच्चे के जन्म के कारण लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के बाद सैन्य सेवा में लौटने के लिए उपयुक्त हों।

- **महिलाओं के लिए लड़ाकू विंग खोलना:** भले ही भारतीय महिलाएं स्वतंत्रता के समय से पहले युद्ध के मैदान में रही हों, किंतु महिला अधिकारी अभी भी पैदल सेना, तोपखाने और बख्तरबंद कोर के लड़ाकू विंग में सेवा नहीं दे सकती हैं। इसलिए, विशेषज्ञों का मानना है कि बदलते समय के साथ सेना को बदलने की भी जरूरत है।
- **महिलाओं के लिए सेना को आकर्षक बनाना:** अनुभवी महिला रक्षा उम्मीदवारों को आम लोगों के साथ अपने रोमांचक सैन्य अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्हें इस बात का प्रचार करना चाहिए कि यह सेवा कितनी पूर्ण और सम्मानजनक हो सकती है।
- **बचपन से ही प्रशिक्षण प्रदान करना:** हाल ही में सैनिक स्कूलों ने लड़कियों के लिए भी अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इससे लड़कियों को प्रशिक्षण और शारीरिक बाधाओं को दूर करने के लिए पर्याप्त अवसर प्राप्त होंगे।

1.2.5. महिलाओं के विवाह की आयु (Marriage Age of Women)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, लोक सभा में **बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021** पेश किया गया था। इस विधेयक में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष (पुरुषों के बराबर) करने का प्रावधान किया गया है।

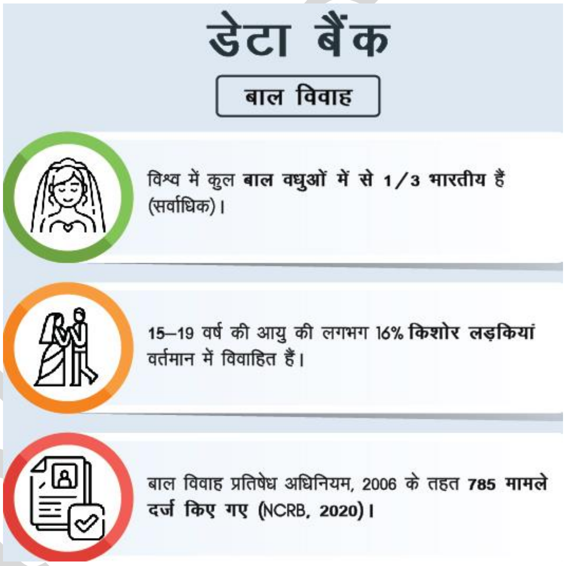

अन्य संबंधित तथ्य

- यह प्रस्ताव **केंद्र के एक कार्यबल द्वारा नीति आयोग को प्रस्तुत की गई सिफारिशों पर आधारित है।** कार्यबल की अध्यक्षता **जया जेटली** ने की थी। इस कार्यबल का गठन निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित मामलों की जांच के लिए किया गया था:
  - मातृत्व की आयु,
  - मातृ मृत्यु दर (MMR)[6] कम करने की अनिवार्यता,
  - पोषण स्तरों में सुधार तथा अन्य संबद्ध मुद्दे।
- **प्रारूप विधेयक की मुख्य विशेषताएं:**
  - यह विधेयक बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA)[7], 2006 में संशोधन करेगा।
  - बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के अनुसार, पुरुषों की विवाह योग्य आयु 21 और महिलाओं की 18 वर्ष है।
  - **उद्देश्य:** महिलाओं के विवाह योग्य आयु को पुरुषों के समान बनाना, मौजूदा कानूनों, जिनमें विवाह से जुड़े पक्षों को शासित करने वाले रीतिरिवाज़, परिपाटी और प्रथाएं शामिल हैं,

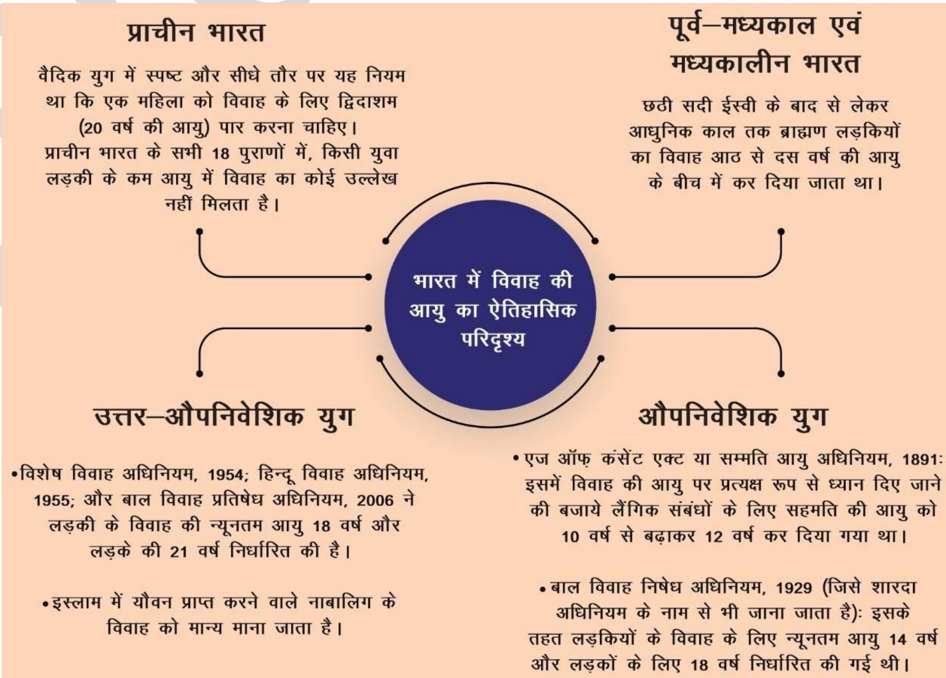

[6] Maternal Mortality Rate

[7] Prohibition of Child Marriage Act

उन्हें रद्द करना आदि।

- **बालक की परिभाषा (Definition of child):** 'चाइल्ड या बालक' का आशय एक ऐसे व्यक्ति (पुरुष या स्त्री) से है, जिसने जो अभी 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।
- यह विधेयक विवाह संबंधी कुछ अन्य कानूनों में भी संशोधन करता है ताकि उन कानूनों में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा सके। ये हैं:
    - भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872,
    - पारसी विवाह और विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1936,
    - मुस्लिम वैयक्तिक विधि (शरीयत) अधिनियम, 1937,
    - विशेष विवाह अधिनियम, 1954,
    - हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और
    - विदेशी विवाह अधिनियम, 1969

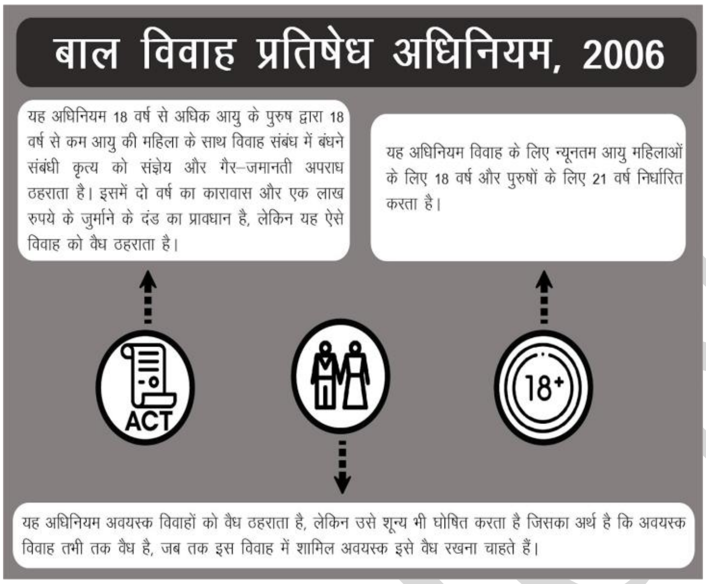

विवाह की आयु बढ़ाने के सकारात्मक पहलू	विवाह की आयु बढ़ाने की आलोचना
• **लैंगिक निष्पक्षता:** संविधान की भावना के अनुपालन के लिए यह संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यह **विवाह के मामले में लैंगिक तटस्थता को सुनिश्चित करेगा और महिला सशक्तीकरण को सुगम बनाएगा।** • **बाल विवाह में कमी:** विवाह की आयु बढ़ाने से बालविवाह के दुष्परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायता मिल सकती है। इससे आगे बाल विवाह के मामलों में कमी आएगी। • **महिला सशक्तीकरण:** ○ **शिक्षा:** कई लड़कियों को विवाह के लिए अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ती है। इस प्रकार, विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने से उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने का समय और उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दिया जा सकेगा। ○ **आर्थिक सहभागिता:** कम आयु में विवाह के	• **शिक्षा में बढ़ोतरी, किन्तु महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में गिरावट:** पिछले दो दशकों से उच्चतर शिक्षा में, विशेषकर महिलाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। इसलिए, महिलाओं के विवाह की आयु का 18 वर्ष होना कोई अवरोधक कारक नहीं है। लेकिन, शिक्षा में बढ़ोतरी से महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि नहीं हो पाई है। इसलिए, यह प्रस्तावित कानून महिला सशक्तीकरण में बाधा बनने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक पितृसत्तात्मक प्रथाओं पर ध्यान नहीं देता है। • **विवाह की औसत आयु में वृद्धि:** वर्ष 2019 के सरकारी डेटा के अनुसार, महिला के लिए विवाह करने की औसतन आयु 22.1 वर्ष है। यह औसत आयु वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ी है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि यह परिवर्तन स्वैच्छिक है। चूंकि, महिलाओं के बीच शिक्षा की दर में सुधार हुआ है, इस कारण यह बदलाव आया है। • **बाल विवाह को रोकने का विकल्प/समाधान नहीं है:** वर्तमान में महिलाओं की विवाह करने की कानूनी आयु 18 वर्ष निर्धारित है, तब भी भारत में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित है।

कारण भारत की एक चौथाई महिलाएं अभी भी श्रमबल का हिस्सा नहीं बन पाई हैं। उल्लेखनीय है, कि 130 करोड़ की जनसंख्या में लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। • **स्वास्थ्य:** ○ **शारीरिक स्वास्थ्य:** छोटी आयु में विवाह करने से लड़कियों को सामान्य और प्रजननीय स्वास्थ्य का अधिकतम लाभ नहीं मिल पाता है। छोटी आयु में विवाह और परिणामस्वरूप, अल्पायु में ही गर्भावस्था माता व बच्चे, दोनों के पोषण स्तरों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। इससे शिशु मृत्यु दर (IMR) और मातृत्व मृत्यु दर (MMR) में भी बढ़ोतरी होती है। ○ **मानसिक स्वास्थ्य:** कम आयु में विवाहित लड़कियों के पास घर की जिम्मेदारियों को संभालने की पर्याप्त समझ नहीं होती है। यह ऐसी विवाहित लड़कियों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकता है।	• **गर्भावस्था के लिए सबसे सुरक्षित आयु:** सभी आयु वर्गों में से 20-24 वर्ष की महिलाओं (जो महिलाएं 18 वर्ष या उससे अधिक आयु में विवाह करती हैं) की मातृत्व मृत्यु दर सबसे कम है। • **कानून का दुरुपयोग:** यह कानून बलपूर्वक आरोपित किया जाएगा। यह विशेष रूप से हाशिए पर रहे समुदायों (जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) को कानून का उल्लंघन करने वाले अपराधी बनाकर उन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। साथ ही, यह संशोधन जनसंख्या के बड़े हिस्से को अवैध विवाह करने पर भी मजबूर करेगा। • **अन्य कानूनों के विपरीत:** ○ 18 वर्ष की आयु में एक व्यक्ति मतदान कर सकता है किंतु अपनी इच्छा से विवाह नहीं कर सकता। ○ इसके अतिरिक्त, वर्ष 2013 के **आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम** के अनुसार, लैंगिक संबंधों के लिए सहमति की आयु 18 वर्ष है। ○ इसी प्रकार, **बाल श्रम (संरक्षण और विनियमन)(संशोधन) अधिनियम, 2016,** 14-18 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरों को (खतरनाक पेशों और प्रक्रियाओं को छोड़कर), अन्य सुरक्षित आजीविका कार्य करने की अनुमति देता है।

अन्य संबंधित तथ्य

विशेष विवाह अधिनियम (SMA), 1954

- हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया आर्य समाज संगठन के विचार को स्वीकार किया कि **आर्य समाज परंपरा के तहत होने वाली विवाहों को SMA, 1954 के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।**
- SMA, **अंतर-जातीय और अंतर-धार्मिक विवाहों से संबंधित है** तथा लोगों को अपने धर्म को छोड़े बिना विवाह करने की अनुमति देता है।
- जब कोई व्यक्ति इस कानून के तहत विवाह करता है, तो **विवाह पर्सनल लॉज़ (वैयक्तिक कानून) द्वारा नहीं बल्कि इस कानून द्वारा शासित होता है।**
- SMA कानून के तहत विवाह करने के इच्छुक जोड़ों को **जिले के एक विवाह अधिकारी को 30 दिन की नोटिस अवधि देने की आवश्यकता होती है। साथ ही, यह आवश्यक है कि जोड़े में से कोई एक व्यक्ति पिछले 30 दिनों में उपयुक्त जिले में निवास कर रहा हो।**
- इस प्रकार, यह कानून अपने धर्म से इतर किसी धर्म में **विवाह करने के इच्छुक लोगों की सुरक्षा और गोपनीयता पर प्रश्नचिह्न** लगाता है।

नोट: भारत में, **विवाह आमतौर पर पर्सनल लॉज़ ,** जैसे- हिंदू विवाह अधिनियम, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून आदि द्वारा नियंत्रित होते हैं।

आगे की राह

- **सूचना, शिक्षा और संचार:** निर्णय की सामाजिक स्वीकृति को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक लोक जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। साथ ही, युवा छात्र एवं छात्राओं को व्यक्तिगत वित्तीय स्थायित्व के महत्व और किशोरावस्था में गर्भावस्था के खतरों के बारे में बताकर संवेदनशील बनाया जा सकता है।
- **महिला सशक्तीकरण:** लड़कियों के लिए स्कूलों और महाविद्यालयों तक पहुंच को सुगम बनाना चाहिए। इसमें दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षण संस्थानों के होने पर उन्हें परिवहन की सुविधा प्रदान करना भी शामिल है। पॉलिटेक्निक संस्थानों में महिलाओं का प्रशिक्षण, कला और व्यवसाय प्रशिक्षण एवं जीविका में वृद्धि जैसे उपाय अपनाने चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रमों में लैंगिक शिक्षा को औपचारिक रूप से शामिल करना चाहिए।
- **बाल विवाह को कम करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण:** सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के परिवारों की लड़कियों को कम आयु में विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। इन लड़कियों को, विशेषकर शिक्षा को जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। इससे महिलाओं की विवाह की आयु अपने आप बढ़ जाएगी।

* **लैंगिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के अन्य तरीके:** वर्ष 2018 में, भारत के विधि आयोग ने पुरुषों के विवाह करने की कानूनी न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। साथ ही, महिला एवं पुरुषों दोनों के लिए विवाह करने की न्यूनतम आयु को 18 वर्ष ही निर्धारित करने का सुझाव दिया था।

1.2.6. वाश एवं लैंगिक असमानता (WASH and Gender Inequality)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, 'जेंडर इक्वलिटी एंड द ह्यूमन राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट यू.एन. स्पेशल रिपोर्टर ऑन द ह्यूमन राइट टू वाटर एंड सैनिटेशन ने जारी की है।

WASH के बारे में

* WASH **जल, सफाई (सैनिटेशन) और स्वच्छता** के लिए एक सामूहिक शब्द है, जिसका संबंध निम्नलिखित से है-
  * सुरक्षित पेयजल तक पहुंच
  * सफाई की बेहतर सुविधाएं
  * स्वच्छता के बुनियादी स्तर को बनाए रखना
* हैजा, डायरिया (भारत में बाल मृत्यु दर का दूसरा प्रमुख कारण) और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों (NTDs)[8] जैसे **संक्रमणों को रोकने के लिए** WASH एक प्राथमिक आवश्यकता है।
* इसके अलावा, WASH सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), 2030 का एक महत्वपूर्ण घटक भी है
  * **SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण**
    * जल जनित रोगों का मुकाबला (3.3)
    * असुरक्षित जल, असुरक्षित सफाई और स्वच्छता की कमी से होने वाली मौतों और बीमारी को कम करना (3.9)
  * **SDG 6: सभी के लिए जल संबंधी स्वच्छता की उपलब्धता और इसका सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना।**
* वर्ल्ड रिसोर्सेज़ इंस्टीट्यूट द्वारा 2020 में किए गए एक विश्लेषण के अनुसार:
  * 2030 तक दुनिया भर के समुदायों के लिए जल की **उपलब्धता सुनिश्चित करने में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का केवल 1% से कुछ अधिक** ही खर्च आ सकता है।
  * 2030 तक **टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करने में** भारत को **सकल घरेलू उत्पाद का 3.2% व्यय** करना होगा।

WASH में लैंगिक असमानता: महिलाओं को उनके पूरे जीवन काल में उनके पुरुष समकक्ष की तुलना में भेदभाव का सामना करना पड़ता है (इन्फोग्राफिक देखें)। इनमें से कुछ हैं-

* **ज्ञान का अंतर:** महिलाओं और पुरुषों के मध्य अक्सर WASH तक पहुंच, उपयोग, अनुभव और ज्ञान के संदर्भ में अंतर होता है।
* **पहुंच में कमी:** मानवीय स्थितियों में, संघर्ष या प्राकृतिक आपदा के समय में या जब पानी और स्वच्छता के स्रोत न्यूनतम होते हैं, तब अक्सर महिलाओं तथा लड़कियों की विशिष्ट आवश्यकताओं पर विचार नहीं किया जाता है।

[8] Neglected Tropical Diseases

- **वहनीयता अंतराल:** महिलाओं की वित्तीय संसाधनों तक कम पहुंच, पुरुषों और महिलाओं के लिए एक ही तरह के उपयोग हेतु पे-पर-यूज़ टॉयलेट्स अक्सर पुरुषों के लिए निःशुल्क और महिलाओं के लिए अधिक महंगे होते हैं।
    - परिवार की देखभाल करने वाली महिलाओं को पानी की कटौती अत्यधिक प्रभावित कर सकती है, विशेष रूप से उन गरीब परिवारों में जहां महिलाएं प्रमुख भूमिका में हैं।
- **भेदभावपूर्ण कानून:** उदाहरण के लिए, खुले में शौच को अपराध बनाना और सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं को बंद करना महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करता है।

WASH संबंधी अन्य चुनौतियाँ

- **खर्च का अंतर:** WASH के वित्तपोषण के लिए सरकारी बजट बहुत कम रहता है। कानूनी ढांचे की कमी, संबंधित जोखिम और WASH व्यवसाय में कम रिटर्न के कारण निजी क्षेत्र का निवेश भी अपर्याप्त है।
- **जवाबदेही की कमी:** उच्च गुणवत्ता वाले मूल्यांकनों के ज़रिए केवल कुछ ही WASH कार्यक्रमों के प्रभाव की समीक्षा की जाती है।

लैंगिक असमानता दूर करने और WASH प्रणाली को मजबूत करने हेतु कदम

- **वहनीयता:** मासिक धर्म में उपयोग की जाने वाली सुरक्षित और स्वच्छ सामग्रियों पर सब्सिडी दी जानी चाहिए या आवश्यक होने पर उन्हें नि:शुल्क भी दिया जाना चाहिए।
    - स्कॉटलैंड, निशुल्क पीरियड सामग्री प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है।
- **सुगम्यता:** राज्यों को उन परिवारों के लिए WASH प्रणाली संबंधी सुविधाओं की प्राथमिकता देनी चाहिए, जो अभी तक इस सुविधा से दूर हैं। साथ ही, स्वच्छ और निकट स्थित सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में तेजी लानी चाहिए।

WASH में लैंगिक भेदभाव के प्रभाव

- WASH सुविधाओं तक पहुंच में लैंगिक असमानता व्याप्त है। इससे महिलाओं और **लड़कियों के स्वास्थ्य, उपयुक्त आवास, शिक्षा तथा भोजन के अधिकारों** के साथ-साथ अन्य मानवाधिकार भी प्रभावित होते हैं।
- उदाहरण के लिए, जो महिलाएं और लड़कियां लंबे समय तक पेशाब रोक कर रखती हैं, उनमें मूत्राशय और गुर्दे के संक्रमण का खतरा अधिक होता है। इसके अलावा, वे शौचालय का उपयोग करने से खुद को रोकने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करने से बचती हैं, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निर्जलीकरण का सामना करना पड़ता है।

- **लैंगिक रूप से संवेदनशील बिल्डिंग कोड:** सामुदायिक जल और स्वच्छता संबंधी सुविधाओं के लिए बिल्डिंग कोड निर्धारित करते समय लैंगिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे- लिंग आधारित क्यूबिकल्स, घर से निकटता और सुविधा केंद्रों में तथा वहां तक पहुंचने के रास्ते में प्रकाश सुनिश्चित करना। इससे हिंसा से ग्रस्त महिलाओं और लड़कियों के लिए जोखिम को कम किया जा सकेगा।
- **WASH के लिए लैंगिक रूप से संवेदनशील कानूनी गारंटी:** लैंगिक समानता से संबंधित कानूनों को स्पष्ट रूप से पुरुषों और महिलाओं की विभिन्न समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
- **महिला भागीदारी और सशक्तीकरण:** निर्णयों में भागीदारी बढ़ाने, व्यक्तिगत विकल्प चुनने और स्वयं के जीवन को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं का सशक्तीकरण करना। इस तरह की भागीदारी से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी सामाजिक-आर्थिक स्तरों से महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।
- **अन्य पहलें:** स्थानीय सरकारों में क्षमता निर्माण, निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाज के साथ समन्वय और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर पर विभिन्न योजनाओं तथा नीतियों का मूल्यांकन।

संबंधित तथ्य

WASH के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहल

- **WHO की WASH रणनीति, 2018-25:** इसका उद्देश्य सभी प्रणालियों में स्वच्छ जल का प्रबंधन, स्वच्छता और आरोग्य सेवाओं के माध्यम से स्वास्थ्य में बहुमूल्य सुधार करना है।
- **WASH 2016-2030 के लिए यूनिसेफ की रणनीति:** इसका उद्देश्य 2030 तक SDG 6 को प्राप्त करने के लिए यूनिसेफ के संगठनव्यापी योगदान का मार्गदर्शन करना है।
- **संयुक्त राष्ट्र सफाई और स्वच्छता कोष (SHF)[9]:** इसे 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वच्छता सेवाओं की कमी से होने वाली बीमारियों से सबसे अधिक प्रभावित देशों को त्वरित धन प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया था। इन देशों के लिए अगले पांच वर्षों में 2 अरब डॉलर जुटाने का भी लक्ष्य है।
- **सभी के लिए स्वच्छता और पानी (SWA)[10]:** यह सरकारों, दान-दाताओं, नागरिक समाज संगठनों और अन्य विकास हितधारकों की एक वैश्विक साझेदारी है, जो बेहतर जवाबदेही और संसाधन आवंटन पर समन्वय करती है। इसकी मेजबानी यूनिसेफ द्वारा की जा रही है।

WASH के लिए भारत द्वारा की गई पहलें

- **जल जीवन मिशन:** 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को पानी की आपूर्ति प्रदान करने के लिए 2019 में शुरू किया गया कार्यक्रम।
- **स्वच्छ भारत मिशन (SBM):** 2 अक्टूबर, 2019 को भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ODF) घोषित किया गया।
- **नमामि गंगे कार्यक्रम:** गंगा की सफाई पर समग्र कार्यक्रम।
- **हाथ धोने के लाभों पर जागरूकता अभियान:** कॉलर ट्यून जैसे विभिन्न उपायों के माध्यम से सरकार कोविड-19 महामारी के दौरान बार-बार हाथ धोने के लाभों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा दे रही है।

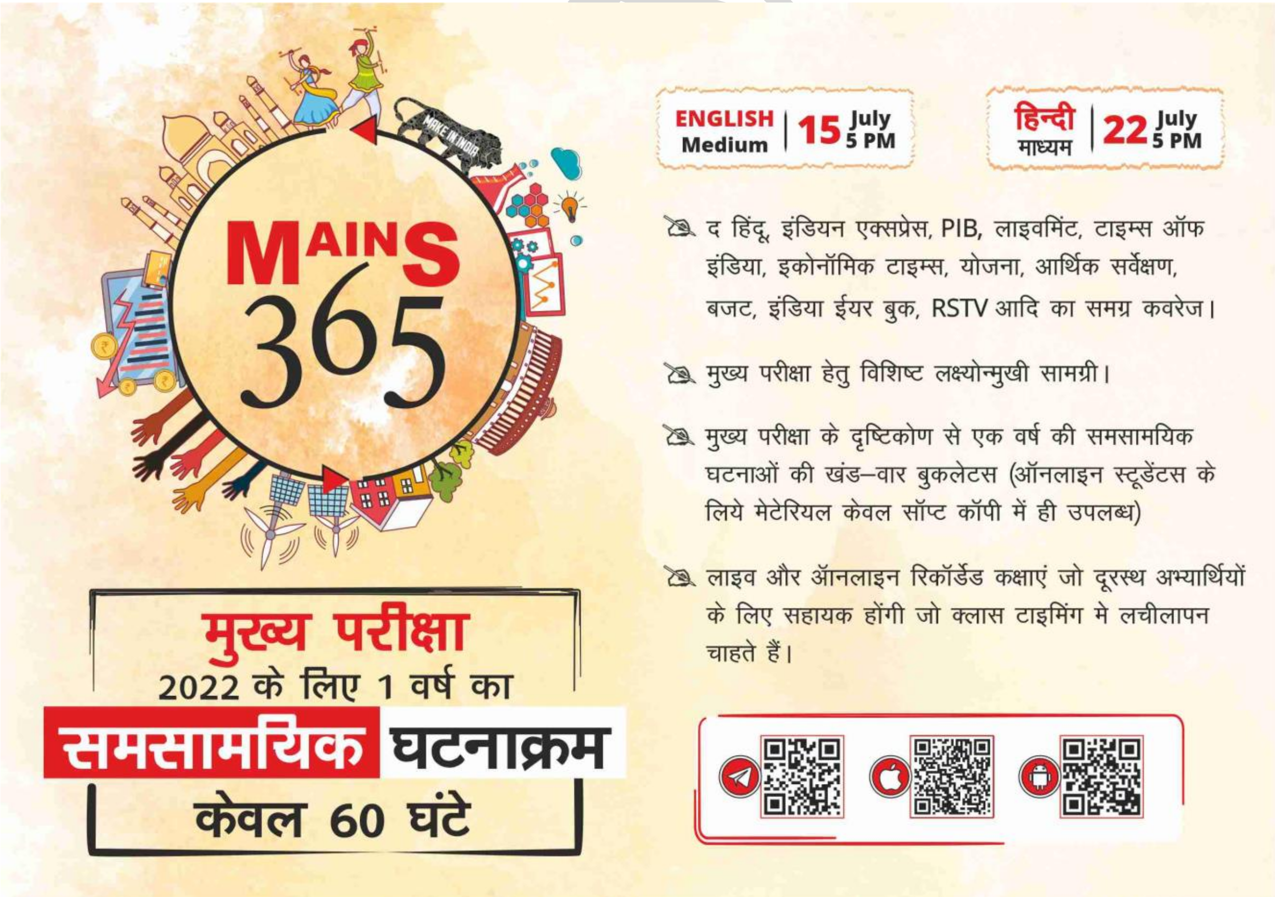

[9] Sanitation And Hygiene Fund

[10] Sanitation And Water For All

1.2.7. महिलाओं के खिलाफ हिंसा (Violence against women)

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा – एक नज़र में

लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं एवं लड़कियों को **शारीरिक, लैंगिक या मानसिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचती है या पहुंचने की संभावना होती है,** महिलाओं के विरुद्ध हिंसा कहलाता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारक

- **व्यक्तिगत कारक:** संबंधों में अत्यधिक असमानता, मादक पदार्थों एवं शराब का हानिकारक सेवन, महिलाओं के प्रति द्वेष या पूर्वाग्रह इत्यादि।
- **सामुदायिक कारक:** कठोर पितृसत्तात्मक लैंगिक मानदंड, अत्यधिक निर्धनता और बेरोजगारी, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की न्यूनतम उपस्थिति, पुरुष प्रधान समाज को बढ़ावा देने वाली लोकप्रिय संस्कृति, महिलाओं को हाशिये पर रखना आदि।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के रोकथाम में चुनौतियां

- **कानून के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दे:** कार्य के अत्यधिक भार से ग्रस्त न्यायपालिका, निम्न दोषसिद्धि दर, कानून एवं परिभाषाओं में अस्पष्टता, पुलिस एवं स्वास्थ्य कर्मियों में व्याप्त उदासीनता, महिला पुलिसकर्मियों की कमी, अपराध की सूचना देने की निम्न दर, न्याय प्रणाली में रूढ़िवादिता और लैंगिक पूर्वाग्रह आदि।
- **सामाजिक मुद्दे:** समाज में हिंसा के प्रति स्वीकार्यता एवं सहिष्णुता, अपराध संबंधी मामलों की कठिन पहचान, न्यायेतर अदालतों का अस्तित्व, भेदभाव के अलग–अलग रूपों पर बहुत कम ध्यान देना आदि।
- **अन्य मुद्दे:** दंड विधि (क्रिमिनल लॉ) में किए गए संशोधन व्यापक नहीं हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों में उपलब्ध डेटा की कमी तथा सुरक्षित अवसंरचना का अभाव है।

भारत में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा से निपटने हेतु किए गए उपाय

- **दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013** और 2018
- महिलाओं के विरुद्ध साइबर–हिंसा से निपटने हेतु नए IT नियम
- उच्चतम न्यायालय के प्रगतिशील निर्णय
- **राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना**
- **योजनाएं अथवा पहलें:** महिला पुलिस वालंटियर्स; उज्ज्वला योजना; निर्भया कोष, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इत्यादि
- **अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन:** महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW)
- **राज्य स्तरीय पहलें:** दिल्ली पुलिस द्वारा हिम्मत ऐप, मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा सम्मान अभियान, केरल सरकार द्वारा पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट, आदि

आगे की राह

- महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना।
- महिलाओं और लड़कियों को सभी प्रकार की हिंसा से बचाने वाले कानूनों में संशोधन करना, सामंजस्य बनाना या नये कानून बनाना।
- कानूनी और मनोवैज्ञानिक सहायता सेवाओं का प्रावधान करना।
- पीड़ितों की गोपनीयता, पहचान और गरिमा की रक्षा करना।
- सुरक्षित और जेंडर अनुकूल अवसंरचना तथा स्थान सुनिश्चित करने हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।
- पितृसत्तात्मक विचारधारा को समाप्त और नष्ट करने के लिए शिक्षा कार्यक्रम।

1.2.7.1. लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2013 {POSH Act (Protection of women from Sexual Harassment Act, 2013)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केरल हाईकोर्ट ने फिल्म उद्योग से जुड़े संगठनों से कहा है कि वे **महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन** हेतु उपाय करें। ऐसे उपाय **"कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013"** के अनुरूप होने चाहिए।

POSH अधिनियम, 2013 के बारे में

- **उद्देश्य:** इस कानून को वस्तुतः **कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के कृत्यों को रोकने, उन्हें प्रतिबंधित करने और उनसे निपटने के लिए** पारित किया गया था। इस अधिनियम ने पहले से ही कार्यान्वित **विशाखा दिशा-निर्देशों को विस्तृत रूप प्रदान किया है।**
- **परिभाषाएं:** यह लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए शिकायत और जांच के लिए प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। साथ ही, यह अधिनियम इस संबंध में संभावित कार्रवाइयों का उल्लेख भी करता है।
  - **लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा:** लैंगिक उत्पीड़न में निम्नलिखित में से "कोई भी एक या एक से अधिक" कृत्य शामिल हैं:
    - प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए गए "अवांछित कार्य या व्यवहार":
    - शारीरिक संपर्क या उसकी कोशिश,
    - यौन संबंध के लिए मांग या अनुरोध करना,
    - यौन संबंधी टिप्पणी,
    - अश्लील साहित्य दिखाना, यौन प्रकृति का कोई अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर-मौखिक आचरण इत्यादि।

विशाखा दिशा-निर्देश:

- ये दिशा-निर्देश **विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य वाद (वर्ष 1997)** में **उच्चतम न्यायालय** द्वारा तैयार किए गए थे। इससे निजी या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र स्थापित करना अनिवार्य हो गया।
  - यह मामला राजस्थान की सामाजिक कार्यकर्ता भंवरी देवी के साथ कथित बलात्कार को लेकर एक जनहित याचिका से संबंधित है।
- इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि संस्थानों को एक **"शिकायत समिति"** का गठन करना होगा, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के मामलों को देखेगी।
- वर्ष 2013 के **POSH अधिनियम ने इन दिशा-निर्देशों का और विस्तार** किया है।
- ये **दिशा-निर्देश कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। ये लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करते हैं। इनके अंतर्गत संस्थानों पर तीन प्रमुख दायित्व लागू किये गए हैं-** निषेध (Prohibition), रोकथाम (Prevention), निवारण (Redress)।

  - **"पीड़ित महिला" की परिभाषा: इसमें "पीड़ित महिला" की परिभाषा बहुत व्यापक है।** इसके अंतर्गत सभी महिलाओं को शामिल करते हुए उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। इसमें महिलाओं की आयु या रोजगार की स्थिति का ध्यान नहीं रखा गया है। **संगठित या असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत, सार्वजनिक या निजी रोजगार से जुड़ीं** और **क्लाइंट, ग्राहक या घरेलू कामगार** सहित सभी महिलाओं को इसमें शामिल कर उन्हें सुरक्षा दी गई है।

- **नियोक्ता के लिए दायित्व:** इस कानून के अनुसार, 10 या अधिक कर्मचारियों वाले **प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति (ICC)[11] का गठन करना अनिवार्य है।**
- **सुलह के माध्यम से शिकायत का निपटारा:** ICC जांच से पहले और "पीड़ित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रतिवादी के बीच मामले को निपटाने के लिए कदम उठा सकती है"। इस तरह के निपटान में यह शर्त है कि सुलह के आधार के रूप में "कोई मौद्रिक समझौता नहीं किया जाएगा"।
- **ICC की शक्ति:** ICC या तो पीड़ित महिला की शिकायत पुलिस को भेज सकती है या वह स्वयं जांच शुरू कर सकती है। इस जांच को 90 दिनों के भीतर पूरा करना होता है। ICC के पास शपथ पर किसी भी व्यक्ति को बुलाने और जांच करने तथा दस्तावेजों की खोज एवं तैयार करने की आवश्यकता के संबंध में **एक सिविल न्यायालय के समान अधिकार हैं।**

[11] Internal Complaints Committee

- **अनामता:** अधिनियम में कहा गया है कि महिला की पहचान, प्रतिवादी, गवाह, जांच, सिफारिश और की गई कार्रवाई पर कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं की जानी चाहिए।
- **अंतिम रिपोर्ट:** जब जांच पूरी हो जाती है, तो ICC को अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट नियोक्ता को 10 दिनों के भीतर देनी होगी। यह रिपोर्ट दोनों पक्षों को भी उपलब्ध कराई जाती है।

आगे की राह

यद्यपि, POSH 2013 कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक मील का पत्थर है, परंतु इस अधिनियम को निम्नलिखित क़दमों द्वारा और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है:

- इसे **लैंगिक रूप से तटस्थ** बनाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता को वरिष्ठ सहयोगियों द्वारा **पीड़ित या शर्मिंदा न किया जाए।**
- **अनौपचारिक क्षेत्र** के साथ-साथ ऐसे संगठनों को भी शामिल करना जो **गिग इकॉनमी** का हिस्सा हैं।
- शिकायत दर्ज करने की **समय सीमा 1 वर्ष तक होनी चाहिए।**
- पीड़ित को मुआवजे की राशि के साथ-साथ अपराधी की सजा का मूल्यांकन करने के लिए **मानक संचालन प्रक्रिया** विकसित की जानी चाहिए।

1.2.7.2. भारत में दहेज प्रणाली (Dowry System in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केरल में कथित दहेज प्रथा से जुड़े मामलों में तीन युवा दुल्हनों की मृत्यु हो गई। इन मौतों ने इस सामाजिक बुराई की ओर फिर से ध्यान खींचा है।

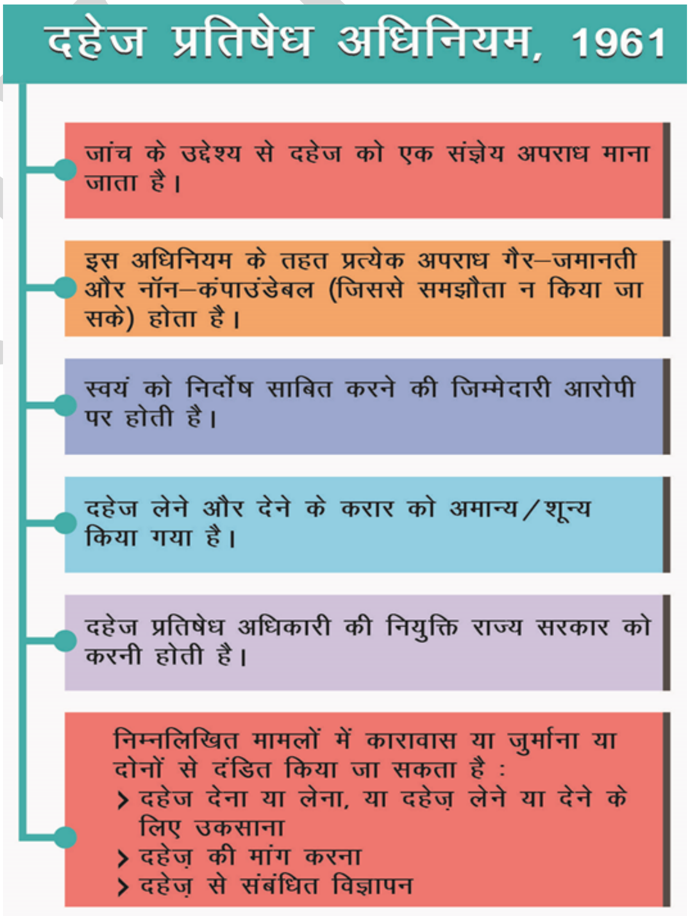

दहेज क्या है?

- **दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961** (Dowry Prohibition Act) (इन्फोग्राफिक्स देखें) में 'दहेज' ऐसी किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को कहा जाता है जो विवाह के पहले, विवाह के समय या विवाह के पश्चात किसी समय-
  - विवाह के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को या
  - विवाह के किसी भी पक्ष के माता-पिता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, विवाह के किसी भी पक्ष को या किसी अन्य व्यक्ति को, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई है या दिए जाने के लिए करार की गई है।
    - **दहेज मृत्यु को IPC की धारा 304B के तहत एक दंडनीय अपराध माना जा सकता है (यदि मृत्यु का कारण अप्राकृतिक है)।**
- उन व्यक्तियों के संबंध में जिन पर मुस्लिम स्वीय विधि (शरीयत) लागू होती है, **"वधू-मूल्य" (dower) या मेहर (दहेज़) इसके अंतर्गत नहीं** है।
- ज्ञातव्य है कि **लड़की के माता-पिता उसके विवाह पर स्त्रीधन** के रूप में उपहार दे सकते हैं, ताकि आपात स्थिति में वह अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा कर सके।
- इसकी विपरीत प्रथा को **"वधू-मूल्य" (dower)** कहा जाता है, जिसमें दूल्हे की ओर से दुल्हन के माता-पिता को नकद या वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता है। भारत में कुछ आदिवासी समुदायों जैसे **आंध्र प्रदेश के यानाडी और गुजरात के बरिया, पागी व डामोर** पारंपरिक रूप से वधू-मूल्य के रूप में भुगतान करते हैं।

भारत में विभिन्न समुदायों में दहेज प्रथा में होने वाली सतत वृद्धि हेतु उत्तरदायी कारण

- **सामाजिक मुद्दे:**
  - **महिलाओं की अधीनस्थ छवि।**
  - **उच्च जातियों (विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त जातियों) में मौजूद दहेज प्रथा को परंपरागत रूप से निचली जातियों के लोगों द्वारा अपनाया** गया है।
  - **वैवाहिक दबाव: उदाहरण के लिए-** भारत में विद्यमान जाति व्यवस्था बहुस्तरीय है। यहां एक ही जाति में अनेक उप जातियां हैं, जिनमें बहुत ही बारीक अंतर है। भारत में विवाह संबंध आमतौर पर इन्हीं जातियों या उप-जातियों के भीतर ही संपन्न होते हैं। इस प्रथा से एक विशेष जाति में दूल्हे की सापेक्ष कमी पैदा होती है, जिससे दहेज संबंधी मांग में वृद्धि होती है।
- **कानूनी मुद्दे**
  - दहेज प्रतिषेध अधिनियम,1961 के कानून के क्रियान्वयन में ढिलाई।
  - अधिकतर महिलाओं को पैतृक संपत्ति विरासत में नहीं मिलती है। इसलिए, दहेज एक ऐसा तरीका है जिससे महिलाएं अपने माता-पिता से कुछ वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
- **आर्थिक मुद्दे**
  - **वित्तीय स्वतंत्रता का अभाव।**
  - अधिक शिक्षित दूल्हों के लिए अधिकतम दहेज की मांग की जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भविष्य में उनकी बेहतर आय होगी।

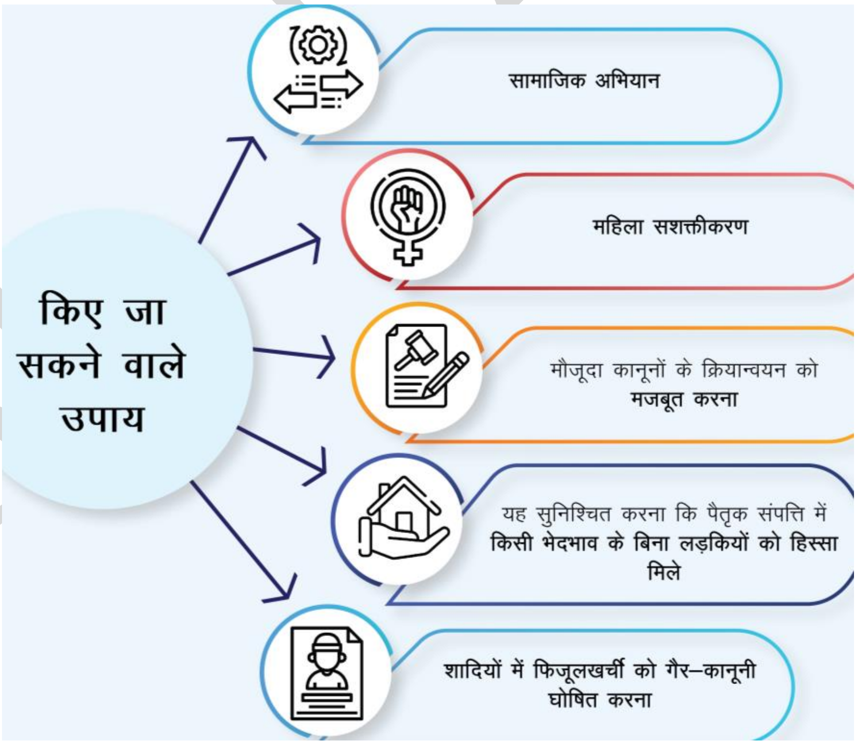

निष्कर्ष

महिलाओं के प्रति भेदभाव जीवन के सभी पहलुओं में व्याप्त है। लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए राज्यों को सम्पूर्ण जीवन चक्र यथा- जन्म, प्रारंभिक बचपन, शिक्षा, पोषण, आजीविका, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच आदि से संबंधित लैंगिक रूप से पृथक डेटा पर भी विशेष ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। शिक्षक और पाठ्य पुस्तकें मान्यताओं एवं मूल्यों को एक बेहतर स्वरूप प्रदान करने में मदद करते हैं। इसलिए, स्कूली बच्चों को लैंगिक समानता के बुनियादी मूल्य पर व्यवस्थित रूप से संवेदनशील बनाया जाना चाहिए। साथ ही, समग्र स्तर पर महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए व्यापक सार्वजनिक कार्रवाई पर भी बल दिया जाना चाहिए।

1.2.7.3. वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375 में उपबंधित वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को चुनौती देने वाली याचिकाओं** पर एक खंडित निर्णय दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **IPC की धारा 375** बलात्कार को परिभाषित करते हुए सहमति की ऐसी कई धारणाओं को सूचीबद्ध करती है जिनके भंग होने की स्थिति को पुरुष द्वारा बलात्कार माना जाता है। हालांकि, ये प्रावधान **दो अपवादों** को भी सम्मिलित करते हैं।
    - **IPC की धारा 375 का अपवाद 2, वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से शामिल नहीं करता है।** इसमें उपबंधित है कि एक पुरुष और उसकी पत्नी (जिसकी आयु 15 वर्ष से कम नहीं हो) के बीच यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में शामिल नहीं है।
    - **चिकित्सा प्रक्रियाओं या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा।**

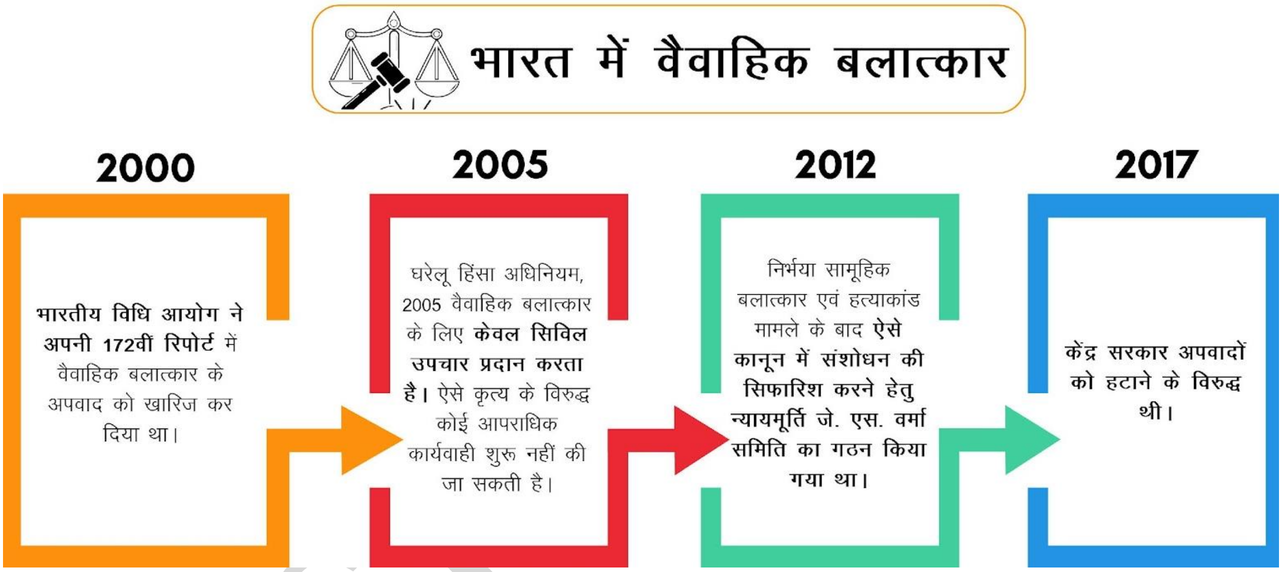

- **IPC की धारा 375 के अपवाद 2 को चुनौती देने वाली याचिकाएं आर.आई.टी फाउंडेशन,** ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन (AIDWA) और एक वैवाहिक बलात्कार पीड़िता द्वारा दायर की गई थीं।

वैवाहिक बलात्कार और भारत में इसकी स्थिति

- वैवाहिक बलात्कार या जीवनसाथी द्वारा किया गया बलात्कार, **पति या पत्नी के साथ उनकी सहमति के बिना बनाए गए यौन संबंध के रूप में वर्णित किया गया है।**
- भारत में, **"वैवाहिक बलात्कार" को परिभाषित करने वाला कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं।**
- भारत उन **36 देशों में से एक है जहां अभी भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं** रखा गया है।

वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण के संदर्भ में केंद्र और न्यायपालिका का दृष्टिकोण	
केंद्र	**न्यायपालिका**
• वर्ष 2017 में, **केंद्र सरकार ने इस दलील का विरोध किया कि वैवाहिक बलात्कार** को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जा सकता। उसका मानना था कि यह एक ऐसी घटना बन सकती है जो **"विवाह की संस्था को अस्थिर कर**	• **इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद (2017):** इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने **आयु सीमा 15 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी।** यह अपवाद सुनिश्चित करता है कि उस पति के विरुद्ध बलात्कार का आरोप नहीं लगाया जाएगा, जिसने अपनी पत्नी (जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है) के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध बनाए हैं। • **निमेशभाई भरतभाई देसाई बनाम गुजरात राज्य वाद, 2017:** एक पति अपनी पत्नी की पूर्ण और स्वतंत्र सहमति के बिना यौन क्रिया में शामिल होने के लिए उसे बाध्य करके उसकी गरिमा का उल्लंघन

सकती है" और पतियों के उत्पीड़न का एक संभावित उपकरण बन सकती है।	नहीं कर सकता है। • **2021 में, केरल उच्च न्यायालय** ने माना कि **वैवाहिक बलात्कार तलाक का दावा करने का एक उपयुक्त आधार है।**

वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष में तर्क	वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के विरुद्ध तर्क

• **मौलिक अधिकारों का उल्लंघन:** वैवाहिक बलात्कार का अपवाद **अनुच्छेद 14**, अनुच्छेद 15(1) और **अनुच्छेद 21** का उल्लंघन करता है। गौरतलब है कि **अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समान संरक्षण** की गारंटी दी गयी है। इसी प्रकार अनुच्छेद 15(1) के तहत **भेदभाव रहित व्यवहार के अधिकार तथा अनुच्छेद 21 के तहत स्वायत्तता और निजता के अधिकार की गारंटी दी गई है।**
• **शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव:** वैवाहिक बलात्कार के कारण महिलाओं को शारीरिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। इनमें गर्भपात, संक्रमण, बांझपन और HIV जैसी बीमारियों की संभावना, निजी अंगों पर चोट, मारपीट, मांसपेशियों से संबंधित चोट आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसके मनोवैज्ञानिक प्रभावों में सदमा, भय, तनाव, आत्महत्या की प्रवृत्ति आदि शामिल हैं।
• **महिला सुरक्षा: NFHS-5 (2019-2021) के अनुसार, 82% विवाहित महिलाओं ने अपने वर्तमान पति के विरुद्ध** और 13 प्रतिशत महिलाओं ने अपने पूर्व पति के विरुद्ध शिकायत की है।
• **अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं: यह भारत की वैश्विक छवि को क्षति पहुंचाता है क्योंकि भारत महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर गठित संयुक्त राष्ट्र समिति (CEDAW) का हस्ताक्षरकर्ता देश है।**
• **बलात्कार, बलात्कार है:** वर्ष 2022 में, **कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक पत्नी द्वारा अपने पति के विरुद्ध दायर बलात्कार के आरोपों को खारिज करने से इनकार करते हुए** कहा कि बलात्कार बलात्कार है, जिसका पीड़ित की आयु और अपराधी की पहचान से कोई संबंध नहीं है।
  ○ एक महिला जिसका एक अपरिचित द्वारा बलात्कार किया जाता है, वह उस क्रूर घटना की याद के साथ जीवन व्यतीत करती है; किंतु जिस महिला के साथ उसके पति ने बलात्कार किया है, उस महिला को तो अपने बलात्कारी के साथ ही रहना पड़ता है।
	• **कानून का दुरुपयोग:** वैवाहिक बलात्कार को आपराधिक घोषित करने के बाद, इसका दुरुपयोग **झूठे मामले दर्ज करने** के लिए किया जा सकता है।
	  ○ उदाहरण के लिए, 2020 में, 498A (दहेज़ से संबंधित) के तहत कुल दर्ज 111,549 मामलों में से, 5,520 को पुलिस ने झूठा बताकर बंद कर दिया था।
	• **सिद्ध करने का दायित्व:** कथित वैवाहिक बलात्कार को सिद्ध करने के लिए सीसीटीवी फुटेज आदि जैसे साक्ष्यों की कमी होती है। इसलिए इन मामलों में सिद्ध करने के दायित्व(Burden of proof) की अवधारणा को लागू करना एक कठिन कार्य होगा।
	• **विवाह संस्था का टूटना:** वैवाहिक बलात्कार को अपराध नहीं ठहराने का एक मुख्य तर्क यह है कि इससे पत्नियों द्वारा पतियों पर झूठा आरोप लगाने से विवाह संस्था विखंडित हो जाएगी।
	• **लैंगिक तटस्थता:** बलात्कार की परिभाषा महिला केंद्रित है और भले ही IPC की धारा 375 के अपवाद को हटा दिया जाए या घरेलू हिंसा अधिनियम में आपराधिक प्रावधान जोड़ दिए जाएं, पति उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे।
	• **निजता का अधिकार:** वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण, राज्य को वैवाहिक दम्पति के निजी पक्ष में छानबीन करने की अनुमति देकर विवाह की गोपनीयता का उल्लंघन करेगा। साथ ही, परिभाषा के अनुसार, वैवाहिक यौन संबंध कभी भी बलात्कार की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा सकता है।

आगे की राह

- **पर्याप्त कानून:** महिलाएं शोषणकर्ता पति/पार्टनर से सुरक्षित रहेंगी, वैवाहिक बलात्कार से उबरने के लिए वे आवश्यक सहायता प्राप्त करने में सक्षम होंगी, और घरेलू हिंसा एवं यौन उत्पीड़न से स्वयं को बचाने में सक्षम होंगी।
  - इसके अतिरिक्त, **मानवाधिकार आयोग** ने सुझाव दिया है कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाना चाहिए।
- **जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिशें:** 2013 में, जे. एस. वर्मा समिति ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटा दिया जाना चाहिए। इस समिति ने पहले भी

विश्व भर में वैवाहिक बलात्कार

- वर्ष 1922 में, **सोवियत संघ, (वर्तमान रूस) वैवाहिक बलात्कार का** अपराधीकरण करने वाला पहला देश बना। वर्ष 1922 में इसने बलात्कार से संबंधित कानूनों से **"वैवाहिक अपवाद" को हटा दिया।**
- **जिन देशों में वैवाहिक बलात्कार कानून के तहत एक दंडनीय अपराध है,** उनमें यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इज़राइल, बेल्जियम, लक्जमबर्ग, नीदरलैंड आदि शामिल हैं।
- **जिन देशों में यह एक दंडनीय अपराध नहीं है** उनमें घाना, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्डन, लेसोथो, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका और तंजानिया शामिल हैं।

महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के अपराधों में कई कानूनी बदलावों की सिफारिश की है।
  - साथ ही, UNCEDAW और 172वीं विधि आयोग की रिपोर्ट ने भी वैवाहिक बलात्कार के अपराधीकरण की सिफारिश की है।
- **न्याय सुनिश्चित करना:** वैवाहिक बलात्कार के पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहायता के साथ-साथ त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए एक प्रभावी ढांचा/कानून विकसित किया जाना चाहिए।
- **जागरूकता:** समाज में जागरूकता उत्पन्न करने तथा अभियोजक और पुलिस अधिकारियों के व्यवहार में बदलाव लाने की भी आवश्यकता है।

1.2.8. यौनकर्मियों के अधिकार (Rights of Sex Workers)

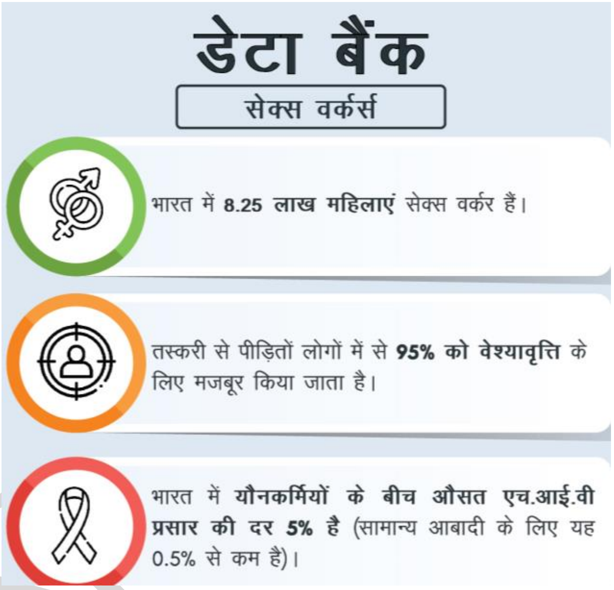

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने फिर से इस बात पर ज़ोर दिया कि **यौनकर्मियों और उनके बच्चों को सम्मान और मानवीय शिष्टता के साथ जीने का अधिकार है। उन्हें अपने इन अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- उच्चतम न्यायालय (SC) ने **राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यौनकर्मियों के पुनर्वास** पर कुछ **सिफारिशों को लागू करने को कहा। शीर्ष न्यायालय ने यह निर्देश संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिए। उपर्युक्त सिफारिशें** वर्ष 2011 में SC द्वारा नियुक्त एक पैनल द्वारा की गई थीं।
- वर्ष 2011 में, **उच्चतम न्यायालय ने बुधदेव कर्मकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले** पर स्वतः संज्ञान लिया था। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले को यौनकर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक जनहित याचिका में बदल दिया गया। गौरतलब है कि उपर्युक्त मामला एक यौनकर्मी की नृशंस हत्या से संबंधित था।
- **उच्चतम न्यायालय ने पैनल की कई सिफारिशों को सूचीबद्ध किया और उन्हें लागू करने का निर्देश दिया है** (बॉक्स देखें)।

भारत में यौनकर्मियों की सुरक्षा के लिए उठाए गए अन्य कदम

- **भारतीय दंड संहिता (IPC)** द्वारा अनुपूरित **अनैतिक व्यापार (नियंत्रण) अधिनियम, 1956** वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से बच्चों सहित मानव तस्करी पर रोक लगाता है। साथ ही, यह इस संबंध में प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है।
- **गौरव जैन बनाम भारत संघ (1997) में,** सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि **यौनकर्मियों के बच्चों को वेश्यालय में रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।** साथ ही, सुधार गृहों को उनके लिए सुलभ बनाया जाना चाहिए।
- **महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा "उज्ज्वला" का क्रियान्वयन किया जा रहा है।** यह व्यावसायिक यौन शोषण के कारण होने वाली मानव तस्करी के पीड़ितों के लिए एक व्यापक योजना है। इसके उद्देश्यों में मानव तस्करी की रोकथाम और पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास तथा पुन: एकीकरण के साथ उनका स्वदेश प्रत्यावर्तन भी शामिल है।
- **नेशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स (NNSW)** भारत में यौनकर्मियों के नेतृत्व वाला एक समूह है। यह स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पेशे से जुड़े लोगों के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें बढ़ावा देता है।

आगे की राह

सामाजिक अधिकार प्रदान करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करते समय यौन कार्य नेटवर्क के नेतृत्व, सक्रिय भागीदारी तथा उसके सशक्तीकरण को सुनिश्चित करने के लिए **उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिए।** इसके अतिरिक्त निम्नलिखित पहलें की जा सकती हैं:

- **यौन कार्य के सभी पहलुओं को अपराध की श्रेणी से बाहर करना,** क्योंकि अपराधीकरण कलंक का एक प्रमुख कारण है।
- ऐसी **स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना** जो सुलभ हों, बलपूर्वक न थोपी जाएं और साथ ही यौनकर्मियों की आवश्यकताओं की विविधता के प्रति उत्तरदायी हों।
- **यौनकर्मियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता** ज़रूरी है। इसे पुलिस कर्मियों, सरकारी वकीलों और न्यायपालिका के लिए यौनकर्मियों के सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी में प्रशिक्षण का हिस्सा बनाया जाना चाहिए।
- यौनकर्मियों के लिए प्रासंगिक कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के प्रारूपण/संशोधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही, ऐसे कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों के अंतिम कार्यान्वयन में भी उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।

1.2.9. अवैतनिक कार्य (Unpaid work)

अवैतनिक कार्य – एक नज़र में

अवैतनिक कार्य

- **देखभाल से जुड़े कार्य:** परिवार के सदस्यों, जैसे– बच्चों, वृद्ध, बीमार या दिव्यांग व्यक्तियों की देखभाल करना।
- **परिवार को संभालने और देखभाल सेवाओं** से संबंधित गतिविधियां।
- घरेलू और बाजार/ गैर–बाजार इकाइयों में **वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन हेतु अवैतनिक/ स्वैच्छिक कार्य।**
- **स्वयं के उपभोग हेतु उत्पादन से संबंधित गतिविधियां** (जैसे कि कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, दूध दुहना और बुनाई आदि)।
- **स्वैच्छिक/ सामुदायिक गतिविधियां या सेवाएं** परिवार के अन्य सदस्यों या समुदाय को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

महिलाओं पर प्रभाव

- इससे **टाइम पॉवर्टी और टाइम स्ट्रेस** उत्पन्न होता है। इसका **अवसर लागत** भी अधिक होता है।
- **महिलाओं की श्रम बल में भागीदारी में बाधक:** यह महिलाओं को शिक्षा, रोजगार के अवसर और अपने कौशल को विकसित करने से रोकता है।
- **व्यावसायिक गिरावट और अलगाव:** महिलाएं अपने कौशल स्तर से नीचे और उन क्षेत्रों में रोजगार का चयन करती हैं, जो परंपरागत रूप से महिलाओं से ही संबद्ध होते हैं।
- **वेतन और नियुक्ति में भेदभाव।**
- **यह लैंगिक संबंधों में पदानुक्रम और परिवार में लैंगिक असमानता** को बढ़ा देता है।
- नींद की कमी और सामाजिक एकांतता आदि जैसे मुद्दों के कारण **जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।**
- **महिला सशक्तीकरण के लिए हानिकारक है।**
- **पर्यावरणीय और आर्थिक परिवर्तनों के प्रति संवेदनशीलता में वृद्धि,** जैसे– जलवायु संबंधी आघात, सामाजिक क्षेत्र संबंधी व्यय को कम करने वाली मितव्ययिता से संबंधित नीतियां आदि।

अवैतनिक कार्य को मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता

- **अवैतनिक श्रमिकों को अधिकार प्रदान करना:** यह अवैतनिक श्रमिकों के योगदान को सबके समक्ष लाएगा, अन्यायपूर्ण असमानताओं को उजागर करेगा और सरकारी राजकोष पर उनके दावों को उचित सिद्ध करेगा।
- **महिला सशक्तीकरण:** यह भारतीय पितृसत्तात्मक परिवारों में महिलाओं को समानता का दावा करने में सहायता करेगा।
- **श्रम की एक ऐसी समग्र समझ विकसित करने की आवश्यकता है** जो पूरी तरह से बाजार में किसी सेवा के विनिमय मूल्य से संबद्ध नहीं हो।
- **नीति की दक्षता में वृद्धि:** सामाजिक–आर्थिक क्षेत्रों की एक श्रृंखला में, विशेष रूप से रोजगार में लैंगिक असमानता।
- **अवैतनिक कार्य का मुद्रीकरण:** इससे परिवार में महिलाओं को अधिक महत्व प्राप्त होगा। निर्धनता को कम करने में प्रत्यक्ष योगदान मिल सकता है। साथ ही, इससे अवैतनिक देखभाल संबंधी कार्यों में शामिल श्रमिकों को बेहतर पारिश्रमिक प्रदान किया जा सकता है।

अवैतनिक कार्य को मान्यता प्रदान करने एवं मुद्रीकरण करने के समक्ष चुनौतियां

- **अवैतनिक कार्यों की माप में विद्यमान कानूनी जटिलताएं।**
- **लिंग आधारित श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलेगा,** क्योंकि यह इस सामाजिक मानदंड का समर्थन कर सकता है कि घरेलू और देखभाल संबंधी कार्य केवल महिलाओं के ही कार्य हैं।
- **सामाजिक व्यवस्था पर प्रभाव,** क्योंकि यह देखभाल के भावनात्मक पहलुओं को नष्ट कर सकता है।
- **देखभाल का वस्तुकरण (Commoditize) करना कठिन है,** क्योंकि यह श्रम से कहीं बढ़कर है। ये दोनों पूरी तरह से भिन्न परिवेश में संपन्न किए जाते हैं।

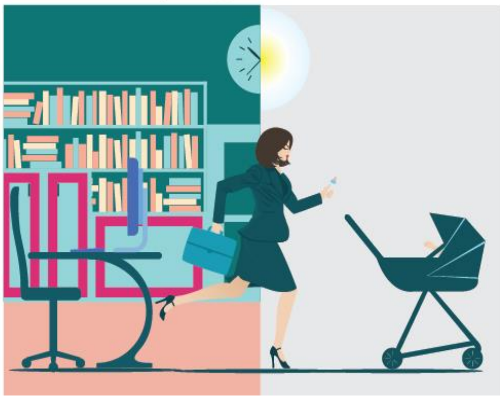

आगे की राह– ट्रिपल R फ्रेमवर्क

- **मान्यता (Recognition)**
  - नियमित अंतराल पर "टाइम यूज़ सर्वे" आयोजित करके **अवैतनिक कार्य की माप।**
  - अवैतनिक कार्य का मौद्रिक इकाइयों में मूल्यांकन करना।
  - जेंडर विश्लेषण पर आधारित **जेंडर बजट को मुख्यधारा में लाना।**
- **न्यूनीकरण (Reduction)**
  - **देखभाल नीतियों तथा सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना।** यह मजबूत सामाजिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और परिवार भत्ता एवं बाल लाभ आदि जैसे उपायों के माध्यम से किया जा सकता है।
  - **अवैतनिक कार्य में शामिल कार्यों के लिए तकनीकी परिवर्तनों में निवेश करना।**
- **पुनर्वितरण (Redistribution)**
  - **श्रम नियमों में सुधार,** जैसे– लैंगिक आधार पर तटस्थ और सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अवकाश नीतियों को लागू करना।
  - **निजी फर्मों में परिवार के अनुकूल कार्य नीतियों को बढ़ावा देना,** जैसे– लचीला टाइम टेबल या टेली वर्किंग।
  - शिक्षा के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन लाकर **भेदभाव को बढ़ाने वाली सामाजिक संस्थाओं से निपटना।**

1.2.10. देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) ने **"कार्यस्थल पर देखभाल: कामकाजी विश्व में अधिक लैंगिक समानता के लिए देखभाल अवकाश एवं सेवाओं में निवेश करना[12]"** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

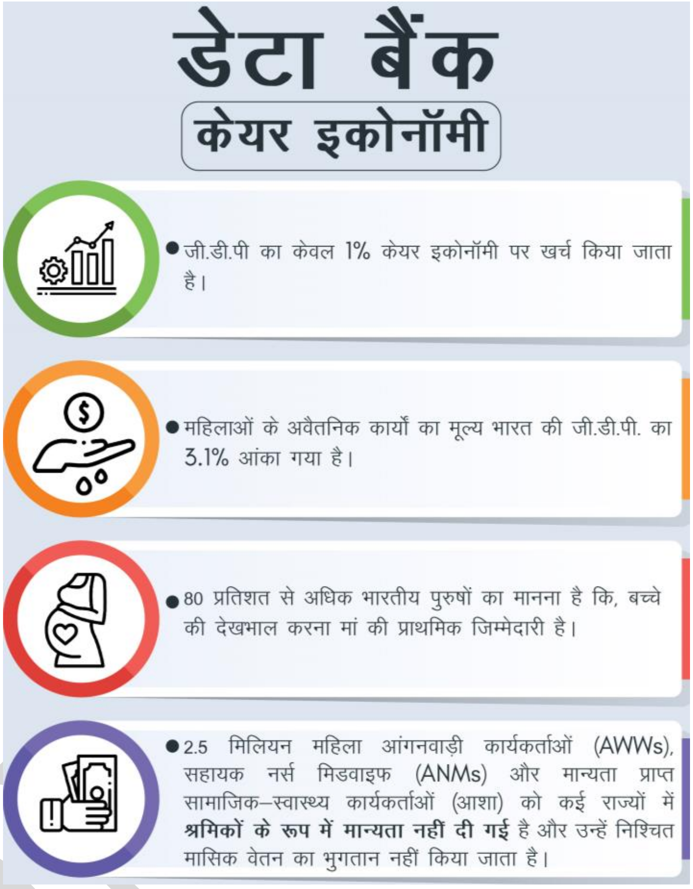

इस रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट, **देखभाल नीतियों से संबंधित राष्ट्रीय कानूनों और प्रथाओं** का एक वैश्विक परिदृश्य प्रदान करती है। इन देखभाल नीतियों में मातृत्व सुरक्षा, पैतृक, अभिभावकीय एवं अन्य देखभाल संबंधित अवकाश नीतियां शामिल हैं। साथ ही, इसमें बाल देखभाल और दीर्घकालिक देखभाल सेवाएं भी समाहित हैं।
- **इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र:**
    - **देखभाल सेवाओं और नीतियों में सतत एवं गंभीर अंतराल विद्यमान है।** इस अंतराल के कारण लाखों श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा और समर्थन के बिना पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ा है।
    - अध्ययन के लिए 183 देशों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन के अनुसार **इन देशों में न्यूनतम मातृत्व अवकाश अधिकार प्राप्त करने में कम-से-कम 46 वर्षों का समय लग** सकता है।
    - **स्वतंत्र और गरिमा युक्त जीवन यापन में हेल्दी एजिंग (स्वस्थ आयुर्वृद्धि) के अधिकार** को सुनिश्चित करने के लिए दीर्घकालिक देखभाल सेवाओं को आवश्यक माना गया है।

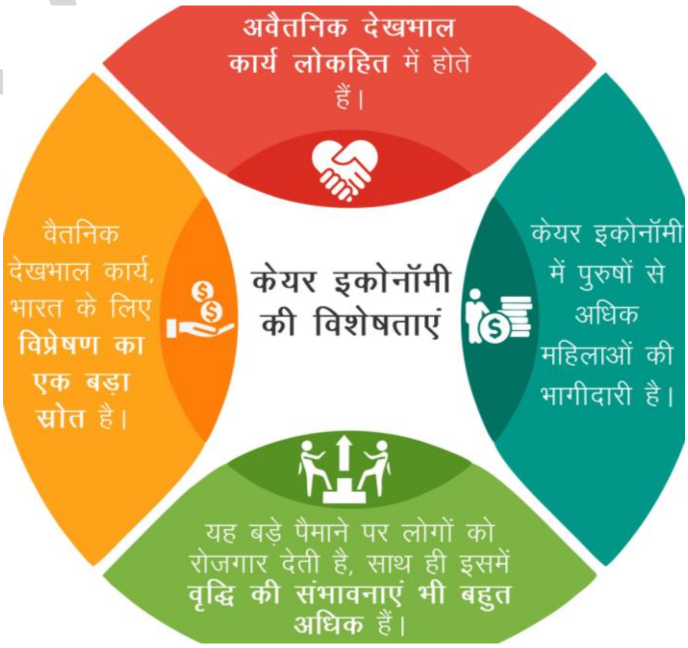

देखभाल अर्थव्यवस्था के बारे में

- देखभाल अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसी गतिविधियों और संबंधों से है, जो वयस्क, बच्चे, वृद्ध, युवा, कमज़ोर और समर्थ व्यक्ति की **शारीरिक, मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद** करते हैं।
- देखभाल अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अनेक क्षेत्र जैसे **शिक्षा, स्वास्थ्य, और समाज सेवा** को शामिल किया जाता है।

आगे की राह

- **देखभाल कर्मचारियों की पहचान:** देखभाल कर्मचारियों के लिए एक पहचान तंत्र का सृजन किया जाना चाहिए। इन कर्मचारियों तक पहुंचने हेतु एक माध्यम का भी निर्माण किया जाना चाहिए। औपचारिक परिभाषा विकसित किए जाने के बाद, जिस व्यक्ति को देखभाल कर्मचारी के रूप में चिन्हित किया

[12] Care at work: Investing in care leave and services for a more gender equal world of work

गया है, उसे एक रोज़गार (जॉब) कार्ड आवंटित किया जाना चाहिए। यह रोज़गार कार्ड न केवल उसे लाभ प्रदान करने का माध्यम बनेगा, बल्कि श्रमबल के एक औपचारिक नेटवर्क का निर्माण करने में भी मदद करेगा। इस पूरी प्रक्रिया में ई-श्रम पोर्टल का लाभ उठाया जा सकता है।

- **औपचारीकरण:** अनुमानतः भारत में महिलाओं के अवैतनिक श्रम का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.1% के बराबर आंका गया है। AWWs, ANMs, ASHAs और घरेलू सहायकों (अन्य लोगों में से) को औपचारिक क्षेत्रक कर्मचारियों के रूप में चिन्हित किए जाने से इनके आर्थिक योगदान को GDP में शामिल किया जा सकेगा।
- **निवेश में बढ़ोतरी::** विमेंस बजट ग्रुप (2019) ने एक अध्ययन किया था। इस अध्ययन के अनुसार यदि भारत के स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्रक में GDP के 2% का अतिरिक्त निवेश किया गया होता, तो 11 मिलियन अतिरिक्त नौकरियों का सृजन हो सकता था तथा इसका एक-तिहाई हिस्सा महिलाओं को प्राप्त हुआ होता।
- **महिला अनुकूल रोज़गार सृजन:** ILO के अनुसार, महिलाओं के कार्यभार को कम करने के लिए जो देश बाल देखभाल अवसंरचना और अभिभावक अवकाश नीतियों के संयोजन में निवेश करते हैं, उनकी जनसंख्या-मातृत्व रोज़गार अनुपात अधिक होता है।

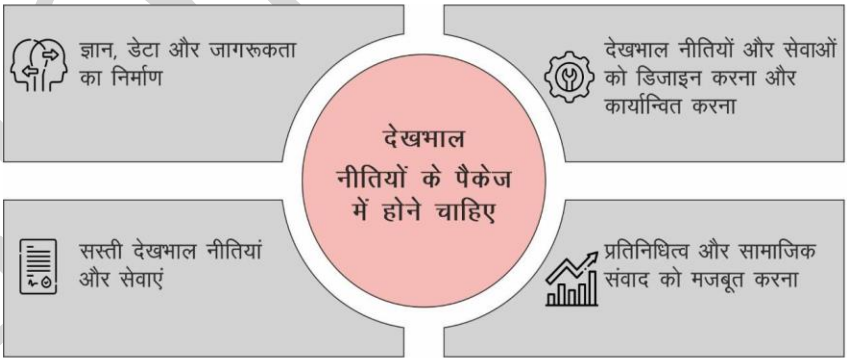

- **बाल देखभाल अवकाश को लैंगिक रूप से निष्पक्ष बनाना:** इस प्रकार के अवकाश में अपनी सेवा की समस्त अवधि में बच्चे की शिशु अवस्था (से लेकर 18 वर्ष की आयु तक) के दौरान देखभाल हेतु अधिकतम 2 वर्षों (730 दिन) का अवकाश प्रदान किया जाता है। यह अवकाश महिला कर्मचारियों या उन पुरुष कर्मचारियों को दिया जाता है, जो एकल अभिभावक होते हैं। यह नीति इस विचार का समर्थन करती है कि बच्चे की देखभाल की ज़िम्मेदारी प्रमुख रूप से माता की होती है।
- भारत में **80% से अधिक पुरुषों का यह मानना है कि बच्चे की देखभाल की मुख्य ज़िम्मेदारी माता** की होती है।

1.3. बच्चे (Children)

1.3.1. बच्चों के अधिकार (Child rights)

बाल अधिकार – एक नज़र में

बालक एवं उनके अधिकार

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCRC) के अनुसार,

- **18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बालक के रूप में परिभाषित किया गया है।**
- **बाल अधिकार न्यूनतम अधिकार और स्वतंत्रताएं हैं,** जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को प्रदान की जानी चाहिए।
- **बाल अधिकारों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:** जीवित रहने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, भागीदारी का अधिकार और विकास का अधिकार।
- **भारत में, एक बालक की परिभाषा विभिन्न कानूनों के अनुसार अलग–अलग है।** उदाहरण के लिए, किशोर न्याय अधिनियम में 18 वर्ष से कम और बाल श्रम अधिनियम में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को 'बालक' माना जाता है।

भारत में बाल अधिकारों के उल्लंघन के पहलू

- शिशु एवं पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की उच्च मृत्यु दर
- जल जनित बिमारियों के प्रति उच्च सुभेद्यता
- गंभीर व अति कुपोषण
- शारीरिक एवं मौखिक दुर्व्यवहार
- बाल विवाह, बाल श्रम व बाल तस्करी
- कोविड–19 से उत्पन्न चुनौतियां, जैसे– मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, शिक्षा की हानि और अभिभावकों की मृत्यु

भारत में बाल अधिकारों के संरक्षण में बाधाएं

- **सामाजिक–सांस्कृतिक कारक:** समाज की पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक प्रकृति, बाल संरक्षण कानूनों की सामाजिक स्वीकृति का अभाव, हिंसा के मामलों की रिपोर्टिंग न होना आदि।
- **राजनीतिक और प्रणालीगत कारक:** कानूनों का खराब कार्यान्वयन, न्याय में विलंब और बालक की परिभाषा में एकरूपता न होना।
- **आर्थिक कारक:** बेरोजगारी और निर्धनता
- अन्य कारक, जैसे– विशिष्ट सुभेद्यता और प्रौद्योगिकी के प्रभाव में बालकों की पहचान का लोप।

बच्चों के अधिकारों की रक्षा और प्रावधान के लिए उठाए गए कदम

- **राष्ट्रीय बाल नीति, 2013** के तहत ध्यान केंद्रित करने हेतु चार प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है।
- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (पॉक्सो अधिनियम) लागू किया गया है।**
- बाल श्रम से संबंधित ILO **कन्वेंशन 138 और 182 का अनुसमर्थन किया गया है।**
- **बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय और राज्य आयोग की स्थापना की गई है।**
- किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम आदि जैसे मौजूदा अधिनियमों को और कठोर किया गया है।
- **बच्चों के अधिकारों में और वृद्धि के लिए संवैधानिक प्रावधान,** जैसे– अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 39(e)।

बालकों एवं उनके अधिकारों की रक्षा हेतु आगे की राह

- सरकार द्वारा नेतृत्वकर्ता की भूमिका।
- CSOs द्वारा सहायक भूमिका।
- निजी क्षेत्रक की भागीदारी।
- प्रभावी एवं सक्रिय मीडिया।

1.3.2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 {Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने **किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021** को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है।

संक्षिप्त पृष्ठभूमि

- **18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति** को किशोर या जुवेनाइल कहा जाता है।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 **विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों (children in conflict with law)** तथा **देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों (children in need of care and protection)** की समस्याओं से संबंधित है।
- यह कुछ मामलों में विधि का उल्लंघन करने वाले **16-18 वर्ष के आयु वर्ग** के किशोरों पर वयस्कों के रूप में **मुकदमा चलाए जाने का प्रावधान करता है।**
- यह **बाल अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधियों के** लिए एक हस्ताक्षरकर्ता के रूप में भारत की प्रतिबद्धता को पूर्ण करता है। इन संधियों में **संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, बालक संरक्षण और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में सहयोग संबंधी हेग अभिसमय (वर्ष 1993) तथा अन्य संबंधित संधियां शामिल हैं।**
- हालिया संशोधन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)[13] द्वारा वर्ष 2018-19 में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के आधार पर लाया गया है। इस रिपोर्ट में 7,000 से अधिक बाल देखभाल संस्थानों (या बाल गृहों) का सर्वेक्षण किया गया था और व्यवस्था में व्याप्त कई कमियों को रेखांकित किया गया था।

वर्तमान विधेयक द्वारा किए गए परिवर्तन

	किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में संबंधित प्रावधान	किशोर न्याय संशोधन अधिनियम, 2021 की विशेषताएं
दत्तक ग्रहण (Adoption)	• एक बार **दीवानी न्यायालय (सिविल कोर्ट्स)** द्वारा दत्तक ग्रहण संबंधी आदेश जारी करने के उपरांत बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है।	• मामलों का **त्वरित निपटान** सुनिश्चित करने और जवाबदेही बढ़ाने हेतु **डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (DM)** सहित **एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM)** दत्तक ग्रहण का आदेश (देश के भीतर और अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण दोनों के लिए) जारी कर सकते हैं।
अपील	• **बाल कल्याण समिति द्वारा दिए गए किसी भी आदेश के लिए कोई अपील नहीं होगी, जिसमें यह निर्णय किया गया है कि** उक्त बालक को देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता नहीं है।	• DM द्वारा पारित **दत्तक ग्रहण के आदेश से व्यथित** कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश दिए जाने के 30 दिनों के भीतर **संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) के समक्ष अपील दायर कर सकता है।**
गंभीर अपराध	• किशोरों द्वारा किए गए अपराधों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है: ○ **जघन्य अपराध (Heinous offences)** ○ **घोर या गंभीर अपराध (Serious offences)** ○ **छोटे अपराध (Petty offences)**	• यह विधेयक कुछ अपराधों को शामिल करने के लिए **'घोर/गंभीर अपराध'** की परिभाषा को पुनः परिभाषित करता है। • यह उपबंध **शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली वाद** में उच्चतम न्यायालय की अनुशंसा को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है।
अभिहित न्यायालय (Designated Court)	• बालकों के विरुद्ध अपराध, **जिनमें सात वर्ष से अधिक के कारावास** का प्रावधान है, के मामलों में बाल न्यायालय (जो एक सत्र न्यायालय के समान होता है) में अभियोजन चलाया जाएगा। • अन्य अपराधों (जिनमें सात वर्ष से कम कारावास के दंड का प्रावधान है) के संबंध में **न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजन** चलाया जाएगा।	• इसमें प्रावधान किया गया है कि अधिनियम के तहत **सभी अपराधों पर अभियोजन बाल न्यायालय (Children's Court) में चलाया जाएगा।**
बालकों के विरुद्ध अपराध	• अधिनियम के तहत **कोई अपराध, जिसमें तीन से सात वर्ष के बीच कारावास के दंड का प्रावधान है,** संज्ञेय (जहां बिना वारंट के गिरफ्तारी की अनुमति	• ऐसे अपराध **असंज्ञेय** (non-cognizable) और गैर-जमानती (non-bailable) होंगे।

[13] National Commission for Protection of Child Rights

	होती है) और गैर-जमानती होगा।	
बाल कल्याण समितियां (CWCs)	• देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की समस्याओं से निपटने हेतु राज्यों को प्रत्येक जिले के लिए **एक या अधिक CWCs** का गठन करना चाहिए। • यह CWC में **सदस्यों की नियुक्ति हेतु कुछ मानदंड** प्रदान करता है।	• **यह CWC के सदस्यों की नियुक्ति हेतु कुछ अतिरिक्त मानदंड** निर्धारित करता है। ○ उदाहरण के लिए, यह मानवाधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लंघन के कोई विगत रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को या नैतिक भ्रष्टता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को CWC सदस्य के रूप में नियुक्ति से प्रतिबंधित करता है।

- **2021 संशोधन अधिनियम के संबंध में चिंताएं**
- **अपराधों का पुनर्वर्गीकरण: 3-7 साल के कारावास से दंडनीय अपराध को गैर-संज्ञेय** के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। **इसके कारण यह उल्लंघन करता है-**
  - भारत के **संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का,**
  - **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का,** जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है,
  - **IPC की सामान्य व्यवस्था** का, जिसमें तीन साल से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों को संज्ञेय श्रेणी में रखा गया है,
  - **किशोर न्याय अधिनियम की व्यवस्था** का, जो प्रकृति में प्रगतिशील है और बच्चों को सभी प्रकार के शोषण से बचाती है।

- **केंद्रीकृत शक्तियां:** यह अधिनियम बच्चों के कल्याण की पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी को सौंपता है। अतः यह देरी का कारण बन सकता है और बाल कल्याण पर इसके अन्य व्यापक प्रभाव हो सकते हैं।
- **जिलाधिकारी पर कार्यों का अत्यधिक बोझ:** पूरे जिले और अन्य विविध कर्तव्यों के प्रभार के कारण जिलाधिकारी पर पहले से ही कार्यों का बोझ अधिक होता है। यह अधिनियम इस बोझ को और बढ़ाता है।
- **अपर्याप्त योग्यता: जिलाधिकारी** और संभागीय आयुक्त आमतौर पर बच्चों से संबंधित इन विशिष्ट कानूनों से निपटने के लिए प्रशिक्षित या सुसज्जित नहीं होते हैं। यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों में गोद लेने के आदेश केवल अदालत द्वारा जारी किए जाते हैं।
- **शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव:** शिकायत निवारण शक्तियां कार्यपालिका को दी गई हैं।

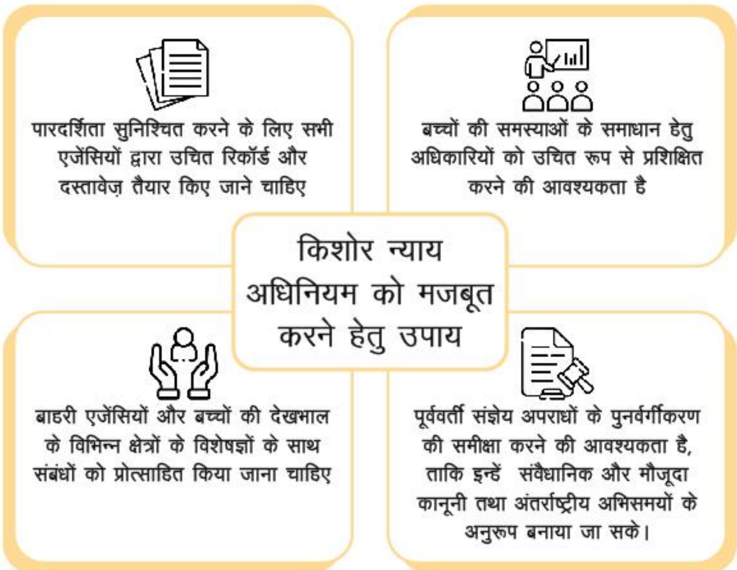

निष्कर्ष

इस नए संशोधन अधिनियम के तहत विशेषकर जिलाधीशों की शक्ति और जिम्मेदारियों को बढ़ाकर और अधिनियम के कुछ प्रावधानों के दायरे पर स्पष्टता प्रदान करके अधिनियम के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है।

1.3.3. भारत में बच्चों को गोद लेना (Child Adoption in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने देश में गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग करने वाली एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। यह याचिका बच्चों को गोद लेने की दर में कमी को ध्यान में रखते हुए दायर की गई थी।

अन्य संबंधित तथ्य

- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के आंकड़ों के अनुसार, **भारत में वर्ष 2013 के बाद से वर्ष 2020 और वर्ष 2021 (3,559) के बीच समग्र रूप से सबसे कम बच्चे गोद लिए गए हैं।**
- इसलिए, गोद लेने की घटती दर चिंताजनक है।

गोद लेने की दर इतनी कम क्यों है?

बोझिल प्रक्रिया: भारत में गोद लेने की प्रक्रिया में इमीडियेट या एक्सटेंडेड फैमिलीज़ को फिर से मिलाने के प्रयासों से लेकर घर का आकलन आदि तक के लिए विस्तृत प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

- **प्रशासनिक मुद्दे:**
    - **संस्थाओं का अभाव:** कई जिलों में कानूनी रूप से अनिवार्य होने के बावजूद अधिकृत गोद लेने वाली एजेंसियों का अभाव है।
    - **अपंजीकृत बाल देखभाल संस्थानों (CCI) की मौजूदगी:** कई CCI बाल कल्याण समितियों (CWCs) में पंजीकृत नहीं हैं। इन केंद्रों से बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता, क्योंकि केवल पंजीकृत CCI को ही गोद लेने वाली एजेंसियों से जोड़ा जा सकता है।
- **गोद लेने की प्रक्रिया का केंद्रीकरण:** हालांकि, केंद्रीकृत देखभाल प्रणाली देश में कहीं भी गोद लेने की अनुमति देती है, लेकिन इसमें कुछ मुद्दे हैं जैसे-
    - **अलग-अलग एजेंसियां अब ऐसे भावी अभिभावकों का चयन नहीं कर सकतीं,** जो विशेष बच्चों को गोद लेने के लिए उपयुक्त हों।
    - **माता-पिता के पास अपने ही राज्य के बच्चों को गोद लेने के लिए सीमित विकल्प होते हैं,** जो सांस्कृतिक समानता सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही, ऐसी स्थिति में भावी अभिभावक बच्चे को घर लाने के लिए लंबी दूरी की यात्रा से भी बचते हैं।

> **कोविड-19 महामारी का प्रभाव:** देश में वर्ष 2019 से वर्ष 2021 के बीच गोद लेने में इस गिरावट का प्राथमिक कारण कोरोना वायरस महामारी को माना जाता है, जैसे-
> - महामारी के बीच मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जैसे आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में गोद लेने के इच्छुक अभिभावकों (Prospective Adoptive Parents: PAPs) की अक्षमता।
> - घर के लिए यात्राओं पर प्रतिबंध।
> - अस्पतालों में बच्चों की मेडिकल जांच में देरी।
> - न्यायालयों द्वारा मामलों की मंजूरी में देरी।
> - **आर्थिक मंदी या माता-पिता के आय स्रोतों का नुकसान होने के कारण बच्चे को गोद लेने के संबंध में निर्णयों में परिवर्तन या देरी हो रही है।**

- **रुकावट के मामले:** CARA ने वर्ष 2014-15 और वर्ष 2018-19 के बीच की पांच वर्षों की अवधि में रुकावट (बच्चों को गोद लेने के अंतिम चरण में लौटाया जा रहा है) के 246 मामले दर्ज किए हैं। रुकावट के ज्यादातर मामले माता-पिता और बच्चों की तैयारी तथा उचित परामर्श की कमी के कारण हैं।
- **अन्य कानूनी विकल्प:** उदाहरण के लिए, 1956 का हिंदू दत्तक और भरण-पोषण कानून हिंदुओं को गोद लेने वाली एजेंसी की भागीदारी के बिना निजी तौर पर एक बच्चा गोद देने या गोद लेने की अनुमति देता है।
- **गोद लेने के बारे में पूर्वाग्रह:** गोद लिए हुए बच्चे की स्थिति को स्वीकार करने में एक सामाजिक दुराग्रह है, इसलिए गोद लेने को माता-पिता बनने के लिए अंतिम उपाय के रूप में देखा जाता है। साथ ही, बड़े बच्चों और दिव्यांगों को गोद लेने को लेकर भी लोगों में आशंकाएं देखी जाती हैं।
- **गोद लेने के पूल में बच्चों की कम संख्या:** बड़ी संख्या में अनाथ और परित्यक्त बच्चों की पहचान नहीं की जाती है और वे समाज की देखभाल के अंतर्गत ही रहते हैं, **जैसे सड़क पर रहने वाले बच्चे।**

- **गोद लेने के भेदभावपूर्ण नियम:** वर्तमान नियम **समलैंगिक जोड़ों, ट्रांस जोड़ों और एकल पुरुषों** (जो एक लड़की को गोद नहीं ले सकते) **को कानूनी रूप से बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं देते हैं**, जो संभावित माता-पिता के पूल को सीमित करता है।

आगे की राह

- **संभावित अभिभावकों को विकल्प प्रदान करना:** आवेदकों को अपने संबंधित राज्यों के बच्चे को गोद लेने के लिए प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए।
- **भावी माता-पिता** को इस बात के लिए तैयार करने हेतु **परामर्श देना** कि उन्हें एक बच्चे विशेष रूप से एक बड़े बच्चे के साथ रहने में कैसे संतुलन स्थापित करना है।
- इसके अतिरिक्त, बड़े बच्चों को **उन परिवारों को गोद लेने के लिए दिया जाना चाहिए, जो समान क्षेत्रों में रहते हैं,** जिससे कि उनमें **परिचित होने की भावना उत्पन्न** हो।
- **बाल देखभाल केंद्रों (CCCs) का अनिवार्य पंजीकरण:** लगभग 28% CCCs, बाल कल्याण समितियों में पंजीकृत नहीं हैं। उन्हें समयबद्ध तरीके से स्वयं को पंजीकृत कराने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं किए जाने पर ऐसे केंद्रों को बंद करना होगा।
- **गोद लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी** बनाने की जरूरत है।
- **ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को विशेष सहायता दी जानी चाहिए** जो गोद लेने की कानूनी प्रक्रियाओं से अवगत नहीं हैं अथवा विधिक प्रक्रिया का पालन करना पसंद नहीं करते हैं।
- **देशव्यापी सूचना, शिक्षा और संचार अभियान:** इससे दत्तक ग्रहण से जुड़े पूर्वाग्रह और सामाजिक कलंक को समाप्त करने में सहायता प्राप्त होगी।

गोद लेने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **मिशन वात्सल्य:** हाल ही में, इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के तहत कठिन परिस्थितियों के भीतर रहने वाले बच्चों के लिए अपने सभी प्रयासों को एकजुट करने हेतु आरंभ किया गया है। इसमें लापता, अनाथ, परित्यक्त और अपने जैविक माता-पिता द्वारा त्यागे गए बच्चे (Surrendered Children) शामिल हैं।

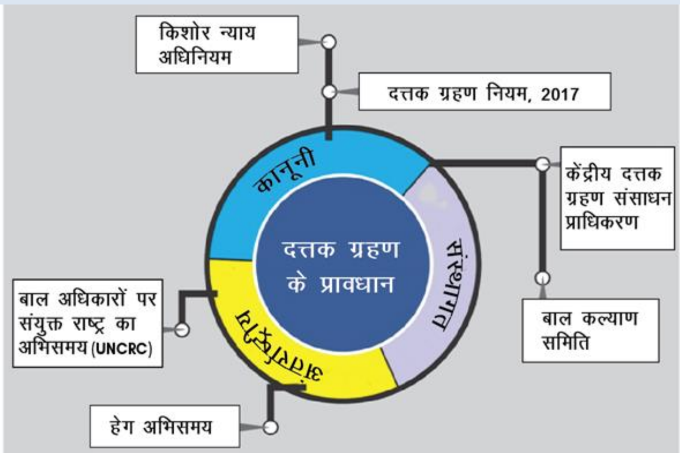

- **CARA ने गोद लेने में लगने वाले समय की अवधि को कम कर दिया है।**
- **ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल CARINGS** (चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इनफार्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम) ने गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित कर दिया है।
- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015 में 2021 का संशोधन अधिनियम:** यह जिलाधिकारी (DMs) और अतिरिक्त जिलाधिकारी (ADMs) को गोद लेने के आदेश को अधिकृत करने का अधिकार देता है।
- **देश के भीतर गोद लेने (Inter country adoption) को आसान करना**
  - **दत्तक ग्रहण संशोधन विनियम 2021:** यह **CARA** को संभावित माता-पिता को **'अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)'** जारी करने की अनुमति देता है, जो हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956 के तहत अंतर्देशीय गोद लेने का विकल्प चुनते हैं।
    - **HAMA में हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शामिल हैं।**
    - अब तक, HAMA के तहत गोद लेने के मामले में, **माता-पिता को NOC प्राप्त करने के लिए अदालत जाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। ऐसा इसलिए था, क्योंकि इसके अलावा कोई अन्य व्यवस्था नहीं थी।**
  - MWCD ने CARA और अन्य अधिकारियों द्वारा निरंतर निगरानी के लिए एक **गोद लेने वाले परिवार को देश में रहने हेतु दो साल की अनिवार्य अवधि को समाप्त कर दिया है।**
  - ऐसे मामलों में, CARA और अन्य प्राधिकरणों की बजाय, **भारतीय मिशन गोद लिए गए बच्चे की प्रगति एवं सुरक्षा की निगरानी करेंगे।**
- **अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग कन्वेंशन 1993 का अनुसमर्थन।** यह कन्वेंशन यह सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों को स्थापित करता है कि अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण बच्चे के सर्वोत्तम हित में किया जाए।

1.4. ट्रांसजेंडर के अधिकार (Transgender Rights)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **कर्नाटक** ट्रांसजेंडर लोगों को सभी सरकारी सेवाओं में 1% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।

ट्रांसजेंडर समुदाय के बारे में

- **उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** एक ट्रांसजेंडर को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है, **जिसका लिंग जन्म के समय नियत किए गए लिंग के समान नहीं होता है।**
- चूंकि ट्रांसजेंडर समुदाय **'पुरुष' या 'महिला' की सामान्य श्रेणी में उपयुक्त प्रतीत नहीं** होता है, इसलिए उन्हें विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस कारण यह उन्हें **देश में सबसे अधिक हाशिए पर रहने वाला समुदाय** बना देता है।

डेटा बैंक

ट्रांसजेंडर्स के अधिकार

NHRC द्वारा वर्ष 2018 में किए गए अध्ययन के निष्कर्ष

- कुल 4.8 लाख में से **केवल 30,000 ट्रांसजेंडर्स** मतदाताओं के रूप में पंजीकृत हैं।
- **50-60% ट्रांसजेंडर्स पूर्णतः स्कूली शिक्षा से वंचित हैं** और **99%** को एक से अधिक अवसरों पर सामाजिक अस्वीकृति का सामना करना पड़ा है।
- **96% ट्रांसजेंडर्स** को **नौकरी से वंचित** रखा गया है।
- **89% ट्रांसजेंडर्स** का कहना है कि, **योग्य ट्रांसजेंडर्स के लिए भी कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है।**

कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के समक्ष चुनौतियां

- **आजीविका संबंधी मुद्दे:** समुदाय की **आजीविका काफी हद तक सामाजिक संपर्कों पर निर्भर है।**
- **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे:** भारत में ट्रांसजेंडर्स के बीच एचआईवी का प्रसार वर्ष 2017 में 3.1% होने का अनुमान लगाया गया था, जो देश में सभी प्रमुख आबादी के बीच दूसरा सबसे बड़ा प्रसार था।
- **खराब मानसिक स्वास्थ्य:** प्रायः वे तनाव व चिंता का सामना कर रहे होते हैं और उनके अवसाद में जाने की भी संभावना बनी रहती है।
- **घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाएं।**

भारत में ट्रांसजेंडर (या उभयलिंगी) व्यक्तियों के अधिकारों का अभिशासन

संवैधानिक मूल्य: संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19 और 21 में विधि के समक्ष समता और विधि के तहत समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है।

न्यायिक निर्णय:

- **नालसा (NALSA) बनाम भारत संघ (2014):** उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि संविधान में भारत के ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार और स्वतंत्रता संरक्षित हैं।
- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018):** भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में दो वयस्कों के मध्य सहमतिपूर्ण समलैंगिक यौन संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया।

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून, 2019

- **ट्रांसजेंडर के विरुद्ध भेदभाव को रोकता है:** रोज़गार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं में।
- **स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार:** हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए पहचान प्रमाण–पत्र के आधार पर 'ट्रांसजेंडर' के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी।
- **शिकायत निवारण तंत्र:** इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य है।
- **आवास का अधिकार:** किसी भी बच्चे को ट्रांसजेंडर होने के कारण उसके माँ–बाप या निकटतम परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। हालांकि, प्राधिकृत न्यायालय द्वारा बच्चे के हित में ऐसा करने का आदेश दिया जा सकता है।
- **शिक्षण संस्थानों के दायित्व:** सरकारी–वित्त पोषित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेद–भाव और समान आधार पर समावेशी शिक्षा, खेल–कूद तथा आनंददायक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबद्ध योजनाओं, कार्यक्रम, विधेयक और परियोजनाओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए।

महामारी के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के जीवन को सरल बनाने के लिए आगे का रोडमैप

- **अल्पकालिक उपाय**
    - **स्वास्थ्य:** कोरोना वायरस परीक्षण केंद्रों को स्वयं को 'ट्रांसजेंडर अनुकूल' बनाना चाहिए। ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित लोगों के लिए अलग आइसोलेशन वार्ड बनाए जा सकते हैं।

- **मनोवैज्ञानिक परामर्श:** इसे सुरक्षा की भावना, शांति की भावना, अपेक्षा निर्माण, आत्म एवं सामूहिक दक्षता और संबद्धता के चतुर्दिक होना चाहिए।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE) को सभी **सामाजिक कल्याण योजनाओं को ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अधिक सुलभ बनाने के प्रयास** करने चाहिए।
- ट्रांसजेंडर की बुनियादी जरूरतों जैसे आवास, भोजन और रोजगार **को पूरा किया** जाना चाहिए।

- **दीर्घकालिक उपाय**
  - **आजीविका के वैकल्पिक साधन:** सरकार को ट्रांसजेंडर समुदाय को समान व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयास करने चाहिए, ताकि वे स्वरोजगार कर सकें।
  - **नीति निर्माण में प्रणालीगत परिवर्तन:** आजीविका कार्यक्रमों, साक्षरता कार्यक्रमों और अन्य विकास कार्यक्रमों के साथ सहलग्नता (linkages) स्थापित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर **इस प्रकार के समुदाय वाले व्यक्तियों के लिए छात्रवृत्ति** आरंभ की जानी चाहिए।
  - **लैंगिक उत्पीड़न तंत्र लिंग-तटस्थ होना चाहिए** और लिंग पर आधारित घरेलू हिंसा की एक अलग अपराध के रूप में पहचान की जानी चाहिए।
  - संसद को एक **भेदभाव-विरोधी विधेयक** पारित करना चाहिए, जो लिंग के आधार पर भेदभाव और उत्पीड़न को दंडनीय बनाता हो।

संबंधित तथ्य

SMILE: आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता" योजना

- 'स्माइल' **केंद्रीय क्षेत्र** की एक योजना है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है।
- यह योजना **ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों का कल्याण एवं पुनर्वास करने के लिए** शुरू की गई है।
  - यह योजना **वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक लागू रहेगी।**
- **स्माइल योजना की दो उप-योजनाएं निम्नलिखित हैं:**
  - **'ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय क्षेत्र की योजना':** इस उप-योजना के निम्नलिखित घटक हैं:
  - इसमें नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे **ट्रांसजेंडर छात्रों को स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति** प्रदान की जाएगी।
  - प्रधान मंत्री-दक्ष योजना के तहत **कौशल विकास और आजीविका** के लिए प्रावधान किए गए हैं। यह वंचित वर्ग के कौशल विकास हेतु एक योजना है।
  - इसमें **'गरिमा गृह'** का प्रावधान किया गया है। यहां ट्रांसजेंडर समुदाय एवं भिक्षुकों के लिए **आवास, भोजन, कपड़े, मनोरंजन की सुविधाएं, कौशल विकास के अवसर** आदि प्रदान किए जाएंगे।
  - अपराधों के मामलों की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य में **ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ** की स्थापना की जाएगी।
  - **प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना** के साथ संयोजन में **समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य पैकेज** प्रस्तुत किया गया है। इसके माध्यम से चयनित अस्पतालों में जेंडर-रिफॉर्मेशन सर्जरी में सहायता की जाएगी।
  - **ई-सेवाओं** (राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन एवं विज्ञापन) का प्रावधान भी किया गया है।
  - **भिक्षुकों का व्यापक पुनर्वास:** इस उप-योजना में सर्वेक्षण व पहचान, जुटाव (Mobilization), बचाव/आश्रय गृह और व्यापक पुनर्वास पर बल दिया जायेगा।
- **स्माइल योजना के अन्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:**
  - ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षुकों को **कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण** प्रदान किया जाएगा। इससे वे स्वरोजगार में संलग्न होकर अपनी आजीविका को जारी रख सकेंगे और गरिमापूर्ण जीवन जी सकेंगे।
  - दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद आदि में **व्यापक पुनर्वास पर प्रायोगिक परियोजनाएं** शुरू की गई हैं।

1.5. भारत में वृद्धजन (Elderly in India)

भारत में वृद्धजन – एक नज़र में

भारत का कोई नागरिक जिसने साठ वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर ली है, "वरिष्ठ नागरिक" या बुजुर्ग कहलाता है।

वर्तमान स्थिति

- भारत में **10.4 करोड़** बुजुर्ग हैं।
- 71 प्रतिशत से अधिक वृद्ध जनसंख्या **ग्रामीण क्षेत्रों** में निवास करती है।
- 75% बुजुर्ग बेरोजगार हैं, उनमें से 80% महिलाएं हैं।
- 82% बुजुर्ग अपने परिजनों के साथ रह रहे हैं।
- भारत में वरिष्ठ नागरिकों का परिवार ही उनके खिलाफ **दुर्व्यवहार का मुख्य दोषी है।**

बुजुर्गों के सामने आने वाली समस्याएं एवं चुनौतियां

- **वित्तीय क्षमता में गिरावटः** रोजगार के अवसरों की कमी, डिजिटल साक्षरता की कमी, स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागत आदि के कारण।
- **दीर्घकालिक रोग**, जैसे– गठिया, उच्च रक्तचाप, मोतियाबिंद आदि।
- **एकल परिवार की बढ़ती प्रवृत्ति** ने घर में बुजुर्गों की देखभाल के अवसर को कम कर दिया है।
- **शहरों में** 'माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007' द्वारा अनिवार्य किए गए **सरकारी वृद्धाश्रमों की कमी।**
- बुजुर्ग आबादी में महिलाओं की अधिक संख्या।

बुजुर्गों के लिए की गई पहलें

- WHO द्वारा 2020–2030 दशक को **'हेल्दी एजिंग'** दशक घोषित किया गया है।
- वृद्ध व्यक्तियों के लिए वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय आदि सुनिश्चित करने के लिए **राष्ट्रीय वृद्धजन नीति, 1999** लागू की गई है।
- बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा भरण–पोषण को न्यायोचित बनाने के लिए **माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 पारित किया गया है।**
- **'वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना'** (NAPSrC) वरिष्ठ नागरिकों की वित्तीय, भोजन, स्वास्थ्य और मानवीय संपर्क/गरिमापूर्ण जीवन की आवश्यकता का ध्यान रखती है।
- **वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष,** इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), आदि।

आगे की राह

- डेटा संचालित नीति के लिए **जराचिकित्सा** (Geriatrics) **और जराविज्ञान** (Gerontology) **में अनुसंधान को बढ़ावा देना।**
- बुजुर्गों को डिजिटल युग में समेकित करने के लिए **उनका डिजिटल रूप से सशक्तीकरण करना।**
- **वहनीय चिकित्सा देखभालः** सामुदायिक देखभाल, टेलीहेल्थ सेवाएं आदि प्रदान करना।
- पूर्ण विकसित डेकेयर सुविधाओं, नर्सों, मनोवैज्ञानिकों आदि से लैस सरकारी वृद्धाश्रम।
- महिलाओं की संपत्ति और विरासत संबंधी अधिकार, शिक्षा आदि सुनिश्चित करके **लैंगिक समानता सुनिश्चित करना।**

1.6. देशज लोग या मूल निवासी (Indigenous people)

इंडीजीनस / देशज लोग – एक नज़र में

देशज लोग पर्यावरण और आम जन से संबंधित अद्वितीय संस्कृति तथा प्रथाओं के उत्तराधिकारी व प्रवर्तक हैं।

वर्तमान स्थिति

- **भारत में देशज लोगों की अनुमानित जनसंख्या 10.4 करोड़ है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या का 8.6% है। इसमें से लगभग 90% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं।**

देशज लोगों के जन्मजात अधिकार

- **अपनी पुश्तैनी भूमि, क्षेत्र और संसाधनों पर सामूहिक** एवं व्यक्तिगत अधिकार;
- अपने संस्थानों द्वारा **स्वशासन का अधिकार;**
- **संरक्षण और विकास कार्यों से निष्पक्ष एवं समान लाभ साझा** करने का अधिकार;
- **अपने पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण, विकास, उपयोग और रक्षा** करने का अधिकार आदि।

देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान

- **भारत के संविधान की पांचवीं अनुसूची:** असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रशासन एवं नियंत्रण की विशेष व्यवस्था।
- **संविधान की छठी अनुसूची:** असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।

देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान

- **भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013** (LARR Act, 2013): विभिन्न परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों की सहमति को अनिवार्य बनाता है।
- **अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006:** वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य लोगों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता देता है।

भारत में देशज लोगों के समक्ष चुनौतियां

- **उनकी पारंपरिक ज्ञान प्रथाओं के सामने खतरा,** क्योंकि उन्हें कम आंकते हुए उनकी उपेक्षा की जाती है।
- आर्थिक नीतियों, वैश्वीकरण आदि के कारण **उनकी भूमि का अधिग्रहण।**
- **मानवाधिकारों का उल्लंघन,** क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों के अनुचित दोहन की रक्षा करने का प्रयास करते हैं।
- भौगोलिक और राजनीतिक रूप से हाशिए पर स्थित होने के कारण **शिक्षा तक पहुंच का अभाव।**
- **स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे,** जैसे– कीटनाशकों और खनन उद्योगों के कारण होने वाली बीमारियां, कुपोषण आदि।

देशज लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए आगे की राह

- **वन अधिकार अधिनियम,** LARR **अधिनियम** आदि को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए **कानूनी कमियों को दूर करना।**
- व्यवसाय और मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांतों के कार्यान्वयन हेतु **राष्ट्रीय कार्य योजना का प्रावधान करना।** इससे कंपनी के संचालन में मानवाधिकारों के हनन को रोका जा सकेगा और हनन होने पर समाधान किया जा सकेगा।
- प्रभावी, सुलभ और किफायती **विवाद समाधान अपनाना।**
- **समुदाय आधारित शिक्षा** और भाषा कार्यक्रम संचालित करना।
- **देशज लोगों की जरूरतों** को स्वास्थ्य कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं और नीतियों के **साथ एकीकृत करना।**

2. स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य – एक नज़र में

भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली

- **संरचना:** प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक।
- **स्वास्थ्य पर व्यय:** GDP का लगभग 1.35 प्रतिशत।
- **आउट–ऑफ–पॉकेट खर्च (OOPE):** सार्वजानिक स्वास्थ्य पर कुल खर्च का 48.8 प्रतिशत।
- **बेहतर उदाहरण:** मोहल्ला क्लीनिक मॉडल (दिल्ली), केरल और तमिलनाडु राज्य का बीमा मॉडल, आशा (ASHA) आदि।

भारत में स्वास्थ्य की स्थिति

- **स्वास्थ्य बीमा कवरेज:** 15–49 आयु वर्ग की केवल 30 प्रतिशत महिलाएं और 15–49 आयु वर्ग के 33 प्रतिशत पुरुष स्वास्थ्य बीमा या स्वास्थ्य योजना के तहत शामिल हैं।
- **कुल प्रजनन दर (TFR):** 2.0
- **पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में बाल मृत्यु दर (U5MR):** 41.9
- **शिशु मृत्यु दर (IMR):** 35.2
- **नवजात मृत्यु दर (NMR):** 24.9
- **मातृ मृत्यु दर (MMR):** 103
- **संस्थागत प्रसव:** 88.6%

भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017
- प्रधान मंत्री भारतीय जन औषधि योजना
- सघन मिशन इन्द्रधनुष
- प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना
- नेशनल मेडिकल कॉलेज नेटवर्क
- राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा "ई–संजीवनी"
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन

भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में चुनौतियां

- **डॉक्टर–रोगी का निम्न अनुपात:** 1: 1,456 (WHO द्वारा निर्धारित 1:1,000)।
- **भौगोलिक असमानता:** लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, फिर भी सार्वजनिक अस्पताल के बेड का 73% शहरी क्षेत्रों में है।
- **PHCs की ख़राब स्थिति:** लगभग 5% PHCs में कोई डॉक्टर नहीं है।
- **गैर–संचारी रोगों (NCDs) का बढ़ता बोझ:** भारत में लगभग 65% मौतें अब NCDs के कारण होती हैं।
- **अन्य मुद्दे:** कम बजट, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, उच्च OOPE, कमजोर गवर्नेंस और जवाबदेही आदि।

आगे की राह

- **रोकथाम:** स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWCs) के नेटवर्क का विस्तार करना।
- **स्वास्थ्य खर्च में सुधार:** यह GDP का कम–से–कम 5% से 6% होना चाहिए।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी में सुधार:** भूमि प्रदान करके, एकल–खिड़की अनुमोदन प्रणाली, कर में रियायत आदि के माध्यम से सुधार किया जा सकता है।
- **PHCs के लिए वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियां:** उदाहरण के लिए, ब्राजील में पारिवारिक क्लीनिक और क्यूबा में पॉलीक्लिनिक्स एवं कार्यालय आदि।
- **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** परिचालन और क्लिनिकल प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने के लिए।
- **अन्य:** क्षमता निर्माण करना; बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित करना; हमारी स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली का पुनरुद्धार करना; महिलाओं को प्राथमिकता देना आदि।

DELHI | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | JAIPUR | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI 8468022022

2.1. सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (Universal Health Coverage)

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) – एक नज़र में

WHO के अनुसार, UHC का आशय किसी भी व्यक्ति के लिए जब और जहां स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता है, तब बिना किसी वित्तीय कठिनाई के स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से है।

UHC के लाभ

- UHC प्रारंभिक निवेश का कम-से-कम **दस गुना आर्थिक लाभ उत्पन्न कर सकता है।**
- संक्रामक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध के प्रति सुभेद्यता को कम करके **सामुदायिक लचीलापन बढ़ाता है।**
- **स्वास्थ्य पर आउट ऑफ पॉकेट खर्च को कम** करके गरीबी और असमानता में कमी करता है।
- गरीबों, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के लिए **स्वस्थ जीवन की सुनिश्चितता में सुधार करता है।**
- एक स्वस्थ कार्यबल का निर्माण करके बेहतर **जनसांख्यिकीय लाभांश सुनिश्चित करता है।**

भारत में UHC को प्राप्त करने के लिए हालिया उठाए गए कदम

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में स्वास्थ्य क्षेत्रक में **सार्वजनिक वित्त पोषण को वर्ष 2025 तक बढ़ाकर GDP के 2.5%** तक करने की सिफारिश की गई है।
- UHC के विजन को प्राप्त करने के लिए **वर्ष 2018 में आयुष्मान भारत योजना** शुरू की गई थी।
- **डिजिटल स्वास्थ्य और टेलीमेडिसिन की दिशा में प्रयास तेजी से बढ़ रहे हैं,** क्योंकि **70%** आबादी ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहती है, जहां स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

UHC को अपनाने में चुनौतियां

- **लंबे समय से कम वित्तपोषण,** जो भारत के GDP का लगभग 1.5% है।
- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा** अर्थात् स्वास्थ्य कर्मियों, अस्पतालों, दवाओं की आपूर्ति, उपकरण आदि की कमी।
- **निजी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों की प्रधानता** (भारत की लगभग 70% आबादी को सेवा प्रदान करती है)।
- **बीमा पॉलिसियों की कम पहुंच** (ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 80% से अधिक के पास बीमा कवरेज नहीं है)।
- **स्वास्थ्य जागरूकता की कमी,** जैसे– स्तनपान कराने और साफ़-सफाई एवं स्वच्छता के लाभ के बारे में ज्ञान की कमी आदि।

आगे की राह

- स्वास्थ्य देखभाल के लिए **GDP का कम-से-कम 2.5% तक सार्वजनिक वित्त पोषण करना।**
- **सभी नीतियों में 'स्वास्थ्य' दृष्टिकोण को शामिल करना।** उदाहरण के लिए– कुपोषण से बचने के लिए मध्याह्न भोजन सुनिश्चित करना।
- पोषण अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट आदि जैसी पहलों के माध्यम से **स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने वाले व्यवहार को प्रोत्साहित करना।**
- **UHC**–केंद्रित लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में प्रारंभिक निवेश करना। इससे श्रीलंका और वियतनाम वैश्विक महामारी का बेहतर तरीके से सामना कर पाए थे।
- **अन्य पहलें जैसे**– डिजिटल स्वास्थ्य सुविधा की क्षमता का दोहन, निजी क्षेत्र का प्रभावी विनियमन और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना।

2.2. मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) (Accredited Social Health Activist: ASHAs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के आशा कार्यक्रम को विश्व स्वास्थ्य संगठन महानिदेशक के **'ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड'** से सम्मानित किया गया है। भारत इस पुरस्कार के छह प्राप्तकर्ताओं में से एक है।

आशा कार्यकर्ताओं के बारे में

- आशा कार्यकर्ता **महिला सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता** होती हैं। ये वर्ष 2005 में शुरू किए गए **'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन' (NRHM)**[14] **के अंतर्गत** आती हैं।
- आशा कार्यक्रम का मूल उद्देश्य **समुदाय के सदस्यों को उनके अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में सक्षम** बनाना है। साथ ही, उन्हें स्वास्थ्य सेवा में भागीदार बनाना भी इसका उद्देश्य है।
- आशा कार्यकर्ताओं को **एक प्रक्रिया के माध्यम से चुना** जाता है। इस प्रक्रिया में **सामुदायिक समूह, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी संस्थान,** ब्लॉक नोडल अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी, ग्राम स्वास्थ्य समिति और ग्राम की सामान्य संस्था शामिल होती है।

आशा कार्यकर्ताओं के सामने आने वाली समस्याएं

- **अपर्याप्त प्रोत्साहन राशि:** चूंकि, **आशा कार्यकर्ताओं को "स्वयंसेवक" माना जाता है,** इसलिए सरकारें उन्हें वेतन देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इसलिए, मासिक वेतन की बजाय, उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है या कार्य-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है (जो अक्सर न्यूनतम मजदूरी से कम होता है)।
- **सामाजिक-सांस्कृतिक कारक:** ग्राम परिषद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम होता है। इस कारण से, ग्राम संबंधी मामलों में निर्णय लेने में उनकी भूमिका बहुत कम होती है। इसलिए, आशा कार्यकर्ताओं के लिए सामुदायिक कार्रवाई शुरू करना कठिन होता है।
- **खराब बुनियादी ढांचा:** दूरदराज के गांवों की सड़कें खराब होती हैं। अपर्याप्त परिवहन जैसे कारकों के कारण कार्यकर्ताओं को अपने नियमित कार्य करने में कठिनाई होती है।
- **अधिक कार्यभार:** नियमित कार्यों के अलावा, आशा कार्यकर्ताओं को अपनी भूमिकाओं के दायरे से बाहर अन्य कार्य (अन्य सरकारी विभागों से) भी करने पड़ते हैं।
- **अन्य हतोत्साहित करने वाले कारक:** इसमें दवाओं और प्रशिक्षण की कमी, पारिवारिक अस्वीकृति, रेफरल केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मचारियों का व्यवहार तथा सहायक नर्स मिडवाइफ /आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा असहयोग जैसे कारण शामिल हैं।

आगे की राह

- **रोजगार की स्थिति में सुधार:** भारतीय राज्यों को आशा कार्यकर्ताओं के लिए निश्चित मासिक भुगतान की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं को स्थायी कर्मचारी बनाने के बाद उन्नत और समय-समय पर प्रोत्साहन के लिए तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

---

[14] National Rural Health Mission

- **क्षमता निर्माण:** क्षमता निर्माण के लिए मूल रूप से ही संस्थागत तंत्र बनाए जाने चाहिए। साथ ही, आशा कार्यकर्ताओं की प्रोन्नति के लिए ANM, सार्वजनिक स्वास्थ्य नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों जैसे अन्य संवर्गों में जाने के रास्ते खोले जाने चाहिए।
- **बाहरी समीक्षा की आवश्यकता:** कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के दृष्टिकोण को समझने के लिए कार्यक्रम की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए। साथ ही, आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन और उन्हें बनाए रखने के लिए रणनीतियों को मजबूत करना चाहिए।
- **सामुदायिक संवेदीकरण:** समुदाय को संवेदनशील बनाकर तथा आशा कार्यकर्ताओं की नौकरियों और जिम्मेदारियों के बारे में समुदाय के ज्ञान को बढ़ाकर आशा कार्यक्रम की सफलता व स्थिरता में वृद्धि की जा सकती है।

2.3. प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (Pradhan Mantri-Jan Arogya Yojana: PM-JAY)

सुर्ख़ियों में क्यों?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने PM-JAY के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज, 2022 का एक नया संस्करण जारी किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- 2022 के स्वास्थ्य लाभ पैकेज में **365 नई प्रक्रियाओं** को जोड़ा गया है। इसमें शहर के प्रकार और देखभाल के स्तर के आधार पर मूल्यों में अंतर निर्धारित किए गए हैं। **ICD-11** (बीमारी का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण) और **स्वास्थ्य हस्तक्षेप के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण** के माध्यम से रोगी वर्गीकरण प्रणाली की एक नई पहल को भी शामिल किया गया है।

PM-JAY के बारे में

- PM-JAY आयुष्मान भारत के तहत प्रारंभ किए गए दो घटकों में से एक है। गौरतलब है कि आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) द्वारा अनुशंसित, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने के लिए 2018 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक फ्लैगशिप योजना है।
- PM-JAY दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें लाभार्थी परिवारों को 17.35 करोड़ कार्ड (2022 तक) जारी किए गए हैं।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना 2011 (SECC 2011) के अंतर्गत उल्लिखित वंचना, व्यावसायिक मानदंड आदि पर आधारित है।
  - कैशलेस स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के माध्यम से **स्वास्थ्य पर आउट ऑफ़ पॉकेट खर्च को कम करना**। इससे लगभग 6 करोड़ भारतीयों को हर साल गरीबी रेखा से नीचे जाने से रोकने में मदद मिलेगी।
  - देश भर में योजना के लाभों की पोर्टेबिलिटी;
  - सेवाओं की विस्तृत श्रृंखला (1393 प्रक्रियाएं) के साथ-साथ पहले से मौजूद स्थितियों को कवर करना।
  - अस्पताल में भर्ती होने से पहले (3 दिनों तक) और अस्पताल में भर्ती होने के बाद (15 दिनों तक) के खर्चों को कवर करना।

महामारी के दौरान योजना का प्रदर्शन

- **अस्पताल में भर्ती होने की सीमा:** पिछले दो वर्षों में PM-JAY के तहत कोविड-19 के 8.3 लाख मरीजों का इलाज किया गया है।
- **लाभार्थियों का प्रतिशत:** कुछ स्वतंत्र अध्ययनों से पता चला है कि कोविड-19 (अप्रैल 2020-जून 2021 तक) के लिए अस्पताल में भर्ती केवल 14.25% लोगों को ही PM-JAY का लाभ मिला।

निष्कर्ष

PM-JAY 'अच्छे स्वास्थ्य और भलाई' (SDG3) को पूरा करने के लिए कुछ अनूठे प्रयास करता है। इसकी अंतर्निहित प्रतिबद्धता में 'किसी को पीछे नहीं छोड़ना' शामिल है। इस प्रतिबद्धता को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के बीच नवीन तंत्र और साझेदारी की सहायता से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में परिवर्तन की आवश्यकता है। इन हितधारकों में केंद्र और राज्य सरकार, निजी अस्पताल, नागरिक, गैर सरकारी संगठन/ SHGs आदि शामिल हैं।

2.4. स्वास्थ्य अवसंरचना का डिजिटलीकरण (Digitalisation of Health Infrastructure)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकार ने सूचना दी है कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM)[15] के तहत लगभग **11.9 लाख स्वास्थ्य पहचान पत्र (IDs)** तैयार किए गए हैं।

NDHM के बारे में

- NDHM को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2017) के अंतर्गत शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य भारत में **स्वास्थ्य सेवा को डिजिटाइज़** करना है। यह **डिजिटल हाइवेज़ के माध्यम से** हेल्थकेयर परिवेश के **विभिन्न हितधारकों के बीच मौजूदा अंतर को समाप्त** करेगा।
- इसका उद्देश्य समग्र रूप से स्वास्थ्य सेवा वितरण की **दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता** में सुधार करना है। साथ ही, इसका उद्देश्य स्वास्थ्य से संबंधित SDGs को प्राप्त करना भी है।

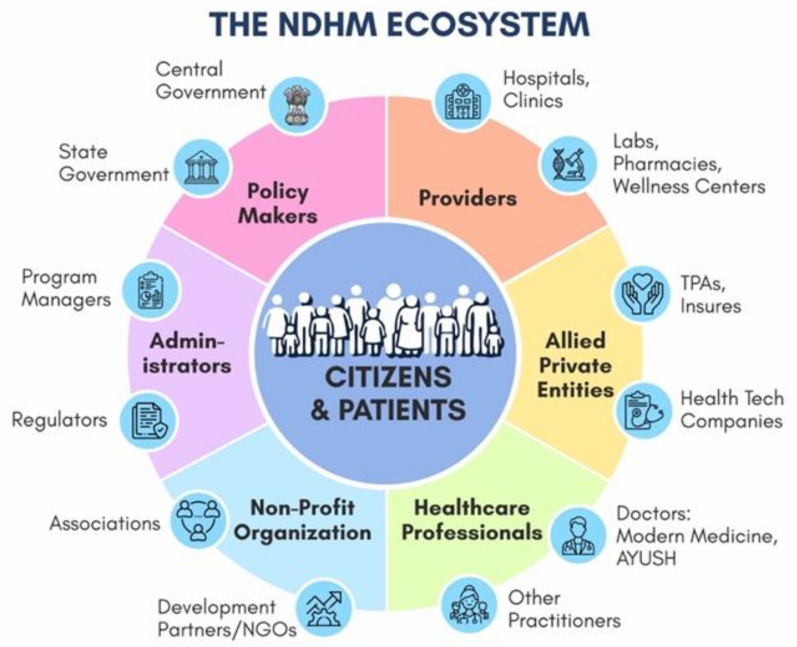

स्वास्थ्य सेवा का डिजिटलीकरण

- **परिभाषा:** स्वास्थ्य देखभाल के डिजिटलीकरण का अर्थ रोगियों की चिकित्सा देखभाल और पर्यवेक्षण में सुधार के उद्देश्य से **आई. टी. अनुप्रयोगों या आई. टी. प्रौद्योगिकियों के साथ चिकित्सा ज्ञान** को एकीकृत करना है।
    - डिजिटल हेल्थकेयर में **टेलीमेडिसिन, रोबोट-असिस्टेड सर्जरी, सेल्फ-मॉनिटरिंग हेल्थकेयर डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, ई-फार्मेसी, ई-बीमा** आदि शामिल हैं।

[15] National Digital Health Mission

- **अवसर:** भारत ने आई. टी. क्षमता, मोबाइल प्रौद्योगिकियों को तेजी से अपनाते हुए व्यापक ब्रॉडबैंड नेटवर्क सेवाओं को बढ़ाया है। इससे भारत डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल को अपनाने के लिए एक मॉडल के रूप में सामने आया है।

स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण के समक्ष चुनौतियां

- **केंद्र-राज्य संघर्ष:** स्वास्थ्य **राज्य सूची** का एक विषय है। इसलिए केंद्रीय स्तर से यह तय करना संभव नहीं होगा कि इन प्रणालियों को कैसा दिखना चाहिए। हालांकि, राज्य भी केंद्रीय नेतृत्व के बिना अपने दम पर इन प्रणालियों का राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने में सक्षम नहीं होंगे।

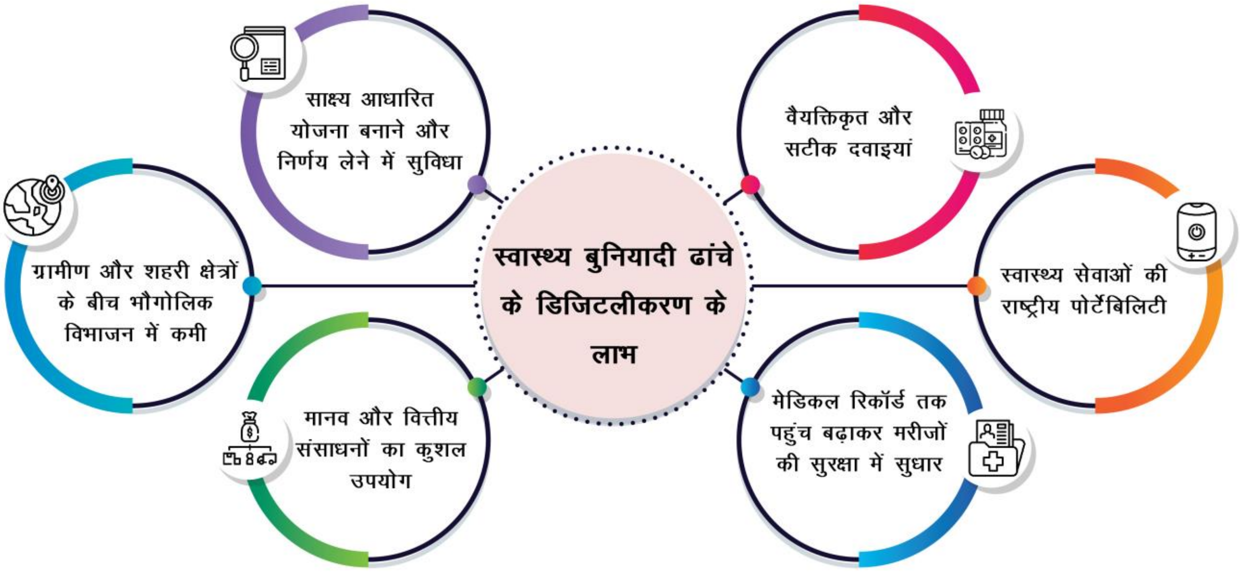

- **अपर्याप्त बुनियादी ढांचा:** कुछ अपवादों को छोड़कर, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में, विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs)[19] में बहुत कम कम्प्यूटरीकरण हुआ है। इसके अलावा, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक अस्पतालों में भी यही स्थिति है।
- **खंडित हेल्थकेयर डिलीवरी:** छोटे-छोटे स्वस्थ्य केंद्रों की संख्या बहुत अधिक है। इनके पास तकनीकी क्षमताएं सीमित हैं। ऐसे में ये न तो किफायती हैं और न ही लाभप्रद। इससे स्वास्थ्य क्षेत्र को एकीकृत करने का कार्य कठिन और महंगा होता जा रहा है।
- **प्रभावशाली स्वास्थ्य आई.टी. (Health IT: HIT) विक्रेताओं या उद्यमियों की कमी:** बाजार में बड़े और प्रभुत्वशाली अभिकर्ताओं के होने का लाभ यह है कि उनके द्वारा पूर्ण पूंजीकरण की संभावना अधिक रहती है। इसके कारण वे निरंतर नवाचार को वित्तपोषित करने में सक्षम होते हैं।
- **अन्य चुनौतियां:** इंटरनेट तक पहुँच, डेटा सुरक्षा, सूचना मानक आदि।

आगे की राह

- **आधार का लाभ उठाना:** आधार का उपयोग रोगियों से संबंधित सभी डेटा को डिजिटाइज़ करने के लिए किया जा सकता है। यह सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ-साथ नैदानिक केंद्रों, प्रयोगशालाओं तथा चिकित्सा की सभी प्रणालियों के समस्त चिकित्सकों के पास उपलब्ध डेटा को डिजिटाइज़ करने के लिए किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य सेवा के डिजिटलीकरण हेतु अन्य पहलें

- **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट (NDHB)**[16] इसका उद्देश्य एक व्यापक और समग्र तरीके से एकीकृत डिजिटल सेवाओं में परिवर्तन करना है।
- टेलीमेडिसिन, टेली-रेडियोलॉजी, टेली-ऑन्कोलॉजी, टेली-नेत्र विज्ञान और अस्पताल सूचना प्रणाली (HIS)[17] जैसी सेवाओं के लिए **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM)[18] के तहत राज्यों को सहायता।**
- **नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक,** सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में केंद्र तथा राज्य दोनों द्वारा उपयोग करने योग्य राष्ट्रीय स्तर का साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य में विविध समाधानों के तीव्र निर्माण को सक्षम करना है।
- देश भर में टेली-परामर्श सेवाओं के विनियमन और विविधीकरण के लिए **टेलीमेडिसिन कार्य दिशा-निर्देश, 2020 मौजूद** हैं।

[16] National Digital Health Blueprint

[17] Hospital Information System

[18] National Health Mission

[19] Primary Health Centres

- **डेटा साझा करने के लिए सहमति:** किसी भी व्यक्ति (रोगी, डॉक्टर, आदि) के बारे में डेटा उस व्यक्ति के ही नियंत्रण में होना चाहिए। साथ ही, उस डेटा को रखने वाली किसी भी संस्था को डेटा साझा करने या इसे अन्य तरीकों से संसाधित करने से पहले वैध सहमति प्राप्त करनी चाहिए।
- **टेलीमेडिसिन सेवाओं का प्रवेश:** मौजूदा PHC, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों तथा उपकेंद्रों को अपने केंद्रों में टेलीमेडिसिन शिक्षा शुरू करनी चाहिए। डिजिटल परामर्श प्रदान करने के लिए उन्हें उच्च, विशिष्ट अस्पतालों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
    - ग्रामीण परिवेश में मॉडल डिजिटल स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने चाहिए। इन केंद्रों में कम-से-कम एक MBBS, या एक आयुष चिकित्सक के साथ एक फार्मासिस्ट और आई. टी. ऑपरेटर होना चाहिए।
- **कम लागत वाली दवा वितरण:** सरकार की मेगा जन औषधि योजना को ई-फार्मेसी ड्राइव के साथ जोड़कर यह सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही, ई-फार्मेसियों, जैसे- 1mg, नेटमेड्स आदि के साथ गठजोड़ पर विचार करने की आवश्यकता है।

2.5. भारत में द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल (Secondary Health Care in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा WHO-भारत के सहयोग से "जिला अस्पतालों के कामकाज में अपनाये जा रहे तौर-तरीके" शीर्षक से एक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की है।

द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल के बारे में

- यह **स्वास्थ्य प्रणाली के दूसरे स्तर** को संदर्भित करता **है।** इसमें **प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के रोगियों** को उपचार के लिए **उच्च अस्पतालों के विशेषज्ञों** के पास भेजा जाता है।
- इसकी व्यवस्था **जिला या क्षेत्रीय अस्पतालों द्वारा** की जाती है। ये अस्पताल आपातकालीन देखभाल सहित आउट पेशेंट परामर्श और इनपेशेंट सेवाएं प्रदान करते हैं।

नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) दिशा-निर्देश दस्तावेज़ के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए मॉडल प्रारूप रियायत समझौता

- इसका उद्देश्य **योग्य चिकित्सकों की कमी और चिकित्सा शिक्षा में विद्यमान अंतराल का निवारण करना था।**
    - प्रस्तावित PPP मॉडल के तहत, नीति आयोग के अनुसार रियायतग्राही वार्षिक रूप से न्यूनतम 150 एमबीबीएस की सीटों पर प्रवेश देने वाले **मेडिकल कॉलेज के डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और रखरखाव** के लिए उत्तरदायी होगा। साथ ही, **संबद्ध जिला अस्पताल** का उन्नयन, संचालन एवं रखरखाव भी करेगा।
- **इस प्रकार के समझौते का लाभ**
    - यह केंद्र / राज्य सरकार को **अपने सीमित संसाधनों और वित्त व्यवस्था को बढ़ाकर** चिकित्सा शिक्षा में विद्यमान अंतराल को समाप्त करने में मदद करेगा।
    - यह जिला स्तर पर **विशेष स्वास्थ्य सेवाओं की** उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करेगा।
    - यह इन अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करने में **निजी क्षेत्र की प्रबंधन क्षमता का लाभ उठाने में भी** मदद करेगा।
- **इस प्रकार की व्यवस्था के विरुद्ध व्यक्त की गई चिंताएं**
    - चूंकि, रियायतग्राही को रोगियों से शुल्क लेने की अनुमति दी जाएगी, इसलिए इससे **कमजोर वर्ग इनकी सुविधा प्राप्त करने वंचित हो सकते हैं।**
    - रियायतग्राही **को अत्यंत कम शुल्क पर अस्पताल सौंप दिए जाएंगे।** इसमें उनसे अपेक्षित स्वास्थ्य परिणामों का कोई उल्लेख नहीं होगा। इसके कारण **जवाबदेही से संबंधित समस्याएं उत्पन्न** हो सकती हैं।
    - चिकित्सा शिक्षा पहले ही बहुत महंगी है तथा अधिकतम योग्य छात्रों की पहुंच से बाहर है। **निजी क्षेत्रक में इतने अधिक कॉलेज और जुड़ जाने से इस प्रकार के छात्र प्रवेश के अवसर प्राप्त करने से वंचित हो जाएंगे।**

द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल में चुनौतियां

- **कम स्वास्थ्य देखभाल खर्च:** वर्ष 2008-09 और वर्ष 2019-20 के मध्य, भारत का समग्र सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय (केंद्र और राज्य खर्च का योग) **सकल घरेलू उत्पाद के 1.2% से 1.6% के** बीच था।
- **उपलब्धता में क्षेत्रीय असमानता:** लगभग 80 प्रतिशत डॉक्टर, 75 प्रतिशत औषधालय और 60 प्रतिशत अस्पताल शहरी क्षेत्रों में हैं।
- **कमजोर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) क्षेत्रक:** भारत में 60% PHCs में केवल एक चिकित्सक है, जबकि लगभग 5% में एक भी चिकित्सक नहीं है। भारत में प्राथमिक देखभाल से द्वितीयक और तृतीयक तक अपर्याप्त फीडर (प्रदायक) प्रणाली है। इससे न केवल रोगियों का सही ढंग से चयन करके रेफर करने की प्रक्रिया (फ़िल्टरिंग) प्रभावित होती है, बल्कि रोगों की रोकथाम और प्रारंभिक पहचान पर भी गहरा असर पड़ता है।
- **कुशल कार्यबल की अनुपलब्धता:** भारत को वर्तमान में अपनी आबादी के लिए (कुल मिलाकर) 6.4 मिलियन अतिरिक्त स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की जरूरत है।

- **महामारी से निपटने की क्षमता का अभाव:** देशों के लिए महामारी से निपटने हेतु तत्परताओं को मापने वाले वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक ने भारत को 57वां स्थान प्रदान किया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका (1) और ब्राज़ील (22) से अत्यधिक निम्न है।
- **कमजोर शासन और जवाबदेही:** गोरखपुर अस्पताल, छत्तीसगढ़ नसबंदी शिविर और कोलकाता अस्पताल में हुई स्वास्थ्य संबंधी त्रासदियों और कई अन्य घटनाओं ने कोई भी दुर्घटना घटित होने पर जवाबदेही के मामले में गंभीर प्रश्न उत्पन्न किए हैं। सभी मामलों में, समस्याओं के मूल कारण को जाने बिना डॉक्टरों को या तो निलंबित कर दिया जाता है या उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।

आगे की राह

- **सकल घरेलू उत्पाद** का कम से कम 5%-6% तक **स्वास्थ्य सेवाओं में व्यय करना।**
- द्वितीयक स्तर पर दबाव कम करने के लिए **निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना।**
- प्रौद्योगिकी की सहायता से **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों का बेहतर प्रबंधन करना।**
- **मानव संसाधन:** नीति आयोग ने नए या मौजूदा निजी मेडिकल कॉलेजों को कार्यशील जिला अस्पताल से जोड़ने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल को लागू करने का सुझाव दिया है, ताकि मेडिकल सीटों को बढ़ाया जा सके।
- **विकेंद्रीकृत संस्थानों को तैयार करना:** स्वयं सहायता समूहों (SHGs), पंचायती राज संस्थानों (PRIs), आशा कार्यकर्ताओं, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त ANMs आदि जैसे विकेन्द्रीकृत संस्थानों/कर्मियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इससे गांव/जिला स्तर पर एक अनेक कुशलताएं रखने वाली टीम बनाई जा सकेगी।
- सब्सिडी वाले ऋणों, निर्धारित भूमि, सिंगल विंडो अनुमोदन, टैक्स हॉलिडे आदि के माध्यम से **निजी क्षेत्र की भागीदारी में सुधार करना।**
- स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों में सेवा, सच्चाई, गोपनीयता, स्वायत्तता, समुचित सूचना देकर सहमति प्राप्त करने तथा न्याय के नैतिक मूल्य विकसित करने की भी जरूरत है।
- **बीमा कवरेज को बढ़ाना चाहिए।**

2.6. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल (Health Insurance for India's Missing Middle)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग ने 'हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडियाज मिसिंग मिडिल' पर रिपोर्ट जारी की है।**

संबंधित तथ्य

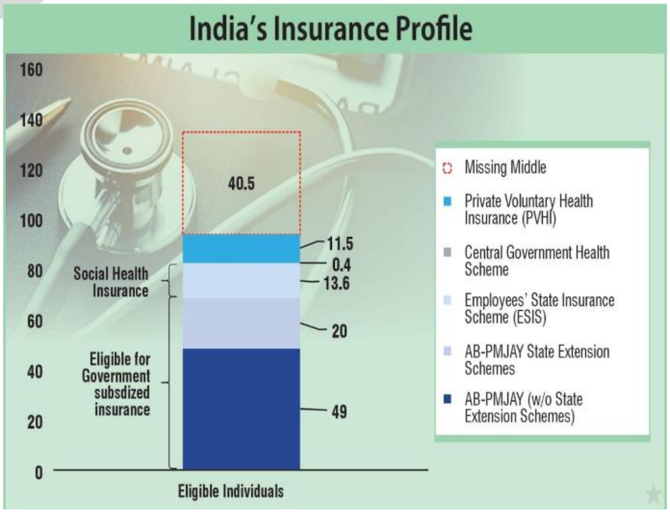

- भारत में स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण है। यह स्वास्थ्य बीमा को वैकल्पिक बनाने की अनुमति प्रदान करता है। भारत में कई प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं हैं।
  - केंद्र प्रायोजित **आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)** जैसी सरकारी सब्सिडी वाली स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और राज्य विशिष्ट योजनाएं जैसे **'आरोग्य कर्नाटक योजना'** इत्यादि।
  - कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)[20] द्वारा संचालित **कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS)** जैसी सामाजिक स्वास्थ्य बीमा (SHI)[21] योजनाएं।
  - **निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा (PVHI)**[22] योजनाएं आदि।

[20] Employee State Insurance Corporation

[21] Social Health Insurance

VISION IAS

- इस रिपोर्ट के अनुसार कम से कम **30% आबादी (40 करोड़ लोग) स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा से वंचित है।** इस आबादी को **मिसिंग मिडिल** कहा गया है।
  - मिसिंग मिडिल वंचित गरीब वर्गों और अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संपन्न संगठित क्षेत्र के बीच स्थित आबादी का गैर-निर्धन वर्ग है। यह वर्ग अंशदान वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान करने की वित्तीय क्षमता के बावजूद, निर्धन कर देने वाले स्वास्थ्य व्यय के प्रति प्रवण होता है।
  - यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार (कृषि और गैर-कृषि) अनौपचारिक क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक, अर्ध-औपचारिक एवं औपचारिक व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला का सृजन करता है।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में दबावकारी मुद्दों के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है

- **मिसिंग मिडिल आबादी के लिए कवरेज सुनिश्चित करने वाले अलग-अलग समय पर चरणबद्ध तीन मॉडल निम्नलिखित हैं:**
  - **अल्पावधि में,** वाणिज्यिक बीमाकर्ताओं के माध्यम से निजी स्वैच्छिक बीमा के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
  - **मध्यम अवधि में,** एक बार जब PMJAY और ESIC की आपूर्ति एवं उपयोग मजबूत हो जाता है, तो PMJAY प्लस उत्पाद या ESIC के मौजूदा चिकित्सा लाभों में स्वैच्छिक योगदान की अनुमति देने के लिए उनके बुनियादी ढांचे का लाभ उठाया जा सकता है।
  - **दीर्घावधि में,** एक बार जब कम लागत वाला स्वैच्छिक अंशदायी स्वास्थ्य बीमा बाजार विकसित हो जाता है, तब PMJAY के मिसिंग मिडिल के वंचित गरीब वर्ग तक विस्तार पर विचार किया जाना चाहिए।

- **सरकार की भूमिका:**
  - PMJAY **योजना के माध्यम से सरकारी सब्सिडी वाले स्वास्थ्य बीमा को लाभार्थियों के व्यापक समूह तक पहुंचाना।**
  - **आरोग्य संजीवनी' जैसा संशोधित व मानकीकृत स्वास्थ्य बीमा उत्पाद विकसित करना।**
  - **उपभोक्ताओं में जागरूकता को बढ़ाना, शिकायतों का त्वरित समाधान करना।**
- **बीमा कंपनियों की भूमिका:** भारत में बीमा कंपनियों को ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता दिखानी होगी। साथ ही, ऐसे उत्पादों को डिजाइन करना होगा, जो ग्रामीण लोगों के लिए उपयुक्त हों। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल वितरण तंत्र बनाने की भी आवश्यकता है। इसके अलावा, बीमा कंपनियों के लिए बीमा में प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की ओर बढ़ने का समय आ गया है।

2.7. लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य (Sexual and Reproductive Health: SRH)

सुर्ख़ियों में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच से संबंधित असमानताओं को प्रकट किया गया है।

[22] Private Voluntary Health Insurance

लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा अधिकारों (SRHR) के बारे में

- SRHR में **लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, देखभाल व सूचना तक पहुंच शामिल है। साथ ही, इसमें अपने लैंगिक व प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय लेने के मामले में स्वायत्तता भी सम्मिलित है।** इसमें, बच्चे पैदा करने के सही समय का चुनाव व उनके मध्य अंतराल संबंधी निर्णय भी शामिल है।
- ये **मानवाधिकार** सार्वभौमिक, अविभाज्य और निर्विवाद हैं।

SRHR से संबंधित चुनौतियां

- **सांस्कृतिक प्रथाएं:** परिवार नियोजन और गर्भपात के विरुद्ध सांस्कृतिक प्रथाएं व वैचारिक विरोध; किशोरावस्था में गर्भावस्था से संबंधित कलंक; युवाओं की लैंगिकता से संबंधित सांस्कृतिक रूढ़ियां आदि अक्सर इन सेवाओं तक पहुंच प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य देखभाल का अल्प वित्त पोषण:** निर्धन लोगों को, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को SRH तक पहुँच प्राप्त करने के लिए अत्यधिक सामाजिक एवं आर्थिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
- **जागरूकता और उचित सूचना का अभाव:** उन लोगों के लिए सूचना व सेवा प्राप्त करने से संबंधित कठिनाई और अधिक जटिल हो जाती है, जो लैंगिकता, लिंग अभिव्यक्ति व वैवाहिक स्थिति के आधार पर हाशिये पर स्थित हैं।
- **महिलाओं हेतु स्वतंत्रता का अभाव:** संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार अपने लैंगिक और प्रजनन अधिकारों को लेकर **केवल 57% महिलाएं** ही निर्णय लेने में सक्षम हैं।
- **मानकों और दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन से संबंधित असफलताएं: देविका बिस्वास वाद** में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि "बंध्याकरण कार्यक्रम आभासी रूप से महिला बंध्याकरण के लिए एक निर्मम अभियान" है। न्यायालय के अनुसार इसके तहत बंध्याकरण कार्यक्रम के लिए केवल अनौपचारिक लक्ष्यों की एक व्यवस्था स्थापित की गई है।
  - न्यायालय के अनुसार, राज्य नीतियों ने (जैसे अनौपचारिक लक्ष्यों का निर्धारण और नसबंदी करवाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना आदि) कमज़ोर वर्गों के जनन अधिकारों का अतिक्रमण किया है। ऐसे वर्ग की खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति उनके साथ होने वाली उत्पीड़न की संभावना को बढ़ाती है। ऐसे में उनके पास कोई सार्थक विकल्प चुनने का अवसर नहीं रह जाता है।
  - न्यायालय ने यह भी माना कि बंध्याकरण को लेकर दिया जाने वाला प्रोत्साहन लैंगिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए।
- **महामारी के दौरान उपेक्षा:** कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन, गतिविधियों पर प्रतिबंध और वित्त के अन्यत्र उपयोग ने आवश्यक SRHR तक पहुँच को गंभीर रूप से बाधित किया है।

आगे की राह

- आयु, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक अवस्था, रंग या नस्ल, लैंगिक रुझान तथा लैंगिक पहचान की परवाह किए बिना व्यक्तियों की SRH सूचनाओं और सेवाओं (विशेषकर जिन्हें इनकी आवश्यकता हो) तक सुलभ एवं वहनीय पहुंच को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- लैंगिक समानता और महिला की स्वायत्ता को बढ़ावा देना चाहिए तथा गर्भपात कानूनों का उदारीकरण करना चाहिए। साथ ही, विविध लैंगिक रुझान, लैंगिक पहचान और अभिव्यक्ति वाले व्यक्तियों के प्रति भेदभाव पर प्रतिबंध लगाना होगा।
- लैंगिक और प्रजनन स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए **व्यापक लैंगिक शिक्षा का क्रियान्वयन** एक महत्वपूर्ण घटक सिद्ध हो सकता है। लैंगिक सूचनाओं और शिक्षा का महत्व, **लैंगिकता से संबद्ध व्यापक रूढ़ियों तथा मिथ्या धारणाओं को दूर** करने के एक साधन के

रूप में विकसित हुआ है। साथ ही, ये महिलाओं के खिलाफ़ सुनियोजित घरेलू हिंसा की दृढ़ मौजूदगी को दूर करने, यौन संचारित रोगों के उच्च स्तर को कम करने आदि में भी मदद करेंगे।

- ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की जानी चाहिए, जो SRHR में पुरुषों को **सहयोगी सहभागी बनने के लिए प्रेरित** करे।
- प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्तरीय सेवाओं में **लोक स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे में मौजूदा गहरे अंतराल को दूर करने हेतु प्रयास** किए जाने चाहिए।

2.8. सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 {Surrogacy (Regulation) Rules, 2022}

सुर्ख़ियों में क्यों?

सरकार ने **सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022** जारी किए हैं।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के बारे में

- **सरोगेसी को परिभाषित करता है:** इस अधिनियम के अनुसार **सरोगेसी एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक महिला किसी इच्छुक दंपति के लिए गर्भधारण करती है** और बच्चे को जन्म देती है। इसका उद्देश्य जन्म के बाद बच्चे को इच्छुक दंपति को सौंपना है।
- **सरोगेसी का विनियमन:**
  - यह कानून **वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित** करता है, लेकिन **परोपकारी सरोगेसी की अनुमति** देता है।
  - सरोगेसी की अनुमति तब दी जाती है जब यह,
    - उन इच्छुक दम्पति के लिए हो, जो बांझपन से पीड़ित हैं;
    - केवल परोपकारी सरोगेसी उद्देश्यों के लिए हो;
    - वाणिज्यिक उद्देश्य से, वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य रूपों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हो, तथा
    - विनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी भी स्थिति या बीमारी के लिए हो।
  - **सरोगेसी क्लिनिक्स का पंजीकरण** अनिवार्य कर दिया गया है।
  - केंद्र और राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने एवं मूल्यांकन करने के लिए **एक या अधिक उपयुक्त अधिकारियों** की नियुक्ति कर सकेंगी।
- **सरोगेट माता के लिए पात्रता मानदंड:** निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं-
  - एक **विवाहित महिला जिसका स्वयं का एक बच्चा हो** और जिसकी आयु 25 से 35 वर्ष है;
  - अपने **जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट हो;**
  - सरोगेसी के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
- **दम्पतियों के लिए पात्रता मानदंड:** इच्छुक दम्पति के पास उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी **"आवश्यकता का प्रमाण-पत्र"** और **"पात्रता का प्रमाण-पत्र[24]"** होना चाहिए।

सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के बारे में

- ये नियम निम्नलिखित से संबंधित हैं:
  - सरोगेसी क्लीनिक के पंजीकरण के लिए **फॉर्म और रीति,**
  - सरोगेसी क्लीनिक के पंजीकरण के लिए **फीस,**
  - एक **पंजीकृत सरोगेसी क्लीनिक** में नियोजित व्यक्तियों की आवश्यकता व योग्यता आदि।
- **नियमों की प्रमुख विशेषताएं:**
  - सरोगेट माता पर कोई भी **सरोगेट प्रक्रिया तीन बार से ज़्यादा नहीं** की जा सकती है।
  - **गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971[23]** के अनुसार सरोगेट माता को डॉक्टर के परामर्श से सरोगेसी के दौरान **गर्भपात कराने की अनुमति** है।
  - सरोगेट माता को एक समझौते के माध्यम से **बच्चे पर अपने सारे अधिकार त्यागने की सहमति** देनी होगी। उसे बच्चे/ बच्चों को निम्नलिखित में से किसी को सौंपना होगा:
    - **इच्छुक दंपति** को या,
    - यदि सरोगेट माता की प्रेगनेंसी के दौरान इच्छुक दंपति अलग हो जाते हैं या दोनों की मृत्यु हो जाती है, तो इच्छुक दंपति द्वारा **नियुक्त/पूर्व नियुक्त व्यक्ति को** या
    - प्रेगनेंसी के दौरान यदि इच्छुक दंपति में से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, तो **दूसरे जीवित साथी को।**
    - इच्छुक दंपति को सरोगेट माता के लिए 36 माह की अवधि का एक सामान्य स्वास्थ्य बीमा कवर खरीदना होगा। यह कवर **'भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण'** (IRDAI) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बीमा कंपनी/ एजेंसी से लेना होगा।

---

[23] Medical Termination of Pregnancy Act, 1971

[24] certificate of essentiality and certificate of eligibility

- **इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित नई इकाइयों का गठन किया गया है:**
    - केन्द्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा **राष्ट्रीय सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी (NART)**[25] **और सरोगेसी बोर्ड।** इसका अध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है। **इसके निम्नलिखित कार्य हैं:**
        - सरोगेसी से संबंधित नीतिगत मामलों पर **केंद्र सरकार को सलाह देना**;
        - अधिनियम के कार्यान्वयन की **समीक्षा और निगरानी** करना,
        - सरोगेसी क्लीनिक्स के लिए **आचार संहिता निर्धारित करना;**
        - सरोगेसी क्लीनिक्स के भौतिक बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरण एवं विशेषज्ञ समूहों के लिए **न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना;**
        - अधिनियम के तहत गठित विभिन्न निकायों के प्रदर्शन की निगरानी करना;
        - राज्य से सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों के कामकाज की निगरानी करना।
        - प्रत्येक राज्य और विधानमंडल वाले केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर **राज्य सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड।**
- **अन्य विशेषताएं:**
    - सरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को इच्छुक दंपति या इच्छुक महिला की जैविक संतान माना जाएगा।
    - सरोगेट बच्चे के **गर्भपात** के लिए **सरोगेट माता की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति** की आवश्यकता होती है। यह अनुमति **गर्भपात की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम, 1971**[26] के अनुरूप होनी चाहिए।
    - **अपराध के लिए दंड और जुर्माना:** 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

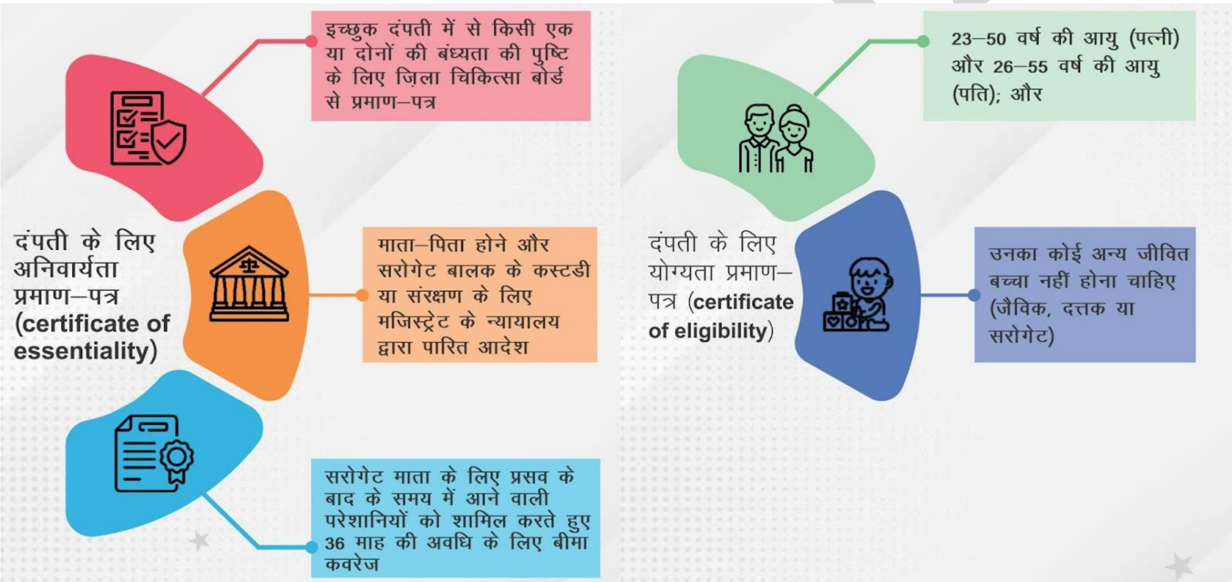

अधिनियम से संबंधित मुद्दे:

- **अपवर्जनात्मक प्रवृत्ति:** यह अधिनियम केवल कानूनी रूप से विवाहित महिला और पुरुष को ही सरोगेसी सेवाएं लेने की अनुमति देता है। यह **'नॉन-बाइनरी'** और '**समान लिंग वाले युगलों** को सरोगेसी के ज़रिए संतान प्राप्त करने से रोकता है।
    - **देविका विश्वास बनाम भारत संघ** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **प्रजनन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का एक अनिवार्य पहलू है।**
- **'बंध्यता' की परिभाषा में समस्याएं:** 'बंध्यता' के अर्थ को केवल गर्भ धारण करने की असमर्थता (बांझपन) तक ही सीमित रखा गया है। इसमें उन सभी मामलों को शामिल नहीं किया गया है, जिनकी वजह से एक दंपत्ति बच्चा पैदा करने में असमर्थ होता है।
- **व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतिबंध** सरोगेट की आय के स्रोत को वैध नहीं मानता है। इसके कारण, महिलाओं के स्वैच्छिक रूप से सरोगेट माता बनने का विकल्प सीमित हो जाता है।

---

[25] National Assisted Reproductive Technology

[26] Medical Termination of Pregnancy Act, 1971

आगे की राह

- **प्रसव के बाद होने वाले अवसाद संबंधी देखभाल:** सरकार को प्रसव बाद के अवसाद को ध्यान में रखना चाहिए और इसके लिए प्रावधान करना चाहिए। साथ ही, मातृत्व लाभ दोनों माताओं को दिया जाना चाहिए।
- **आई.वी.एफ. उपचार के लिए समय-सीमा को समाप्त करना:** सरकार को लोगों को सरोगेसी का सहारा लेने की अनुमति देने से पहले आई.वी.एफ. उपचार के लिए निर्धारित समय को समाप्त करने पर विचार करना चाहिए। इसका कारण यह है कि कई महिलाएं बच्चे पैदा करने के लिए चिकित्सकीय रूप से अनुपयुक्त होती हैं। साथ ही, कुछ कम-ज्ञात और अनिर्धारित बीमारियों से पीड़ित हैं जैसे " टोकोफोबिया "या बच्चे के जन्म का डर इत्यादि।
- **व्यावसायिक सरोगेसी को शामिल करने के लिए सरोगेसी के विकल्प का समय से परे विस्तार:** उचित सुरक्षा उपायों के साथ सरोगेसी बाजार का विस्तार करने से बच्चे के प्यार से वंचित लोगों को मदद मिलेगी।

2.9. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (Medical Termination of Pregnancy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने **गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (MTP अधिनियम), 1971 की धारा 6 के तहत, गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम (संशोधन) नियम, 2021** अधिसूचित किए हैं।

नए नियमों की मुख्य विशेषताएं

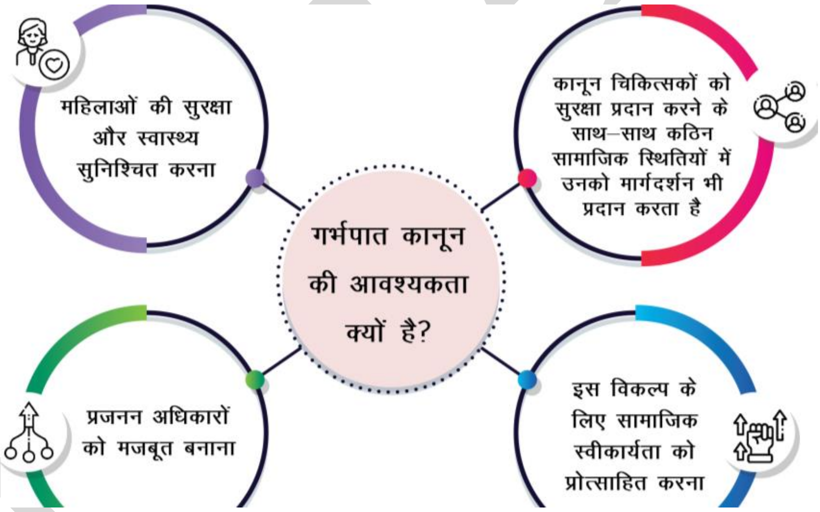

- इसमें **राज्य स्तरीय चिकित्सा बोर्ड** (2021 में MTP अधिनियम, 1971 में हुए नवीनतम संशोधनों के माध्यम से स्थापित किया जाएगा) **की शक्तियों और कार्यों** को परिभाषित किया गया है, जैसे:
  - गर्भ के चिकित्सकीय समापन के लिए पहुंचने पर, **महिला और उसकी रिपोर्टों की जांच करना,**
  - **गर्भावधि 24 हफ्ते से अधिक होने पर, गर्भ के समापन की अनुमति देना या नहीं देना तथा महिलाओं के लिए पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करना।** इसके अतिरिक्त, निर्धारित समयसीमा के भीतर जीवन को संभावित खतरे या **भ्रूण** की आजीवन शारीरिक और मानसिक **विकृति** की पहचान करना।
  - गर्भ के समापन का निर्णय लेने के लिए **बोर्ड में अन्य विशेषज्ञों को सम्मिलित करना और** आवश्यकता पड़ने पर **अतिरिक्त जांच का आग्रह करना।**
- **इसमें उन महिलाओं की श्रेणियों को चिह्नित किया गया है** जो 24 हफ्ते तक के **गर्भ के समापन के लिए पात्र हैं** जैसे-
  - यौन उत्पीड़न या बलात्कार या परिवार के सदस्यों द्वारा यौन उत्पीड़न की पीड़िताएं; नाबालिग;
  - गर्भ के दौरान वैवाहिक स्थिति में परिवर्तन (विधवा हो जाना और तलाक);
  - शारीरिक विकलांगता से पीड़ित महिलाएं (2016 अधिनियम की शर्तों के अनुसार);
  - मानसिक मंदता से पीड़ित समेत मानसिक रूप से बीमार महिलाएं;
  - भ्रूण संबंधित विसंगतियां जिसके कारण जीवन को बड़ा खतरा हो सकता है या शारीरिक और मानसिक विसंगतियों के कारण गंभीर रूप से विकलांगता हो सकती है; और
  - मानवीय त्रासदी वाली स्थिति या आपदा या आपातकालीन स्थिति, जैसा कि सरकार द्वारा घोषित किया गया है, में गर्भवती महिलाएं।
- 9 हफ्ते, 12 हफ्ते, 12-20 हफ्ते आदि तक के गर्भ के समापन के लिए, **पंजीकृत चिकित्सकों के लिए पात्रता की शर्तों का उल्लेख किया गया है।**

MTP अधिनियम, 1971 और MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बीच तुलना

विशेषताएं	MTP अधिनियम, 1971	MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021
गर्भधारण के बाद से 12 सप्ताह तक का समय	• **एक चिकित्सक** की सलाह	• **एक चिकित्सक** की सलाह
गर्भधारण के पश्चात से 12 से 20 सप्ताह का समय	• **दो चिकित्सक** की सलाह	• **एक चिकित्सक** की सलाह
गर्भधारण के उपरांत से 20 से 24 सप्ताह का समय	• अनुमति नहीं	• कुछ श्रेणियों की गर्भवती महिलाओं के लिए **दो चिकित्सकों की सलाह**
गर्भधारण के बाद से 24 सप्ताह से अधिक का समय	• अनुमति नहीं	• बहुत अधिक भ्रूण असामान्यता की स्थिति में चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाता है।
गर्भधारण के दौरान किसी भी समय	• यदि गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो, तो **एक चिकित्सक द्वारा सद्भाव से परिपूर्ण परामर्श देना।**	• यदि गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो, तो **एक चिकित्सक द्वारा सद्भाव से परिपूर्ण परामर्श देना।**
गर्भनिरोधक विधि या युक्ति की विफलता के कारण समापन	• **विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह की अवधि तक** गर्भ का समापन किया जा सकता है	• यह विधेयक **अविवाहित महिलाओं को** भी इस कारण से **गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है।**
चिकित्सा बोर्ड	• ऐसा कोई प्रावधान नहीं, **केवल पंजीकृत चिकित्सक ही** गर्भ का समापन करने का **निर्णय ले** सकते हैं।	• **केवल चिकित्सा बोर्ड द्वारा ही सुनिश्चित किया जाएगा** कि क्या बहुत अधिक भ्रूण असामान्यताओं के कारण **24 सप्ताह के उपरांत गर्भ का समापन किया जा सकता है।** • सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकार चिकित्सा बोर्ड का गठन करेंगी। इस बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट/ सोनोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सदस्य शामिल होंगे।
गोपनीयता और दंड	• कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी भी विनियमन की आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है या जानबूझकर पालन करने में विफल रहता है, तो उस व्यक्ति को **अर्थदंड से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है।**	• **पंजीकृत चिकित्सक द्वारा** जिस महिला की गर्भावस्था समाप्त हो गई है, उसकी जानकारी केवल विधि द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को ही प्रदान की जा सकती है। • उल्लंघन करने पर **एक वर्ष तक का कारावास, अर्थदंड या दोनों** से दंडनीय होगा ।

गर्भपात के मुद्दे का सार क्या है: जीवन समर्थक बनाम पसंद समर्थक परिचर्चा

पसंद समर्थक आंदोलन (मां के हित को ध्यान में रखता है)	जीवन समर्थक आंदोलन (बच्चे के हित को ध्यान में रखता है)
• महिलाओं का उनके शरीर पर पूरा अधिकार है, • जन्म दोष (आनुवंशिक विसंगतियां) जो घातक (मृत्यु का कारण) होते हैं या आजीवन पीड़ा का कारण बनते हैं, इसका माता-पिता पर भारी बोझ पड़ता है। उनको नैतिक संकट और अभिघातजन्य तनाव के कारण जीवन भर पीड़ा भुगतनी पड़ती है। • सरकार महिलाओं की आयु (नाबालिग) और मानसिक स्वास्थ्य (मानसिक रूप से बीमार) की अनदेखी नहीं कर सकती। • बलात्कार पीड़ितों को गर्भ की समाप्ति पर अपनी पसंद की स्वतंत्रता	• भ्रूण का व्यक्ति के रूप में विकसित होने का अधिकार, • **लिंग-निर्धारण के लिए** प्रसव पूर्व निदान का दुरुपयोग **और हमारे समाज में ऐसी तकनीकों की दुर्लभ उपलब्धता। जन्म दोषों का तो इलाज भविष्य में मिल सकता है** • मानवता के **विरुद्ध** और **सरकार का दायित्व है कि भ्रूण समेत सभी के जीवन की रक्षा करे। उदाहरण के लिए, टेक्सस का गर्भपात निरोधी कानून** (अगर चिकित्सक को पता चलता है कि बच्चे की धड़कन चल रही है, तो गर्भपात रोक दिया जाएगा)

होनी चाहिए। • अवांछित रूप से किसी भी बच्चे को जन्म देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।	

MTP अधिनियम को भारत में कार्यान्वित करने की चुनौतियां

* **योग्य डॉक्टरों की कमी: राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार सर्वेक्षण, 2015-16** के अनुसार, भारत में पंजीकृत चिकित्सक द्वारा केवल **53% गर्भपात** कराया जाता है, जबकि शेष किसी नर्स, सहायक नर्स, स्वयं के परिवार के सदस्य द्वारा कराया जाता है।
* **स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी:** प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है।
* **कानून के संबंध में जागरूकता की कमी:** इससे कानून का कार्यान्वियन और लागू किया जाना बहुत मुश्किल हो जाता है।
* **सामाजिक कलंक:** कई मामलों में, निजता के हनन, बलात्कार के शिकार आदि जैसे मुद्दों के कारण, परिवार के लोग गर्भपात के औपचारिक साधनों का उपयोग करने से बचते हैं।
* **धार्मिक विरोध:** कई अभिलेख और धार्मिक ग्रंथों में, किसी न किसी रूप में, गर्भपात का विरोध किया गया है। इससे, गर्भपात को सामाजिक स्वीकृति नहीं मिल पाती और इसलिए कानून का सीमित उपयोग किया जाता है।

आगे की राह

गर्भ के चिकित्सकीय समापन का नियमन महिला और बच्चे के इर्द-गिर्द केंद्रित होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए, **महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करने** और साथ ही **इस प्रक्रिया के लिए धीरे-धीरे सामाजिक स्वीकृति** सुनिश्चित करने के लिए **निम्नलिखित सिद्धांतों** को अपनाया जा सकता है:

आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए **धर्मगुरुओं को साथ लिया जाए।**	**यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया गोपनीय रहे।**
किसी प्रकार के दुरुपयोग से बचने के लिए लोगों को यह **एहसास कराया जाए कि मानव जीवन का मूल्य है।**	इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, गर्भ निरोधकों के प्रभावी उपयोग पर **जागरूकता बढ़ाई जाए।**
परिवार नियोजन में दंपतियों की सहायता के लिए **पारिवारिक जीवन शिक्षा दी जाए।**	**योग्य डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाए** और ग्रामीण भारत में अवसंरचना में सुधार किया जाए।
मौन समस्याओं जैसे कि बलात्कार, रिश्तेदार द्वारा यौन उत्पीड़न आदि के समाधान के लिए **कानून और शासन की स्थिति में सुधार किया जाए** अर्थात कानून के उपयोग के लिए परिस्थितियों को नियंत्रित किया जाए।	

संबंधित तथ्य

अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने गर्भपात के अधिकारों पर ऐतिहासिक 'रो बनाम वेड' निर्णय को पलट दिया है।

* अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1973 के 'रो बनाम वेड' के उस ऐतिहासिक निर्णय को पलट दिया है, जिसने **महिला के गर्भपात के अधिकार को संवैधानिक संरक्षण** प्रदान किया था। वर्ष 1973 के निर्णय ने **गर्भपात से संबंधित सुरक्षा को संस्थागत रूप** भी प्रदान किया था।
    * हाल के फैसले का **धार्मिक और जीवन-समर्थक समूहों ने समर्थन** किया है। वहीं अधिकारों के लिए लड़ने वालों ने इस **निर्णय का विरोध** किया है। निर्णय विरोधियों के अनुसार इस निर्णय का **अन्य अधिकारों पर भी नकारात्मक प्रभाव** पड़ेगा।
    * हाल का निर्णय **राज्यों द्वारा गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने के लिए प्रक्रिया आरंभ** करने का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

2.10. दुर्लभ रोग (Rare Diseases)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्र सरकार ने थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया जैसे दुर्लभ रोगों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए आठ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं।

दुर्लभ रोगों के बारे में

* **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा दुर्लभ रोग को प्रायः दुर्बल करने वाले जीवन पर्यन्त व्याप्त रहने वाले रोग या विकार की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसकी व्यापकता प्रति 10,000 लोगों (या प्रति 1,000 जनसंख्या पर 1) पर 10 लोगों या**

उससे कम में होती है। हालांकि, विभिन्न देशों की परिभाषाएं उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप और उनकी अपनी जनसंख्या, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली तथा संसाधनों के संदर्भ में अलग-अलग हैं।

- इन रोगों के लिए प्रायः **"ऑर्फ़न डिजीज"** पद का उपयोग किया जाता है। इनके उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली औषधियों को **"ऑर्फ़न ड्रग्स"** कहा जाता है।
- थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, स्वीट सिंड्रोम, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर आदि कुछ दुर्लभ रोग हैं।

दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPRD)[27] 2021

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2021 को मंजूरी प्रदान की है।

- **लोक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय** होने के कारण, केंद्र सरकार NPRD के माध्यम से दुर्लभ रोगों की जांच और रोकथाम की दिशा में राज्यों को उनके प्रयासों के लिए प्रोत्साहित करेगी तथा सहायता प्रदान करेगी।

- **इस नीति के उद्देश्य:**
    - एक एकीकृत और व्यापक निवारक रणनीति के आधार पर **दुर्लभ रोगों की व्यापकता तथा प्रसार को कम करना।**
    - दुर्लभ रोगों से ग्रस्त रोगियों की **किफायती स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच को सुनिश्चित करना।**
    - **स्वदेशी अनुसंधान और औषधियों के स्थानीय स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित करना।**
- **दुर्लभ रोगों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया गया है:**
    - **समूह 1:** एक बार के उपचारात्मक उपचार से नियंत्रित होने वाले विकार।
    - **समूह 2:** जिन्हें दीर्घकालिक या आजीवन उपचार की आवश्यकता होती है।
    - **समूह 3:** ऐसे रोग जिनका निश्चित उपचार उपलब्ध है। लेकिन इनके समक्ष लाभार्थी हेतु इष्टतम रोगियों का चयन, अत्यधिक लागत और आजीवन उपचार प्रदान करने जैसी चुनौतियां व्याप्त हैं।
- **उपचार के लिए वित्तीय सहायता:**
    - दुर्लभ रोगों के समूह 1 के रोगों से पीड़ित रोगियों को केंद्र सरकार द्वारा **राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN)** की अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत **20 लाख रुपये की सहायता** प्रदान की जाएगी।
    - **समूह 2 के तहत सूचीबद्ध रोगों के लिए** राज्य सरकारें, ऐसे दुर्लभ रोगों के रोगियों को विशेष आहार या हार्मोनल सप्लीमेंट या अन्य अपेक्षाकृत कम लागत वाले हस्तक्षेपों द्वारा सहायता करने पर विचार कर सकती हैं।
- दुर्लभ रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए (विशेष रूप से समूह 3 के अंतर्गत आने वाले रोगों से ग्रस्त रोगियों की उपचार लागत में योगदान हेतु) स्वैच्छिक व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट दाताओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को स्थापित किया गया है, ताकि उपचार के लिए स्वैच्छिक क्राउड फंडिंग का उपयोग किया जा सके।
- **उत्कृष्टता केंद्र (Centre of Excellence) और निदान केंद्र: यह दुर्लभ रोगों की जांच, आनुवंशिक परीक्षण और परामर्श के लिए स्थापित किया गया है।**

[27] National Policy for Rare Diseases

- **दुर्लभ रोगों से संबंधित डेटाबेस का निर्माण।**
- **दुर्लभ रोगों से संबंधित औषधियों को किफायती बनाना:** दुर्लभ रोगों की औषधियों का स्थानीय स्तर पर विनिर्माण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **अनुसंधान एवं विकास:** नई औषधियों के विकास को आरंभ करने हेतु, पुरानी/मौजूदा/उपलब्ध औषधियों के लिए नए चिकित्सीय उपयोग का अन्वेषण (repurposing the drugs) तथा बायोसिमिलर (संदर्भित औषधि) के उपयोग के लिए एक एकीकृत अनुसंधान पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा।

निष्कर्ष

भले ही बहुत कम आबादी दुर्लभ बीमारियों से प्रभावित हो, फिर भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना राज्यों की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त, भारत को विभिन्न रोगों के लिए सस्ती दवाओं के उत्पादन के लिए विश्व की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है। इसलिए, भारत को दुर्लभ बीमारियों के लिए दुनिया के साथ-साथ अपने लोगों के लिए भी सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए।

2.11. मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, WHO ने 'द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ रिपोर्ट: ट्रांसफॉर्मिंग मेंटल हेल्थ फॉर ऑल' शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

- **प्रसार:**
  - **व्यापकता:** 970 मिलियन लोग मानसिक स्वास्थ्य विकारों, जैसे- चिंता (Anxiety) और अवसाद (सबसे अधिक व्याप्त), विकासात्मक विकार, आदि के साथ जी रहे हैं।
  - **लैंगिक समानता:** महिलाएं चिंता और अवसाद से सबसे अधिक ग्रस्त हैं, जबकि मादक द्रव्यों का सेवन पुरुषों द्वारा अधिक किया जाता है।
  - **आय:** जनसंख्या के लिहाज से मानसिक विकार से ग्रस्त लोगों में सबसे बड़ा हिस्सा निम्न और मध्यम आय वाले देशों से आता है। हालांकि, वहीं उच्च आय वाले देशों की जनसंख्या में मानसिक विकार से ग्रस्त लोगों का अनुपात निम्न और मध्यम आय वाले देशों की तुलना में अधिक है।
  - **कोविड ने प्रसार को बढ़ाया:** महामारी के ठीक एक साल में अवसाद और चिंता में क्रमशः 28% और 26% की वृद्धि हुई। जिन देशों में सबसे अधिक कोविड -19 मामले और मौतें दर्ज की गईं, वहां मानसिक बीमारी के मामलों में भी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

- लागत
  - **जीवन अवधि:** गंभीर मानसिक बीमारी से 10-20 साल तक की उम्र कम हो जाती है।
  - **आर्थिक लागत:** केवल चिंता और अवसाद से ही प्रत्येक वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2030 में विश्व अर्थव्यवस्था के लिए मानसिक बीमारी की अनुमानित लागत 6 ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना है।

कोविड-19 महामारी ने मानसिक स्वास्थ्य की समस्या को क्यों बढ़ा दिया?

भारतीय जनसंख्या में मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक समस्या पैदा करने/ बढ़ाने के लिए कोविड-19 से संबंधित जिम्मेदार कारक:

- **अलगाव और अकेलापन:** लॉकडाउन के कारण आय का नुकसान, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन आदि।
- **संक्रमण/ मृत्यु का भय, किसी रोग का विशेष लक्षण और स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों**, कोविड रोगियों आदि **के प्रति भेदभाव।**
- **बच्चों की शिक्षा में व्यवधान**, देखभाल की बढ़ती आवश्यकताओं के कारण **महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ** और उनके प्रति हिंसा के बढ़ते मामले।
- **मीडिया की भूमिका:** नकारात्मक समाचारों का लगातार प्रयोग, बार-बार गलत सूचना और वायरस के बारे में अफवाहें आदि व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य में ह्रास के प्रभाव

- **आर्थिक प्रभाव:** अस्पताल का अत्यधिक खर्च, आय में कमी और फलतः आयकर से सरकार को होने वाली आय में कमी, आदि।
- **मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर प्रभाव:** सामाजिक अलगाव, कम शारीरिक गतिविधि और कम इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन छोटे बच्चों तथा किशोरों में मस्तिष्क स्वास्थ्य विकास को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही इससे **वृद्ध आबादी में संज्ञानात्मक समस्याएं और** डिमेंशिया जैसे विकार भी पैदा हो सकते हैं।
- **मादक द्रव्यों के सेवन में वृद्धि:** तनाव से निपटने के लिए लोग शराब, ड्रग्स, तंबाकू आदि का सहारा ले सकते हैं।
- **भेदभाव और हिंसा के बढ़ते जोखिम:** लैंगिक, बच्चों और जाति से संबंधित जोखिमों में वृद्धि। साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी रुग्णता और आत्महत्याओं में वृद्धि।

मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आगे की राह

- **एकीकृत दृष्टिकोण:** भारत में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित रोगी की जरूरतों का पता लगाने, उनका इलाज करने और उनका प्रबंधन करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता है।
- **जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी:** इससे कलंक और भेदभाव को कम करने, जागरूकता बढ़ाने और समावेशन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र और गुजरात में 'आत्मीयता' के समुदाय-आधारित स्वयंसेवक इस संदर्भ में एक उपयुक्त उदाहरण हैं।
- **स्वस्थ जीवन शैली:** मानसिक स्वास्थ्य के पूरक के तौर पर शारीरिक गतिविधि, योग और माइंडफुलनेस तकनीकों को बढ़ावा देना।
- **मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना:** डिजिटली मीडिएटेड थेरेपी का विस्तार करना। उदाहरण के लिए, NIMHANS कर्नाटक में एक सफल टेल साइकिएट्री इंटरवेंशन संचालित करता है।
  - **स्कूल-आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों** के माध्यम से किशोरों और छोटे बच्चों के बीच लचीलापन उत्पन्न करना।

2.12. ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने एक **एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है।**

अन्य संबंधित तथ्य

- इसके **उद्देश्यों** में शामिल हैं-
  - एक **राष्ट्रीय AVGC नीति** तैयार करना।
  - AVGC से संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए **राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे** की सिफारिश करना।
  - **रोजगार के अवसरों** को बढ़ावा देना।
- यह **एफ.डी.आई. को आकर्षित करने** और 'मेड इन इंडिया' और 'ब्रांड इंडिया' को प्रोत्साहन देने हेतु, निर्यात संवर्धन की दिशा में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य **25-30% की वृद्धि दर** और वार्षिक स्तर पर **1.6 लाख** से अधिक नए रोजगार सृजन सहित, वर्ष **2025 तक AVGC के वैश्विक बाजार के 5% (~ $ 40 बिलियन)** की हिस्सेदारी प्राप्त करना है।
- मुख्यतः ऑनलाइन गेमिंग का तात्पर्य ऐसे खेलों से होता है जिन्हें खेलने के लिए **इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होती है।**

ऑनलाइन गेमिंग के लाभ

- ऑनलाइन खेलों पर करों के माध्यम से सरकारी राजस्व में वृद्धि होगी।
- यह विशेष रूप से तकनीक आधारित स्टार्टअप, एनीमेशन और अन्य संबंधित उद्योगों जैसे लाइव स्ट्रीमिंग और वीडियो-ऑन-डिमांड में रोजगार सृजन करेगा।
- अवैध सट्टेबाजी और जुआ, मनी लॉन्ड्रिंग आदि को रोकने में मदद कर सकते हैं।
- शैक्षिक ऑनलाइन गेम बच्चों को अधिक एकाग्रता और प्रेरणा के माध्यम से विभिन्न कलाओं, संस्कृति आदि की समझ प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
- ऑनलाइन खेलों की **सुविधा और पहुंच** लोगों को घर से ही खेलने में सहायता करती है। इससे मादक द्रव्यों के सेवन की संभावना कम हो जाती है, जो सट्टेबाजी के स्थानों, कैसीनो आदि में अधिक सामान्य होती है।
- ई-स्पोर्ट्स की **वैश्विक वैधता** उपयोगकर्ताओं के लिए राष्ट्र के लिए सम्मान अर्जित करने के अवसर उत्पन्न करती है। जैसे- टोक्यो ओलंपिक

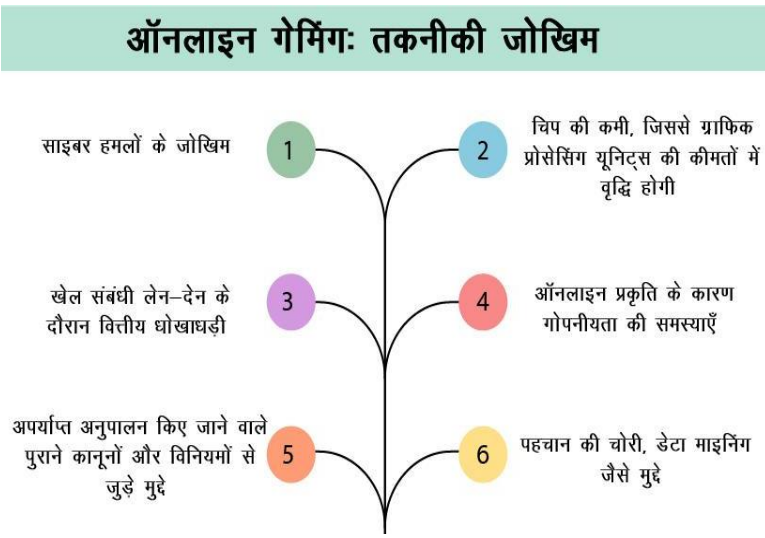

और पिछले एशियाई खेलों के प्रदर्शन कार्यक्रमों के विपरीत, वर्ष 2022 एशियाई खेलों में ई-स्पोर्ट्स जैसे **फीफा, PUBG, डोटा 2** आदि स्पर्धाओं में पहली बार में ही **पदक प्राप्त होंगे**।

- **नवाचार को बढ़ावा मिलेगा:** यह संवर्धित वास्तविकता (AR), आभासी वास्तविकता (VR) इत्यादि जैसी इमर्सिव और इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी में नवाचारों/तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देगी।

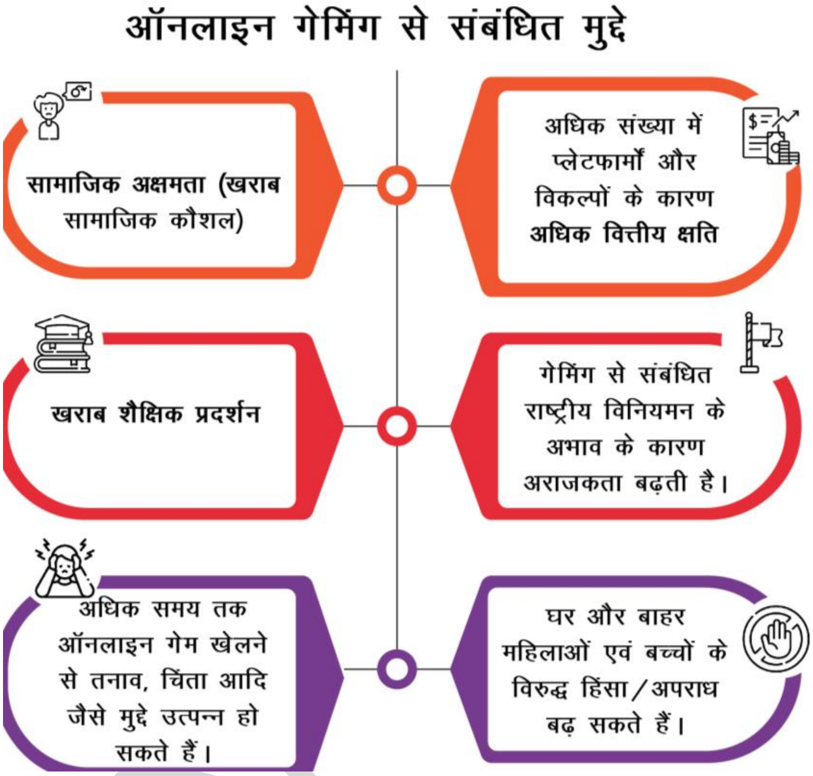

आगे की राह

- **कानूनी स्पष्टता: राज्यों** को सट्टेबाजी और बोली लगाने वाले खेलों पर उचित नियम बनाने चाहिए। साथ ही केंद्र को भी **अनुच्छेद 252** के तहत इस संबंध में उचित कानून निर्माण की अनुमति देनी चाहिए। केंद्र **अनुच्छेद 248** के तहत अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग करके भी इस संबंध में स्वयं कानून निर्माण कर सकता है।
- **विनियामक स्पष्टता:** नियमों को मानकीकृत करने के लिए संपूर्ण ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के लिए एक एकल विनियामक निकाय की स्थापना की आवश्यकता है।
- **सूचना, शिक्षा और संचार (IEC):** ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित हानियों और जिम्मेदारीपूर्वक खेलने के लाभों के साथ साथ अच्छे स्वास्थ्य और सामाजिक होने के लाभों के बारे में जागरूक करने के लिए IEC का उपयोग किया जाना चाहिए।
- **घर पर बच्चों की निगरानी करना:** माता-पिता को बच्चों के ऑनलाइन खेलों की निगरानी करनी चाहिए ताकि वे खेल के प्रकार, व्यतीत किए गए समय और सीखने के परिणामों को नियंत्रित कर सकें।
- **इससे होने वाली आर्थिक क्षति को नियंत्रित करना:** अधिक आर्थिक नुकसान से बचने के लिए एक व्यक्ति द्वारा किसी एक प्लेटफार्म पर किए जाने वाले लेनदेन की संख्याओं पर सीमा आरोपित की जा सकती है।

संबंधित तथ्य

गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2018 में गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में वर्गीकृत** किया था।
- WHO की परिभाषा के अनुसार, गेमिंग डिसऑर्डर वाले व्यक्ति में कम से कम 12 महीनों तक निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं:
    - अपनी गेम खेलने की आदतों पर नियंत्रण का अभाव।
    - अन्य रुचियों और गतिविधियों की तुलना में गेम खेलने को प्राथमिकता देना।
    - इसके नकारात्मक परिणामों के बावजूद गेम खेलना जारी रखना।
- **परिणाम:**
    - गेमिंग डिसऑर्डर शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक क्षति, नींद और भूख में कमी तथा करियर और सामाजिक जीवन में हानि पहुंचाने का कारण बनता है।

आगे की राह

- **कानूनी:** ज्यादा गेम खेलने से रोकने के लिए एक न्यूनतम, वैधानिक चेतावनी और साथ ही ब्रेक लेने की अनिवार्यता को लागू किया जाना चाहिए।
- **डिजिटल उपवास:** परिवारों के बीच डिजिटल उपवास भी इस विकार से निपटने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।
- **उपचार**: गेमिंग डिसऑर्डर एक नया वर्गीकरण है, इसलिए अभी तक कोई स्पष्ट उपचार योजना नहीं है। हालांकि, यह संभावना है कि जुए की लत जैसे अन्य व्यसनी व्यवहारों के लिए उपचार गेमिंग डिसऑर्डर के लिए भी प्रासंगिक होंगे। (इन्फोग्राफिक देखें)

गेमिंग डिसऑर्डर का उपचार

मनोशिक्षा	सामान्य उपचार	अंतर–व्यक्तिकता	पारस्परिकता	पारिवारिक दखल	एक नई जीवन शैली का विकास
इसमें व्यक्ति को गेमिंग व्यवहारों और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उसके प्रभावों के बारे में शिक्षित किया जाता है।	गेमिंग की बुरी लत को ठीक करने के लिए उपयुक्त व्यसन उपचार अपनाना। उपचार का फोकस व्यक्ति की तीव्र इच्छा को नियंत्रित करने में मदद करने, अतार्किक विचारों को संभालने इत्यादि पर होता है।	गेमिंग की लत से ग्रस्त व्यक्ति को अपनी पहचान खोजने में मदद करती है, आत्म–सम्मान पैदा करती है और उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाती है।	गेमिंग की लत से ग्रस्त व्यक्ति की अभिव्यक्ति की कुशलता और उसकी मुखरता पर काम कर उसे दूसरों से बातचीत कैसे करें इसे सिखाया जाता है।	यदि बुरी लत अन्य लोगों के साथ रिश्ते को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है, तो इलाज के कुछ पक्षों में परिवार के सदस्यों को भाग लेने की आवश्यकता पड़ सकती है।	लत या आदत की अधिकता को रोकने के लिए लोगों को अपने कौशल और योग्यता को खोजना चाहिए। लत के अलावा किसी ऐसी गतिविधि को खोजना चाहिए जो उनको आनंदित कर सके।

2.13. नशीली दवाओं का सेवन (Drug Abuse)

सुर्ख़ियों में क्यों?

केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने **व्यसनियों को कारावास के दंड से मुक्त करने** के लिए NDPS[28] कानून में बदलाव की सिफारिश की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि नशीली दवाओं का उपयोग करने वालों और नशा करने वालों को **'पीड़ित व्यक्ति' माना जाए**, जिन्हें **नशामुक्ति एवं पुनर्वास** की आवश्यकता है तथा उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
- इसमें व्यक्तिगत उपभोग के लिए नशीली दवाओं की **'थोड़ी मात्रा' रखे जाने को अपराध से मुक्त** किए जाने की बात कही गई है।

नशीली दवाओं का सेवन: कारण और भारत में इसकी व्यापकता

- **अर्थ: नशीली दवाओं के सेवन या मादक द्रव्यों के सेवन** का तात्पर्य शराब और अवैध नशीली दवाओं सहित **मनः-सक्रिय पदार्थों के हानिकारक या खतरनाक उपयोग** से है।

- **भारत में नशीली दवाओं के सेवन की व्यापकता**: हाल के वर्षों में भांग, कोकीन और हेरोइन जैसे **पौधों पर आधारित पारंपरिक नशीली दवाओं** से लेकर ट्रामाडोल जैसी **संश्लेषित नशीली दवाओं** की, भारत में खपत कई गुना बढ़ गई है। उपयोगकर्ताओं के संदर्भ में, भारत के अवैध नशीली दवाओं के बाजार में **भांग और अफीम की खपत सबसे ज्यादा है।**
  - 2019 में मादक द्रव्यों के सेवन की भयावहता पर आधारित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार, **भांग के 3.1 करोड़ उपयोगकर्ता** और **अफीम के 2.3 करोड़ उपयोगकर्ता** थे।
- **राज्यों में खपत:** AIIMS की रिपोर्ट के अनुसार, **उत्तर प्रदेश में भांग का सेवन करने वालों की संख्या सबसे अधिक है**, जिसके बाद पंजाब, सिक्किम, छत्तीसगढ़ और दिल्ली का स्थान है।
  - हालांकि, जनसंख्या के प्रतिशत के मामले में, **उत्तर-पूर्वी राज्य सूची में शीर्ष पर हैं**। मिसाल के तौर पर **मिजोरम की करीब सात फीसदी आबादी** अफीम का सेवन करती है।

[28] नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस

नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें

- **नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS अधिनियम):** इसे नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के संबंध में **कठोर प्रावधान करने और सख्त कानून बनाने** के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के तहत **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो** का गठन किया गया है।
- **शराब और मादक द्रव्यों (नशीली दवाओं) के सेवन की रोकथाम के लिए सामाजिक और रक्षा सेवाओं के लिए केंद्रीय क्षेत्रक की सहायता योजना:** यह योजना शराब और मादक द्रव्यों (नशीली दवाओं) के सेवन की रोकथाम के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद करती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम (2017)** में इसके दायरे में **शराब और नशीली दवाओं के उपयोग** से जुड़े विकारों को शामिल किया गया है।
- **2018-2025 की अवधि के लिए नशीली दवाओं की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)**: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्मित एवं कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य बहुआयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के सेवन के **प्रतिकूल परिणामों को कम करना** है जिसमें जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम, सामुदायिक पहुंच, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि शामिल है।
- **2020** में शुरू किए गए **'नशा मुक्त भारत अभियान'** में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर **देश के 272 जिलों को सबसे अधिक सुभेद्य पाया गया है।**
- **संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन**: भारत **नशीली दवाओं पर तीन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों** का पक्षकार है। ये हैं- सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961; कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1971; तथा नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ अभिसमय, 1988[29]

भारत में नशीली दवाओं का सेवन रोकने में समस्याएं

- **भारत नशीली दवाओं की तस्करी के एक केंद्र के रूप में कार्य करता है: भौगोलिक रूप से, भारत गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट** के बीच स्थित है, जो **विश्व के प्रमुख अफीम उत्पादक क्षेत्र** हैं। इसके कारण यह **महाद्वीप में नशीली दवाओं की तस्करी** का केंद्र बन जाता है।
- **उपचार अंतराल:** राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-2016) में **नशीली दवाओं के उपयोग से जुड़े विकारों के उपचार में 70 प्रतिशत से अधिक का अंतराल दर्शाया गया है।**
- **नशीली दवाओं के सेवन का अपराधीकरण:** यह नशा करने वालों को सामाजिक कलंक के रूप में पेश करता है, जो बदले में किसी भी प्रकार की चिकित्सा सहायता लेने से बचते हैं।
- **संगठित प्रकृति:** चूंकि नशीली दवाओं की तस्करी एक **संगठित अपराध** है, इसलिए पुलिस के लिए **स्रोत के स्थान से गंतव्य के स्थान तक शामिल व्यक्तियों** को पकड़ना चुनौतीपूर्ण होता है।
- **प्रौद्योगिकी में उन्नति: डिजिटल पैठ** में वृद्धि तथा ऑनलाइन बाजारों द्वारा **डार्क वेब का उपयोग, इंटरनेट-आधारित फार्मेसियों** का तेजी से प्रसार और **बिटकॉइन-आधारित लेनदेन** ने नशीली दवाओं तक पहुँच में वृद्धि की है।

- गरीबी के दुष्चक्र के कारण नशीली दवाओं का उपयोग बढ़ता है।(इन्फोग्राफिक देखें)

इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या किया जा सकता है?

- **पर्याप्त वित्तीय निवेश:** इससे उपचार के व्यापक अंतर को पाटने में मदद मिलेगी।
- **साक्ष्य-आधारित मादक पदार्थ उपयोग रोकथाम कार्यक्रम:** रोकथाम कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल मादक पदार्थों के उपयोग को रोकना, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होना चाहिए कि युवा लोग **वृद्धि करें और स्वस्थ रहें।** इससे **वे अपनी क्षमता का उपयोग कर सकेंगे और अपने समुदाय और समाज के उत्पादक सदस्य बन सकेंगे।**
- **नशीली दवाओं के सेवन के प्रति परिवर्तित दृष्टिकोण:** जागरूकता कार्यक्रम मादक पदार्थों के सेवन से जुड़े विकारों को **जैव-मनोवैज्ञानिक-सामाजिक स्वास्थ्य स्थितियों (न कि केवल नैतिक विफलताओं)** के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। समाज में जागरूकता बढ़ाना मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित समस्या को **कमतर करने** के लिए प्रभावी साधन हो सकता है।

---

[29] Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988

- **अन्य कदम:** नशीली दवा आपूर्ति नियंत्रण क्षेत्रक के साथ-साथ इन दवाओं की मांग और इनसे होने वाले नुकसान को कम करने वाली इकाइयों के बीच **कुशल समन्वय** की आवश्यकता है।
  - बेरोजगार नशेड़ियों के लिए **व्यावसायिक प्रशिक्षण और अन्य रोजगार कार्यक्रम शुरू करने** हेतु विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों और गैर-लाभकारी संगठनों को शामिल किया जा सकता है।
  - नशीली दवाओं के सेवन की **रोकथाम और पुनर्वास गतिविधियों की योजना बनाने** के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, समुदाय के नेताओं, धार्मिक नेताओं और शिक्षकों के बीच **उपयुक्त संबंध स्थापित किया जाना चाहिए।**

2.14. इच्छामृत्यु: गरिमा के साथ मृत्यु का अधिकार (Euthanasia: Right to Die with Dignity)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोलंबिया में एक व्यक्ति कानूनी तौर पर इच्छामृत्यु से मरने वाला पहला व्यक्ति बन गया। वह व्यक्ति लाइलाज बीमारी से पीड़ित था।

आत्महत्या और सहायता प्राप्त आत्महत्या

- **आत्महत्या:** यह मृत्यु के अधिकार का प्रयोग करने का एक तरीका है। आम तौर पर, जब लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे विभिन्न कारकों के कारण आत्महत्या का विकल्प चुनते हैं, जैसे कि मानसिक रोग, असहनीय शारीरिक रोग, सामाजिक स्तर पर गंभीर रोगों से पीड़ित, अवसाद, शारीरिक अक्षमता आदि।
- **सहायता प्राप्त आत्महत्या:** सहायता प्राप्त आत्महत्या उस स्थिति को रेखांकित करती है, जहां **कोई अन्य व्यक्ति आत्महत्या करने के इच्छुक व्यक्ति** को उसके स्वयं के जीवन को समाप्त करने में सभी मार्गदर्शनों और साधनों के माध्यम से **सहायता प्रदान** करता है।

इच्छामृत्यु या यूथेनेशिया के बारे में

- यह **ग्रीक शब्द 'eu' और 'thanatos' से लिया गया एक पद** है। इसका आशय **'सुलभ या आसान मृत्यु'** से है।
- **इच्छामृत्यु को, किसी आश्रित व्यक्ति को उसके कथित लाभ के लिए कार्य या अकार्य द्वारा इरादतन उसका जीवन समाप्त करने की प्रक्रिया** के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे **'दया मृत्यु'** के रूप में भी जाना जाता है।
- **मृत्यु का अधिकार** एक ऐसी अवधारणा है, जो इस मत/विचार पर बल देती है कि **मनुष्य अपना जीवन समाप्त करने संबंधी कोई भी निर्णय लेने के लिए अधिकृत है (इसमें स्वैच्छिक इच्छामृत्यु भी शामिल है)।**
- इच्छामृत्यु मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं।
  - **सक्रिय इच्छामृत्यु अथवा एक्टिव यूथेनेशिया** का तात्पर्य लाइलाज रूप से बीमार व्यक्ति को इच्छामृत्यु की मांग पर उसके जीवन को समाप्त करने के लिए चिकित्सक द्वारा इरादतन किए जाने वाले प्रयास से है। सामान्य तौर पर इसमें प्राणघातक दवा देना शामिल है।
  - **निष्क्रिय इच्छामृत्यु अथवा पैसिव यूथेनेशिया** का तात्पर्य जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक उपचार प्रदान नहीं करने या उपचार उपकरणों को हटा लेने से है।
- **इच्छामृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या दोनों को कई देशों में अवैध माना जाता है,** क्योंकि यह प्रच्छन्न रूप में हत्या का एक रूप हो सकता है।

भारत में इच्छामृत्यु

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 या 304 के तहत **सक्रिय इच्छामृत्यु को एक अपराध माना** गया है।
- असाधारण परिस्थितियों में भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को क़ानूनी वैधता प्रदान की गई है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु के सिद्धांत को वर्ष 2011 में क़ानूनी वैधता प्रदान की गई थी।

इच्छामृत्यु को वैध बनाने के पक्ष में तर्क	इच्छामृत्यु के विपक्ष में तर्क
• भारत के संविधान का **अनुच्छेद 21 स्पष्ट रूप से गरिमा के साथ जीवन जीने का प्रावधान करता** है। व्यक्ति को कम से कम न्यूनतम गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है **और यदि ऐसे मानक के अनुरूप उक्त न्यूनतम स्तर को बनाए रख पाना कठिन हो जाए तो व्यक्ति को अपने जीवन को समाप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।**	• **मानव जीवन ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है और किसी के जीवन को समाप्त करना गलत/अनुचित है।** अतः ऐसे में अनैतिक मनुष्यों को ईश्वर की भूमिका निभाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।
• चूंकि, भारत जैसे कई विकासशील और अविकसित देश धन के अभाव तथा अस्पतालों में सुविधा की कमी से ग्रसित हैं। **अतः ऐसे में मृत्यु के इच्छुक व्यक्ति के जीवन को बनाए रखने की बजाये चिकित्सकों की ऊर्जा और अस्पताल के बिस्तरों का उपयोग उन लोगों के लिए किया जा सकता है, जिनके जीवन के बचने की संभावना हो।**	• यह **पूरी तरह से चिकित्सकीय नीतिशास्त्र, नैतिकता और लोक नीति के खिलाफ है।** चिकित्सकीय नीतिशास्त्र सेवा, देखभाल करने और उपचार करने पर बल देता है न कि रोगी के जीवन को समाप्त करने पर। o वर्तमान समय में, **चिकित्सा विज्ञान बहुत तीव्र गति से उन्नति की दिशा में अग्रसर है। ऐसे में वर्तमान में असाध्य रोगों का भी उपचार संभव हो गया है।**

• मानव जीवन का मूल सार गरिमा युक्त जीवन को बनाए रखने से है। अतः ऐसे में व्यक्ति को अगरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर करना व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध होगा। इस प्रकार, **यह व्यक्ति के चुनाव को व्यक्त करता है, जो एक मूल सिद्धांत है।**	• इस बात की **आशंका है कि यदि इच्छामृत्यु को वैध कर दिया जाता है, तो दिव्यांगजनों का ऐसा समूह इच्छामृत्यु का विकल्प चुनने के लिए बाध्य महसूस करेगा, क्योंकि वे स्वयं को समाज पर बोझ समझते हैं।**
• इसका उद्देश्य लोकोपकारी और लाभकारी है, क्योंकि यह असहनीय और असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को दर्द रहित मृत्यु प्रदान करने वाला एक कृत्य है। अत: **इसका मूल उद्देश्य नुकसान पहुंचाने की जगह सहायता प्रदान करना है।**	• **रोगी अपने चिकित्सक या रिश्तेदारों पर विश्वास नहीं कर पाते,** क्योंकि उनमें से कई रोगी की दर्द रहित गरिमापूर्ण मृत्यु के बारे में बात कर रहे होते हैं। इस प्रकार **यह असिस्टेड मर्डर (सहायता प्राप्त हत्या) के लिए एक सुलभ माध्यम बन सकता है।**

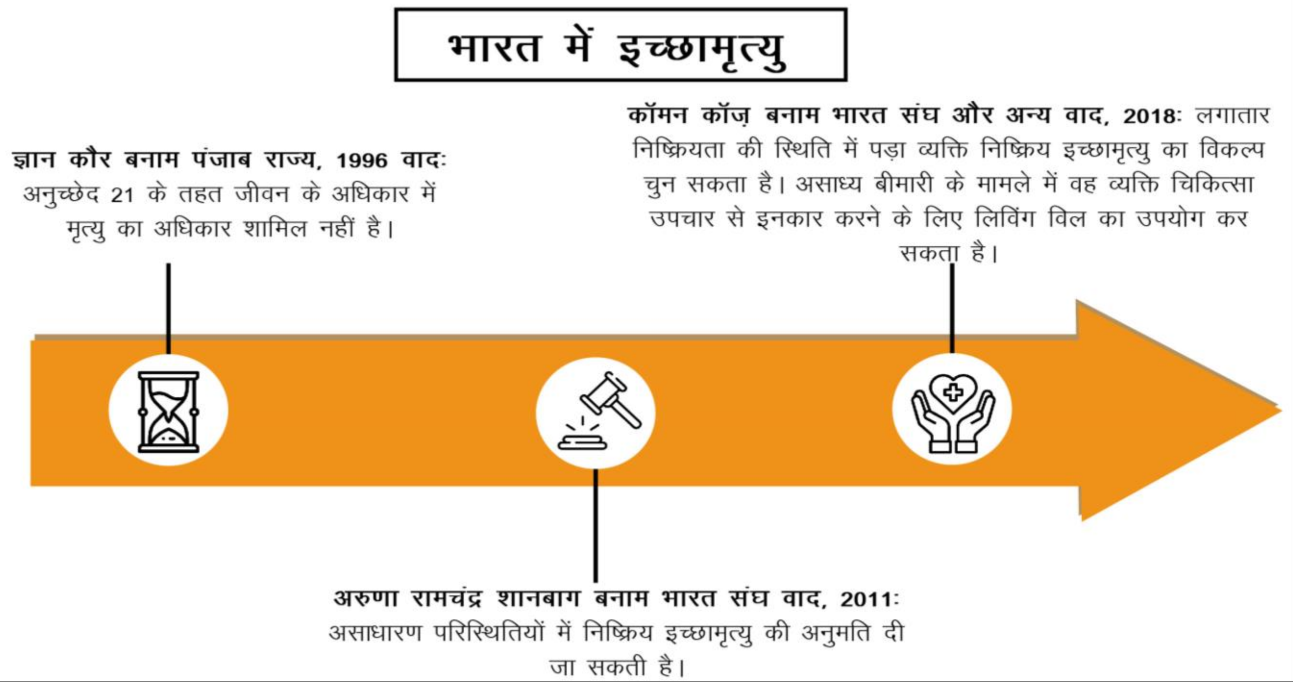

लिविंग विल

- "लिविंग विल" का आशय एडवांस में यानी पहले से दिए गए निर्देश से है। जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि तत्काल या एक समय के बाद उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध होने या कराये जाने में बहुत अधिक परेशानी होगी, तब वह व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर कर इसके बारे में औपचारिक रूप से बताता है। इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को हटाने के लिए अपनी सहमति दे सकता है।
- यह एक प्रकार का अग्रिम निदेश है। इसे पूरी तरह से अक्षम होने से पहले किसी व्यक्ति द्वारा उपचार वरीयता के बारे में बताने या प्राय: उपचार अस्वीकार करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- वर्ष 2018 के निर्णय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु के कार्यान्वयन को कठिन बना दिया है। इसका कारण यह है कि अब इसमें निदेश के निष्पादन की प्रक्रिया को दो गवाहों की उपस्थिति में निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित किया जाता है:
  - न्यायिक मजिस्ट्रेट,
  - दो चिकित्सा बोर्डों से अनुमति तथा
  - क्षेत्राधिकार के साथ कलेक्टर।
- **लिविंग विल के लिए दिशा-निर्देश:**
  - लिविंग विल को स्वेच्छा से और किसी दबाव या प्रलोभन या मजबूरी के बिना निष्पादित किया जाएगा।
  - लिविंग विल का **लिखित प्रारूप** में होना अनिवार्य है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि कब चिकित्सीय उपचार समाप्त किया जा सकता है या किसी विशेष प्रकार का चिकित्सीय उपचार दिया जा सकता है, जिससे केवल पीड़ित की मृत्यु को टाला जा सकता है, जिसके नहीं होने से उस व्यक्ति का दर्द, वेदना और पीड़ा बढ़ सकता है।
  - इसमें किसी भी समय **आदेशों/ निर्देशों/ प्राधिकरण को रद्द करने के निष्पादक के अधिकार** और उन परिस्थितियों तथा हालातों का उल्लेख होना चाहिए जिनके तहत वह ऐसा कर सकता है।

निष्कर्ष

इच्छामृत्यु वास्तव में एक विवादास्पद मुद्दा है। इसमें बहस, मुख्य रूप से **सक्रिय स्वैच्छिक इच्छामृत्यु और चिकित्सक द्वारा सहायता प्राप्त आत्महत्या पर केंद्रित रही है।** हमारा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में निवेश करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि गंभीर रूप से बीमार लोगों को

मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त हो सके। स्वास्थ्य सेवा में निवेश 'स्वास्थ्य के अधिकार' के अधीन एक दायित्व है। यह हमारे संविधान में 'जीवन के अधिकार' के तहत प्रदान किया गया है। इस प्रकार, उपचार का सम्पूर्ण **खर्च राज्य द्वारा वहन किया जाना चाहिए, ताकि 'जीवन के अधिकार' को वास्तविक स्वरूप प्रदान किया जा सके और 'गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार' से पहले इसे प्राप्त किया जा सके।**

संबंधित तथ्य: प्रशामक देखभाल (Palliative Care)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने प्रशामक देखभाल को जानलेवा बीमारी या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी कष्टों से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे **रोगियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने वाली पद्धति** के रूप में परिभाषित किया है।
- WHO के अनुसार, **"प्रशामक देखभाल एक मानवाधिकार है और सभी स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए एक नैतिक अनिवार्यता है।"**
- WHO के अनुसार
    - **10 जरूरतमंद लोगों में से केवल एक व्यक्ति को** प्रशामक देखभाल **प्राप्त हो रही है।**
    - जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ेगी और गैर-संचारी रोग बढ़ेंगे वैसे-वैसे जानलेवा बीमारी से ग्रस्त लोगों की **देखभाल की वैश्विक मांग भी लगातार बढ़ेगी।**
    - **वैश्विक महामारी का प्रभाव**
        - कोविड-19 महामारी ने **जीवन के अंतिम समय में होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए इस प्रकार की देखभाल की आवश्यकता पर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया है।** उदाहरण के रूप में सांस लेने में दिक्कत के कारण होने वाला शारीरिक कष्ट या मानसिक पीड़ा।
        - इस वैश्विक महामारी ने **सभी स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए इस क्षेत्र में कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता की भी याद दिलाई** है।
        - इष्टतम देखभाल के लिए **एक सहायक नीति वाला वातावरण, सशक्त समुदाय, प्रशामक देखभाल में शोध,** आवश्यक प्रशामक देखभाल दवाओं तक पहुंच तथा मजबूत शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रणाली आवश्यक है।
- **भारत में प्रशामक देखभाल:**
    - देश में प्रशामक देखभाल के जनक कहे जाने वाले डॉ. एम.आर. राजगोपाल के अनुसार, भारत में **केवल 1% से 2% लोगों की ही प्रशामक देखभाल या दर्द के प्रबंधन (Pain Management) तक पहुंच है।**
    - भारत में एक केंद्र प्रायोजित 'राष्ट्रीय प्रशामक देखभाल कार्यक्रम[30]' संचालित है। इसका लक्ष्य सामुदायिक आवश्यकताओं के अनुरूप सभी स्तरों पर, स्वास्थ्य देखभाल के एक अभिन्न अंग के रूप में जरूरतमंदों को तर्कसंगत, गुणवत्तापूर्ण दर्द निवारक और प्रशामक देखभाल की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना है।

[30] National Program for Palliative Care

3. शिक्षा (Education)

शिक्षा – एक नज़र में

शिक्षा का महत्व

निजी स्तर पर: इससे व्यक्तित्व का विकास होता है, आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, बेहतर सामाजिक स्थिति सुनिश्चित होती है, आदि।

समाज के स्तर पर: यह बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करती है, नागरिक सद्भाव का स्तर बढ़ाती है, सामाजिक कल्याण हेतु नवाचार का मार्ग खोलती है, आदि।

देश के स्तर पर: यह लोकतांत्रिक संस्कृति को बनाए रखती है, प्रौद्योगिकी उन्नति के लिए आवश्यक है, नेतृत्व क्षमता का निर्माण करती है, आदि।

वर्तमान स्थिति

- **सार्वजनिक वित्त पोषण:** GDP का 3.1% शिक्षा पर और 0.62% अनुसंधान एवं विकास (R&D) पर खर्च होता है।
- **स्कूली शिक्षा**
  - **नामांकन अनुपात:** लगभग 100% (प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर)।
  - **प्रतिधारण (Retention) अनुपात:** 70.7% (प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर)।
  - **लर्निंग आउटकम:** सभी विषयों एवं कक्षाओं में प्रदर्शन स्तर पर गिरावट (राष्ट्रीय शिक्षा सर्वेक्षण, 2021)।
  - **शिक्षक:** 7% स्कूल शिक्षकों की अनुपस्थिति का सामना कर रहे है।
- **उच्चतर शिक्षा**
  - **उच्चतर शिक्षा संस्थान:** इसमें निजी क्षेत्रक की भागीदारी लगभग 78.6% है।
  - **सकल नामांकन अनुपात:** वर्ष 2019–20 में 27.1% (वैश्विक अनुपात 36.7%)
  - **छात्र शिक्षक अनुपात:** 26 (2019–20)

उठाए गए कदम

- **प्राथमिक शिक्षा:** सर्व शिक्षा अभियान; मध्याह्न भोजन (पी.एम. पोषण), महिला समाख्या, मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना (SPQEM) आदि।
- **माध्यमिक शिक्षा:** राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान; महिला छात्रावास अभियान; माध्यमिक शिक्षा के लिए लड़कियों को प्रोत्साहन देने की राष्ट्रीय योजना (NSIGSE) आदि।
- उच्चतर शिक्षा
  - **नामांकन में सुधार करना:** नई शिक्षा नीति (2000); मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा हेतु UGC के नये नियम; स्वयं पोर्टल आदि।
  - **वित्त पोषण:** उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA)
  - **विनियमन:** भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)
  - **अनुसंधान:** RISE कार्यक्रम, प्रधान मंत्री अनुसंधान फेलोशिप (PMRF), इम्प्रिंट (IMPRINT), शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने की योजना (SPARC) आदि।
  - **गुणवत्ता:** राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)

बाधाएं

- सामान्य
  - **अपर्याप्त सार्वजनिक वित्त पोषण।**
  - लर्निंग आउटकम्स के बजाए **बुनियादी ढांचे पर अधिक ध्यान केंद्रित करना।**
  - **अपर्याप्त शिक्षक प्रशिक्षण,** बड़ी संख्या में रिक्तियां और शिक्षकों की अनुपस्थिति।
  - **अकुशल गवर्नेंस और निम्नस्तरीय जवाबदेही।**
  - **अप्रासंगिक अध्यापन–कला और तकनीकी पिछड़ापन।**
- उच्चतर शिक्षा
  - **विनियामकों की बहुलता।**
  - **मान्यता प्रदान करने संबंधी अकुशल गुणवत्ता तंत्र।**
  - **वाणिज्यीकरण।**

आगे की राह

- **स्कूली शिक्षा**
  - सरकारी स्कूल की संरचना को तार्किक बनाना।
  - व्यक्तिगत ट्रैकिंग।
  - शैक्षणिक विषयों और व्यावसायिक शिक्षा में लचीलापन लाना।
  - कौशल/गुणवत्ता आधारित पाठ्यक्रम तैयार करना।
  - प्रभावी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- **उच्चतर शिक्षा**
  - शिक्षा के साथ **अवसंरचना क्षेत्रक** के समान व्यवहार करना।
  - **उद्योग–शिक्षण भागीदारी को बढ़ावा देना।**
  - **मान्यता प्रदान करने के फ्रेमवर्क** में सुधार करना।
  - **ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मानकों में बदलाव करना।**
  - **प्रदर्शन आधारित** वित्त पोषण और प्रोत्साहन देना।
  - शिक्षकों की भर्ती के लिए कठोर मानक निर्धारित करना।

3.1. लर्निंग पॉवर्टी (Learning Poverty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व बैंक के एक अधिकारी द्वारा यह कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत की लर्निंग पॉवर्टी में वृद्धि हुई है।

लर्निंग पॉवर्टी के बारे में

- लर्निंग पॉवर्टी से तात्पर्य **10 वर्ष की आयु तक आयु के अनुरूप पाठ को पढ़ने और समझने में असमर्थ होने से है।**
- विश्व बैंक के डेटा के अनुसार, **महामारी से पूर्व लगभग 53% बच्चे 10 वर्ष की आयु तक एक साधारण पाठ को पढ़ने में सक्षम नहीं थे।** दुर्भाग्यवश **महामारी के दौरान इनकी संख्या बढ़कर 70% तक हो गई है।**
- **शिक्षण तंत्रों के लिए दोहरा आघात-** कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने और परिणामी आर्थिक संकट ने वैश्विक अधिगम जोखिम को और बढ़ाया है। साथ ही, इसने अभूतपूर्व तरीकों से शिक्षा को भी प्रभावित किया है।
- यदि अभी भी कुछ नहीं किया गया, तो इस पीढ़ी के पास भविष्य में **निम्न उत्पादकता, निम्न आय, कम खुशहाली** होगी और हमें इस स्थिति से बचने की आवश्यकता है।

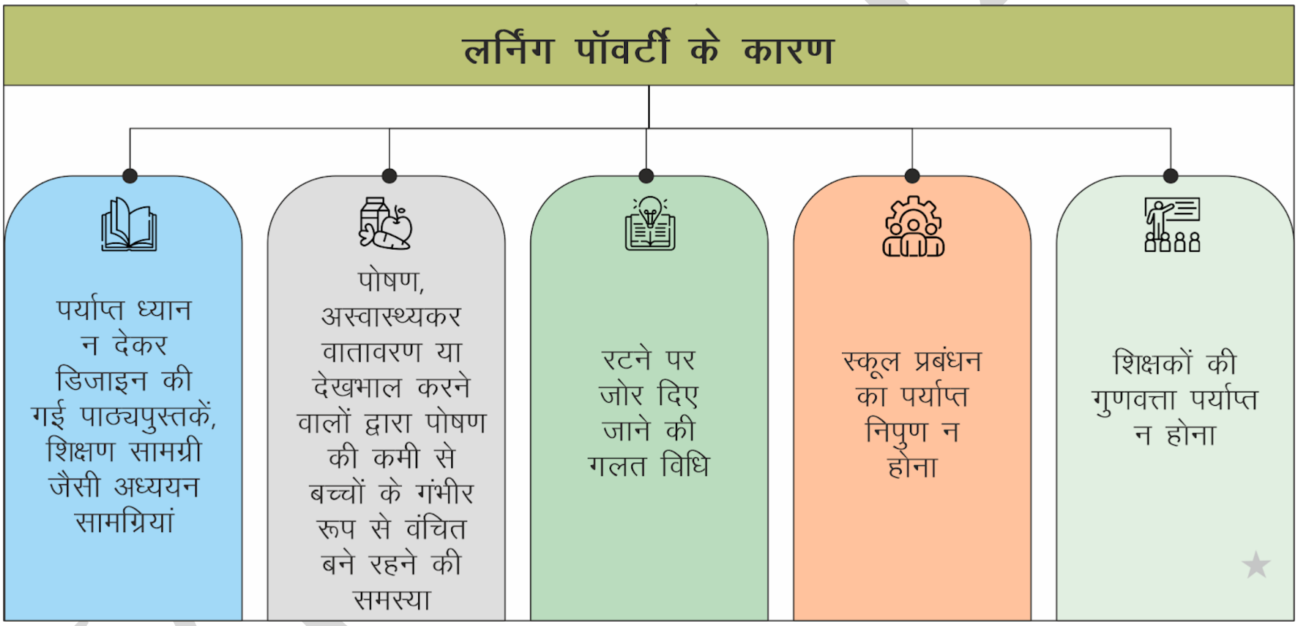

अधिगम कौशल (Learning skills) का महत्व

- **समग्र स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार:** जब बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, तो सामान्यतः यह एक स्पष्ट संकेत है कि बच्चों को गणित, विज्ञान और मानविकी जैसे अन्य क्षेत्रों में सीखने में सहायता करने के लिए स्कूल प्रणाली पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं हैं।
- **बेहतर गुणवत्ता युक्त कार्यबल:** जिन देशों ने अपने यहाँ मौलिक शिक्षा को प्राथमिकता दी है और उसमें पर्याप्त निवेश किया है, वहां बेहतर गुणवत्ता वाले कार्यबल का सृजन हुआ है। साथ ही, वे अपनी अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में भी सक्षम हुए हैं। 1970 के दशक में दक्षिण कोरिया और चीन दोनों के द्वारा ऐसा किया गया और उनकी अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

- **समाज के लिए लाभकारी:** समाज के लिए, यह तीव्र नवाचार एवं विकास, बेहतर कार्य करने वाली संस्थाओं, वृहत्तर अंतर-पीढ़ीगत सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक विश्वास का उच्च स्तर और संघर्ष की निम्न संभाव्यता में योगदान कर सकता है।
- **लोगों की उत्पादकता और वित्तीय संसाधनों को बढ़ाकर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता में सुधार करता है।**

आगे की राह

- **साक्षरता के लक्ष्यों, साधनों और उपायों को स्पष्ट करने हेतु राजनीतिक व तकनीकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित** की जानी चाहिए।
- **सर्वप्रथम बच्चों को उस भाषा में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, जिसे वह बोलते और समझते** हों। शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रारंभिक वर्षों में जिन छात्रों को उनके घरों में प्रयुक्त होने वाली भाषा में पढ़ाया जाता है, उनकी समझ अन्यों की तुलना में अधिक होती है।
- **शिक्षक के लिए एक पेशेवर विकास** योजना को अपनाया जाना चाहिए, जो विशिष्ट कक्षा कौशल का अभ्यास करने पर विशेष रूप से बल देती हो।
- **आयु एवं कौशल अनुकूल, बेहतर और उत्तम पाठ्य-पुस्तकों तक समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित** की जानी चाहिए। मंगोलिया में पुस्तकों तक बेहतर पहुंच से छात्र परिणामों में 0.21 मानकों का सुधार हुआ है।

लर्निंग पॉवर्टी के निवारण हेतु उठाए गए कदम

- **विश्व बैंक ने** वर्ष 2030 से पहले लर्निंग पॉवर्टी दर को कम से कम आधा करने के लिए **एक नए परिचालनात्मक वैश्विक अधिगम लक्ष्य का शुभारंभ किया है।**
- **भारत में:**
  - **मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)** वर्ष 2025 तक प्राथमिक विद्यालय और उसके आगे की कक्षाओं के सभी बच्चों के लिए मूलभूत कौशल (पढ़ना, लिखना और अंकगणित) सिखाने के लक्ष्य को प्राप्त करने का आह्वान करती है।
  - शिक्षा मंत्रालय ने पहले ही **बेहतर समझ और संख्या ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण भारत) मिशन** की शुरुआत की है।
  - **नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (SEQI)** का उद्देश्य अधिगम परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना है।
  - शिक्षकों को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) द्वारा शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए 'निष्ठा (NISHTHA)' नामक एक क्षमता विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है।

3.2. स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education in Schools)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में किए गए **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)**[31] **और शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER)**[32] ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के मुद्दों को फिर से सुर्ख़ियों में ला दिया है।

NAS और ASER के बारे में

NAS	ASER
यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर **छात्र अधिगम हेतु** आयोजित किया जाने वाला एक प्रतिनिधिक व्यापक सर्वेक्षण है।	यह **'प्रथम' नामक एजुकेशन फाउंडेशन** द्वारा संचालित किया जाता है। ASER भारत के सभी ग्रामीण जिलों में **वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष** आयोजित किया जाता है।
NAS, **स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता** को व्यवस्थित स्तर पर प्रदर्शित करता है।	इसका उद्देश्य भारत के **प्रत्येक जिले और राज्य के लिए बच्चों के नामांकन और बुनियादी अधिगम (सीखना) स्तर का विश्वसनीय अनुमान प्रदान** करना है।
सर्वेक्षण की कार्यवाही के दौरान, राज्यों के शिक्षकों ने देखा कि बच्चे (विशेष रूप से कक्षा 3 और 5 के बच्चे) **न तो प्रश्नों को भलीभांति समझ पा रहे हैं तथा न ही ओएमआर शीट भरने में सक्षम हैं।**	यह स्कूल-आधारित न होकर **पारिवारिक आधार पर सर्वेक्षण** है। यह भारत में सबसे बड़ा **नागरिक-नेतृत्व वाला सर्वेक्षण** है।

[31] National Achievement Survey

[32] Annual Status of Education Report

ASER 2021 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- वर्ष 2018 और वर्ष 2021 के बीच सभी कक्षाओं में बालक और बालिकाओं दोनों के नामांकन में **निजी से सरकारी स्कूलों की ओर "शिफ्ट" का** एक पैटर्न दिखाई दिया है।
- **ट्यूशन** लेने वाले बच्चों का अनुपात **वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक बढ़ गया** है, ज्यादातर वंचित परिवारों में। सर्वाधिक वंचित परिवारों के बच्चों में ट्यूशन लेने की प्रवृत्ति में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है।
- सभी कक्षाओं में नामांकित सभी बच्चों में से **दो तिहाई से अधिक के पास घर पर स्मार्टफोन** है। स्मार्टफोन वाले घरों में भी केवल एक चौथाई बच्चे (27%) ही आवश्यकता होने पर इसका उपयोग कर पाते थे।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा क्या है और इसका क्या महत्व है?

हालांकि, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की **कोई मानक परिभाषा** नहीं है, परन्तु इसे आमतौर पर प्रत्येक छात्र के **सामाजिक, भावनात्मक, मानसिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास** पर केंद्रित माना जाता है। यह **बच्चे को जीवन के लिए तैयार** करता है न कि केवल परीक्षण के लिए।

स्कूली शिक्षा प्रणाली को प्रभावित करने वाले मुद्दे

- **नामांकन पर ध्यान देना:** नामांकन में सुधार पर ध्यान देने के साथ, हमने लगभग-सार्वभौमिक स्कूल नामांकन हासिल किया है। हालांकि, शिक्षा की गुणवत्ता की उत्तरोत्तर आवश्यक निगरानी और अधिगम के परिणाम, शिक्षकों की अनुपस्थिति आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
- **योग्य शिक्षकों की कमी:** नीति आयोग के अनुमानों के अनुसार, कई शिक्षक स्वयं अपने द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षा के **विषय में <60-70% स्कोर कर रहे हैं।**
- **गैर-शिक्षण कार्यों में शिक्षकों की संलग्नता:** राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA)[33] की एक रिपोर्ट के अनुसार, **शिक्षक के वार्षिक स्कूल के घंटों का केवल लगभग 19% ही शिक्षण गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता है।** शेष समय गैर-शिक्षण गतिविधियों में उपयोग किया जाता है, जैसे चुनाव ड्यूटी, डेटा संग्रह आदि।

- **निम्नस्तरीय अध्ययन-अध्यापन पद्धति:** स्कूली अध्यापन पद्धति अधिकांशतः **रटंत अधिगम पर केंद्रित** रही है। जीवन कौशल पर अत्यंत कम या न के बराबर ध्यान दिया जाना तथा **सभी शिक्षण मॉडल के लिए एक जैसी व्यवस्था (One-size-fits-all teaching model)** का होना स्कूली अध्यापन से संबंधित चुनौतियों को बढ़ाते हैं। साथ ही, विद्यार्थियों के मध्य **अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा**, विशेषकर 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों पर अत्यधिक तनाव और दबाव उत्पन्न करती है। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य और आत्म-सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

---
33 National Institute of Educational Planning and Administration

- **बुनियादी ढांचे और संसाधनों की कमी:** बड़ी संख्या में प्रारंभिक विद्यालयों में कोई ढांचा और पेयजल, बिजली, अध्ययन सामग्री आदि जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

क्या किए जाने की आवश्यकता है?

- **शिक्षण पेशे को पुनः आकार देना:** शिक्षकों को **आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, उपकरण और कार्यप्रणाली (जैसे स्मार्ट क्लासरूम** एवं डिजिटल पाठ्यक्रम सामग्री) के साथ प्रशिक्षित तथा समर्थित किया जाना चाहिए। इसके साथ ही, शिक्षक की शिक्षा के लिए **प्रत्यायन की पारदर्शी और विश्वसनीय प्रणाली** स्थापित की जानी चाहिए।
- **शिक्षण पद्धति को पुनः स्वरूप प्रदान करना:**
  - **अनुभवात्मक अधिगम** जैसे कला-समेकित शिक्षा, कहानी सुनाने के माध्यम से शिक्षाशास्त्र आदि।
  - आमने-सामने शिक्षण, करियर मार्गदर्शन और छात्रों को सलाह देने आदि जैसे तंत्र के माध्यम से **व्यावहारिक अधिगम** के लिए स्वयंसेवी प्रयासों में समुदाय एवं स्कूलों के पूर्व छात्रों को शामिल करने के प्रयास किए जाने चाहिए।
  - मूल्यांकन साधनों में सुधार करके **अधिगम** बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मूल्यांकन साधन को **सीखने के परिणामों, क्षमताओं और किसी नियत कक्षा के प्रत्येक विषय के लिए निर्दिष्ट प्रकृति के साथ संगत** किया जाना चाहिए।
- **बुनियादी ढांचों में सुधार करना:** मूलभूत सुविधाएं जैसे सुरक्षित पेयजल, पृथक शौचालय आदि की व्यवस्था करना।
- **जवाबदेहिता बढ़ाना:** गुणवत्ता मूल्यांकन अंतर्दृष्टि और स्कूलों के दौरे से प्राप्त डेटा एवं उनकी अकादमिक निगरानी के बारे में डेटा एकत्र करने की आवश्यकता है। इस डेटा का उपयोग **सोपानगत, डेटा-समर्थित और नियमित समीक्षा बैठकों** के लिए किया जा सकता है।

अन्य संबंधित तथ्य

संसदीय स्थायी समिति ने "स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार" हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है-

पाठ्यपुस्तकों में गैर-ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भों की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य **भारतीय इतिहास के सभी चरणों का आनुपातिक संदर्भ सुनिश्चित करना और महान उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश** डालना था।

- **समिति की प्रमुख सिफारिशें:**
  - पाठ्य-पुस्तक के कंटेंट, ग्राफिक्स और लेआउट, पूरक सामग्री एवं शैक्षणिक दृष्टिकोणों से संबंधित **अनिवार्य मानकों को विकसित** किया जाना चाहिए।
  - चित्रों, ग्राफिक्स, क्यूआर कोड और अन्य ऑडियो-विजुअल कंटेंट के उपयोग के माध्यम से **बच्चों के अधिक अनुकूल पाठ्यपुस्तकों** की आवश्यकता है।
  - **प्राथमिक विद्यालय की पाठ्यपुस्तकों को दो उद्देश्यों की पूर्ति करनी चाहिए:** शिक्षा के मुख्य घटकों (पढ़ना, लिखना आदि) को एक मजबूत आधार प्रदान करना और छात्रों में जिज्ञासा पैदा करना।
  - पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न राज्यों और जिलों के अब तक **अज्ञात उन पुरुषों एवं महिलाओं के जीवन विवरण को शामिल करना चाहिए,** जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय इतिहास, गौरव तथा एकता को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
  - ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और स्वतंत्रता सेनानियों के **गलत चित्रण** में सुधार किया जाना चाहिए।
  - नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे **प्राचीन विश्वविद्यालयों में अपनाई गई शिक्षण पद्धतियों का अध्ययन किया जाना चाहिए।** साथ ही, उन पद्धतियों को शिक्षकों के लिए एक आदर्श संदर्भ के रूप में स्थापित करने हेतु उन्हें उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।
  - **पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों को आधुनिक विज्ञान से जोड़ा जाना चाहिए।** इसके अतिरिक्त दर्शन, विज्ञान, गणित आदि क्षेत्रों में प्राचीन भारत के योगदानों को भी पाठ्यपुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (NCF)[34] तैयार करने के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)[35] का गठन किया है:

- NSC की **अध्यक्षता के. कस्तुरीरंगन करेंगे।** उन्होंने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 की प्रारूप समिति की भी अध्यक्षता की थी।
- **NSC के विचारार्थ विषयों में शामिल होंगे:**
  - समिति चार NCF विकसित करेगी: **स्कूली शिक्षा, बाल्यकालीन देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा।**
  - सभी NCF भविष्य के लिए संबंधित क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों के प्रभावों पर भी विचार करेंगे।
  - राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा (SCF) से इनपुट प्राप्त किए जा सकते हैं।

[34] National Curriculum Framework

[35] National Steering Committee

- NCF, संपूर्ण देश के विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण और अधिगम प्रथाओं के लिए एक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करता है। यह स्कूली शिक्षा की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है।
    - NCF को अंतिम बार वर्ष 2005 में तैयार किया गया था और इसे वर्ष 1975, वर्ष 1988 और वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था।
    - राज्य सरकारें भी **राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (SCERT)** की भागीदारी के माध्यम से अपने स्कूली पाठ्यक्रम को संशोधित करने में NCF का अनुपालन करती हैं। राज्यों की ये परिषदें SCFs तैयार करती हैं।
    - NCF, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 को लागू करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
- NEP-2020 ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-1986 को प्रतिस्थापित किया है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात (GER) (Gross Enrolment Ratio: GER) के साथ पूर्व-विद्यालय स्तर से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना है।

3.3. शिक्षा में निजी क्षेत्रक की भागीदारी (Private Sector Participation in Education System)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने निजी क्षेत्रक से अपील की है कि वे आगे आएं और शिक्षा के क्षेत्र में अपना कुछ योगदान दें।

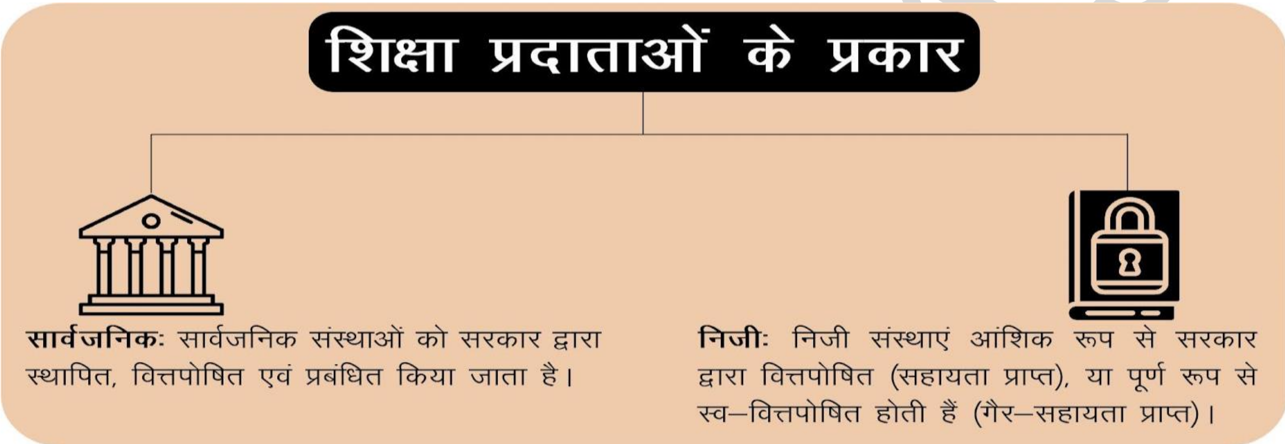

शिक्षा में निजी क्षेत्रक

- अधिकांश बाजारों में, यह माना जाता है कि निजी क्षेत्रक का उद्देश्य केवल लाभ अर्जित करना होता है। लेकिन, जब शिक्षा की बात आती है, **तो निजी क्षेत्रक को नॉट-फॉर प्रॉफिट** (लाभ के लिए नहीं) के आधार पर कार्य करने की ज़रूरत होती है।
- **सरकार शिक्षा में निजी क्षेत्रक को दो तरीकों से अनुमति दे सकती है-**
    - **निजी वित्त पहल (PFI)[36]:** सरकार लंबे समय के लिए अनुबंध कर सकती है। इसमें ऐसे मामले शामिल होते हैं, जिनमें प्रमुख शिक्षा संस्थानों का स्वामित्व अधिकार निजी क्षेत्रक के पास हो।
    - **फ़्रैंचाइज़ी के लिए अनुबंध:** कुछ विशेष शिक्षा संबंधी परिसंपत्तियों

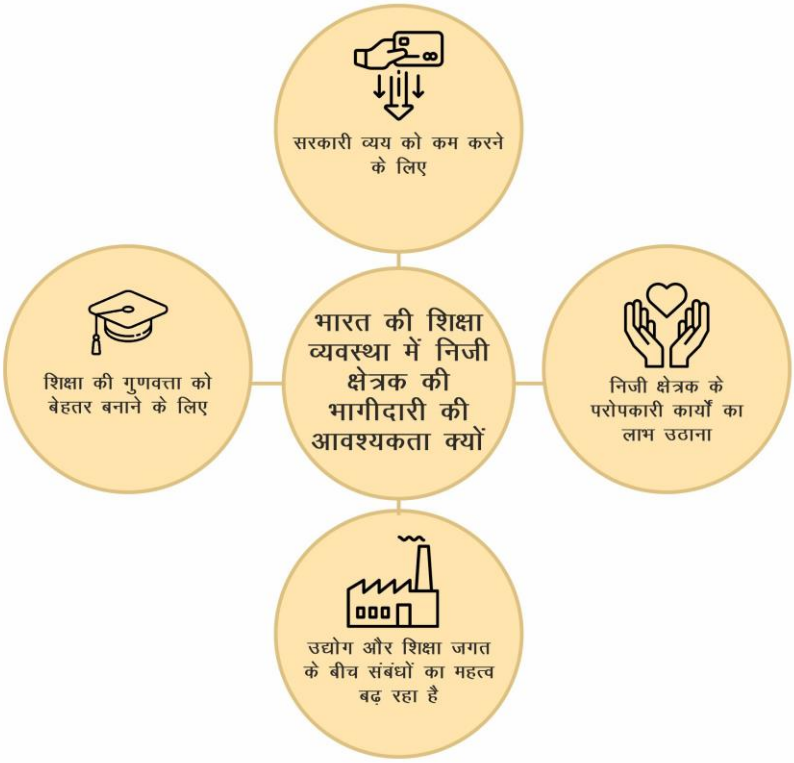

[36] Private Finance Initiative

में ही निजी क्षेत्रक को निवेश की अनुमति दी जा सकती है।

शिक्षा प्रणाली में निजी क्षेत्रक की भागीदारी से भारतीय शिक्षा क्षेत्रक के सामने आने वाली समस्याएं

- **शिक्षा का समावेशी न होना:** शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा प्रणाली समावेशी नहीं रह गई है। इससे अपेक्षाकृत संपन्न और धनी छात्रों को व्यापक विकल्प हासिल हुए हैं। लेकिन बहुत गरीब वर्ग, लड़कियां और वंचित वर्ग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।
- **शिक्षा का वाणिज्यीकरण:** मौजूदा विनियामक व्यवस्था केवल लाभ अर्जित करने वाले निजी स्कूलों द्वारा किए जा रहे शिक्षा के वाणिज्यीकरण और अभिभावकों के आर्थिक शोषण को नियंत्रित नहीं कर सकी है। इसके अतिरिक्त, इस कारण से ऐसे स्कूल भी हतोत्साहित होते हैं, जो निजी क्षेत्रक द्वारा या परोपकारी गतिविधि के तौर पर लोगों के कल्याण के लिए संचालित किये जा रहे हैं।
- **प्रभावी विनियमन का नहीं होना:** भारत में विनियमन और प्रत्यायन (accreditation) की व्यवस्था केंद्रीकृत है। संघीय राज्यों में इनकी पहुंच बहुत कम है। यह भी पाया गया है कि कई राज्यों में विनियामकीय एजेंसियों जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) में भ्रष्ट गतिविधियां चल रही हैं।
- **नकारात्मक धारणा:** शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी और निजी क्षेत्रक के उद्देश्यों के बीच विचारणीय समानता नहीं है। प्राय: उनके उद्देश्य एक-दूसरे के विरोधाभासी होते हैं। इससे, इस तरह की अव्यवस्था की संभावना को लेकर आशंका उत्पन्न होने लगती है।
- **काला धन:** अधिकतर निजी शिक्षा संस्थान ट्रस्ट या सोसाइटी के रूप में संचालित हैं, जो लाभ अर्जन पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। परन्तु ये कुछ ऐसी संस्थाओं के साथ लेन-देन करती हैं, जो स्कूलों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सेवाओं एवं वस्तुओं की आपूर्ति करती हैं। इस प्रकार ये सोसायटी या ट्रस्ट बड़ी मात्रा में काला धन कमाती हैं।
  - इस बुराई को समाप्त करने के लिए कई विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा संस्थानों को 'लाभ अर्जित करने वाली संस्था' के तौर पर संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। शर्त यह होनी चाहिए कि उन्हें कम लागत में बेहतर शिक्षा प्रदान करनी होगी।

आगे की राह

- **व्यापक नीति:** निवेश को लेकर सरकार की स्पष्ट और निर्णायक नीति होनी चाहिए। इससे संपूर्ण पहल को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होगी। साथ ही, सरकारी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में निजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
- **विनियामक परिवेश:** नागरिक समाज समूहों, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के गठबंधनों और राज्यों को मिलकर कार्य करना चाहिए, ताकि शिक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उचित विनियामक परिवेश तैयार किया जा सके।
- **प्रबंधन और प्रशासन के लिए निजी क्षेत्रक की सेवा लेना:** निजी क्षेत्रक अपनी प्रबंधकीय क्षमताओं तथा उच्च कौशल युक्त प्रशासकीय योग्यताओं के लिए विख्यात है। इसलिए प्रबंधकीय और प्रशासकीय कार्यों को आउटसोर्स कर देने से मौजूदा संकाय सदस्य इन गतिविधियों से मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार वे अपना अधिक समय एवं अवसर अपने अनुसंधान पर दे सकेंगे। जिन कार्यों को आउटसोर्स किया जा सकता है उनमें परिणाम तैयार करना, कार्यक्रमों का आयोजन और अलग-अलग समितियों का गठन तथा उनका कामकाज आदि शामिल हैं।
- **छात्रों को मौद्रिक और अमौद्रिक, दोनों सहायता प्रदान करना:** इनके तहत CSR फंडिंग और निजी क्षेत्रक के परोपकारी कार्य इन क्षेत्रों में वित्तपोषण के लिए उपयोगी स्रोत हो सकते हैं। साथ ही निजी क्षेत्रक वंचित पृष्ठभूमि के चुनिंदा छात्रों को आर्थिक सहायता दे सकता है।
- **संगोष्ठियां और निवेशक सम्मेलन** निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रभावी तरीके हैं। इस तरह, उन्हें देश के शिक्षा क्षेत्रक में निजी पहल के बारे में सरकार की सोच से भी अवगत कराया जा सकता है।

3.4. भारत में एडटेक (शिक्षा प्रौद्योगिकी) क्षेत्र (EdTech Sector in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने नागरिकों को एडटेक कंपनियों के प्रति सावधानी बरतने की सलाह जारी की है।

- **एडटेक के बारे मेंएडटेक, "शिक्षा प्रौद्योगिकी[37]" का संक्षिप्त नाम** है। इसमें विद्यार्थियों और कर्मचारियों को शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कंप्यूटर, कंप्यूटर प्रोग्राम व शैक्षणिक प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है।

[37] Education Technology: EdTech

VISION IAS

- **भारत में मुख्य एडटेक स्टार्टअप्स:** वैश्विक (कोर्सेरा, सिंपलीलर्न, उदासिटी, लिंडा.कॉम, स्किलसॉफ्ट आदि) और भारतीय (बायजू, अनएकेडमी, टॉपर, अपग्रैड आदि)।

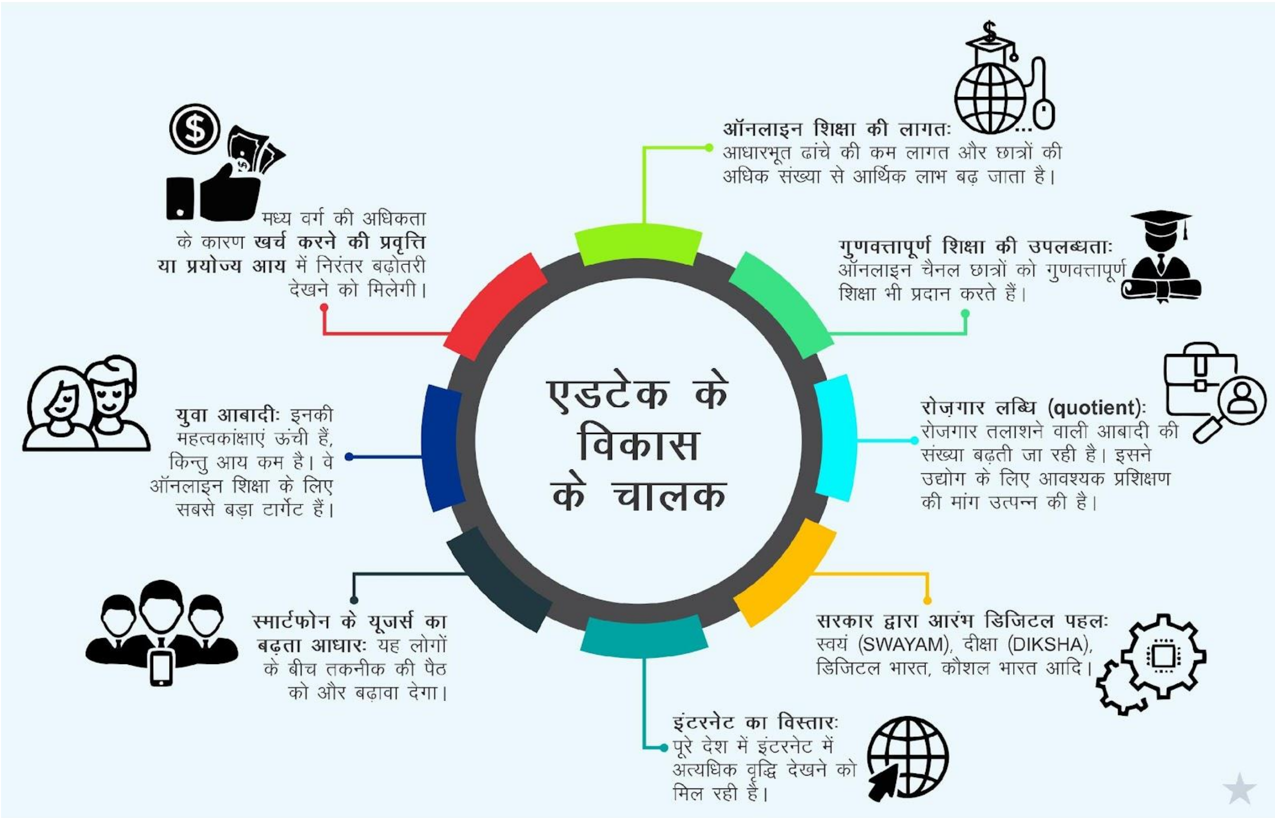

विनियमन की आवश्यकता क्यों है?

- **महामारी के कारण पारंपरिक शिक्षा में बाधा:** स्कूलों और महाविद्यालयों ने अब डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम को अपना लिया है। इससे विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा जारी रखने में मदद मिल रही है। इसलिए डिजिटल अनुभवों में व्याप्त असमानता को भी ध्यान में रखना चाहिए।
- **साइबर खतरों पर नियंत्रण:** साइबर बुलिंग, कम आयु के बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री के विषयों पर नज़र रखना, साइबर हमलों या फिशिंग घोटालों से बच्चों को बचाना, अध्यापकों/ प्रशिक्षकों/कंटेन्ट बनाने वालों की जांच करना आदि।
- **गोपनीयता से संबंधित चिंता:** एडटेक कंपनियों की गोपनीयता नीति अनिश्चित और अस्पष्ट होती हैं। यह मान लिया जाता है कि सहमति और जिम्मेदारी उपयोगकर्ता की है। ज़्यादातर उपभोक्ताओं के पास न तो इसकी कानूनी समझ होती है और न ही उन्हें समझाया जाता है।

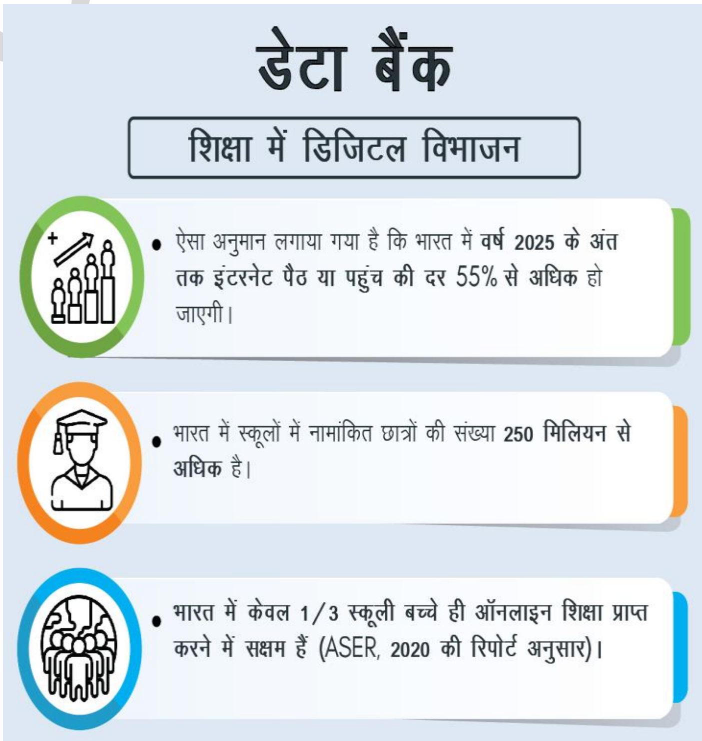

- **सामाजिक कौशल को नज़रंदाज़ करता है:** अनेक शैक्षिक सिद्धांतवादियों, मनोवैज्ञानिकों और समाजशास्त्रियों को यह भय है कि जो विद्यार्थी केवल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वह अपने सामाजिक कौशल को विकसित नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि यह कौशल अन्य लोगों के साथ परस्पर संवाद से ही विकसित होता है।
- **झूठे वादे:** कुछ एडटेक कंपनियां अनभिज्ञ अभिभावकों को लक्षित करके, उन्हें निशुल्क सेवाएं देने के प्रलोभन में उनसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेंडेट पर हस्ताक्षर या ऑटो-डेबिट की सुविधा को चालू करवा लेती हैं।
- **नाबालिगों के अधिकारों का संरक्षण:** भारत में अधिकतर एड-टेक कंपनियां बारहवीं तक के पाठ्यक्रम और प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। इसलिए, इनके ज्यादातर उपभोक्ता नाबालिग ही होते हैं। भारतीय कानून के तहत, नाबालिग (यानी 18 वर्ष या उससे कम) किसी समझौते का हिस्सा नहीं बन सकते।
- **सामाजिक और नैतिक मुद्दे:** पक्षपाती कंटेंट वितरण, करियर संबंधी निर्णयों पर प्रभाव, शिक्षकों के कौशल विकास या पुनर्विकास में कमी, विनियामकीय स्वीकृति के बिना ही कंटेंट का मानकीकरण एवं आधुनिकीकरण आदि।

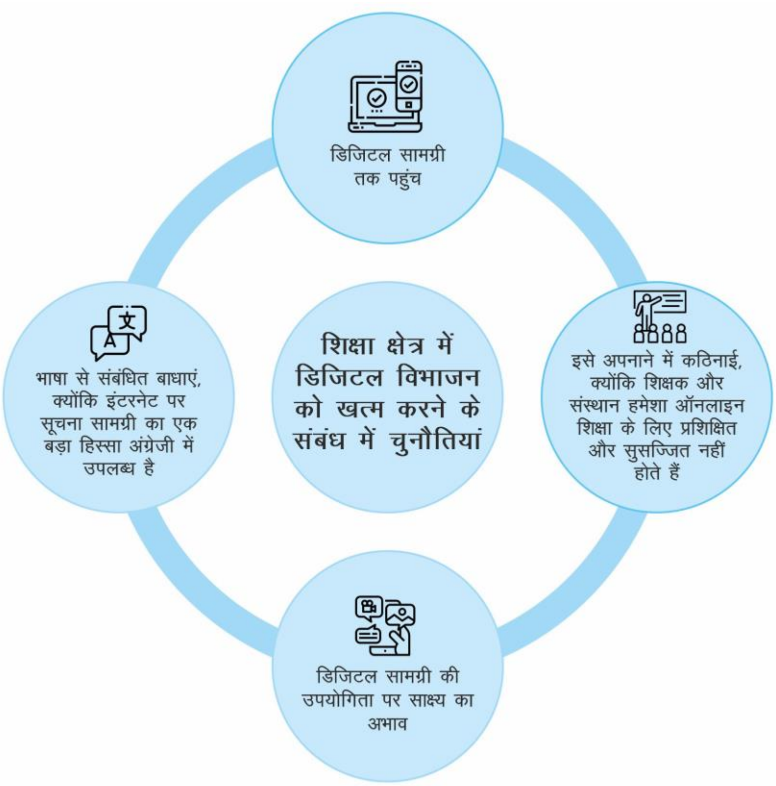

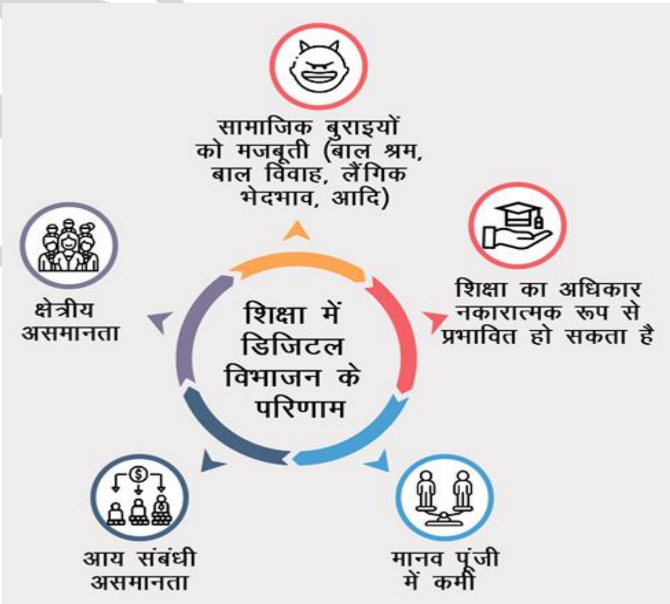

शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल विभाजन को समाप्त करने के लिए उठाये गए कदम

- **ई-पाठशाला:** यह पहल छात्रों को, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को, बहुतायत में उपलब्ध अध्ययन सामग्री तक पहुंच प्राप्त करने तथा उनका लाभ उठाने में सक्षम बनाती है।
- **डिजिटल इंडिया अभियान:** यह अभियान उन्नत ऑनलाइन बुनियादी ढांचे की उपलब्धता को सक्षम बनाता है। यह कार्य उन्नत तकनीकी पहुंच की लाभकारी स्थिति के साथ भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त देश में परिवर्तित करने के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी और स्पीड को प्राथमिकता देकर संपन्न किया जाएगा।
- **सामान्य सेवा केंद्र (CSC):** भारत सरकार द्वारा उन्नत बुनियादी ढांचा स्थापित करने से दुर्गम क्षेत्रों के लोगों की डिजिटल पहुँच को सुनिश्चित किया जा सकता है।

Mains 365 – सामाजिक मुद्दे

- **ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क:** यह पहल भारतीय जनसंख्या के लिए तीव्र ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में मदद करती है।
- **पीएम दीक्षा (प्रधान मंत्री डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग- PM DIKSHA):**.दीक्षा **शिक्षकों के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल बुनियादी ढांचे** के रूप में कार्य करता है। साथ ही, यह अधिकांश आधुनिक शिक्षकों को डिजिटल ज्ञान प्रदान करने में मदद करता है।
- **पीएमजी-दिशा (PMGDISHA):** 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (PMGDISHA) को वर्ष 2017 में 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए शुरू किया गया था।

आगे की राह

- **डिजिटल आधारभूत ढांचे को मज़बूत बनाना:** अधिक लोगों तक शैक्षिक कंटेन्ट का प्रचार करने के लिए कम खर्च वाले डिजिटल मंचों पर विचार करने की ज़रूरत है। केरल के नेबरहुड शिक्षण केंद्र इस तरह के मंचों के एक उदाहरण हैं।
- **सामाजिकता:** छात्रों को सामाजिक जुड़ाव बढ़ाने का पर्याप्त अवसर देने के साथ ही उनके भावनात्मक कल्याण में निवेश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक ही तरीके की डिजिटल विषय सामग्री की वजह से इनके साथ समझौता किया गया है।
- **डेटा संरक्षण:** डेटा को किस तरह संग्रहीत, संचित व संसाधित किया जाता है तथा उसका कैसे विश्लेषण व उपयोग किया जाता है, इसकी एक निर्धारित प्रणाली एवं नीति होनी चाहिए। एडटेक कंपनियों के डेटा गोपनीयता कार्यालयों और वैध अधिकारियों से संपर्क करने का माध्यम अंतिम उपभोक्ता के पास होना चाहिए।
- **जागरूकता:** शिक्षण संस्थानों और सरकारी शिक्षण विभागों को जागरूकता अभियान आयोजित करवाना चाहिए। साथ ही, इन एडटेक कार्यक्रमों की नियमित ऑडिटिंग और प्रदर्शन समीक्षा करवानी चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय ने हितधारकों के लिए "क्या करें और क्या न करें" निर्देश जारी किए:

- सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए ऑटो डेबिट विकल्प से बचें।
- एडटेक कंपनियों के विज्ञापनों पर आँख मूँद कर भरोसा न करें।
- किसी भी एडटेक मंच का उपयोग करने से पहले शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए **'प्रज्ञाता (PRAGYATA)'** दिशा-निर्देशों में उल्लिखित बाल सुरक्षा दिशा-निर्देशों को पढ़ें।
- अभिभावक की सहमति के बिना खरीदारी की अनुमति न दें। ऐप से खरीदारी से बचने के लिए RBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार ओ.टी.पी. आधारित भुगतान को अपनाया जा सकता है।

शिक्षा मंत्रालय ने एडटेक कंपनियों को भी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है:

- ई-कॉमर्स इकाइयों के रूप में मान्य एडटेक कंपनियों को **उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020** का पालन करना होगा।
- शिक्षण संस्थानों (जिनमें एडटेक कंपनियां और उनके कार्यक्रम भी शामिल हैं) के विज्ञापनों में विज्ञापन पर स्व-विनियमन के लिए एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स कौंसिल ऑफ़ इंडिया (ASCI) की संहिता का भी अनुपालन करना होगा।

संबंधित तथ्य

UGC सुधारों के तहत शिक्षा प्रौद्योगिकी (एडटेक/EdTech) कंपनियां ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग कर सकती हैं

- **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) (मुक्त और दूरस्थ प्रोग्राम्स तथा ऑनलाइन प्रोग्राम्स) विनियमन, 2020** में कुछ संशोधन प्रस्तावित किये गए हैं। इन संशोधनों के माध्यम से एडटेक कंपनियों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके तहत एडटेक कंपनियां पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने और छात्रों के मूल्यांकन में मदद करेंगी। इसके लिए वे **ऑनलाइन स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री** प्रदान करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करेंगी।
- **इस कदम का महत्व:**
  - यह एक **विशाल मूल्य वाला बाजार** है। भारतीय एडटेक उद्योग का मूल्य वर्ष 2020 में 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2025 तक इसके 39.77 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR)[38] पर 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
  - यह कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लिए **अधिक लचीलेपन को प्रोत्साहित करेगा।**
  - इसके तहत तेजी से बढ़ते एडटेक क्षेत्र के साथ **उपलब्ध तकनीकी उपकरणों** का उपयोग किया जा सकेगा।
  - साथ ही, यह एडटेक क्षेत्र और डिजिटल स्कूली शिक्षा को **पारदर्शी एवं विधिसंगत** बनाएगा।
- इसके अलावा, **शिक्षा मंत्रालय ने 'डिजिटल विश्वविद्यालय: विश्व स्तर की उच्च शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना'** विषय पर वेबिनार का आयोजन किया है। यह आयोजन डिजिटल शिक्षा तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया है।
  - डिजिटल यूनिवर्सिटी प्रणाली में **तीन महत्वपूर्ण घटक होंगे:**
    - प्रौद्योगिकी मंच प्रदाता,
    - डिजिटल कंटेंट निर्माता, और
    - डिजिटल शिक्षा तंत्र के मूल में डिजिटल विश्वविद्यालय से संबद्ध उच्चतर शिक्षा संस्थान।

3.5. प्रतिभा पलायन (Brain Drain)

सुर्ख़ियों में क्यों?

एक हालिया रिपोर्ट में यह अनुमान व्यक्त किया गया है कि प्रत्येक वर्ष लगभग **8 लाख छात्र उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अन्य देशों की ओर पलायन कर जाते हैं।** इससे, प्रतिभा पलायन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ये छात्र 28 बिलियन डॉलर या **भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत** व्यय करते हैं।
- इसमें से, करीब **6 बिलियन डॉलर शिक्षा शुल्क के रूप में (यानी करीब** 45,000 करोड़ रुपये) विदेशी विश्वविद्यालयों के पास जाते हैं। जबकि, यह पूँजी प्रत्येक साल **10 नये IITs, IISER या JNU या ऐसे किसी भी विशिष्ट संस्थान को शुरू करने और उनके संचालन** के लिए पर्याप्त है।

प्रतिभा पलायन के बारे में

"प्रतिभा पलायन" पद मूलतः **मानव पूंजी संसाधनों के अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण** को रेखांकित करता है। यह मुख्य रूप से **विकासशील देशों के उच्च शिक्षित व्यक्तियों के विकसित देशों की ओर पलायन** को प्रतिबिंबित करता है। उदाहरण के लिए-

- यह रिपोर्ट दर्शाती है कि वर्ष 1996-2015 के दौरान कक्षा 10 और कक्षा 12 की परीक्षाओं में **प्रथम स्थान पाने वालों में से आधे से अधिक छात्रों** का अन्य देशों की ओर पलायन हुआ है। इनमें से अधिकांश या तो **विदेशों (ज़्यादातर अमेरिका में) में पढ़ रहे थे या नौकरी कर रहे थे।**
- दुनिया की कुछ **सबसे बड़ी कंपनियों** जैसे अल्फाबेट, मास्टरकार्ड, माइक्रोसॉफ्ट आदि का नेतृत्व **भारतीय सीईओ** कर रहे हैं।

[38] Compound Annual Growth Rate

* मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट के अनुसार **वर्ष 2014-2020 के बीच उच्च निवल आय वाले या अत्यधिक संपन्न 35,000 भारतीय उद्यमियों ने अपनी नागरिकता का त्याग किया है।**

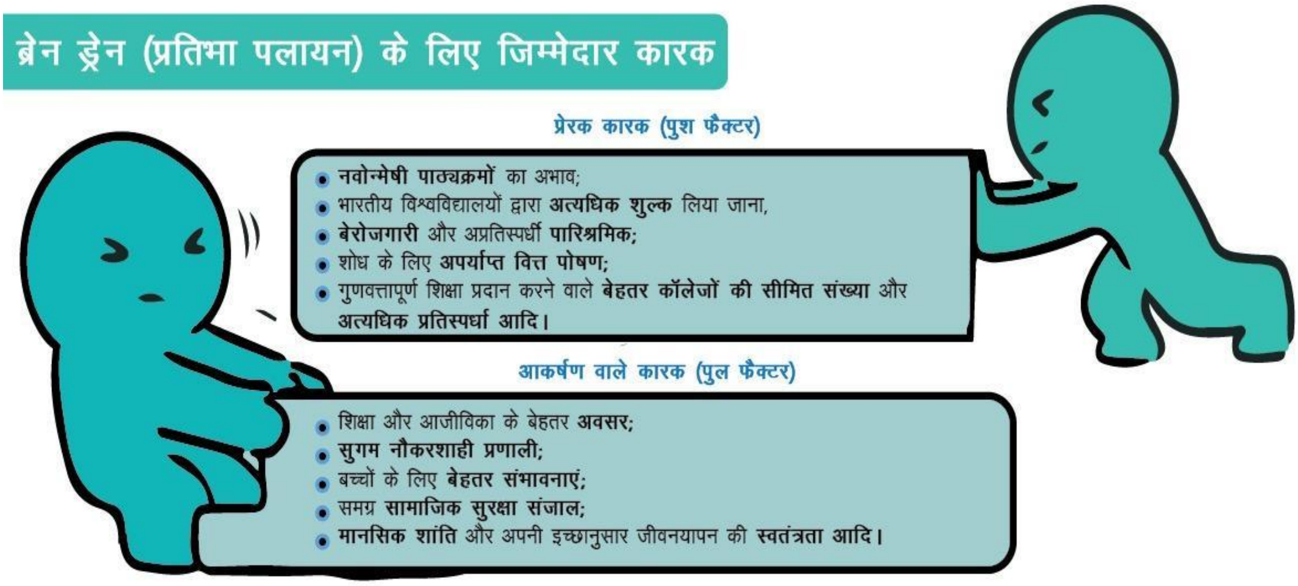

आगे की राह

* **चक्रीय प्रवास या प्रतिभा साझेदारी:** ऐसी नीतियां बनानी चाहिए, जो कामगारों को उनके प्रशिक्षण या अध्ययन के पूरा होने के बाद **स्वदेश लौटने के लिए प्रोत्साहित करें।**
* **उभरते क्षेत्रों में अवसर पैदा करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों की भूमिका को फिर से परिभाषित करना:** IIT जैसे विशिष्ट केंद्रीय संस्थानों को **दैनिक समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित कर उन्हें औपचारिक स्वरूप देने तथा उन्हें व्यावसायिक मॉडल और ऐसी नौकरी में** परिवर्तित करने हेतु प्रयास करने चाहिए, जिससे मूल्य प्रदान करने वाले समाधान प्रदान किए जा सकें।
    * उदाहरण के तौर पर वायु प्रदूषण को लिया जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) के एक अध्ययन में यह संभावना व्यक्त की गई है कि वायु प्रदूषण के कारण **लगभग 17 लाख मौतें हुई हैं और 2.6 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।**
    * उपयुक्त **पेशेवर जानकारी और व्यावसायिक मॉडल के साथ** उपर्युक्त उपाय, वायु प्रदूषण को मापने, कम करने और प्रबंधित करने तथा अत्यधिक आय अर्जक नौकरियों में **26,000 लोगों को रोजगार देने वाला 26,000 करोड़ रुपये का उद्योग** बन सकता है।

* **प्रवासियों हेतु भारत को शिक्षा का एक आकर्षक स्थान बनाना:** सरकार द्वारा हाल ही में **'स्टडी इन इंडिया'** कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आमंत्रित कर भारत को एक **प्रमुख शिक्षा केंद्र** के रूप में स्थापित करना है। **विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं:**

- छात्रों को आकर्षित करने के लिए **लक्षित भौगोलिक क्षेत्रों (जैसे कम आय वाले देशों)** की पहचान की जानी चाहिए और **ट्यूशन फीस** को कम करना चाहिए। इससे, इन देशों के **मध्यम और निम्न-आय वाले छात्र** भारत की ओर आकर्षित होंगे।
- उन विदेशी छात्रों के लिए अध्ययन के **उपयुक्त अल्पकालिक पाठ्यक्रम** तैयार करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए, जो विदेशों में अध्ययन करने के लिए केवल **एक सेमेस्टर या उससे भी कम** समय देना चाहते हैं। यदि यहां के विश्वविद्यालयों द्वारा अल्पकालिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं, तो भारत उच्च आय वाले देशों के **छात्रों को बेहतर तरीके से** आकर्षित कर सकता है।

- **अन्य देशों के साथ संस्थागत गतिशीलता को बढ़ावा देना:** संस्थागत संबंध विभिन्न स्वरूपों के माध्यम से स्थापित किए जा सकते हैं, जैसे-
  - किसी संस्थान के शाखा परिसर को खोलना, जिसमें प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाती हो। साथ ही, **मूल संस्थान या संयुक्त रूप से सहयोगी संस्थान** द्वारा डिग्री प्रदान की जाती हो।
  - **फ़्रैंचाइज़िंग:** इस व्यवस्था में एक अधिकृत घरेलू संस्थान द्वारा **अपने देश में शिक्षा से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।**
  - **ट्विनिंग:** इसका अर्थ है कि गृह और मेजबान देश में संस्थानों का **संयुक्त स्वामित्व होना और शिक्षा से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराना।**

प्रतिभा पलायन को रोकने के लिए की गई पहलें

- विजिटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च यानी VAJRA/वज्र फैकल्टी योजना: इसका उद्देश्य **विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों** सहित अनिवासी भारतीयों (NRI) एवं भारत के प्रवासी नागरिकों (OCI) को एक विशेष अवधि के लिए **सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों** में पढ़ाने के लिए आमंत्रित करना है।
- **रामानुजन फेलोशिप:** यह फेलोशिप उच्च क्षमता वाले भारतीय शोधकर्ताओं **(जो विदेशों में रह रहे हैं)** को विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में भारतीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में कार्य करने के लिए **आकर्षक प्रोत्साहन एवं अवसर प्रदान करती है।**
- **रामलिंगास्वामी री-एंट्री फेलोशिप:** यह कार्यक्रम देश के बाहर कार्य कर रहे उन **वैज्ञानिकों (भारतीय नागरिकों) को प्रोत्साहित** करने के लिए है, जो **जैविक विज्ञान, आधुनिक जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अपने अनुसंधान** को आगे बढ़ाने के लिए स्वदेश लौटना चाहते हैं।
- **अन्य पहलें: बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम (BRCP); भारतीय अनुसंधान प्रयोगशाला में भारतीय मूल के वैज्ञानिक/प्रौद्योगिकीविद्** (STIO[39])**; सीनियर रिसर्च एसोसिएटशिप (SRA) (वैज्ञानिकों का पूल योजना) आदि।**

संबंधित सुर्ख़ियां

भारतीय विश्वविद्यालयों के विदेशी परिसरों की स्थापना के लिए रोडमैप तैयार करने हेतु केंद्रीय समिति गठित की गई है

- **डॉ. के. राधाकृष्णन** की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति को **"उच्चतर शिक्षा संस्थानों** (HEIs)[40] **द्वारा विदेशों में परिसर खोलने के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करने"** का कार्य सौंपा गया है।
  - यह कदम **आई.आई.टी. दिल्ली द्वारा सऊदी अरब और मिस्र में अपने केंद्र खोलने** का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद उठाया गया है।
- इससे पहले, केंद्र सरकार ने **उत्कृष्ट संस्थानों** (IoE)[41] को विदेशी परिसर खोलने की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय से पूर्व अनुमोदन और विदेश मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य था।
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति** (NEP)[42] **2020 में भी शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण** का प्रस्ताव किया गया है। यह विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में संचालन की अनुमति प्रदान करती है। इसी तरह, यह सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को भी अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- **भारतीय HEIs के अन्य देशों में परिसरों की स्थापना से लाभ:**
  - भारतीय उच्चतर शिक्षा संस्थानों की **वैश्विक उपस्थिति** में वृद्धि होगी।
  - **अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार** करने में मदद मिलेगी।

[39] Scientists/Technologists of Indian Origin

[40] Higher Education Institutes

[41] Institutions of Eminence

[42] National Education Policy

- **भारत में अपना परिसर स्थापित करने वाले विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों से लाभ:**
    - भारतीय छात्र घरेलू परिवेश में सहजता से **समकालीन और विश्व स्तरीय मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों का अध्ययन** कर सकेंगे।
    - कम खर्च पर **विश्व स्तरीय पाठ्यक्रमों और शिक्षण कला तक अधिक छात्रों की पहुँच** हो सकेगी।
    - भारतीय **अध्यापन समुदाय के शैक्षणिक कौशल में वृद्धि** होगी।
    - **सकल नामांकन अनुपात को 50 प्रतिशत तक सुधारने** में मदद मिलेगी।

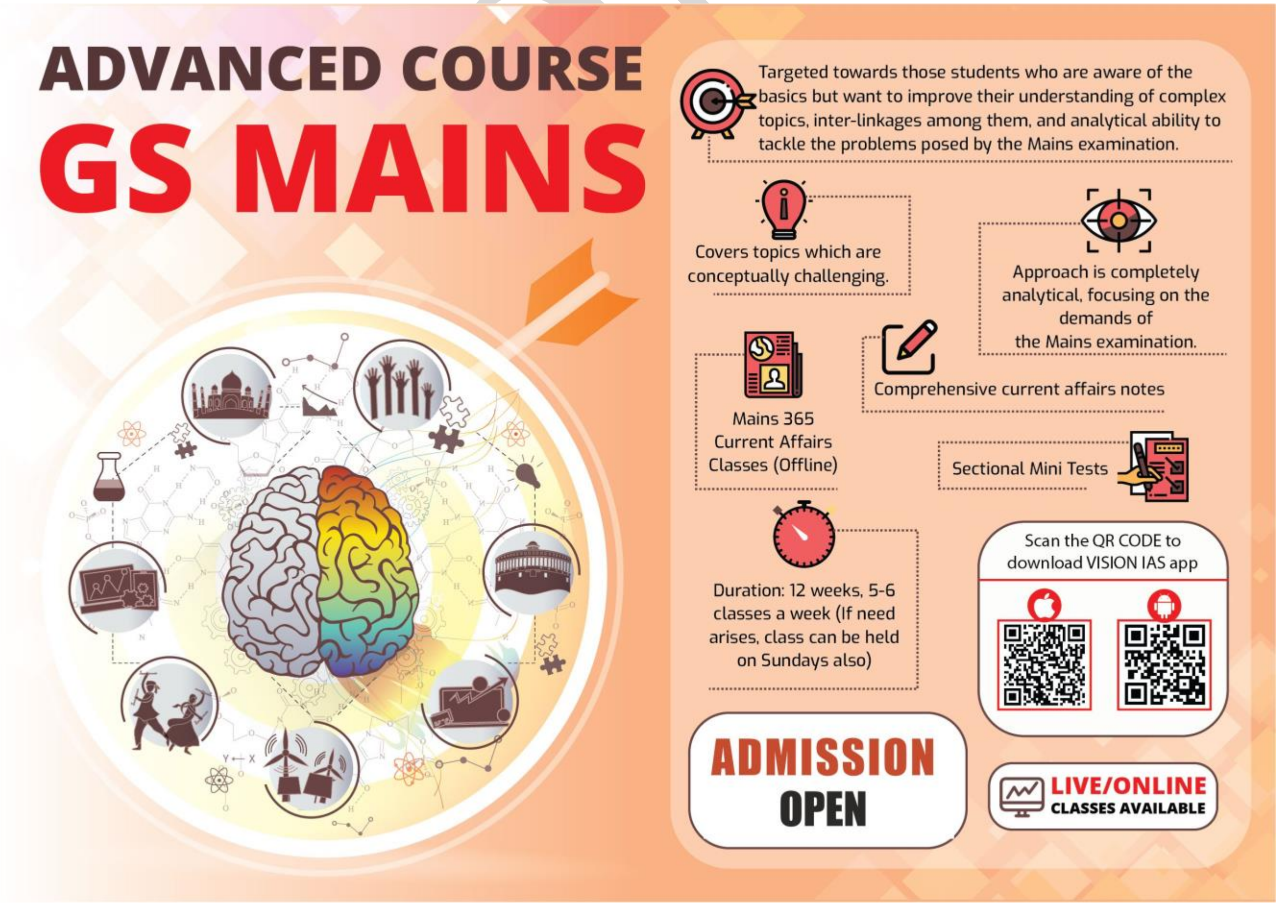

4. निर्धनता और विकास संबंधी मुद्दे (Poverty and Development Issues)

4.1. सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा (Universal Social Security)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सरकारी पैनल ने कर्मचारी पेंशन योजना (1995) की वहनीयता पर चिंता व्यक्त करते हुए गिग श्रमिकों और स्वनियोजित लोगों के लिए एक **सार्वभौमिक पेंशन योजना** की सिफारिश की है।

सामाजिक सुरक्षा और इसका महत्व

- सामाजिक सुरक्षा को **कर्मचारियों और अन्य श्रमिकों को प्रदान किए जाने वाले सुरक्षा उपाय के रूप में** परिभाषित किया गया है। इसमें **स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच** सुनिश्चित करना एवं विशेष रूप से वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, कार्य संबंधी चोट आदि स्थितियों में **आय की सुरक्षा** प्रदान करना शामिल हैं। (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020)।
  - अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा एक मानवाधिकार है।

सरकार की हालिया पहलें

- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020:** इसमें संगठित, असंगठित या किसी अन्य क्षेत्रक (जिसमें रोजगार के उभरते हुए नए प्रकार भी शामिल हैं) के सभी कर्मचारियों और कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पर **नौ केंद्रीय श्रम कानूनों** को समेकित किया गया है।
  - समाविष्ट किए गए कानूनों में कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 आदि शामिल हैं।
- **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PMSYM):** यह असंगठित कामगारों को वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है।
- **व्यापारियों, दुकानदारों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना:** यह व्यापारियों, दुकानदारों आदि के लिए एक स्वैच्छिक एवं अंशदायी पेंशन योजना है।
- **ई-श्रम पोर्टल:** इसका उद्देश्य असंगठित कामगारों के साथ-साथ प्रवासी श्रमिकों का एक **राष्ट्रीय डेटाबेस** तैयार करना है ताकि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाया जा सके।

भारत में सामाजिक सुरक्षा

- **विधिक स्थिति:** यद्यपि भारत में **यह एक मूल अधिकार नहीं** है किंतु एक **कल्याणकारी राज्य** होने के नाते **राज्य के नीति निदेशक तत्वों,** जैसे **अनुच्छेद 41, 42 और 47** का पालन करते हुए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है।
  - चूंकि **"श्रम" समवर्ती सूची** का विषय है, इसलिए नागरिकों को **सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक सहायता** संबंधी लाभ प्रदान करना केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारों का भी कर्तव्य है।

* **सामाजिक सुरक्षा का विस्तार: आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22** के अनुसार, वर्ष 2019-20 में श्रम बल में शामिल होने वाले अतिरिक्त श्रमिकों में से लगभग 90% अनौपचारिक प्रकृति के रोजगार में नियोजित थे और 98% से अधिक श्रमिक असंगठित क्षेत्रक में नियोजित थे। इनमें से **अधिकांश लोग सामाजिक सुरक्षा के दायरे से बाहर** हैं।

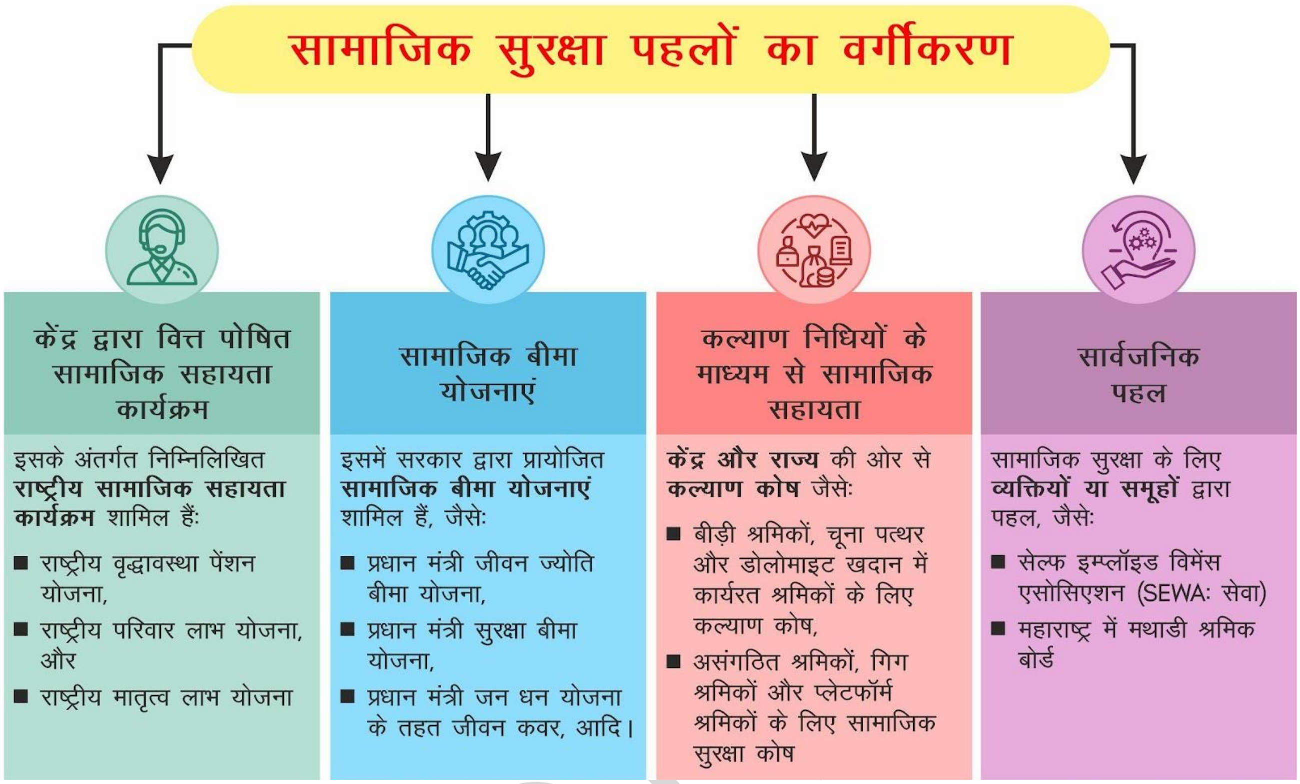

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां

* **असंगठित श्रमिकों (UWs) की बड़ी संख्या,** जिसमें निम्न आय और अनियमित (मौसमी) रोजगार प्रतिरूप वाले श्रमिकों का एक बड़ा वर्ग शामिल है।
* **अनभिज्ञता, निरक्षरता और श्रमिकों में एकजुटता की कमी** के कारण उनमें जागरूकता कम होती है।
* राज्य के **संसाधन सीमित होने** के साथ-साथ रक्षा, बुनियादी ढांचे आदि की प्रतिस्पर्धी मांग और कोविड-19 के कारण राज्य के वित्त में कमी की समस्या भी बनी हुई है।
* **अपेक्षाकृत कमजोर प्रशासनिक संरचना** के साथ **कानूनों में अंतराल** विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 निम्नलिखित समस्याओं

से ग्रस्त है:

- **राष्ट्रीय न्यूनतम लाभ नीति का अभाव**,
- असंगठित श्रमिकों (UWs) को पंजीकृत करने की जिला प्रशासन की जिम्मेदारी के संबंध में **जवाबदेही का अभाव,**
- **अतिव्यापी परिभाषाएं:** उदाहरण के लिए, ऐप-आधारित टैक्सी एग्रीगेटर के लिए कार्य करने वाला ड्राइवर एक ही समय में एक गिग श्रमिक, प्लेटफॉर्म श्रमिक और असंगठित कामगार तीनों होता है।

- अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में बढ़ते श्रम बल के कारण संगठित क्षेत्रक में **औपचारिक रोजगार में लगभग गतिरोध** आ गया है।
- संघ और राज्य स्तर पर अलग-अलग पहलों के साथ कई मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी के कारण **प्रशासन प्रणाली खंडित हो जाती है।**
- **अन्य समस्याएं** जैसे बहिष्करण त्रुटियां, लाभों की हस्तांतरणीयता/सुवाह्यता का अभाव, लैंगिक असमानता, तकनीकी अक्षमता आदि।
    - उदाहरण के लिए, केरल के कट्टुपनिया जनजाति समुदाय (खानाबदोश) को आधार कार्ड और निःशुल्क राशन कोविड-19 के बाद ही प्राप्त हुआ है।

आगे की राह

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, **सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा** को **मानवाधिकार** के रूप में मान्यता प्रदान करना, सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए **मानव-केंद्रित दृष्टिकोण** की आधारशिला है। इसलिए भारत को अपने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम को प्राथमिक आधार पर मजबूत बनाना चाहिए।

4.2. जबरन विस्थापन (Forced Displacement)

जबरन विस्थापन – एक नज़र में

जबरन विस्थापन तब होता है, जब व्यक्तियों या समुदायों को अपनी इच्छा के विरुद्ध हटने या अपना आवास छोड़ने के लिए बाध्य किया जाता है। यह मुख्यतः सशस्त्र युद्ध, सामान्य हिंसा, मानवाधिकार हनन, प्राकृतिक या मानव–निर्मित आपदा आदि जैसी घटनाओं और / या विकासात्मक परियोजनाओं या परिस्थितियों के प्रभावों के परिणामस्वरूप होता है।

जबरन विस्थापन के प्रकार

- शरणार्थी
- आंतरिक रूप से विस्थापित लोग
- जलवायु संबंधी शरणार्थी

वर्तमान स्थिति

- वर्ष 2020 के अंत तक दुनिया भर में 82.4 मिलियन लोग जबरन विस्थापित हुए थे।

विस्थापन के कारण

- **पुश फैक्टरः** मानवीय दशाएं; अत्यधिक जनसंख्या; स्थानीय पर्यावरण का विनाश; मजदूरी संबंधी स्थिति; रोजगार का अभाव आदि।
- **पुल फैक्टरः** रोजगार के अवसर; यात्रा संबंधी सुगमता; स्थायी रूप से बसने की संभावना; परिवार के साथ फिर से जुड़ने का अवसर; सामुदायिक नेटवर्क आदि।

जबरन विस्थापन या प्रवास के प्रभाव

- **मूल देशः** यदि जबरन विस्थापित लोग संघर्ष में ही फंसे रहे तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है; जनांकिकीय परिवर्तन तथा पूंजीगत व मानव संसाधन की हानि।
- **मेजबान देशः** जनांकिकीय दबाव; अवसंरचना पर बोझ; सुरक्षा संबंधी जोखिम; सामाजिक समस्याओं में वृद्धि; वृद्ध होती जनसंख्या से संबंधित जनांकिकीय मुद्दे आदि।

जबरन विस्थापन के मुद्दे से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **वर्ष 1951 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय और वर्ष 1967 में इसका उत्तरवर्ती प्रोटोकॉलः** ये शरणार्थी को परिभाषित करते हैं और इस मामले में सरकारों की जिम्मेदारियों को भी निर्धारित करते हैं।
- **संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR), 1950:** अपने मूल देश में स्वैच्छिक रूप से लौटने; स्थानीय स्तर पर एकीकरण और पुनर्वास को बढ़ावा देना आदि।
- **प्रथम वैश्विक शरणार्थी मंच, 2019:** अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट करना।
- **जबरन विस्थापन पर साक्ष्य का निर्माण** (Building the Evidence on Forced Displacement): यह यू.के., UNHCR और विश्व बैंक की अनुसंधान संबंधी भागीदारी है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, फिर भी यहाँ लाखों शरणार्थियों को शरण प्राप्त है।

आगे की राह

- **विस्थापन रोकनाः** "विस्थापित नहीं होने के अधिकार" को मजबूती से लागू करना और मूल देश के अभिशासन में सुधार करना।
- **विस्थापन संबंधी प्रबंधनः**
  - **मेजबान देशः** अग्रिम चेतावनी प्रणाली विकसित करना; आर्थिक विकास करना और गरीबी में कमी करना; अर्थव्यवस्था में विस्थापि लोगों का समावेश करना आदि।
  - **मूल देशः** उन लोगों की सुभेद्यता को कम करना, जो विस्थापित नहीं हुए हैं; गवर्नेंस के साथ–साथ कानून व्यवस्था में सुधार करके उन लोगों को वापस लाने का प्रयास करना जो जबरन विस्थापित हुए हैं।
  - **प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठानाः** शरणार्थियों की समस्या का समाधान करने के लिए सूक्ष्म स्तर पर तथा अधिक कुशल समाधान हेतु प्रौद्योगिकी एवं नवाचार का उपयोग करना।

4.3. आंतरिक प्रवास (Internal Migrants)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 'भारत में प्रवासन 2020-21' नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

भारत में आंतरिक प्रवास

- **परिभाषा:** आंतरिक प्रवास को **देशों के भीतर सामान्य निवास में परिवर्तन** के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रवास प्रचलित हैं।
    - **दीर्घकालीन प्रवास** में किसी व्यक्ति या परिवार का स्थान परिवर्तन होता है, जबकि **अल्पकालिक (मौसमी/चक्रीय) प्रवास** वस्तुतः स्रोत और गंतव्य के मध्य लोगों के सतत आवागमन को प्रतिबिंबित करता है।
- **कारण:** कार्य, रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह इत्यादि।

आंतरिक प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक

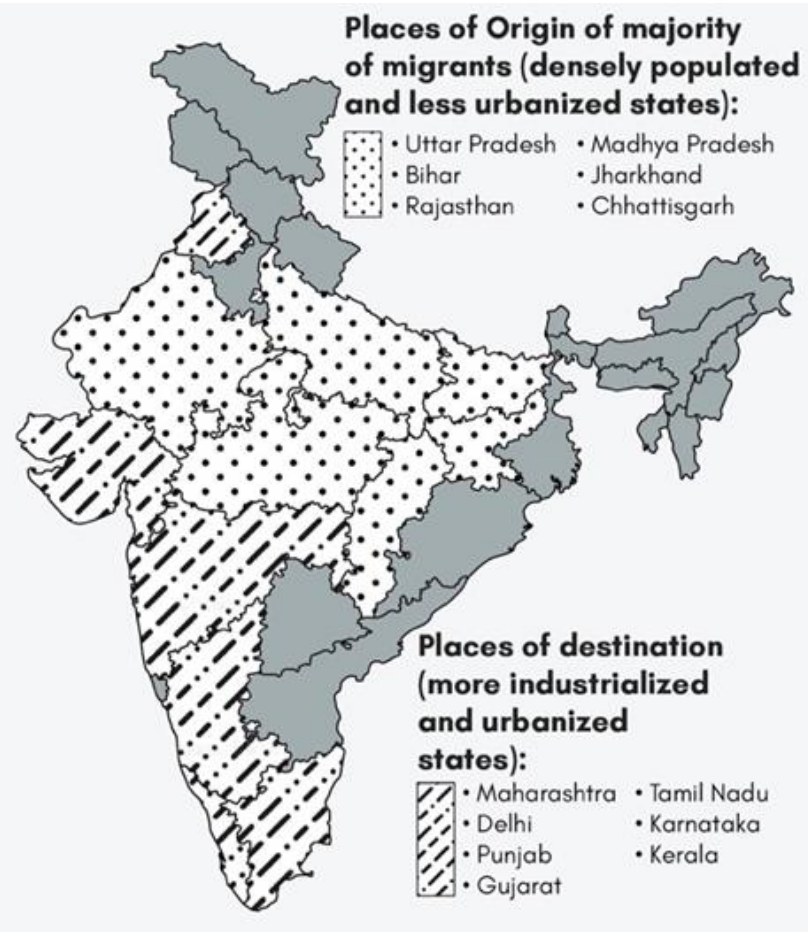

- **श्रम बाजार:** प्रवासी श्रमिकों में लगभग 60% व्यावसायिक रूप से सुभेद्य श्रमिक (कृषि के बाहर) शामिल हैं। ये श्रमिक निम्न मजदूरी, उच्च जोखिम वाली नौकरियों और नौकरी से निकाल दिए जाने के भय की समस्याओं का सामना करते हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** लगभग सभी राज्य **प्रवासियों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते हैं।** इससे वे **कल्याणकारी सुविधाओं** के लाभ से वंचित हो जाते हैं।
- **शिक्षा और कौशल प्रदान करना:** भारत की वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त आंकड़ों से ज्ञात होता है कि **57.8% प्रवासी महिलाएं और 25.8% प्रवासी पुरुष निरक्षर हैं।** प्रमुख गंतव्यों पर लगभग 80 प्रतिशत मौसमी प्रवासी मजदूरों के बच्चों को **कार्यस्थल के निकट शिक्षा सुलभ नहीं होती है।**
- **स्वास्थ्य:** अधिकांश निम्न आय वाले आंतरिक प्रवासी **मलिन-बस्तियों** में रहते हैं। वहाँ उन्हें स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं, जिसके कारण उनके स्वास्थ्य और जीवन शैली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- **राजनीतिक भागीदारी:** अंतर्राज्यीय प्रवासी अपने **मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं,** क्योंकि मतदान करने के लिए स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता नामावली में उनका नाम होना चाहिए। मतदाता नामावली में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया में भी अत्यधिक समय लगता है। **मौसमी श्रमिकों के लिए उसकी कोई सार्थकता नहीं** होती है, क्योंकि वे गंतव्य स्थान के स्थायी निवासी नहीं होते हैं।

प्रवासियों के लिए किए गए उपाय

नीति के उपक्षेत्र	विवरण
	• **एक राष्ट्र एक राशन कार्ड:** सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसके लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में बायोमेट्रिक तकनीक से प्रमाणीकृत ePoS लेन-देन की व्यवस्था की गई। **राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक राशन कार्ड से देश के किसी भी भाग में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई।** • **प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 (PMUY 2.0)** के तहत एलपीजी कनेक्शन के लिए, प्रवासियों को राशन कार्ड या

कल्याणकारी योजनाओं की पोर्टेबिलिटी	पते से संबंधित प्रमाण-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। 'पारिवारिक घोषणा' और 'पते के प्रमाण' दोनों के लिए एक स्व-घोषणा पर्याप्त होगी। • **आयुष्मान भारत योजना: इस** योजना का लाभ **देश में कहीं भी लिया जा सकता है**, जैसे कि इस योजना का लाभार्थी, देश के किसी भी निर्दिष्ट सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर नकदी रहित उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
अन्य पहल	• **चंगथी परियोजना:** यह योजना केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा कार्यान्वित की गई एक साक्षरता योजना है। इसका लक्ष्य प्रवासी बच्चों को मलयालम सिखाना है। • **प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान (PM GKRA):** इसे कोविड-19 प्रकोप के कारण, **अपने गांव लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को** बढ़ाने हेतु आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत, प्रवासी मजदूरों के **कौशल की मैपिंग की गई** और महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध किया गया।

आगे की राह

- **अनुसंधान अंतराल को कम करना:** प्रवासन पर गैर एकीकृत लैंगिक आंकड़ों को पर्याप्त रूप से अधिकृत करने के लिए जनगणना के डिजाइन को संशोधित करना।
- **सुसंगत विधिक और नीतिगत ढांचा:** लोक सेवाओं एवं सरकारी नीतियों/कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रवासियों के लिए लक्षित घटकों और विशेष पहुंच वाली रणनीतियों को तैयार करना।
- **संस्थागत तैयारियों को सुदृढ़ करना:** प्रवासी श्रमिकों के डेटाबेस को बनाए रखने के लिए पंचायतों की क्षमता का निर्माण करना तथा प्रत्येक राज्य में 'प्रवासी श्रमिक प्रकोष्ठ' की स्थापना करना। साथ ही, सेवा वितरण में सुधार के लिए स्रोत और गंतव्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकारों के बीच संयुक्त रूप से संस्थागत व्यवस्था की योजना के निर्माण हेतु अंतर्जनपदीय और अंतर्राज्यीय समन्वय समिति का गठन करना।
- **अनौपचारिक/असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा योजना:** इस योजना की सिफारिश असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (NCEUS) द्वारा की गई थी। इसमें पंजीकरण के मामले में ई-राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी), प्रीमियम का भुगतान (जहां लागू हो) और सभी श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा पैकेज जैसी सुविधाओं को शामिल किया गया है।
- **संवेदीकरण:** प्रवासियों द्वारा सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में आने वाली बाधाओं के संदर्भ में नीति निर्माताओं, नियोक्ताओं और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षित करना।

निष्कर्ष

चूंकि, प्रवास का सभी क्षेत्रकों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा **विविध एवं पूरक प्रयास किए जाने** की आवश्यकता है, जिससे कि प्रवास को सुगम बनाया जा सके। साथ ही, यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवासियों को **देश के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन में एकीकृत किया जाए।**

संबंधित तथ्य

'आंतरिक विस्थापन पर कार्य एजेंडा' (Action Agenda on Internal Displacement)

- यह कार्य एजेंडा **आंतरिक विस्थापन** संकटों को बेहतर ढंग से हल करने, रोकने और दूर करने के लिए **संयुक्त राष्ट्र प्रणाली** की प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है।
- आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDPs) वे लोग हैं, जो **कई कारणों से अपने घरों से पलायन** के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन **अपने देश के भीतर** ही रहते हैं।
    - आंतरिक रूप से विस्थापितों की संख्या **5.9 करोड़ से अधिक** (2021) हो गई है। भारत में भी वर्ष 2021 में **आंतरिक विस्थापितों की संख्या 49 लाख** थी।
    - **आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति (IDPs) निम्नलिखित चुनौतियों का सामना** करते हैं:
        - शारीरिक हमले, लैंगिक हमले और अपहरण का **अत्यधिक खतरा।**
        - पर्याप्त आश्रय, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं आदि से **वंचित होना।**
- **यह कार्य एजेंडा निम्नलिखित तीन लक्ष्यों को साकार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करता है:**
    - आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की उनके विस्थापन का एक **स्थायी समाधान** खोजने में मदद करना;
    - नए विस्थापन संकटों को उभरने से **बेहतर तरीके से रोकना; तथा**
    - यह सुनिश्चित करना कि विस्थापन का सामना करने वालों को **प्रभावी सुरक्षा और सहायता** मिले।
- **कार्य एजेंडा आंतरिक विस्थापन के समाधान** के बारे में भी बात करता है। **इन समाधानों में निम्नलिखित शामिल हैं:**
    - राष्ट्रीय और स्थानीय अधिकारियों द्वारा **उच्च स्तरीय नेतृत्व एवं सम्पूर्ण-सरकारी भागीदारी** दृष्टिकोण।
    - संयुक्त राष्ट्र की **अग्रिम, आरंभिक और अधिक पूर्वानुमान आधारित** भागीदारी।
    - **निजी क्षेत्र को शामिल करना**- विशेष रूप से आजीविका की फिर से प्राप्ति में मदद करना।
    - आंतरिक विस्थापन पर **डेटा एकत्र करने, प्रबंधित करने और उपयोग करने के लिए** प्रासंगिक तंत्र।
- **भारत में, आंतरिक विस्थापन को निम्नलिखित श्रेणियों में शामिल किया जाता है:**
    - प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन,
    - विकास गतिविधियों के कारण विस्थापन, तथा
    - हिंसा और संघर्ष की घटनाओं के कारण विस्थापन।
- **भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013** और **आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 पहली दो श्रेणियों को संबोधित** करते हैं।
- इनके अलावा, **प्रवासियों और स्वदेश लौटने वालों के राहत व पुनर्वास** की एक अम्ब्रेला योजना भी चलाई जा रही है। इसके तहत वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

4.4. स्ट्रीट वेंडर्स या पथ विक्रेता (Street Vendors)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली स्ट्रीट वेंडर (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) योजना, 2019** के विभिन्न प्रावधानों को रद्द करने के दिशा-निर्देशों के साथ नोटिस जारी किया है।
- इस योजना को भारत सरकार ने **स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014** के तहत अधिनियमित किया है।
    - वर्ष 2014 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि नगर विक्रय समिति अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में **विद्यमान सभी स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वेक्षण** करेगी। साथ ही, **पश्चातवर्ती सर्वेक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार** किया जाएगा।
    - सर्वेक्षण में पहचाने गए स्ट्रीट वेंडर्स को विक्रय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे। इसके अलावा, इस संबंध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, स्त्रियों, दिव्यांगजनों, अल्पसंख्यकों या ऐसे अन्य प्रवर्गों जिन्हें योजना में विनिर्दिष्ट किया जाना है, उन्हें वरीयता प्रदान की जाएगी।

- इस अधिनियम में कहा गया है कि अधिनियम के तहत राज्यों द्वारा गठित टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) के परामर्श के बिना किसी भी निष्कासन या स्थानांतरण को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

स्ट्रीट वेंडर संबंधी नीतियों का विकासक्रम

वर्ष **1995** में, भारत ने स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी पटरी वाले या पथ विक्रेता) से संबंधित **बेलाजियो अंतर्राष्ट्रीय** घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर किए।	**वर्ष** 2001 में, भारत सरकार ने **राष्ट्रीय पथ विक्रेता नीति** का मसौदा तैयार करने की घोषणा की।	**वर्ष** 2009 में, इस नीति को एक मॉडल कानून के साथ संशोधित किया गया, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपनाया जा सकता था।	**वर्ष** 2012 में, संघ सरकार ने **स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) विधेयक** को स्वीकृति प्रदान की।	**वर्ष** 2014 में, **स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम** लागू हुआ।

स्ट्रीट वेंडर्स के विषय में

- स्ट्रीट वेंडर्स के रूप में उन्हें चिन्हित किया जाता है, **जिनकी कोई स्थायी दुकान नहीं** है।
- सरकारी अनुमानों के अनुसार, देश में कुल (गैर-कृषि) शहरी अनौपचारिक रोजगार में पथ विक्रय का योगदान 14% है।
  - **दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद** शहरों में स्ट्रीट वेंडर्स की संख्या सबसे अधिक है।
- **गरीबों के लिए स्वरोजगार का स्रोत** होने के साथ-साथ, ये **शहरी आबादी को सुविधाजनक व सस्ती सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका** निभाते हैं।
- भारतीय संविधान की **सातवीं अनुसूची के तहत प्रविष्टि 26 (व्यापार और वाणिज्य) तथा 28 (बाजार एवं मेले) राज्य सूची** के विषय हैं। अतः पथ विक्रय तथा बाजारों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों के पास है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को भी शामिल किया गया है।

स्ट्रीट वेंडर्स के कल्याण हेतु पहलें

- **प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि-पीएम स्वनिधि (PM SVANidhi) योजना:** इसका उद्देश्य 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा उपलब्ध कराना हैं।
- **'मैं भी डिजिटल' अभियान:** यह देश के 223 शहरों में पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए **डिजिटल ऑनबोर्डिंग और प्रशिक्षण** के लिए एक विशेष अभियान है। **इसके अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को डिजिटल भुगतान व लेन-देन स्वीकार करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।**

स्ट्रीट वेंडर्स की समस्याएं

- **सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** बेदखली, रिश्वत देने के लिए मजबूर होना, विभिन्न सरकारी सुविधाओं तक पहुँचने में असमर्थता, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी आदि प्रमुख समस्याएं हैं।
- **अव्यवहार्य लाइसेंस उच्चतम सीमा:** मुंबई जैसे अधिकांश शहरों में विक्रय लाइसेंस की उच्चतम सीमा 15,000 है, जबकि अनुमानित 2.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स मौजूद हैं। इस प्रकार, अधिकांश विक्रेता अपने सामान को अवैध रूप से बेचते हैं और ऐसे में स्थानीय पुलिस और नगरपालिका अधिकारियों द्वारा उनके शोषण व जबरन वसूली की संभावना बनी रहती है।
- **ई-कॉमर्स:** खुदरा विक्रेताओं और पथ-विक्रेताओं पर ऑनलाइन खरीदारी (ई-कॉमर्स मंच) का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

स्ट्रीट वेंडर्स के कारण जनता द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां

- **उतार-चढ़ाव वाले बाजार:** बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव, असुरक्षित और अनियमित रोजगार के कारण स्ट्रीट वेंडर्स को अन्य विक्रेताओं से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- **शहरी अव्यवस्थित विस्तार:** स्ट्रीट वेंडर आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों के अतिक्रमण, यातायात संबंधी भीड़, अपर्याप्त स्वच्छता आदि जैसे मुद्दों को जन्म देते हैं।
- **भोजन सामग्री से जुड़े सुरक्षा मानकों का अभाव:** कोई भी सरकारी एजेंसी भोजन सामग्री को सत्यापित करने के लिए अधिकृत नहीं है। साथ ही, ये किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा विनियमित नहीं हैं।

आगे की राह

- स्ट्रीट वेंडर्स को खुला सार्वजनिक स्थान आवंटित करने हेतु **मिश्रित उपयोग आधारित नियोजन को प्रोत्साहित करना।** इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है और निवासियों को खरीदारी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
- **समावेशी और विचारणीय शहरी डिजाइन** नागरिकों को स्ट्रीट वेंडर्स से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- **पथों के किनारे बेचे जाने वाले उत्पादों की गुणवत्ता को प्रमाणित या सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र का निर्माण करना चाहिए।** इससे गुणवत्ताविहीन उत्पादों के खतरे पर अंकुश लगेगा।

4.5. घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISDWs) {All India Survey on Domestic Workers (AISDWs)}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने घरेलू कामगारों (AISDWs) पर प्रथम अखिल भारतीय सर्वेक्षण** का शुभारंभ किया।

अन्य संबंधित तथ्य

- AISDWs **श्रम ब्यूरो द्वारा किए जा रहे 5 अखिल भारतीय सर्वेक्षणों का हिस्सा है।** वर्तमान में जारी अन्य चार अखिल भारतीय सर्वेक्षण, निम्नलिखित से संबंधित हैं:
    - प्रवासी मजदूर;
    - परिवहन क्षेत्र में सृजित रोजगार;
    - पेशेवरों द्वारा उत्पन्न रोजगार और
    - अखिल भारतीय त्रैमासिक प्रतिष्ठान आधारित रोजगार सर्वेक्षण (All-India Quarterly Establishment based Employment Survey: AQEES)।

घरेलू कामगारों के बारे में

- घरेलू कामगार वह व्यक्ति होता है **जो किसी भी घर में अस्थायी या स्थायी आधार पर घरेलू कार्य करने के लिए नियोजित होता है।**
- भारत, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के 189वें सम्मेलन का एक हस्ताक्षरकर्ता है।** इसे घरेलू कामगारों पर कन्वेंशन के रूप में जाना जाता है। लेकिन अभी तक **इसकी पुष्टि नहीं की गई है।**
    - कन्वेंशन में कहा गया है कि-
        - **घरेलू कामगारों को दैनिक और साप्ताहिक आराम के घंटे दिए जाने चाहिए,**
        - उनका भुगतान **न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता** को पूरा करना होना चाहिए, और
        - उन्हें वह स्थान चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां वे रहते हैं और अपना अवकाश व्यतीत कर सकते हैं।

आगे की राह

- **व्यापक कानून:** ज्ञातव्य है कि असंगठित सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008, कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 और विभिन्न राज्यों में अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी अनुसूचियां घरेलू कामगारों को संदर्भित करती हैं। इसके अलावा, वहां व्यापक व समान रूप से लागू एक राष्ट्रीय कानून का अभाव है, जो रोजगार की उचित शर्तों एवं घरेलू कामगारों के लिए कार्य करने की अच्छी स्थिति की गारंटी देता है।
- **संगठन और अभिव्यक्ति:** कानून का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम होने के लिए घरेलू कामगारों को भी संगठित होने की जरूरत है, यह देखते हुए कि उनके नियोक्ता आर्थिक और सामाजिक रूप से बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए, घरेलू कामगारों को ट्रेड यूनियनों में संगठित किया जाना चाहिए और न केवल नीति निर्माण में बल्कि कार्यस्थल पर भी प्रतिनिधिक आवाज उठानी चाहिए।

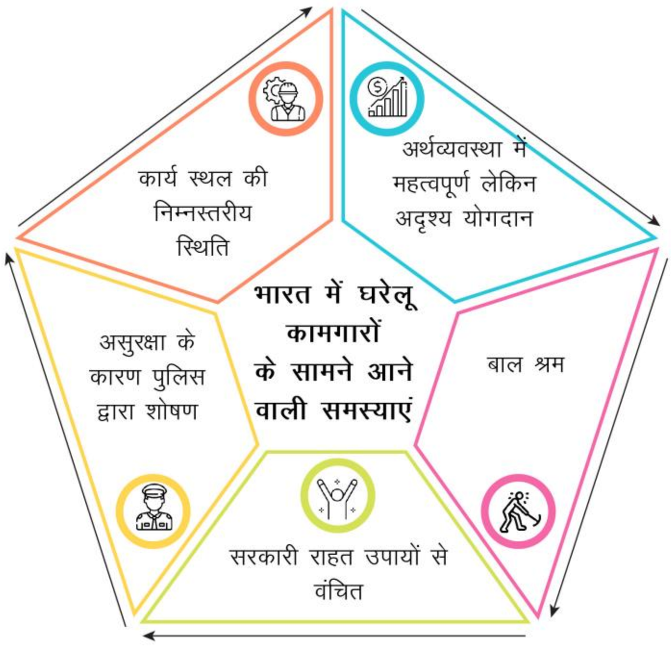

- **ILO के 189वें सम्मेलन की पुष्टि करना:** अभिपुष्टि करने वाले देशों को ऐसे श्रमिकों के खिलाफ **हिंसा के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय** करने की आवश्यकता होती है। साथ ही, रोजगार के उद्देश्यों के लिए **न्यूनतम आयु** को लागू करना भी आवश्यक है।
- **नियोक्ता को संवेदनशील बनाना:** घरेलू कामगारों को कार्य पर रखने वाले परिवारों को अपने घरों में घरेलू कामगारों के योगदान के बारे में संवेदनशील बनाना चाहिए और उनमें जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। इस दिशा में, ILO ने घरेलू कामगारों द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यों पर जन जागरूकता उत्पन्न करने के लिए **"आपका कार्य महत्वपूर्ण है"** अभियान शुरू किया है।
- **सर्वोत्तम वैश्विक कार्यों का अनुकरण:**
  - फिलीपींस में घरेलू सहायकों के लिए मैग्नाकार्टा;
  - हांगकांग में संगठित होने का अधिकार एवं आप्रवासन विभाग द्वारा आवश्यक न्यूनतम मानकों के साथ रोजगार अध्यादेश और अनुबंधों के तहत कवरेज;
  - दक्षिण अफ्रीका में घरेलू कामगारों की सुरक्षा के लिए बाध्यकारी अधिदेश के साथ रोजगार की बुनियादी शर्तें अधिनियम, 1997 इत्यादि।

4.6. ब्लॉक और शहरी स्तर पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम {Aspirational District Programme (ADP): Block and City level}

सुर्ख़ियों में क्यों?

मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधान मंत्री ने कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम को ब्लॉक और शहरी स्तर तक विस्तारित किया जाना चाहिए।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम

- आकांक्षी जिला कार्यक्रम को **मूल रूप से वर्ष 2018 में** नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देश भर के **सर्वाधिक अल्प-विकसित 112 जिलों को त्वरित और प्रभावी तरीके से रूपांतरित** करना था।
- **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP)-भारत** द्वारा जारी की गई एक मूल्यांकन रिपोर्ट में ADP की **'स्थानीय क्षेत्र विकास के एक सफल मॉडल'** के रूप में सराहना की गई है।
  - दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों को शामिल करते हुए, ADP के तहत किए गए गहन प्रयासों से आकांक्षी जिलों में तीव्र संवृद्धि और विकास को बढ़ावा मिला है। साथ ही, **आकांक्षी जिलों का प्रदर्शन गैर-आकांक्षी जिलों से बेहतर** रहा है।
- हाल ही में, **केंद्र ने 500 'पिछड़े ब्लॉक्स' की पहचान** की है। ADM के अधीन इस कार्यरत रणनीति को ही विकेंद्रीकृत करके ब्लॉक और शहरी स्तर पर विस्तारित किया जाएगा।

ब्लॉक और शहरी स्तर पर ADP कैसे कार्य करेगा?

- ब्लॉक और शहरों को सबसे पहले ज़िले में **श्रेष्ठ ब्लॉक व शहरों की तरह बनने के लिए** प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद, प्रतिस्पर्धा और सहयोगी संघवाद की भावना के साथ, देश के अन्य शहरों द्वारा अर्जित सीख एवं प्रतिस्पर्धा के माध्यम से उन्हें **देश के सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक तथा शहरों में से एक के रूप में स्वयं को स्थापित करने** हेतु प्रेरित किया जाएगा।
- अंत में, प्रत्येक **जिले को ब्लॉक और शहरों की प्रगति की निगरानी करने के लिए प्रोत्साहित** किया जाएगा। इससे जिले में समग्र सुधार को बढ़ावा मिलेगा।
- ब्लॉक और शहरी स्तर पर ADP को लागू करने के लिए उसके मूल ढांचे को व्यापक बनाया जाना चाहिए। साथ ही, उसमें आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए। ऐसा निम्नलिखित रूप से किया जा सकता है:
  - केंद्र और राज्य योजनाओं का **अभिसरण/विलय कर** ब्लॉक और शहरी स्तर पर लागू किया जाना चाहिए।
  - ब्लॉक और शहरी प्रशासन के साथ केन्द्र और राज्य स्तर के 'प्रभारी' अधिकारियों एवं जिला कलेक्टरों के बीच **सहयोग एवं समन्वय** को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
  - डेल्टा रैंकिंग में ब्लॉक और शहरों के मध्य **प्रतिस्पर्धा** को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत विषयवस्तु

क्षेत्रक	भारांश
स्वास्थ्य और पोषण	30%
शिक्षा	30%
कृषि एवं सिंचाई	20%
वित्तीय समावेशन तथा कौशल विकास	10%
बुनियादी ढांचा	10%

- ब्लॉक और शहरी स्तर पर ADP के माध्यम से **निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए** प्रयास किए जा रहे हैं।

आगे की राह

- केवल भारांश पर विचार करने की जगह, सभी थीम और सूचकों पर **पर्याप्त ध्यान** दिया जाना चाहिए।
- **जिलों के मध्य अंतर को समाप्त करने के लिए** समान विशेषताओं के आधार पर जिलों को एक समूह में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है और तदनुसार समर्थन प्रदान किया जा सकता है।
- प्रशिक्षण और अधिगम कार्यक्रमों के साथ-साथ सूचकों में संशोधन करके **मजबूत व पारदर्शी तरीके से डेटा संग्रहण** को प्रोत्साहित किया जा सकता है। हालांकि, प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण पर कम ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि इससे त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग की संभावना बनी रहती है।
- **समर्पित कार्मिक** जैसे आकांक्षी जिला कर्मियों या कार्यक्रम संलग्न प्रतिनिधियों तथा स्थानीय स्तर पर क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने वाले प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है।
- समावेशी और संधारणीय वृद्धि के संकेतकों के रूप में, गवर्नेंस मॉडल में **पर्यावरण और लैंगिक अवधारणा को एकीकृत** किया जाना चाहिए।

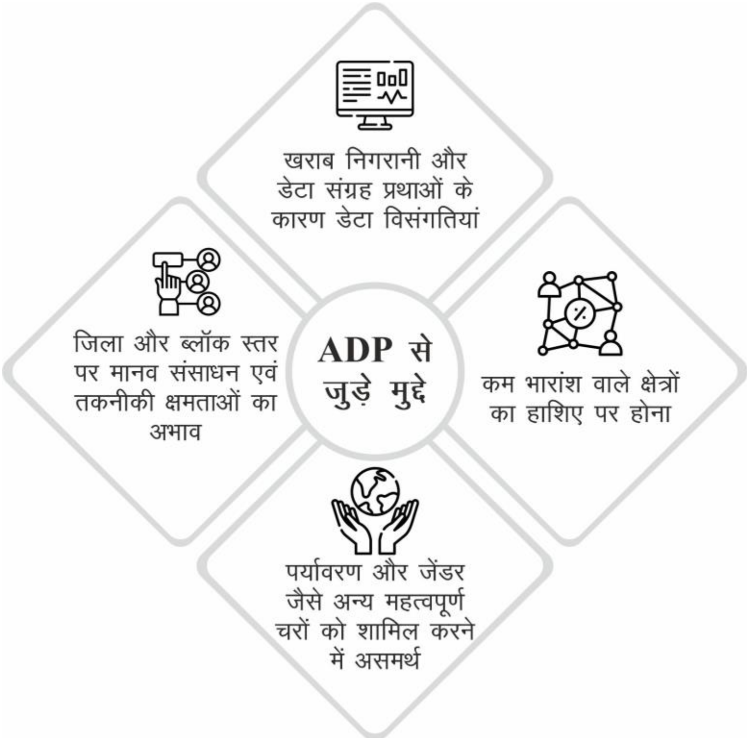

5. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation)

5.1. स्वच्छता (Sanitation)

सैनिटेशन (स्वच्छता) – एक नज़र में

वर्ष 2010 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वच्छ पेयजल तक पहुँच और सैनिटेशन को मानवाधिकार के रूप में मान्यता प्रदान की थी।

बेहतर सैनिटेशन के लाभ

- हैजा जैसे **जल जनित रोगों** और ट्रैकोमा जैसे उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों **(NTDs) से निपटने में सहायक।**
- **कुपोषण** की गंभीरता और शिशु मृत्यु दर में कमी में सहायक।
- महिलाओं की **गरिमा और सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायक।**
- पृथक शौचालय सुविधा के माध्यम से **स्कूलों में लड़कियों की उपस्थिति बढ़ाने में सहायक।**

उठाए गए कदम

- **सतत विकास लक्ष्य (टारगेट 6.2)** सभी के लिए पर्याप्त एवं न्यायसंगत स्वच्छता से संबंधित है।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन बीमारियों के वैश्विक प्रसार** और सैनिटेशन तक पहुँच के स्तर की निगरानी करता है।
- **भारत:** जल जीवन मिशन; स्वच्छ भारत अभियान; नमामि गंगे कार्यक्रम; हाथ धोने के लाभों पर जागरूकता अभियान; स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे आदि।

सैनिटेशन में सुधार सुनिश्चित करने के समक्ष चुनौतियां

- **पहुंच:** WHO के एक अनुमान के अनुसार, वैश्विक जनसंख्या के कम–से–कम 10% लोग अपशिष्ट जल द्वारा सिंचित खाद्य पदार्थ खाते हैं।
- **वित्त:** वर्ष 2030 तक सतत जल प्रबंधन की स्थिति को प्राप्त करने के लिए भारत को अपनी GDP का 3.2% खर्च करना होगा।
- **अनियोजित विकास:** स्वच्छता की निम्नस्तरीय स्थिति के साथ मलिन बस्तियों की बढ़ती संख्या।
- **प्रदूषित जल:** अनुपचारित अपशिष्ट जल को नदियों और अन्य जल निकायों में छोड़ना।
- **शौचालय का प्रयोग:** गांवों के अधिकतर लोग शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं और खुले में शौच करने के लिए जाते हैं।

आगे की राह

- समुदायों में स्वच्छता के संबंध में **प्रभावी जोखिम आकलन** और प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- जल के न्यायोचित इस्तेमाल और जल निकायों को प्रदूषित करने से बचाव के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना।
- शौचालय का प्रयोग करने के लिए जागरूकता अभियान चलाना तथा खुले में शौच मुक्त + (ODF+) प्रावधानों को कठोरता से लागू करना।
- **साफ–सफाई संबंधी आदतों को व्यवहार में लाने के लिए** समग्र दृष्टिकोण को अपनाना।
- **प्रभावी विनियामक एवं निगरानी तंत्र स्थापित करना।**

5.2. हाथ से मैला उठाने की प्रथा (Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री ने संसद को सूचित किया कि सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए **नमस्ते (NAMASTE) योजना** तैयार की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मशीनीकृत स्वच्छता प्रणाली को प्रोत्साहित करने के लिए नमस्ते योजना को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य **सीवर, सेप्टिक टैंकों की सफ़ाई, नालों से गाद निकालने, कूड़ा उठाने, स्लज प्रबंधन, ठोस और चिकित्सीय अपशिष्ट निष्कासन आदि के लिए 100 प्रतिशत मशीनीकरण को बढ़ावा** देना है।
- यह **पेयजल और स्वच्छता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE)** तथा **आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MHoUA)** द्वारा संचालित एक संयुक्त योजना है।

- इस योजना को **हाथ से मैला उठाने वालों (Manual Scavengers) के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना** की जगह लागू किया जाएगा।

हाथ से मैला उठाने की प्रथा के बारे में

- जैसा कि **"हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013"** की धारा 2(1)(g) में हाथ से मैला उठाने की प्रथा को **अस्वच्छ शौचालयों से मानव मल उठाने** के रूप में परिभाषित किया गया है (तालिका देखें)।
- अधिकतर हाथ से मैला उठाने वालों की मृत्यु सेप्टिक टैंकों में पाई जाने वाली **मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के शक्तिशाली मिश्रण** से होती है।
- हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने यह प्रकट किया था कि हाथ से मैला उठाने के कार्य में संलग्न कुल 58,098 लोगों में से 43,797 व्यक्तियों के जाति के आंकड़ों से पता चलता है कि 42,500 से अधिक व्यक्ति या 97.25% **अनुसूचित जाति के रूप में वर्गीकृत समुदायों से संबद्ध** रहे हैं। एक अन्य 421 अनुसूचित जनजाति से हैं। अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत समुदायों की भी लगभग इतनी ही संख्या रही है।

हाथ से मैला उठाने की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदम

- **स्वच्छता अभियान ऐप:** इसकी मदद से अस्वच्छ शौचालयों की अवस्थिति पर डेटाबेस का निर्माण तथा हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान की जाएगी, ताकि उनका पुनर्वास किया जा सके।
- **243 शहरों में सफाई-मित्र सुरक्षा चुनौती:** इस अभियान के तहत **243 शहरों में सीवर और सेप्टिक टैंकों की सफाई कार्य को मशीनीकृत किया जाएगा।** हाथ से मैला उठाने की सूचना मिलने पर शिकायत दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन का निर्माण किया जाएगा।
- **परिवर्तित शब्दावली:** हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के सरकार के निर्णय का समर्थन करने के लिए अब 'मैनहोल' शब्द के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। इसकी जगह केवल 'मशीन-होल' शब्द का उपयोग किया जाएगा।
- **सफाई कर्मचारी बनाम भारत संघ वाद (2014):** इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि **देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा का जारी रहना भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 का पूर्ण उल्लंघन है।** हालांकि, इस अनुच्छेद की मदद से "अस्पृश्यता का उन्मूलन और किसी भी रूप में इसके आचरण को निषिद्ध किया गया है।" न्यायालय ने **सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को "इस उपबंध को पूरी तरह से कार्यान्वित करने** और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने" के कर्तव्य पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने हेतु निर्देश दिए हैं।

'हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013' के प्रमुख प्रावधान-

'हाथ से मैला उठाने वाले' कौन हैं?	• **अस्वच्छ शौचालय, खुली नाली या गटर एवं सीवर या रेलवे पटरी से अपघटित मानव अपशिष्ट को हटाने/उठाने** हेतु नियोजित किए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को इस कानून के तहत हाथ से मैला उठाने वाले के रूप में परिभाषित किया गया है। • वह व्यक्ति किसी के द्वारा भी नियोजित किया जा सकता है - यानी, अपने गाँव के किसी व्यक्ति या किसी एजेंसी या ठेकेदार द्वारा। • हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह नियमित रूप से नियोजित किया गया है या अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है। उसे इस कानून के अंतर्गत शामिल किया गया है। • **अपवाद-** मानव अपशिष्ट को साफ करने के लिए नियोजित कोई भी व्यक्ति जो उपयुक्त सुरक्षात्मक यंत्रों और उपकरणों की मदद से ऐसे कार्य को संपन्न करता है, तो वह इस कानून के तहत हाथ से मैला उठाने वाला नहीं माना जाएगा। • 'सफाई कर्मचारी' कहलाने वाले लोगों के एक अन्य समूह को भी कभी-कभी हाथ से मैला उठाने वालों के रूप में रेखांकित किया जाता है। हालांकि, सफाई कर्मचारी शब्द आमतौर पर नगरपालिकाओं, सरकारी या निजी संगठनों में झाड़ू लगाने वाले या सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले लोगों को प्रतिबिंबित करता है।
यह कानून कैसे हाथ से मैला उठाने की प्रथा को निषिद्ध करता है?	• इस कानून के तहत, हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए पहला कदम **'अस्वच्छ शौचालयों' के प्रयोग को समाप्त करना** है। साथ ही, इसके तहत स्थानीय प्राधिकरणों (नगर निकायों, छावनी परिषदों और रेलवे प्राधिकरणों) के लिए कुछ समयबद्ध प्रतिबद्धताओं को लागू किया गया है। • **सामुदायिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण और रखरखाव की जिम्मेदारी स्थानीय प्राधिकरणों को सौंपी गई है।** अतः ऐसे शौचालयों को कार्यात्मक और स्वच्छ बनाए रखने हेतु उन्हें आवश्यक प्रयास करने चाहिए।
कानून इसे अपराध के रूप में वर्णित करता है:	• अस्वच्छ शौचालयों की सफाई के लिए लोगों को हाथ से मैला उठाने वाले के रूप में नियोजित करना। • सुरक्षात्मक यंत्रों के बिना सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए लोगों को नियोजित करना। • अस्वच्छ शौचालयों का निर्माण करना। • इस अधिनियम के लागू होने की एक निश्चित अवधि के भीतर अस्वच्छ शौचालयों के प्रयोग को समाप्त या परिवर्तित नहीं करना।
हाथ से मैला उठाने वालों का पुनर्वास	यह कानून **हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास के लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित करता है।** यह पुनर्वास वैकल्पिक रोजगार में प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और संपत्ति खरीदने में सहायता प्रदान करने के माध्यम से किया जाएगा।

हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान का दायित्व	प्रत्येक **स्थानीय प्राधिकरण** (नगर पालिका या पंचायत), छावनी परिषद या रेलवे प्राधिकरण को हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान करने के लिए अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने हेतु उत्तरदायी बनाया गया है।

निष्कर्ष

- हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करना, सभी के लिए गरिमामय जीवन (जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त है) सुनिश्चित करने वाली मुख्य पहलों में से एक रहा है। इस बुराई पर अंकुश लगाने के लिए बहुआयामी और बहु हितधारक दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

5.3. भुखमरी और कुपोषण (Hunger and Malnutrition)

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2021 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। ज्ञातव्य है कि इस रैंकिंग में यह अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों यथा **पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल** से भी पीछे रह गया है।

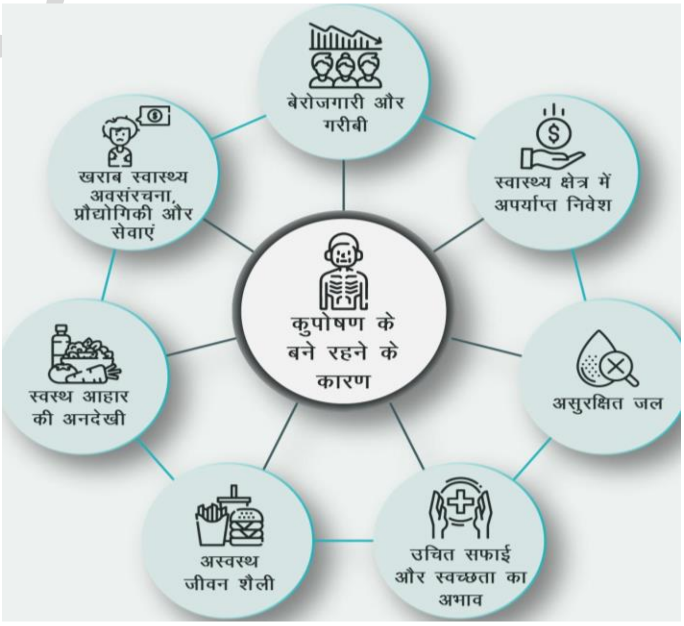

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं:

- 17.9 के GHI स्कोर को दर्शाने वाली वैश्विक भुखमरी, मध्यम (moderate) श्रेणी में है। समस्त विश्व, 2030 तक भुखमरी के स्तर को कम करने में सफल नहीं हो सकेगा।
- **विवाद, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी,** भुखमरी को संचालित करने वाले अत्यंत शक्तिशाली घटक हैं।
- **भारत के संदर्भ में:** 27.5 के स्कोर के साथ भारत का भुखमरी स्तर गंभीर है। विभिन्न घटकों में भारत का प्रदर्शन:
  - पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में **दुबलापन: 17.3 प्रतिशत।**
  - आबादी में **कुपोषितों** का अनुपात: 15.3 प्रतिशत।

VISION

- ○ पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में **ठिगनापन:** 34.7 प्रतिशत।
- ○ पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में **मृत्यु दर:** 3.4 प्रतिशत।

भारत भुखमरी और कुपोषण को समाप्त क्यों नहीं कर सका है?

- **अपेक्षाकृत कम बजट:** वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में बाल पोषण के लिए आवंटन वर्ष 2020-21 की तुलना में **18.5%** से कम हुआ है।
- **आवंटित किए गए बजट का अल्प उपयोग:** भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए गए वर्ष 2020 के समेकित बाल विकास योजना (ICDS)[43] के लेखा परीक्षण से यह तथ्य सामने आया है कि आवंटित किए गए 1042 करोड़ रुपए में से, राज्य सरकारों को वास्तव में केवल 908 करोड़ रुपए ही वितरित किए गए थे।
- **निगरानी का अभाव:** गर्भवती/ दूध पिलाने वाली माताओं और बच्चों में पोषण की वास्तविक जांच करने के लिए वर्ष 2017 में कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (CAS) की संकल्पना की गई थी। यह वर्ष 2020 से निष्क्रिय है।
- **खाद्य बर्बादी:** अक्षम आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के कारण, उत्पादित 40% फल और सब्जियां तथा 30% अनाज बर्बाद हो जाते हैं। इस प्रकार वे उपभोक्ता बाज़ार तक नहीं पहुँच पाते हैं।
- **सामाजिक घटक:** भारतीय समाज में महिलाओं का निम्न स्तर, खराब बाल देखभाल रीतियाँ, जैसे जन्म के तुरंत बाद स्तनपान शुरू न करवाना, बाल विवाह आदि।
- **अन्य शासन संबंधी समस्याएं:** विकेन्द्रीकरण का अभाव; पर्याप्त राजनीतिक और सामाजिक दृढ़ता का अभाव, जवाबदेहिता की कमी, कर्मचारी रिक्तता और फील्ड कर्मचारियों की अनुपस्थिति, जिला स्तर के अलग-अलग डेटा का अभाव तथा सरकारी योजनाओं का अप्रभावी एवं अक्षम कार्यान्वयन तथा भारी मात्रा में रिसाव।

भुखमरी और कुपोषण के प्रभाव:

वैयक्तिक स्तर पर	• **मानसिक रूप से,** संज्ञानात्मक प्रकार्य घट जाता है। **शारीरिक रूप से,** भूख काफी हद तक व्यक्ति की मांसपेशियों, हड्डियों, चमड़ी और आंतरिक अंगों को प्रभावित करती है। • पर्याप्त पोषण का अभाव हमारी प्रतिरोधक प्रणाली को भी कमजोर बनाता है। यह लोगों को दीर्घकालिक रोगों के प्रति सुभेद्य बनाता है।
समाज पर	• इसके प्रभाव कई पीढ़ियों तक बने रहते हैं, क्योंकि कुपोषित स्त्रियाँ अक्सर कम वज़न वाले शिशुओं को जन्म देती हैं। इसलिए, कुपोषण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है और एक दुष्चक्र का निर्माण करता है। • शारीरिक और मानसिक क्षमता में कमी, धन अर्जन के अवसरों को भी कम करती है। इससे गरीबी का जोखिम बढ़ जाता है।
अर्थव्यवस्था पर	• अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ है कि बाल कुपोषण के कारण भारत को अपने सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक और उत्पादन क्षमता के 8% तक की हानि हुई है। • बाल या मातृ कुपोषण, भारत के कुल रोगों के भार का 15% है।

आगे की राह:

- **बजट आवंटन में बढ़ोतरी:** एक शोध से यह ज्ञात हुआ है कि भारत के पोषण हस्तक्षेपों में व्यय किए गए 1 डॉलर के बदले सार्वजनिक आर्थिक लाभ में 34.1 डॉलर से 38.6 डॉलर तक का प्रतिलाभ मिल सकता है, जो वैश्विक औसत से तीन गुना अधिक है।
- **शुरुआती पहचान और उपचार सेवाओं का विस्तार:** दुबलेपन व ठिगनेपन से पीड़ित बच्चों के उपचार को बढ़ाने और इन्हें नियमित प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से जोड़ने की ज़रूरत है। साथ ही, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना चाहिए और अधिक सुभेद्य बच्चों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता:** बच्चों को यह समझाने के लिए कि उन्हें पोषण संबंधी जरूरतों के प्रति कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, इसके लिए प्रभावी पोषण संचार अभियान (स्कूलों, सार्वजनिक स्थलों, प्रिंट और सोशल मीडिया में) चलाने की आवश्यकता है।
- **समुदाय सशक्तीकरण:** वर्तमान व्यवस्था में जन जागरूकता, सामुदायिक संबंध और सशक्तीकरण के माध्यम से अंतरालों एवं अक्षमताओं को संबोधित करने की ज़रूरत है। ऐसे हस्तक्षेप समुदायों को अपने अधिकार और हक पहचानने में मदद करेंगे। यह कुपोषण के लिए समुदाय आधारित समाधान करने में मदद करेगा।

[43] Integrated Child Development Scheme

- **न्यायिक और नागरिक समाज की सक्रियता:** जनहित याचिका के परिणामस्वरूप भोजन का अधिकार अभियान (जिसे मार्च 2014 में लॉन्च किया गया था) शुरू किया गया है। यह व्यक्तियों और संगठनों का एक अनौपचारिक नेटवर्क है। इस अभियान के अंतर्गत समाज की आवश्यक मांगों को पूरा करने के लिए (जिसमें पूर्ण पोषण भी शामिल है) राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने हेतु व्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं। ऐसे और कदमों की ज़रूरत है।
- **अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीखना:** बाल कुपोषण को कम करने में थाईलैंड के प्रयास अत्यंत सरहानीय हैं। यहां वर्ष 1980-88 की अवधि के दौरान बाल कुपोषण (कम वज़न) को बड़ी श्रेष्ठता से 50% से 25% तक कम किया गया था।
    - इस सफलता को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के साथ मिश्रित प्रयासों से प्राप्त किया गया था। इसमें तीव्र वृद्धि निरीक्षण और पोषण शिक्षा, मज़बूत संपूरक भरण प्रावधान, उच्च मानव संसाधन गहनता से कवरेज के उच्च दर की सुनिश्चितता, आयरन एवं विटामिन अनुपूरण व लवण आयोडीनीकरण आदि शामिल हैं।
    - अंतर-विभागीय अभिसरण को मज़बूत करना: इस संदर्भ में बांग्लादेश द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का भारत में भी अनुसरण किया जा सकता है। बांग्लादेश की, पोषण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई योजना बहु-क्षेत्रक अभिसरण नीति पर आधारित है। इसमें बाल कुपोषण से निपटने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, मत्स्यपालन, पशुचारण, पर्यावरण, सामाजिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन आदि शामिल हैं।

सरकार द्वारा की गई पहलें:

- **प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेपण:** सरकार, प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेपण के रूप में, ICDS के व्यापक दायरे के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है। उदाहरण के लिए **आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरी बालिकाओं के लिए योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।** आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाओं के विकास के सहयोग के लिए पोषण वाटिकाएं कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य पोषण व्यवहार में पारंपरिक ज्ञान का लाभ उठाते हुए आहार संबंधी विविधता अंतराल को समाप्त करना है।
- **पोषण अभियान:** इसका उद्देश्य बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनापन, कम वज़न, रक्ताल्पता आदि के प्रचलन को रोकना और कम करना तथा देश भर में जन्म के समय कम वज़न के प्रचलन को भी घटाना है।
- **एनीमिया मुक्त भारत (AMB) योजना:** इसे वर्ष 2018 में बच्चों, किशोरों और प्रजननीय आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया (रक्ताल्पता) को कम करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था।
- **पोषण स्मार्ट विलेज:** इस पहल की घोषणा भारत में 75 मिलियन गांवों तक पहुंच स्थापित करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य पोषण संबंधी जागरूकता, शिक्षा और व्यावहारिक बदलाव का प्रचार करना, पारंपरिक ज्ञान को व्यवहार में लाना तथा पोषण युक्त कृषि का कार्यान्वयन करना है।

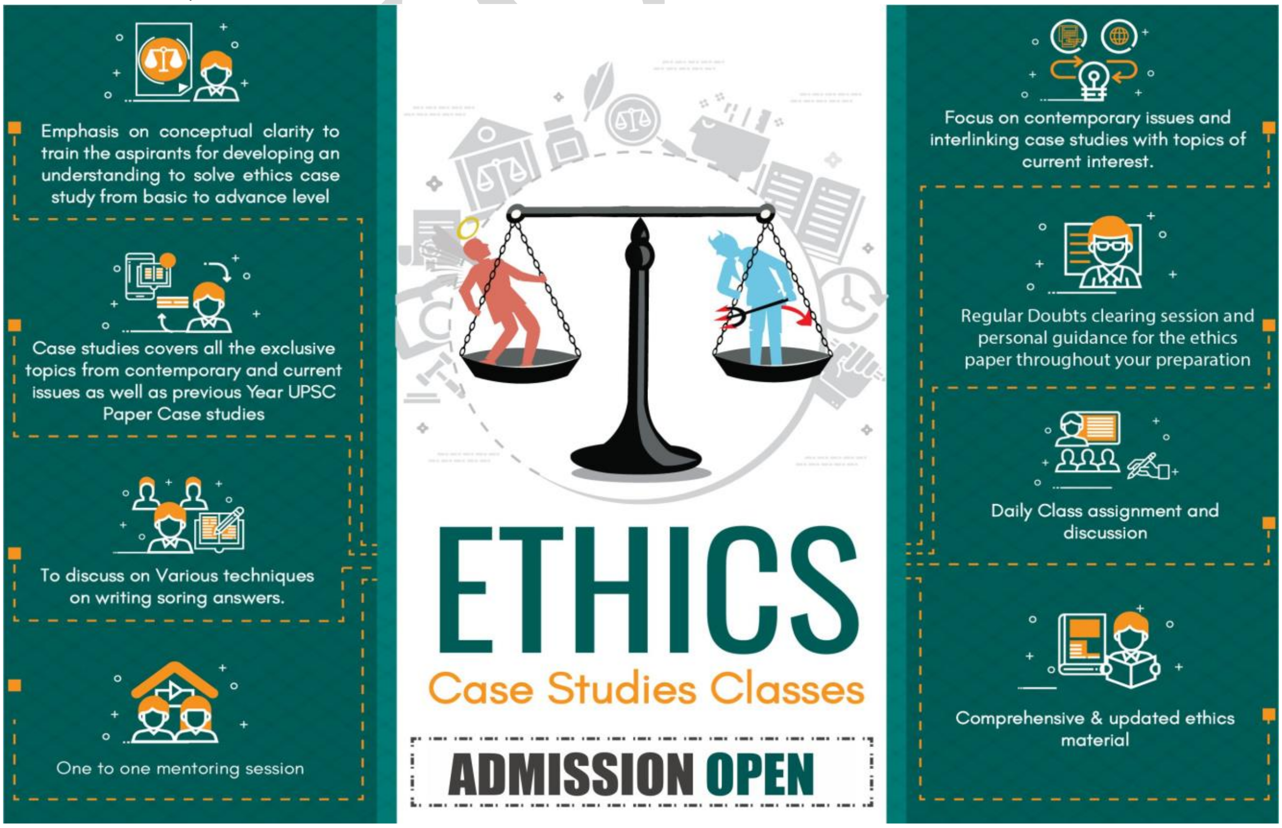

6. विविध (Miscellaneous)

6.1. वैश्वीकरण: स्लो डाउन (मंद) या परिवर्तन? (Globalization: Slow Down or Mutating?)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोरोना वायरस के बदलते वेरिएंट के फैलने के पीछे वैश्विक स्तर पर परस्पर जुड़ाव एक अनिवार्य तंत्र के रूप में उभर रहा है। इसी के चलते विश्व में वैश्वीकरण के भविष्य को लेकर विवाद चल रहा है।

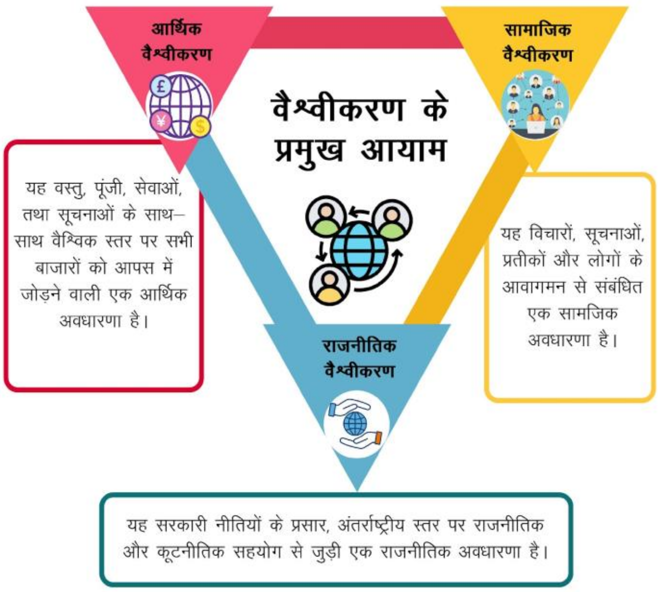

वैश्वीकरण और उसकी वृद्धि

- वैश्वीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका संबंध अर्थव्यवस्थाओं को अधिक खोलने, परस्पर आर्थिक निर्भरता बढ़ाने और आर्थिक एकीकरण को गहन करने से है।
- ऐसे आर्थिक एकीकरण और परस्पर निर्भरता में कुछ नया नहीं है। किन्तु पिछले तीन दशकों में, वैश्विक आर्थिक स्थितियों ने वैश्वीकरण के प्रसार को बढ़ावा दिया है, जैसे कि:
    - तेज और सुरक्षित परिवहन के कारण वस्तुओं एवं व्यक्तियों की **बढ़ती गतिशीलता** के साथ लागत में कमी।
    - इंटरनेट और IT क्रांति के कारण संचार और प्रौद्योगिकी में प्रगति के माध्यम से **सूचनाओं का वैश्विक प्रसार।**
    - खुले बाज़ार स्थापित करने हेतु प्रशुल्क और गैर-प्रशुल्क बाधाओं को कम करने के लिए विश्व व्यापार संगठन की मदद से **नियम आधारित वैश्विक व्यापार प्रणाली।**
    - क्षेत्रीय और वैश्विक प्रतिभागियों के बीच समान अवसरों का निर्माण करके नवाचार एवं प्रतियोगिता के माध्यम से **निजीकरण को बढ़ावा देना।**
    - विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के बीच **पूंजी का सरल प्रवाह।**

वैश्वीकरण से असंतोष के कारण

01 वित्तीय क्षेत्र के वैश्वीकरण के कारण **वित्तीय जोखिम में वृद्धि**, उदाहरण के लिए– वर्ष 1997 में एशियाई वित्तीय संकट, वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी आदि।

02 **अंतर्राष्ट्रीय टैक्स हेवन विकल्पों का सृजन**, जिसने अत्यधिक–धनी को करों का भुगतान करने से बचने या कर चोरी करने में सक्षम बनाया है।

03 विश्व के राजनीतिक नेताओं द्वारा संरक्षणवाद **(protectionism) में वृद्धि**, उदाहरण के लिए– यू.एस.ए., यू.के. आदि।

04 वैश्विक स्तर पर चीन के आक्रामक उदय से बढ़ते भय के कारण कुछ राष्ट्रों की **सामरिक चिंताएं।**

05 परिवहन के लिए जीवाश्म ईंधन की प्रमुख भूमिका के साथ ग्लोबल वार्मिंग के कारण **पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं।**

06 नौकरी छूटने, आर्थिक असमानताओं में वृद्धि आदि के कारण **लोगों में असंतोष।**

07 सांस्कृतिक और नृजातीय पहचान के कमजोर पड़ने के भय से **परंपरावाद में वृद्धि।**

08 मानव में घटते नैतिक मूल्य के कारण **मानवीय व्यवहार संबंधी चिंताएँ**, उदाहरण के लिए– समाज में मैकडॉनल्डाइजेशन का उदय आदि।

09 **WTO** की वार्ताओं के बार–बार उल्लंघन से **इसकी घटती भूमिका।**

10 प्रभावी और व्यापक विनियमन की मांग के चलते **निजता, साइबर अपराध आदि से जुड़ी चिंताएं।**

वैश्वीकरण का धीमा पड़ना: असंतोष और महत्व में कमी

- वैश्वीकरण में हो रही तेज़ वृद्धि से कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं उपजी हैं।
- वैश्विक अवसंरचना, जैसे, 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के उपयोग के कारण बढ़ती चिंताओं तथा गंभीर वैश्विक आर्थिक एकीकरण से संप्रभुता को खतरा होने के साथ ही इन कारणों की प्रबलता और अधिक गंभीर हो गई है।

कोविड 19 और वैश्वीकरण: स्लो डाउन (धीमा पड़ना) या परिवर्तन का चरण

अपने अस्तित्व के लगभग दो वर्षों में, कोविड-19 महामारी का वैश्वीकरण के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक आयामों पर भारी प्रभाव पड़ा है। इसे कई रूपों में देखा जा सकता है।

- **आर्थिक वैश्वीकरण:** लॉकडाउन के कारण बढ़ते घरेलू प्रतिबंध, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का विघटन आदि।
- **सामाजिक वैश्वीकरण:** घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों पर (विशेषकर पर्यटक और विद्यार्थियों पर) यात्रा प्रतिबंध। नौकरी खोने के कारण प्रवासियों द्वारा विप्रेषण में कमी।
- **राजनीतिक वैश्वीकरण:** राष्ट्रों के बीच बढ़ता दोषारोपण (संयुक्त राज्य अमेरिका-चीन), और विस्तारवाद (जैसे, चीन) वैश्विक चिंताएं एवं सहयोग {जैसे: औकस (AUKUS), क्वाड(QUAD)} का कारण बने हैं। कुछ देशों ने महामारी से सहयोगपूर्ण तरीके से निपटने के लिए भी प्रयास किए हैं (जैसे, भारत द्वारा वैक्सीन मैत्री)।

ऐसे रुझान **वैश्वीकरण के अलग रूप की ओर संकेत** करते हैं।

वैश्वीकरण का भविष्य: वैश्वीकरण 4.0

- **वैश्विक मूल्य श्रृंखला (GVC) में अवसंरचनात्मक बदलाव:**
  - **वस्तु-उत्पादक मूल्य श्रृंखला कम व्यापार गहन हो रही है।** इसे व्यापार गहनता के मूल्य में गिरावट के माध्यम से देखा जा सकता है (यानी, सकल निर्यात और सकल उत्पादन के मध्य अनुपात)।
  - **वस्तुओं के व्यापार की तुलना में सेवाओं के व्यापार में अधिक वृद्धि हो रही है।** यह 60 प्रतिशत अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है।
  - **श्रम-लागत अंतरपणन (arbitrage) पर आधारित व्यापार के हिस्से में गिरावट आ रही है।**
  - GVCs अधिक ज्ञान आधारित हो रही हैं। ये अधिक क्षेत्रीय और कम वैश्विक बन रही हैं।
- भारत और चीन जैसे देशों में घरेलू उपभोग के बढ़ने से **वैश्विक मांग का भूगोल निरन्तर विकासशील देशों की ओर** स्थानांतरित हो रहा है।
- **तकनीकी विकास** जैसे डिजिटल मंचों की व्यापकता, 5जी प्रौद्योगिकी, 3D प्रिंटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। साथ ही, व्यापार की प्रवृत्ति को भी बदल सकते हैं।
- अत्यंत तकनीकी विश्व में उपभोक्ता की परिभाषा और उसके व्यवहार में आधारभूत परिवर्तन।
- वैश्वीकरण बराबरी के आधार पर सीखने और आदान-प्रदान करने की क्रिया पर आधारित होना चाहिए। समाजों की पहले की एकनिष्ठ एकरूपता के विपरीत, विविधता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

VISION IAS

6.2. सोशल मीडिया और समाज (Social Media and Society)

सोशल मीडिया और समाज – एक नज़र में

सोशल मीडियाः

वेब 2.0 वस्तुतः इंटरएक्टिव इंटरनेट–आधारित एप्लीकेशंस का समूह है। यह **आभासी नेटवर्क्स और समुदायों** के माध्यम से लोगों को अपने विचार, सोच और जानकारी को साझा करने की सुविधा प्रदान करता है। उदाहरण के लिए– विकिपीडिया, ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स आदि।

समाज के लिए सोशल मीडिया के फायदे

- **युवाओं का राजनीतिक और आर्थिक सशक्तीकरण।**
- **शिक्षा के लिए परिवर्तनकारी साधन।**
- **वंचित समुदायों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने** हेतु एक मंच।
- **महिला सशक्तीकरण** में सहायक और लैंगिक विभाजन में कमी।
- बुजुर्गों के लिए एक **सामाजिक सहयोग प्रणाली** प्रदान करने में सहायक।
- **सामूहिक सामाजिक कार्यों** के लिए एक मंच और **सांस्कृतिक एकीकरण की सुविधा** प्रदान करने में सहायक।
- बेहतर गवर्नेंस एवं स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन की सुविधा प्रदान करने में सहायक।

सोशल मीडिया विनियमन की आवश्यकता क्यों?

- **समाज में बढ़ता ध्रुवीकरणः सोशल मीडिया लोगों को उनके दृष्टिकोण के आधार पर बांटता है।** इसके फलस्वरूप, लोग मुद्दों पर हठधर्मी राय बना लेते हैं और विश्व के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण रखते हैं।
- **नैतिक एवं निजता संबंधी चिंताएं जैसे कि वित्तीय धोखाधड़ी, मानवाधिकार हनन, ऑनलाइन दुर्व्यवहार आदि।**
- मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव, मानव व्यवहार में बदलाव और समाज–विरोधी व्यवहार को नियंत्रित करके समाज की अक्षमता के रूप में सामाजिक क्षति।
- गलत सूचना और फेक न्यूज की बढ़ती घटनाएं, जिसके कारण दंगा फसाद, जान से मारने की धमकी से लेकर हत्या तक आदि परिणाम हो सकते हैं।
- सोशल मीडिया पर गैर–कानूनी एवं आतंकवादी गतिविधियों के कारण **लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए खतरा और सुरक्षा संबंधी जोखिम।**

सोशल मीडिया विनियमन के समक्ष चुनौतियां

- **गलत सूचनाओं से निपटनाः** यह निर्णय करने में कठिनाई कि कौन सा कंटेंट फेक है और कौन सा नहीं।
- **नफरत फैलाने वाले भाषण का विनियमन करनाः** स्वीकृत और प्रतिबंधित भाषण के बीच आधिकारिक रेखा खींचना एक कठिन कार्य है।
- **संसाधनों की कमी** और त्वरित गति से आपत्तिजनक सोशल मीडिया कंटेंट का पता लगाने एवं उसे हटाने से संबंधित कार्य प्रणाली का अभाव।
- **जवाबदेही निर्धारित करने से संबंधित मुद्दे,** क्योंकि कंटेंट उपयोगकर्ता द्वारा सृजित किए जाते हैं न कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा।
- सरकारी विनियमों का अनुपालन काफी खर्चीला होता है, **जो प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार को बाधित करता है। इससे एकाधिकार को बढ़ावा मिल सकता है।**
- कंटेंट का विनियमन **वाक् स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचा सकता है और असहमति को दबा सकता है।** इससे देश की लोकतांत्रिक संरचना नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकती है।

इस उभरते युग में सोशल मीडिया को मजबूत करने के उपाय

- **निम्नलिखित कदमों को उठाकर लोगों द्वारा गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए प्लेटफॉर्म्स द्वारा स्व–विनियमन करना:–**
  - **कंटेंट में संतुलन लाने के लिए मानवाधिकार सिद्धांतों** का पालन करना।
  - **कंटेंट की समीक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए मॉडरेटर की संख्या और प्रयासों का विस्तार करना।**
- **निम्नलिखित के माध्यम से सरकार की भूमिका को फिर से निर्धारित करना:**
  - कंटेंट मानक और प्रवर्तन संबंधी दिशा–निर्देशों **को समय–समय पर अपडेट करना और निर्धारित करना।**
  - **ऑनलाइन गलत सूचना से निपटने के लिए सकारात्मक उपायों का समर्थन करना।**
  - सभी प्लेटफॉर्म्स के बुनियादी कार्यों में **पारदर्शिता संबंधी अनिवार्यताओं को निर्धारित करना।**
- **समाज के वंचित वर्गों के लिए सोशल मीडिया की पहुँच में वृद्धि करके** सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल के लिए सामाजिक क्षमता का निर्माण करना।

6.3. घृणा संबंधी अपराध (Hate Crime)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **बुल्ली बाई ऐप** के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय 100 से अधिक मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को फर्जी नीलामी के लिए पोस्ट किया गया था। इस मोबाइल ऐप के निर्माताओं को गिरफ़्तार कर लिया गया है।

हेट क्राइम (घृणा संबंधी अपराध) के बारे में

- किसी व्यक्ति के विरुद्ध रंग, धर्म, लैंगिक अभिविन्यास, दिव्यांगता, नृजातीयता या राष्ट्रीयता के आधार पर घृणा फ़ैलाने वाले अपराधों को हेट क्राइम या पक्षपात-प्रेरित अपराध कहा जाता है।
- हेट क्राइम **पूर्वाग्रहों की सबसे चरम अभिव्यक्ति है।**
- हेट क्राइम से अत्यधिक नुकसान हो सकते हैं। यह अपराध समय के साथ बढ़कर, भावनात्मक, लैंगिक और/या शारीरिक प्रताड़ना का अधिक गम्भीर रूप भी धारण कर सकता है।

हेट क्राइम	भारत में हेट क्राइम के लिए दंडात्मक प्रावधान
हेट स्पीच या नफरत फैलाने वाले भाषण	भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं जैसे कि 153A. 153B, 295A आदि के तहत दंडनीय। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, गैरकानूनी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम और इसी तरह के अन्य कानूनों में हेट स्पीच और इसकी रोकथाम से संबंधित प्रावधान हैं।
लिंचिंग और भीड़ द्वारा हिंसा	इस संबंध में तहसीन पूनावाला वाद में उच्चतम न्यायालय ने दिशा-निर्देश दिए हैं। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 और IPC के तहत विभिन्न धाराएं।
महिलाओं के विरुद्ध अपराध	IPC के तहत अनेक धाराएं बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम आदि जैसे विशिष्ट अधिनियम।

हेट क्राइम के कारण

- **पूर्वाग्रह:** अपराधी के मन में एक पूरे समूह के अस्तित्व के खिलाफ पूर्वाग्रह की तीव्र भावना हो सकती है। इस भावना के परिणामस्वरूप, उसके मन में उस समूह के सदस्यों के लिए घृणा या नफ़रत की भावना भी पैदा हो सकती है।
- **समझ का अभाव:** लोगों और उनकी परंपराओं के मध्य विविधताओं के बारे में **समझ का अभाव,** भय और असहिष्णुता के परिवेश में योगदान देता है। यदि इन भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ये अनुचित कार्यों या नफ़रत से प्रेरित हिंसा का रूप ले लेती हैं।
- **खतरे की अवधारणा:** वास्तविक खतरों में यथार्थ हितों का संघर्ष शामिल होता है- जैसे नौकरी, घर और अन्य संसाधनों को लेकर कथित प्रतियोगिता। प्राय: प्रवासी और दिव्यांगजनों इन दो समूहों को लक्षित किया जाता है। अन्य प्रतीकात्मक खतरे लोगों की सामाजिक पहचान से संबंधित हैं, जैसे कि जीवन के विभिन्न तरीके, जिसमें सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण मूल्य और मानदंड शामिल हैं।
- **सशस्त्र विद्रोह के दौरान:** राजनीतिक तनाव और सशस्त्र विद्रोह नृजातीयता, उत्पत्ति, भाषा या धर्म से परिभाषित समुदायों के बीच द्वेष का सृजन कर सकते हैं।
- **प्रशासनिक असफलता:** देश में पुलिस और न्याय व्यवस्था की दशा को देखते हुए, यह एक व्यापक मत है कि 'दोषी' को सज़ा नहीं मिलती। साथ ही, हेट क्राइम का अपराधी सज़ा से बचकर, स्वतंत्र घूमेगा।
- **राजनीतिक संरक्षण:** प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति में, वोटबैंक में मतदाताओं के ध्रुवीकरण ओर समर्थन हासिल करने के लिए, सामाजिक मतभेदों के आधार पर राजनीतिक लामबंदी की संस्कृति में वृद्धि हुई है। साथ ही, समर्थन जुटाने और विपक्षी दलों को भयभीत करने लिए हिंसा का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है।

हेट क्राइम्स के प्रभाव

- **भय की मनोविकृति:** अन्य अपराधों की तुलना में हेट क्राइम से होने वाला भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात बहुत गंभीर होता है। यह न केवल इसे अनुभव करने वाले व्यक्ति को ही नहीं, बल्कि जिस समुदाय से वह व्यक्ति संबद्ध होता है, उसे भी प्रभावित करता है।
- **मुख्य रूप से पीड़ित की पहचान पर हमला:** हेट क्राइम्स सुभेद्यता, घबराहट, क्रोध और कभी-कभी अपमान की भावना को बढ़ाते हैं। ऐसी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, निम्नलिखित विशेष व्यावहारिक प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करती हैं:
    - क्रोध से व्यवहार में अग्र सक्रियता आती है और उत्तेजना को काबू में रखना संभव नहीं हो पाता है।
    - घबराहट से उत्तेजना और बढ़ जाती है तथा सुरक्षा चिंताएं पैदा होती हैं।
    - अपमान का संबंध उत्तेजना, अग्र सक्रिय व्यवहार, सुरक्षा चिंताओं और विशेष रूप से प्रतिशोध से है।

VISION IAS

- **हेट क्राइम्स के बढ़ने की संभावना रहती है:** दोषी जो छोटे अपराधों से इसे शुरू करते हैं, यदि उन्हें पकड़ा और रोका न जाए, तो वे अत्यंत हिंसक क्रियाकलाप करने लगते हैं।
- **प्रतिशोध की भावना पैदा होना:** यदि पीड़ित और उसका समुदाय यह अनुभव करते हैं कि राज्य प्राधिकारियों द्वारा उन्हें पर्याप्त सुरक्षा एवं संरक्षण नहीं दिया जा रहा है, तो वे प्रतिशोध ले सकते हैं। इससे और अधिक हमले होंगे तथा हिंसा के एक चक्र का निर्माण होगा। इसके परिणामस्वरूप, गंभीर सामाजिक विकृति होगी।

हेट क्राइम को रोकने के लिए आगे की राह

- **बचाव:** पंजीकृत राजनीतिक दलों और अन्य पंजीकृत निकायों को, हेट क्राइम में शामिल उनके सदस्यों के कृत्यों के संदर्भ में जवाबदेह ठहराना चाहिए। साथ ही, उनके ख़िलाफ़ प्रत्यक्ष रूप से उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए।
- **दोष सिद्धि:** जहां घृणा संबंधी अपराध सिद्ध हो जाता है, वहां सज़ा को इस आधार पर बढ़ा देना चाहिए कि यह अपराध एक पीड़ित को ही नहीं बल्कि संपूर्ण समुदाय को प्रभावित करेगा।
- **अधीनस्थ न्याय व्यवस्था को संवेदनशील बनाना:** हेट क्राइम के मामले में अधीनस्थ न्याय व्यवस्था को समय-समय पर सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से संवेदनशील बनाना चाहिए। इन कार्यक्रमों में सभी समुदायों के सामाजिक कार्यकर्ता, मनोवैज्ञानिक, अन्य कार्यकर्ता और वकील आदि को शामिल किया जाना चाहिए।
- **स्कूली छात्रों को सहिष्णुता और समरसता अपनाने हेतु प्रेरित करना:** सभी विद्यार्थियों को पूर्वाग्रह एवं असहिष्णुता के बारे में व्यवस्थित तरीके से शिक्षित करना चाहिए।
- **नागरिक समाज:** हेट क्राइम के बारे में जागरूकता फैलाने में नागरिक समाजों का महत्वपूर्ण योगदान है। हेट क्राइम/ घटनाओं की पहचान करने, उन्हें दर्ज करने और जांच में सुधार लाने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी, नागरिक समाजों के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं।

6.4. खेलों में भारत का प्रदर्शन (India's Performance in Sports)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, प्रधान मंत्री ने देश के युवाओं से खेल में करियर बनाने का आह्वान किया है। साथ ही, उन्होंने अन्य लोगों से देश के युवाओं को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए कहा, ताकि देश में खेल की संस्कृति को बढ़ावा मिल सके।

खेलों में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है?

खेल मनुष्य के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास और मनोरंजन का अभिन्न तत्व हैं। इस वास्तविकता के बावजूद भी, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेल में बहुत कम उपलब्धियां प्राप्त की हैं। इसे स्पष्ट रूप से निम्नलिखित तरीके से देखा जा सकता है:

- **सीमित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागिता:** कुछ खेलों जैसे क्रिकेट को छोड़ कर, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत के पास बहुत कम प्रसिद्ध और अच्छे खिलाड़ी हैं।
- **ओलंपिक में खराब प्रदर्शन:** हाल ही में हुए, टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स में भारत ने क्रमशः 7 और 19 पदक जीतकर, अपना अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया है।

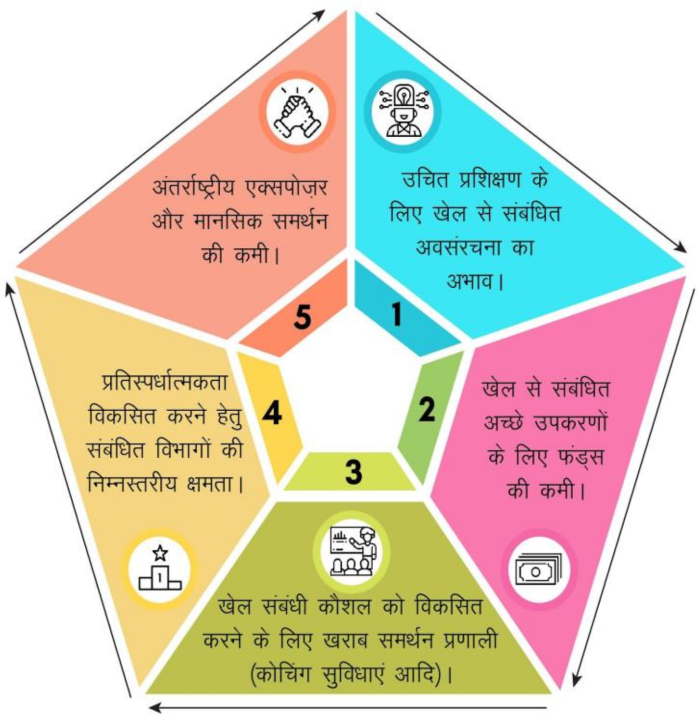

अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खराब प्रदर्शन के कारण

  - वर्ष 1900 के संस्करण से लेकर अभी तक, भारत ने ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक में मात्र 35 पदक ही जीते हैं।
  - शीतकालीन ओलम्पिक खेलों में अभी भारत ने एक भी पदक नहीं जीता है। इसी तरह इसने फीफा (FIFA) विश्व कप में भी वर्ष 1950 में केवल एक बार ही क्वालीफाई किया था।

खराब प्रदर्शन से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

- खेलों का व्यापक आधार बनाने तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में श्रेष्ठता प्राप्त करने हेतु **राष्ट्रीय खेल नीति** निर्मित की गई है।
- भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) नामक एक स्वायत्त संगठन की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना और युवा प्रतिभा को पहचानना एवं विकसित करना है।
- **सहयोग और प्रोत्साहन योजनाएं:** जैसे:
  - **टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम (TOPS),** चयनित खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करती है।
  - **खेलो इंडिया:** यह **खेलों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है।** इसका उद्देश्य विभिन्न पहलों के माध्यम से देश में खेल की संस्कृति का संचार करना और खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है **(चित्र देखें)।**
- खिलाड़ियों, कोच और खेल प्रशिक्षण केंद्रों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए **नेशनल स्पोर्ट्स शीतकालीन सिस्टम (NSRS)** का विकास किया गया है।
- **खेलों से संबंधित शिक्षा का विकास, उदाहरण के लिए** शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान से संबंधित ज्ञान की शाखाओं में उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए संस्थानों की स्थापना की गई है। जैसे: लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान।
- **खिलाड़ियों को प्रोत्साहन जैसे** सर्वोत्तम प्रदर्शन को सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार आदि।

आगे की राह

- आवश्यक प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए **वैश्विक स्तर की खेल अवसंरचना का निर्माण।** बड़ी खेल अवसंरचनाएं, युवाओं के लिए नौकरी के नए अवसर सृजित करने में मदद करेंगी। साथ ही, खेलों को करियर के रूप में अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित भी करेंगी।
- खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित कर्मचारियों, आधारभूत ढांचों और प्रतियोगिताओं को विकसित करने हेतु स्कूल, कॉलेज एवं विश्वविद्यालयों जैसे **संस्थानों का निर्माण** करना चाहिए।
- राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करने और उचित चयन सुनिश्चित करने के लिए **खेल फेडरेशन/निकायों में शासन संबंधी सुधार** करने चाहिए। इससे उनके संचालन में पारदर्शिता आएगी।
- युवाओं की प्रतिभा की शुरुआती पहचान करने और उन्हें खेलों में प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया के लिए **वैज्ञानिक ज्ञान (उदाहरण के लिए किनैनथ्रोपोमेट्री) का उपयोग** करना चाहिए

- ○ **वृद्धि, अभ्यास, प्रदर्शन और पोषण को समझने के लिए मानव के वज़न, आकार, अनुपात, संरचना, प्रौढ़ता और सकल क्रिया के अध्ययन** को किनैनथ्रोपोमेट्री कहा जाता है।
- **खेलों के संवर्धन में निजी क्षेत्रक की भागीदारी बढ़ानी** चाहिए। जैसे, कॉर्पोरेट सहभागिता के साथ प्रो कबड्डी लीग (PKL) ने कबड्डी को एक महत्वपूर्ण खेल के रूप में और उसके खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है।

- **स्पष्ट रूप से पहचाने गए अवसरों के साथ खिलाड़ियों के लिए एक सुनिश्चित करियर प्रगति विकसित कर**नी चाहिए। ऐसा एक संपूर्ण खेल पारितंत्र का समर्थन करके संपन्न किया जा सकता है। इस तंत्र में प्रत्येक स्तर पर कोच, बुनियादी ढांचा, प्रशिक्षक और लीग शामिल होने चाहिए।
- खेलों के माध्यम से लोगों के बीच **शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा** देना। ऐसा मौजूदा खिलाड़ियों द्वारा लोगों के साथ परस्पर बातचीत से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने ओलिम्पिक खिलाड़ियों से वर्ष 2023 के गणतंत्रता दिवस तक 75 स्कूलों में दौरा करने की अपील की है।
- उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए **भारत को खेलों के एक विनिर्माण हब** के रूप में विकसित करना चाहिए। इससे खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सहायता प्रदान करने के लिए अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।

संबंधित सुर्खियां

खेलों का वित्तपोषण (Funding of sports)

- हाल ही में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह **भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता (NSDCI) का पालन नहीं करने वाले खेल निकायों का वित्तपोषण बंद करे।**
- इस आदेश ने केंद्र को उन राष्ट्रीय खेल संघों (NSFs) को **अनुदान, निधि और संरक्षण** देने से रोक दिया है, जो **NSDCI, 2011** का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।
  - ○ वर्ष 2014 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने **NSDCI** को खेल निकायों के लिए **देश का कानून** (लॉ ऑफ़ द लैंड) घोषित किया था।
- NSDCI, राष्ट्रीय खेल संघों के लिए वर्ष 1975 से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का एक सेट है।
  - ○ NSDCI खेलों के प्रचार और विकास में शामिल **अलग-अलग एजेंसियों की जिम्मेदारी** के क्षेत्रों को परिभाषित करता है।
  - ○ यह संहिता के तहत कवरेज के लिए **पात्र NSFs की पहचान** करता है। साथ ही, उनकी प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।
  - ○ यह फेडरेशन द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं का विवरण देता है।
  - ○ यह सरकारी मान्यता और अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तों को वर्णित करता है।
- NSFs अनुशासन के समग्र **प्रबंधन, निर्देशन, नियंत्रण, विनियमन, पदोन्नति, विकास और स्पॉन्सरशिप** के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार तथा जवाबदेह हैं।
  - ○ इन्हीं आधारों पर इन्हें संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है।
- **NSDCI अनुपालन के लाभ:**
  - ○ NSFs में निष्पक्षता सुनिश्चित होती है और वैधानिकता आती है;
  - ○ खेल क्षेत्र के कुप्रबंधन के मुद्दों को हल करने में मदद मिलती है;
  - ○ खेलों में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं आदि।
- **NSFs की प्रमुख चिंताएं**
  - ○ गुणवत्तापूर्ण खेल अवसंरचना का अभाव है।
  - ○ पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है।
  - ○ योग्यता की कमी है, क्योंकि फेडरेशन के प्रमुख राजनेता होते हैं।

- धन की कमी का सामना करना पड़ता है।
- अक्सर संघों के सदस्यों के बीच हितों का टकराव देखा जाता है।

डोपिंग रोधी विधेयक (Anti-Doping Bill)

- हाल ही में, सरकार ने **लोकसभा में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक, 2021** पेश किया है।
  - **एथलीट यानी खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं जो प्रतिबंधित है। इसे ही डोपिंग कहा जाता है।**
  - **विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA)**[44] सभी प्रकार के प्रतिस्पर्धी खेलों में डोपिंग की निगरानी करती है। हालांकि, राष्ट्रीय स्तर पर डोपिंग की निगरानी हेतु एक **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA)**[45] की स्थापना की गई है। यह केंद्रीय **खेल मंत्रालय** के अधीन एक स्वायत्त संस्था है।
  - **विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी** द्वारा प्रकाशित नई रिपोर्ट के अनुसार**, वर्ष 2019 में भारत में डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन (ADRVs)**[46] **के 152 मामले सामने आए थे जो विश्व के कुल मामलों का 17% है।**
    - इस सूची में भारत तीसरे स्थान पर है। डोपिंग के आरोपी सबसे अधिक बॉडी बिल्डिंग (57) क्षेत्र से संबंधित रहे हैं।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताएँ

- **डोपिंग पर रोक:** यह विधेयक **खिलाड़ियों, सहायक कर्मचारियों तथा अन्य लोगों की डोपिंग में किसी प्रकार की संलिप्तता/भागीदारी को प्रतिबंधित** करता है।
  - **यदि किसी खिलाड़ी या उसके सहायक द्वारा डोपिंग रोधी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो:**
    - खेल से संबंधित परिणामों को रद्द या उन्हें परिणामों से वंचित कर दिया जाएगा।
    - एक तय अवधि के लिए किसी प्रतिस्पर्धा या कार्यक्रम में भाग लेने हेतु उन्हें अयोग्य ठहराया जा सकता है।
    - उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।
  - **छूट:** यदि किसी एथलीट को किसी चिकित्सीय स्थिति के कारण किसी प्रतिबंधित पदार्थ या तरीके की ज़रूरत पड़ती है, तो उसे चिकित्सकीय उपयोग के तौर पर छूट प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पास आवेदन करना होगा।
- **राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी:** इस विधेयक में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) के कामकाज को वैधानिक ढांचा प्रदान करने हेतु प्रावधान किये गए हैं। इससे NADA को भारतीय खेल जगत में नशीली दवाओं के दुरुपयोग से निपटने के उपायों को मजबूत बनाने तथा इसके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त होगा।

[44] World Anti-Doping Agency

[45] National Anti-Doping Agency

[46] Anti-doping Rule Violations

परिशिष्टः प्रमुख आंकड़े और तथ्य

महिला आरक्षण विधेयक

आंकड़े/तथ्य

- **महिला आरक्षण विधेयक {संविधान (108वां संशोधन), 2010} में लोक सभा और सभी राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित** करने का प्रस्ताव है।
- संसद में केवल **9.1% महिला मंत्री** हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय औसत लगभग 22% है।
- **राजनीतिक दलों के भीतर महिला आरक्षण सुनिश्चित करना,** विधायिकाओं में महिला आरक्षण का एक विकल्प है।
- **आगे की राहः** पुरुष प्रधान प्रणाली को बदलना और महिलाओं के लिए जागरूकता एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित करना।

कृषि क्षेत्र का स्त्रीकरण

आंकड़े/तथ्य

- **श्रम बल भागीदारी दर (LFPR)** 42.5 प्रतिशत (2018–19) से बढ़कर 45.6 प्रतिशत (वर्ष 2019–20) हो गई है। यह कृषि में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि का संकेतक है।
- **कारणः** पुरुषों का प्रवास, श्रम गहन कार्यों के लिए महिलाओं को वरीयता, उत्पादन संबंधी कम लागत आदि।
- **आगे की राहः** भूमि का स्वामित्व, जेंडर बजटिंग, महिला केंद्रित विस्तार सेवाएं, वैकल्पिक आर्थिक अवसरों को मजबूत करना आदि।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में महिलाएं

आंकड़े/तथ्य

- STEM स्नातकों में से अभी तक केवल लगभग **43%** ही महिलाएं हैं। भारत में विज्ञान में लगभग **15%** संकाय पदों पर महिलाएं हैं।
- **चुनौतियांः** पितृसत्तात्मक संस्कृति, भुगतान संबंधी लैंगिक अंतराल, पारिवारिक जिम्मेदारी का अनुचित बोझ आदि।
- **आगे की राहः** रूढ़िवादिता को समाप्त करना, सुरक्षित यात्रा, पितृत्व अवकाश, महिलाओं को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करना आदि।

स्थायी कमीशन (PERMANENT COMMISSION)

आंकड़े/तथ्य

- स्थायी कमीशन का अर्थ है – **सेवानिवृत्ति तक सशस्त्र बलों में रोजगार संबंधी अवसर।**
- **सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया** (2020) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को **स्थायी कमीशन देने का निर्णय** दिया है।
- वर्तमान में, **भारतीय थल सेना, वायु सेना और नौसेना** में क्रमशः केवल **0.56%, 1.08%** एवं **6.5%** महिला कार्मिक हैं।
- **लाभः** रक्षा में लिंगानुपात संबंधी सुधार, महिलाओं के लिए अधिक अवसर, निर्णय लेने में भागीदारी का अवसर आदि।
- **आगे की राहः** मातृत्व अवकाश के बाद रक्षा सेवाओं को जारी रखने; महिलाओं को लड़ाकू विंग में शामिल करने; महिलाओं के लिए सैन्य क्षेत्र को आकर्षक बनाने हेतु प्रावधान करने चाहिए।

महिलाओं के विवाह की आयु

आंकड़े/तथ्य

- **बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम वैध आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष (पुरुषों के बराबर) करने का प्रावधान किया गया है।**
- **उद्देश्यः** महिलाओं की विवाह योग्य आयु को पुरुषों के समान बनाना, मौजूदा कानूनों, जिनमें विवाह से जुड़े पक्षों को शासित करने वाले रीति-रिवाज़, परिपाटी और प्रथाएं शामिल हैं, उन्हें रद्द करना आदि।
- **आगे की राहः** सूचना, शिक्षा और संचार; महिला सशक्तीकरण; बाल विवाह को कम करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण; लैंगिक निष्पक्षता को सुनिश्चित करना; आदि।

जल, सैनिटेशन और सफाई (WASH) तथा लैंगिक असमानता

आंकड़े/तथ्य

- 'WASH' जल (Water), स्वच्छता (Sanitation) और सफाई (Hygiene) के लिए एक सामूहिक शब्द है।
  - यह SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण) तथा SDG 6 (सभी के लिए जल स्वच्छता की उपलब्धता व संधारणीय प्रबंधन सुनिश्चित करना) से संबंधित है।
- WASH के अंतर्गत लैंगिक असमानता का आशय **ज्ञान, उपलब्धता, वहनीयता संबंधी अंतराल, भेदभावपूर्ण कानून आदि से है।**
- **आगे की राहः** WASH के लिए लैंगिक संवेदनशील कानूनी गारंटी; महिला भागीदारी एवं सशक्तीकरण; स्थानीय सरकारों की क्षमता का निर्माण; निजी क्षेत्र के साथ समन्वय आदि।

लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2013

आंकड़े/तथ्य

- इस अधिनियम का उद्देश्य **कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न के कृत्यों को रोकना, प्रतिबंधित करना और उनका निवारण करना** है। इसने **विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य** (1997) में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को विस्तृत रूप प्रदान किया है।
- यह 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यालय या शाखा में एक **आंतरिक शिकायत समिति** (ICC) गठित करने का प्रावधान करता है।
- **अधिनियम से संबंधित मुद्देः** लैंगिक असमानता; दंडात्मक उपायों का निर्धारित न होना; अनौपचारिक क्षेत्र को कवर न करना आदि।
- **आगे की राहः** कानून को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाना; मुआवजा और सजा तय करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया स्थापित करना; इसके अंतर्गत अनौपचारिक क्षेत्रों को भी शामिल करना आदि।

भारत में दहेज प्रथा

आंकड़े/तथ्य

- **दहेज प्रतिषेध अधिनियम** 1961 के तहत दहेज एक संज्ञेय अपराध है।
- **दहेज हत्या** IPC की धारा 304B के तहत **दंडनीय अपराध है।**
- **चुनौतियांः** महिलाओं की अधीनता, वित्तीय स्वतंत्रता की कमी, कानून के कार्यान्वयन में शिथिलता आदि।
- **आगे की राहः** दहेज को एक सामाजिक विकृति के रूप में घोषित करना; शादियों में फिजूलखर्ची को गैरकानूनी घोषित करना, महिला सशक्तीकरण आदि।

वैवाहिक बलात्कार (MARITAL RAPE)

आंकड़े/तथ्य

- 18-49 आयु वर्ग की 3 में से 1 **भारतीय महिला** को किसी न किसी रूप में पति के दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा है। **(NFHS 5)**
- **IPC की धारा 375** बलात्कार को परिभाषित करती है और सहमति की कई धारणाओं को सूचीबद्ध करती है। साथ ही, पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम नहीं है, तो **वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया है।**
- भारत उन **36 देशों में से एक है, जहां अभी भी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया है।**
- **जे. एस. वर्मा समिति** और विधि आयोग की 172वीं रिपोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में शामिल करने की सिफारिश की है।

यौनकर्मियों के अधिकार

आंकड़े/तथ्य

- **भारत में 8.25 लाख महिलाएं सेक्स वर्कर/यौनकर्मी** हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फिर से जोर देकर कहा कि **सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों को सम्मान एवं मानवीय शिष्टता के साथ जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।**
    - इससे पहले **गौरव जैन बनाम भारत संघ (1997) और बुद्धदेव कर्मस्कर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2011)** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों के अधिकारों को दोहराया था।
- **सेक्स वर्कर्स द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे:** सामाजिक विरोध; अपराध की श्रेणी में शामिल होना और हाशिए पर रहना; न्याय तक पहुंच की कमी; **HIV** की उच्च दर आदि।
- **आगे की राह:** सेक्स वर्क से संबंधित सभी पहलुओं को अपराध की श्रेणी से बाहर करना; स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करना; समुदाय में संवेदनशीलता लाना; नीति निर्माण में सेक्स वर्कर्स की भागीदारी आदि।

देखभाल अर्थव्यवस्था (CARE ECONOMY)

आंकड़े/तथ्य

- **GDP का केवल 1%** देखभाल अर्थव्यवस्था पर खर्च होता है।
- **भारत में महिलाओं के अवैतनिक कार्य का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद का 3.1% है।**
- **चुनौतियां:** देखभाल कर्मियों को कम भुगतान किया जाना; देखभाल अर्थव्यवस्था के कर्मियों की उचित पहचान के लिए किसी व्यवस्था का न होना, लैंगिक असमानता आदि।
- **आगे की राह:** देखभाल कर्मियों की पहचान करना, इस अर्थव्यवस्था का औपचारीकरण करना, महिला अनुकूल रोजगार सृजन, बाल देखभाल अवकाश को लैंगिक रूप से तटस्थ बनाना आदि।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021

आंकड़े/तथ्य

- इस **अधिनियम को कुछ अपराधों को गैर-संज्ञेय के रूप में वर्गीकृत करने के कारण सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।** इसमें ड्रग्स की तस्करी के लिए बच्चों का दुरुपयोग, आतंकवादियों द्वारा बच्चों का दुरुपयोग, बाल कर्मचारी का शोषण और बच्चों के खिलाफ क्रूरता शामिल हैं।
- **18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को** किशोर कहते हैं।
- यह अधिनियम निम्नलिखित पर एक **हस्ताक्षरकर्ता होने के रूप में** भारत की **प्रतिबद्धता** को पूरा करता है:
    - बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन
    - अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में बच्चों के संरक्षण और सहयोग पर हेग कन्वेंशन (1993)

बाल दत्तक ग्रहण

आंकड़े/तथ्य

- केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) के आंकड़ों के अनुसार, **भारत में 2013 के बाद से 2020 और 2021 के बीच समग्र रूप से सबसे कम (3,559) बच्चे गोद लिए गए हैं।**
- देश में 2020-2021 में गोद लेने में इस गिरावट का प्राथमिक कारण कोरोना वायरस महामारी को माना गया है।
- **आर्थिक मंदी या माता-पिता के आय स्रोतों में नुकसान के कारण बच्चे को गोद लेने के संबंध में निर्णयों में परिवर्तन या देरी हो रही है।**
- कई जिलों में कानूनी रूप से अनिवार्य होने के बावजूद अधिकृत गोद लेने वाली एजेंसी का अभाव है।
- कई CCI बाल कल्याण समितियों के पास पंजीकृत नहीं हैं। इन केंद्रों से बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता, क्योंकि केवल पंजीकृत CCI को ही गोद लेने वाली एजेंसियों से जोड़ा जा सकता है।
- **आगे की राह:** संभावित अभिभावकों को विकल्प प्रदान करना- आवेदकों को अपने संबंधित राज्यों के बच्चे को गोद लेने के लिए प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए।

ट्रांसजेंडर के अधिकार

आंकड़े/तथ्य

- अनुच्छेद 14,15, 16, 19 और 21 के तहत प्राप्त **संवैधानिक अधिकार।**
- **NALSA बनाम भारत संघ, 2014** मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को मान्यता दी है।
- **नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, 2018** मामले में समलैंगिक विवाह को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019** ट्रांसजेंडर्स को परिभाषित करता है और उनके अधिकारों को सूचीबद्ध करता है।
- **ट्रांसजेंडर्स के सामने आने वाली चुनौतियां:** शिक्षा और रोजगार की कमी; HIV का अधिक प्रसार; हिंसा की चपेट में आना आदि।
- **आगे की राह:** आजीविका के वैकल्पिक साधन; लैंगिक रूप से तटस्थ यौन उत्पीड़न निवारण तंत्र; स्वास्थ्य और शिक्षा के पर्याप्त प्रावधान करना आदि।

मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा/ASHA)

आंकड़े/तथ्य

- भारत के आशा कार्यक्रम को WHO डायरेक्टर-जनरल का **ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड** मिला है।
- देशभर में करीब **10.4 लाख आशा कार्यकर्ता** हैं।
- **आशा कार्यकर्ता के सामने आने वाली कठिनाइयां:** अपर्याप्त भुगतान; खराब अवसंरचना का होना; अधिक कार्यभार आदि।
- **आगे की राह:** रोजगार की स्थिति में सुधार करना; क्षमता निर्माण; समुदाय को संवेदनशील बनाना आदि।

प्रधान मंत्री-जन आरोग्य योजना (PM-JAY)

आंकड़े/तथ्य

- **आयुष्मान भारत** के अंतर्गत PM-JAY **दो घटकों में से एक** है।
- यह **दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना** है।
- **सीमित प्रभावशीलता के कारण:** अल्प वित्त पोषित लोक स्वास्थ्य प्रणाली; पात्रता और अपात्रता संबंधी त्रुटियाँ; खराब विनियमन आदि।
- **आगे की राह:** लाभार्थियों की उचित रूप से पहचान करना; आपूर्ति के मुद्दों को दूर करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का निर्माण करना; सामुदायिक जागरूकता और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना आदि।

स्वास्थ्य अवसंरचना का डिजिटलीकरण

आंकड़े/तथ्य

- **लाभः** साक्ष्य आधारित योजना और निर्णय लेना; ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच भौगोलिक विभाजन के अंतराल को समाप्त करना; मानव और वित्तीय संसाधनों का कुशल उपयोग आदि।
- **चुनौतियांः** अपर्याप्त अवसंरचना; बिखरी हुई स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली; इंटरनेट तक पहुंच; डेटा सुरक्षा आदि।
- **आगे की राहः** आधार का लाभ उठाना; डेटा साझा करने के लिए सहमति; टेलीमेडिसिन सेवाओं तक पहुंच आदि।

हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया'ज मिसिंग मिडिल

आंकड़े/तथ्य

- कम से कम **30% आबादी (40 करोड़ लोग) स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा से वंचित है।** इस आबादी को **मिसिंग मिडिल** कहा गया है।
  - मिसिंग मिडिल वंचित गरीब वर्गों और अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संपन्न संगठित क्षेत्र के बीच स्थित आबादी का गैर-निर्धन वर्ग है।
- **कारणः** कम जागरूकता, नकारात्मक धारणा, भौगोलिक असमानता आदि।
- **आगे की राहः** निजी स्वैच्छिक बीमा का विस्तार, सरकारी सब्सिडी वाले स्वास्थ्य बीमा का विस्तार, उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना, त्वरित शिकायत निवारण आदि।

लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य (SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH: SRH)

आंकड़े/तथ्य

- SRH में **लैंगिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं, देखभाल व सूचना तक पहुंच** शामिल है। साथ ही, इसमें अपने **लैंगिक व प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में निर्णय लेने के मामले में स्वायत्तता** भी सम्मिलित है। इसमें बच्चे पैदा करने के सही समय का चुनाव व उनके मध्य अंतराल संबंधी निर्णय भी शामिल है।
- **चुनौतियांः** परिवार नियोजन का वैचारिक विरोध, प्रजनन स्वास्थ्य देखभाल पर कम वित्त पोषण, महिलाओं के लिए स्वतंत्रता की कमी आदि।
- **आगे की राहः** लैंगिक समानता और महिलाओं की स्वायत्तता को बढ़ावा देना, व्यापक लैंगिक शिक्षा आदि।

सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022

आंकड़े/तथ्य

- ये नियम सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत जारी किए गए हैं। ये सरोगेसी को परिभाषित करते हैं और **वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करते हैं।**
- इस अधिनियम को अपवर्जन प्रवृत्ति (Exclusionary in Nature) का देखा जा रहा है, क्योंकि यह केवल कानूनी रूप से **विवाहित दम्पति को ही सरोगेसी का चयन करने की अनुमति** देता है।
  - **देविका विश्वास बनाम भारत संघ** मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि **प्रजनन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत 'जीवन के अधिकार' का एक अनिवार्य पहलू है।**
- इस अधिनियम के तहत 'बंध्यता' की परिभाषा भी प्रतिबंधात्मक है।
- **IVF उपचार के लिए समय-सीमा को रद्द करना** (जैसा कि अधिनियम में उल्लेख किया गया है) कानून को और अधिक प्रगतिशील बना सकता है।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY: MTP)

आंकड़े/तथ्य

- **गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 गर्भावधि के 24 हफ्ते से अधिक होने पर भी गर्भ के समापन की अनुमति प्रदान करता है।**
- **MTP अधिनियम को लागू करने में चुनौतियां:** योग्य डॉक्टरों और स्वास्थ्य अवसंरचना की कमी; धार्मिक विरोध; सामाजिक कलंक; कानून के संबंध में जागरूकता की कमी।
- **आगे की राह:** धर्मगुरुओं को भागीदार बनाना; लोगों को मानव जीवन के महत्व का एहसास कराना; परिवार नियोजन में दंपतियों की सहायता के लिए पारिवारिक जीवन संबंधी शिक्षा देना आदि।

दुर्लभ रोग (RARE DISEASES)

आंकड़े/तथ्य

- **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दुर्लभ रोग का आशय कमजोर करने वाले व जीवनपर्यन्त व्यापत रहने वाले रोग या विकार से है। इसकी व्यापकता प्रति 10,000 व्यक्ति पर 10 या उससे कम लोगों में है।**
- **भारत में दुर्लभ रोगों से संबंधित मुद्दे:** किसी मानक परिभाषा का न होना; अग्रिम रूप से निदान करने में चुनौतियां; उपचार की अत्यधिक लागत आदि।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने **दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति** (NPRD) 2021 को मंजूरी दी है।
  - इस नीति का उद्देश्य **दुर्लभ रोगों की व्यापकता तथा प्रसार को कम करना है।**
  - **इसमें दुर्लभ रोगों का 3 समूहों में वर्गीकरण किया गया है।**
  - इसमें दुर्लभ रोग से पीड़ित रोगियों को **केंद्र द्वारा 20 लाख रुपये की सहायता का प्रावधान किया गया है।**

मानसिक स्वास्थ्य (MENTAL HEALTH)

आंकड़े/तथ्य

- **समग्र रूप से 970 मिलियन लोग** चिंता और अवसाद जैसे मानसिक स्वास्थ्य विकारों के साथ जी रहे हैं।
- **मात्र चिंता और अवसाद से प्रत्येक वर्ष 1 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होता है।**
- **कारण:** सोशल मीडिया और साथियों का दबाव; शहरीकरण और आधुनिकीकरण; वृद्धावस्था संबंधी मुद्दे आदि।
- **आगे की राह:** जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी; स्वस्थ जीवन शैली; स्कूल आधारित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि।

ऑनलाइन गेमिंग

आंकड़े/तथ्य

- **वर्ष 2023 तक भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 15,500 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है।**
- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस मामले में नीति तैयार करने के लिए एक एनिमेशन, विजुअल, गेमिंग और कॉमिक्स (AVGC) प्रमोशन टास्क फोर्स का गठन किया है।
- **लाभ:** सरकारी राजस्व में वृद्धि; रोजगार सृजन; नवाचार को बढ़ावा आदि।
- **मुद्दे:** सामाजिक शिथिलता; खराब शैक्षिक प्रदर्शन; लंबे समय तक वित्तीय हानि; हिंसा में वृद्धि आदि।
- **आगे की राह:** घर पर बच्चों की निगरानी करना; एकल विनियामक निकाय स्थापित करना; सट्टेबाजी से जुड़े खेलों पर उचित विनियम बनाना आदि।

मादक पदार्थों का सेवन (DRUG ABUSE)

आंकड़े/तथ्य

- नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टांसेस (NDPS) अधिनियम भारत में नशीले पदार्थों के सेवन को विनियमित करता है।
- **कारणः** भारत गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट के बीच स्थित है। ये क्षेत्र विश्व के प्रमुख अफीम उत्पादक इलाके हैं। इससे यह महाद्वीप में नशीली दवाओं की तस्करी का केंद्र बन जाता है।
- **आगे की राहः** साक्ष्य-आधारित मादक पदार्थ उपयोग रोकथाम कार्यक्रम, इससे जुड़ी सामाजिक बहिष्कार की भावना को कम करना; जागरूकता अभियान चलाना आदि।

शिक्षा में निजी क्षेत्रक की भागीदारी

आंकड़े/तथ्य

- शिक्षा क्षेत्रक में, **निजी क्षेत्र को नॉट-फॉर प्रॉफिट (लाभ के लिए नहीं) के आधार पर कार्य करने की ज़रूरत है।**
- **आवश्यकताः** शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए; सार्वजनिक व्यय में कमी करने के लिए आदि।
- **चुनौतियांः** शिक्षा का समावेशी न होना और शिक्षा का वाणिज्यीकरण; निजी क्षेत्रक के उद्देश्यों को लेकर नकारात्मक धारणा; प्रभावी विनियमन का नहीं होना; भ्रष्टाचार और काला धन।
- **आगे की राहः** विनियामकीय परिवेश में सुधार करना; प्रबंधन और प्रशासन के लिए निजी क्षेत्रक की सेवा लेना; छात्रों को मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों प्रकार की सहायता प्रदान करना आदि।

भारत में एडटेक क्षेत्र (EDTECH SECTOR IN INDIA)

आंकड़े/तथ्य

- भारत में **वर्ष 2025 के अंत तक इंटरनेट उपलब्धता की दर 55% से अधिक** पहुंचने का अनुमान है।
- **एडटेक के लाभः** सरकार के डिजिटल मिशन में सहायक; लचीला और लागत प्रभावी शिक्षण आदि।
- **मुद्देः** महामारी के कारण पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान; साइबर खतरों पर नियंत्रण, सामाजिक कौशल की उपेक्षा।
- **आगे की राहः** डिजिटल आधारभूत ढांचे को मज़बूत बनाना; समाजीकरण में सुधार करना और डेटा संरक्षण आदि ।

प्रतिभा पलायन (BRAIN DRAIN)

आंकड़े/तथ्य

- शिक्षा हासिल करने के लिए अन्य देशों में पलायन करने वाले छात्र 28 बिलियन डॉलर या **भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1 प्रतिशत** व्यय करते हैं।
- **कारकः** नवोन्मेषी पाठ्यक्रमों का अभाव; बेहतर संभावनाएं; बेरोजगारी और अपर्याप्त पारिश्रमिक आदि।
- **मुद्देः** योग्य मानव संसाधन की कमी; विकासशील और विकसित देशों के बीच अंतराल में वृद्धि होती है आदि।
- **आगे की राहः** विशिष्ट संस्थानों में सीमा पार संस्थागत गतिशीलता और अवसरों का सृजन करना; भारत को प्रवासियों के लिए आकर्षक शिक्षा गंतव्य बनाना; शिक्षा पूरी करने के बाद स्वदेश लौटने के लिए प्रोत्साहित करना आदि।

सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा (UNIVERSAL SOCIAL SECURITY)

आंकड़े/तथ्य

- संविधान के **अनुच्छेद 41, 42 और 47** राज्य को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश देते हैं।
- **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020** संगठित या असंगठित क्षेत्रक के सभी कर्मचारियों और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
- **महत्व**: भौतिक और भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना; अधिक दक्षता और उच्च उत्पादकता को बढ़ावा देना आदि।
- **चुनौती**: असंगठित श्रमिकों (UWs) की बड़ी संख्या, अनभिज्ञता, निरक्षरता, कमजोर प्रशासनिक व्यवस्था आदि।
- **आगे की राह**: सामाजिक सुरक्षा को मूल अधिकार के रूप में मान्यता देना; नीतियों के कार्यान्वयन में सुधार करना; जागरूकता अभियान चलाना; वित्त पोषण में वृद्धि करना आदि।

आंतरिक प्रवास (INTERNAL MIGRATION)

आंकड़े/तथ्य

- प्रवासी श्रमिकों में लगभग 60% **श्रमिक पेशेवर रूप से सुभेद्य श्रमिक (कृषि के अतिरिक्त) हैं।**
- **'वन नेशन वन राशन कार्ड' और प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0** (PMUY 2.0) विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों पर केंद्रित हैं।
- **आंतरिक प्रवासियों को प्रभावित करने वाले मुद्दे**: सामाजिक सुरक्षा का अभाव; मलिन बस्तियां; शिक्षा तक पहुंच का अभाव आदि।
- **चुनौतियां**: अपर्याप्त आंकड़े; सरकार द्वारा कम प्राथमिकता देना; अकुशल नीतिगत उपाय आदि।
- **आगे की राह**: अनौपचारिक श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा योजना; नीति निर्माताओं को संवेदनशील बनाना और प्रशिक्षित करना; आंकड़ों की कमी को पूरा करना आदि।

स्ट्रीट वेंडर्स

आंकड़े/तथ्य

- **स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014** सर्वेक्षण में पहचाने गए **सभी स्ट्रीट वेंडर्स को विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रावधान करता है।** इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं, दिव्यांगजनों, अल्पसंख्यकों आदि को वरीयता दी जाती है।
- इस अधिनियम के तहत राज्यों द्वारा गठित नगर विक्रय समितियों (TVCs) के परामर्श के बिना **कोई बेदखली या स्थानांतरण नहीं किया जाना चाहिए।**
- **अन्य पहलें**: स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी.एम. स्वनिधि) योजना; मैं भी डिजिटल अभियान आदि।

घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (ALL INDIA SURVEY ON DOMESTIC WORKERS: AISDWS)

आंकड़े/तथ्य

- यह सर्वेक्षण श्रम ब्यूरो द्वारा किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन** (ILO) के अनुसार भारत में कम से कम 4 मिलियन घरेलू नौकर हैं।
- भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) **के 189वें अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता है**, लेकिन अभी तक **इसकी पुष्टि नहीं की है।** इसे घरेलू कामगारों पर अभिसमय के रूप में जाना जाता है।
- **घरेलू कामगारों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं**: खराब कामकाजी परिस्थितियां; कमजोरी का फायदा उठाना; बाल श्रम आदि।
- **आगे की राह**: नियोक्ता को संवेदनशील बनाना; सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों को अपनाना; ILO के 189वें अभिसमय की पुष्टि करना; व्यापक कानून तैयार करना आदि।

आकांक्षी जिला कार्यक्रमः ब्लॉक और शहर स्तर पर {ASPIRATIONAL DISTRICT PROGRAMME (ADP): BLOCK AND CITY LEVEL}

आंकड़े/तथ्य

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने ADP को **स्थानीय क्षेत्र के विकास के एक बहुत ही सफल मॉडल** के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- **ADP के तहत थीम (विषय)**: स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और सिंचाई, वित्तीय समावेशन एवं कौशल निर्माण तथा बुनियादी अवसंरचना।
- **ADP से संबंधित मुद्देः** डेटा संबंधी विसंगति, कम भारांश वाले क्षेत्रों का हाशिए पर होना, मानव संसाधन का अभाव आदि।
- **आगे की राहः** कुशल और पारदर्शी डेटा संग्रह, समर्पित कर्मी, गवर्नेंस मॉडल में पर्यावरण व लैंगिक अवधारणा को एकीकृत करना आदि।

भुखमरी और कुपोषण (HUNGER AND MALNUTRITION)

आंकड़े/तथ्य

- **वर्ष 2021 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ।**
- **चुनौतियांः** कम बजट, बजट का पूर्ण उपयोग न करना, खाद्य बर्बादी, निगरानी का अभाव, केंद्रीकृत गवर्नेंस आदि।
- **आगे की राहः** दुबलेपन (स्टंटिंग) से पीड़ित बच्चों की शुरुआती स्तर पर ही पहचान और उपचार करने संबंधी सेवाओं का विस्तार करना; गवर्नेंस में कमियों और अक्षमताओं को दूर करना; स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जागरूकता का प्रसार करना आदि।

हेट क्राइम

आंकड़े/तथ्य

- हेट स्पीच या नफ़रत फ़ैलाने वाले भाषण **भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं जैसे कि 153A, 153B और 295A के तहत दंडनीय हैं।**
- **लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम** और इसी तरह के अन्य कानूनों में हेट स्पीच व इसकी रोकथाम से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- **तहसीन पूनावाला वाद** में सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं।
- **कारणः** पूर्वाग्रह, राजनीतिक संरक्षण, प्रशासनिक असफलता आदि।
- **आगे की राहः** पंजीकृत राजनीतिक दलों को जवाबदेह ठहराना; न्यायपालिका को संवेदनशील बनाना; स्कूली बच्चों को सहिष्णुता और सद्भाव के बारे में शिक्षित करना आदि।

खेलों में भारत का प्रदर्शन

आंकड़े/तथ्य

- **भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बहुत कम उपलब्धियां प्राप्त की हैं।**
- **कारणः** खराब स्वास्थ्य; खेल संस्कृति का अभाव; लोकप्रियता की कमी; भावी करियर संबंधी कोई सुनिश्चितता का न होना आदि।
- आगे की राहः विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना का निर्माण करना; खेल फेडरेशन/निकायों में गवर्नेंस संबंधी सुधार करना; खिलाड़ियों के लिए एक सुनिश्चित करियर को निर्धारित करना आदि।

वीकली फोकस

सामाजिक मुद्दे

मुद्दे	विवरण	अन्य जानकारी
सोशल मीडिया और समाज	हम सभी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मनोरंजन का माध्यम बनने से लेकर हमारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनने तक के विकास के साक्षी हैं। इस लेख में स्पष्ट किया गया है कि विकास की अपनी इस यात्रा के दौरान सोशल मीडिया ने कैसे मानव समाज को असंख्य तरीकों से प्रभावित किया है। इस लेख में नए डिजिटल युग में सोशल मीडिया की प्रासंगिकता में वृद्धि करने, इस आधुनिक मंच को विनियमित करने की आवश्यकता और तरीकों पर भी चर्चा की गयी है।	
अवैतनिक कार्य: महिलाओं की जिम्मेदारी या एक आर्थिक गतिविधि	महिलाओं द्वारा किए जाने वाले अवैतनिक कार्य उनके अधिकारों को कमजोर तथा उनके अवसरों, क्षमताओं और विकल्पों को सीमित करते हैं। इस प्रकार वे उनके सशक्तीकरण को बाधित करते हैं। यह लेख हमारे समाज में अवैतनिक कार्य के विषमतापूर्ण वितरण के कारणों और इसके निहितार्थों का विश्लेषण करता है। सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य क्रमांक 5 में देखभाल संबंधी एवं घरेलू अवैतनिक कार्यों को मान्यता देने और उनका मूल्यांकन करने का लक्ष्य शामिल है। इस लेख में एक आर्थिक गतिविधि के रूप में अवैतनिक कार्य को मान्यता देने की आवश्यकता और चुनौतियों पर चर्चा की गयी है। साथ ही, यह 'ट्रिपल आर' (Triple R) दृष्टिकोण का उपयोग करके इस मुद्दे के निराकरण का एक मार्ग भी सुझाता है।	
भारत का टीकाकरण अभियान: रणनीति, बाधाएं और अवसर	बहु-प्रतीक्षित कोविड की वैक्सीन की शुरुआत करके भारत ने लाखों लोगों के प्राण लेने वाली और व्यापक अशान्ति फैलाने वाली महामारी से उबरने की अपनी यात्रा शुरु कर ली है। अब 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने वाला भारत सबसे पहला देश है। यह दस्तावेज़ हमें वैक्सीन उत्पादन में विश्व गुरु बनने की भारत की कहानी बताता है। यह सफलता की गाथा, व्यवस्था में मौजूद बाधाओं और संभावित अवसरों का भी अध्ययन करता है। यह भारत द्वारा शुरू की गई वैक्सीन डिप्लोमेसी की प्रभावकारिता को लेकर चल रहे विवाद को भी बेहतर तरीके से समझाता है।	
स्वस्थ और सुरक्षित विश्व के लिए सार्वभौम प्रतिरक्षीकरण	हाल ही में शुरू की गई वैश्विक प्रतिरक्षीकरण रणनीति का लक्ष्य एक ऐसा विश्व स्थापित करना है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक स्थान पर, किसी भी आयु में अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए, टीकों से पूर्ण लाभ प्राप्त हो। यह दस्तावेज़ वैज्ञानिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि कैसे एक टीका हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करता है और हमें घातक रोगों से बचाता है।। आगे, यह दस्तावेज चर्चा करता है कि आज के समय में, पूरे विश्व में वैश्विक प्रतिरक्षीकरण की आवश्यकता क्यों है। साथ ही यह इस दिशा में भारत की प्रगति का विश्लेषण करता है।	
इंडिया बनाम भारत: क्या ग्रामीण-शहरी विभाजन वास्तविकता है या मात्र एक रूपक है?	असमानता और सामाजिक एकता पर मौजूदा विमर्श ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच जीवन स्तर में बढ़ते अंतराल को रेखांकित किया है। मौजूदा असमानता राष्ट्र की संवृद्धि और विकास को असंख्य तरीकों से प्रभावित करती है। इस लेख में शहरी-ग्रामीण विभाजन में योगदान करने वाले कारकों और दो समकक्षों के बीच मौजूद सहजीवी संबंध पर चर्चा की गयी है। इसमें आगे इस बात पर भी चर्चा की गयी है कि क्या बेहतर भविष्य के लिए इंडिया और भारत में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।	

भारत में नागरिक समाज: विकास प्रक्रिया का आवश्यक घटक या एक विवादित विचार	आर्थिक संवृद्धि के वर्तमान मॉडल में, स्वैच्छिक/नागरिक समाज क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण और न्यायसंगत, संधारणीय और समावेशी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक प्रमुख घटक के रूप में मान्यता दी गई है। निरपवाद रूप से, इसने आधिकारिक नीति-निर्माण प्रक्रिया में उनकी वैधता और भूमिका के बारे में सार्वजनिक विमर्श को जन्म दिया है। इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम लोकतंत्र में नागरिक समाज के महत्व को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि कैसे नागरिक समाज अपने समक्ष आने वाली बाधाओं को दूर कर सकते हैं और उभरते युग में अपना इच्छित प्रदर्शन कर सकते हैं।	
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा: पहचान, प्रतिक्रिया, रोकथाम और परिवर्तन	वैदिक काल से लेकर आधुनिक काल तक हमारे समाज की महिलाओं की स्थिति और उनके वीरतापूर्ण कृत्यों के बारे में बहुत कुछ लिखा जा सकता है। किन्तु कालांतर में, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों के कारण, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उन्हें पुनः हाशिये पर धकेल दिया गया। यह दस्तावेज़ वर्तमान समय में विश्व भर में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामलों की बढ़ती संख्या के लिए उत्तरदायी कारकों की गहराई से पड़ताल करता है। आगे यह विश्लेषण करता है कि भारत में इस गंभीर मुद्दे से निपटने और महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या किया जा सकता है।	
जबरन विस्थापन: एक मानवीय त्रासदी और विकास संबंधी चुनौती	प्रति वर्ष लाखों लोग संघर्ष, हिंसा, मानवाधिकारों के उल्लंघन, उत्पीड़न और प्राकृतिक खतरों के कारण अपना मूल-निवास स्थान छोड़ने को विवश होते हैं। यह इस बात पर पहले से कहीं अधिक बल देता है कि स्थायी समाधान किए जाने तक आंतरिक रूप से विस्थापित और शरण चाहने वाले संपूर्ण विश्व के शरणार्थियों के उचित रूप से संरक्षण और देखभाल के लिए एकजुट वैश्विक प्रयास किए जाएं। यह दस्तावेज़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जबरन विस्थापन की प्रवृत्तियों, देशों में इसके व्यापक प्रभाव, इससे निपटने के लिए किए गए प्रयासों का एक विश्लेषण प्रदान करता है। साथ ही, यह इन लंबित मुद्दों को प्रबंधित करने के विकल्पों पर भी सुझाव देता है।	
भारत में खेल: ओलंपिक और अन्य	पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय खेल संस्कृति क्रिकेट के खेल से आगे निकल गई है। इसके परिणामस्वरूप दर्शकों की संख्या और भागीदारी में वृद्धि हुई है। साथ ही, फिटनेस के प्रति लोगों का दृष्टिकोण भी बदल गया है। यह डॉक्यूमेंट भारत में खेल क्षेत्र के सामने आने वाली प्रासंगिक समस्याओं का विश्लेषण करता है। साथ ही, उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का विवरण देता है। इसके अलावा यह हमारी प्राचीन खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और हमारे प्रदर्शन में उत्कृष्टता लाने के उपायों पर सुझाव देता है।	

शिक्षा श्रृंखला

"शिक्षा से आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास से उम्मीद पैदा होती है। उम्मीद से शांति पैदा होती है।" - कन्फ्यूशियस

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020, इक्कीसवीं सदी की भारत की पहली शिक्षा नीति है जो हमारे देश की मौजूदा और उभरती विकासात्मक अनिवार्यताओं को संबोधित करने के लिए वर्तमान शिक्षा मॉडल के सभी पहलुओं में संशोधन और सुधार का प्रस्ताव करती है। शिक्षा के मुद्दे पर यह श्रृंखला तीन डॉक्यूमेंट्स की एक श्रृंखला है, जो शिक्षा की मूलभूत बातों से शुरू होकर स्कूली शिक्षा की महत्ता को समझने के लिए उच्चतर शिक्षा के ढांचे की खोज करती है, जहां हम भारत की शिक्षा प्रणाली की पूरी संरचना के बारे में जानेंगे। इसका उद्देश्य NEP-2020 की आवश्यकता, उद्देश्य और लक्ष्यों की बेहतर समझ को सुगम बनाना है।

शिक्षा का दार्शनिक आधार	आज की दुनिया में विज्ञान और तकनीक का तेजी विस्फोट हो रहा है लेकिन बुद्धिमत्ता का अंत:विस्फोट हो रहा है। ज्ञान का विस्तार हो रहा है लेकिन व्यक्तित्व संकुचित हो रहा है। यह परिदृश्य समाज और मानव जाति की नैतिकता और मूल्यों में क्रमिक गिरावट का कारण बन रहा है। यह हमारी "समझ की समीक्षा" है, जिसे हम 'शिक्षा' कहते हैं! क्या शिक्षा केवल धनार्जन का एक साधन है या यह इससे कहीं अधिक है? इस डॉक्यूमेंट के जरिए हम विभिन्न दर्शनों के माध्यम से शिक्षा का सही अर्थ जानेंगे और साथ ही यह भी समझेंगे कि हमारी शिक्षा प्रणाली वास्तव में हमें किस हद तक आवश्यक शिक्षा प्रदान करती है।	
स्कूली शिक्षा: मस्तिष्क एक कोरा कागज है	प्रारंभिक शिक्षा भविष्य की सभी शिक्षाओं का आधार बनती है। जिस तरह हम ठोस नींव के बिना घर नहीं बना सकते, उसी तरह हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बच्चा ठोस नींव के कौशल के बिना जीवन में उन्नति करेगा। फिर भी आज, इनमें से सीखने की अधिकांश नींव पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। यह डॉक्यूमेंट इस बात का विश्लेषण करता है कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच संबंधी योग्यता में सुधार के मामले में भारत ने क्या प्राप्त किया है और कैसे NEP-2020 शिक्षा संबंधी अंतराल को समाप्त करने की कल्पना करता है।	
भारत में उच्चतर शिक्षा: हमारे भविष्य की आधारशिला	पूरे इतिहास में, विश्वविद्यालयों ने व्यक्तियों के साथ-साथ सामान्य रूप से समाज के लिए बहुत सारे लाभ प्रदान किए हैं। 21वीं सदी में, जैसे-जैसे नई खोजें निरंतर तकनीकी नवाचार के साथ जुड़ रही हैं, उच्चतर शिक्षा कभी भी व्यक्ति और समाज के लिए अधिक लाभकारी नहीं रही है। लेकिन जैसा कि हाल के कई अध्ययनों से पता चला है कि भारतीय उच्चतर शिक्षा की समग्र स्थिति निराशाजनक है और इसलिए योग्य कार्यबल की आपूर्ति पर एक गंभीर बाधा है। यह डॉक्यूमेंट इस मुद्दे में गहन विश्लेषण करता है और NEP-2020 के मौलिक सिद्धांतों, दृष्टि और लक्ष्यों को लागू करने के तरीके और साधन सुझाता है ताकि भारत में उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार हो सके।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

2021 सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष 10 में से 8 चयन

from various programs of VisionIAS

CIVIL SERVICES EXAMINATION 2020

1 AIR

SHUBHAM KUMAR

2 AIR

ANKITA AGARWAL

3 AIR

GAMINI SINGLA

4 AIR

AISHWARYA VERMA

5 AIR

UTKARSH DWIVEDI

6 AIR

YAKSH CHAUDHARY

7 AIR

SAMYAK S JAIN

8 AIR

ISHITA RATHI

9 AIR

PREETAM KUMAR

YOU CAN BE NEXT

दिल्ली

HEAD OFFICE Apsara Arcade, 1/8-B, 1st Floor, Near Gate 6, Karol Bagh Metro Station
+91 8468022022, +91 9019066066
Mukherjee Nagar Centre
635, Opp. Signature View Apartments, Banda Bahadur Marg, Mukherjee Nagar

जयपुर 9001949244 | हैदराबाद 9000104133 | पुणे 8007500096 | अहमदाबाद 9909447040 | लखनऊ 8468022022 | चंडीगढ़ 8468022022 | गुवाहाटी 8468022022

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC